राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या :10

शुक्रवार,

7 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर

में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन गहलोत

जिला कलेक्टर कार्यालय भवन, करौली का निर्माण

250. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला करौली में जिला कलेक्टर कार्यालय के भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है ?

(2) क्या उक्त कार्यालय भवन के सम्बन्ध में पूर्व में कृषि उपज मण्डी हेतु चयनित स्थल पर बनाये जाने का निर्णय किया गया था एवं कृषि उपज मण्डी के स्थान को जिला कलेक्टर कार्यालय के स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया था ?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त भवन निर्माण हेतु पूर्व में कोई राशि स्वीकृत की गई थी ?

(4) क्या सरकार 15 माह में उक्त भवन का निर्माण कार्य नहीं करा पाई और आबंटित राशि दो बार लेप्स हो गई है ?

(5) क्या उक्त कृषि उपज मण्डी की भूमि अवाप्त हो चुकी है और सम्बन्धित व्यक्तियों को मुआवजा भी दिया जा चुका है ? क्या उक्त भूमि का कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है ?

(6) क्या कारण है कि सरकार उक्त जिला कलेक्टर कार्यालय भवन का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं करा पा रही है ? क्या ऐसा कोई प्रशासनिक कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जी, हां।

(2) नये जिला कलेक्टर कार्यालय भवन हेतु अधिगृहीत भूमि की पूरी कीमत कृषि उपज मण्डी को भुगतान के बाद ही उक्त भूमि स्थानान्तरित की जानी थी।

(3) जी, हां। कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

एवं भूमि की कीमत हेतु कुल 571.53 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 5.6.99 को जारी की गई थी।

(4) जी, नहीं। केवल वर्ष 1998–99 में प्रावधान राशि रुपये 30.32 लाख का उपयोग नहीं हो सका। वित्तीय वर्ष 1999–2000 के प्रावधान 60.00 लाख में से 24.53 लाख का उपयोग भूमि की कीमत चुकाने हेतु किया गया है।

(5) जी, हां। कुल अवार्ड राशि 42.93 लाख रुपये में से 24.53 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष राशि 18.40 लाख और दी जानी है। इस सम्बन्ध में दो रिट याचिकाएं 4765/97 ओमप्रकाश बनाम सरकार एवं 3079/99 उनवानी ठाकुर केशोरायजी बनाम सरकार उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(6) निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराने का मुख्य कारण भूमि चयन पर बार–बार विवाद उत्पन्न होना है। इस हेतु अब दिनांक 10.3.2000 को सम्भागीय आयुक्त, कोटा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें समस्त जिले के माननीय विधायकगणों को भी सदस्य बनाया गया है। इस समिति का कार्यकाल एक माह का है। इस समिति ने दिनांक 1.4.2000 को अपनी बैठक कर करौली जिला कलेक्ट्रेट के लिए भूमि के चयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दिनांक 3.4.2000 को प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट के अवलोकन के बाद शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि राज्य सरकार की मंशा जिला कलेक्ट्रेट बनाने की है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मन्शा तो बहुत पुरानी है और मंशा आगे कितने साल तक और रहेगी। मैं निश्चित तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि करौली के कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण कब प्रारम्भ कर दिया जाएगा ? मेरे एम.एल.ए. रहते कर दिया जाएगा या उसके बाद में किया जाएगा ? मंशा तो आपकी कभी भी रह सकती है।

श्री अध्यक्ष : आपकी मीटिंग हो चुकी है।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटिंग तो कई बार हो चुकी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 01 अप्रेल, 2000 को जो मीटिंग हुई है उसमें जो जमीन चारों माननीय विधायकों की उपस्थिति में तय की गई है उस जमीन के बारे में शिक्षा विभाग से जल्दी से जल्दी वार्ता कर इसका फैसला कर दिया जाएगा और इस साल हमने बजट में भी इसके लिए एक करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान किया हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये जब तक एम.एल.ए. रहेंगे. न ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। डाक्टर साहब। किरोड़ी लालजी।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, गहलोत साहब वहां के लोकल विधायक हैं और जहां पर कलेक्ट्रेट का भवन बन जाएगा।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो कलेक्ट्रेट के लिए भूमि चयन की गई थी अब उस भूमि पर कमेटी के सभी सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त करते हुए जगह बदल दी। हम इसके लिए सहमत हैं कि हायर सैकण्डरी स्कूल की बिल्डिंग पर, क्योंकि राज्य सरकार के कम से कम 15 करोड़ रुपये उससे बच जाएंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, कोर्ट्स वगैरह सारे नये बने हुए हैं। एजुकेशन विभाग से कब तक आप जमीन का स्थानान्तरण कर लेंगे ? क्योंकि आपको कम से कम 15 करोड़ रुपये का फायदा होने वाला है। सारी जमीन बिगड़ी हुई थी, वहां पर समतल कराने में 15 करोड़ रुपये लग जाते। कृषि उपज मण्डी के स्थान पर कृषि उपज मण्डी वापस बन जाएगी। आपने अपने जवाब में कहा है कि इस भूमि में अभी भी दो मामले न्यायालय में हैं। आपकी जानकारी के तौर पर बता दूं कि इस जमीन पर कृषि उपज मण्डी का पूरा कब्जा हो चुका है, कब्जा सरकार ने ले लिया है, सरकार की बार–बार डिले करने के कारण बार–बार न्यायालय में पार्टियां जा रही हैं। क्योंकि उसके पहले सारे विवाद खतम हो चुके हैं, दो पार्टी बची हैं, मैं कहता हूं कि दोनों पार्टियों का एरिया छोड़कर वहां कृषि उपज मण्डी का निर्माण हो जाए। जो पैसा कृषि उपज मण्डी को सरकार ने दिया ही नहीं है, इसलिए कृषि उपज मण्डी को वापस स्थानान्तरित कर दें क्योंकि राज्य सरकार के लेवल पर वह स्थानान्तरित कर दी गई थी पर राशि नहीं मिली। तो हमारी कृषि उपज मण्डी का निर्माण भी हो जाएगा। कमेटी ने यह भी रिपोर्ट दी है कि नवल का बाग जो कि बिलकुल सीलिंग की जमीन थी, जिस पर भू–माफिया ने कब्जा कर लिया था, ऐसी स्थिति में वहां सिविल लाइंस का प्रपोज हमने किया है। मैं सोचता हूं कि सारी बातों की दृष्टि से आप कब तक कलेक्ट्रेट भवन की शुरूआत कर देंगे ? अब सारा मामला समाप्त हो चुका है, हमने उस जगह को बदलने के लिए भी स्वीकृति दे दी है इसलिए स्पेसिफाई आप बतायें कि कब तक कर देंगे, महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, 6 महीने में ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि अभी मेरे पास में 1.4.2000 की रिपोर्ट 3.4.2000 को आयी है और जैसे ही यह रिपोर्ट आई है, हमने शिक्षा विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दे दिये हैं। जैसे ही शिक्षा विभाग हमको यह जमीन देगा, बजट में जैसे प्रावधान एक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करोड़ 70 लाख का किया है तो उसके ऊपर हम आगे की कार्यवाही कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी आ गये हैं। हम यह चाहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी जाएं। कब शिलान्यास कर देंगे ? करौली की जनता डेढ़ साल से परेशान है।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी ने आपको बहुत संतोषजनक उत्तर दिया है।

श्री जनार्दन गहलोत : इसका शिलान्यास कब मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं ? सारे विवाद अब समाप्त हो चुके हैं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी जिला करौली से चुनकर आया हूं, मेरा भी विनम्र निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, बहुत समय हो गया साहब इसको, अब तो हम सबने मिलकर एक बहुत बड़ा विवाद था उसको बैठकर के तय कर दिया है, सारे जिले की पब्लिक खुश है कि बहुत अच्छी जगह इसका निर्माण होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अब इसका कब शिलान्यास किया जा रहा है, कब पूजन होगा इसका ? माननीय मुख्य मंत्रीजी कब हमारे जिले के अन्दर पधारेंगे ? कब वह शुभ दिन आयेगा और हमारे जिले की वह बिल्डिंग बनेगी ?

श्री अध्यक्ष : आपकी मीटिंग हो चुकी है।

श्री रामस्वरूप : दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां जो पुलिस लाइन की जगह बतायी है करौली रोड के ऊपर, क्या माननीय मंत्रीजी उसी जगह पर पुलिस लाइन को बना रहे हैं ? और भी जो हमने उनके क्वार्टरों के लिए जगह पास की, क्या जहां हमने स्वीकार किया है वैसा ही उसी प्रकार से बनाया जा रहा है ? यह मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय रामस्वरूपजी ने ठीक ही बात कही है कि कमेटी की रिपोर्ट की रिपोर्ट आपने स्वीकार कर ली है क्या ? यह तो बता दें कम से कम ताकि हमारे सारे निर्माण वहीं होंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कमेटी की रिपोर्ट अभी हमको मिली ही है और विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। जल्दी से जल्दी शिक्षा विभाग को आर्डर दे दिये है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने बताया है कि रिपोर्ट का अवलोकन राज्य सरकार के विचाराधीन है। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री आर.पी. शर्मा।

विधान सभा क्षेत्र भरतपुर का निर्माणाधीन स्टेडियम

251. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री आर. पी. शर्मा)

(1) राज्य में कहां–कहां कितने स्टेडियम बन चुके हैं तथा कहां–कहां निर्माणाधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्माणाधीन स्टेडियमों के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा क्या–क्या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई ? क्या सरकार निर्माणाधीन स्टेडियमों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के निर्माणाधीन स्टेडियम के कार्य में अब तक कितनी राशि जनसहयोग से प्राप्त हुई तथा कितनी–कितनी राशि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा एवं खेलकूद (मास्टर भंवरलाल मेघवाल) : (1) राज्य में कुल 17 स्टेडियम बन चुके हैं तथा 42 निर्माणाधीन हैं। बन चुके स्टेडियम एवं निर्माणाधीन स्टेडियमों की सूची परिशिष्ट–"क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त निर्माणाधीन स्टेडियमों के निर्माण में राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा 256.17 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से इन स्टेडियमों को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास कर रही है तथा प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई नवीनतम संशोधित योजनाओं के अनुसार संशोधित करवाया जा रहा है। राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा स्टेडियमों के निर्माण में जो राशि उपलब्ध करवाई गई है, उसकी सूची परिशिष्ट–"ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के निर्माणाधीन स्टेडियम के कार्य में अब तक 12,21,578/–की राशि जन सहयोग से प्राप्त हुई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भरतपुर एवं राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के माध्यम से 21,45,000/– रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार द्वारा अब तक कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के निर्माणाधीन स्टेडियम के कार्य में अब तक प्राप्त राशि की सूची परिशिष्ट–"ग" एवं "घ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट- 1 देखें)

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मंत्रीजी ने कहा है कि 17 स्टेडियम पूरे हो चुके हैं और 42 में से 23 पर काम चल रहा है और आपने जवाब दिया है कि सीमित वित्तीय संसाधनों से इन स्टेडियमों को शीघ्र ही पूरा करा दिया जाएगा। तो मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि शीघ्र पूरा करने में जो 23 स्टेडियम हैं, जिसमें भरतपुर भी है। मैं खास तौर से भरतपुर के बारे में

(श्री आर. पी. शर्मा)

पूछना चाहता हूं कि शीघ्र से क्या मतलब है ? एक साल में, छह महीने में, पांच साल में शीघ्र में आपका टाइम लिमिट क्या है ? नम्बर वन।

नम्बर दो, 26.10.1995 को भरतपुर में स्टेडियम निर्माण के लिए योजना बनी और उस वक्त जो योजना बनी थी, उस वक्त 14.77 करोड़ की योजना बनी थी। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि योजना बनाते वक्त जो 14.77 करोड़ रुपये खर्च होना था, उसको कब तक पूरा करने की कोई प्लानिंग थी सरकार के पास, नम्बर एक, अब जो योजना है, चूंकि आपने कहा कि केवल भरतपुर के निर्माण में वहां अब तक जो खर्च हुआ है, वह मात्र 35–36 लाख रुपये खर्च हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 14.77 करोड़ रुपये की योजना जो 1995 में प्रस्तावित थी, जिस पर केवल 35 लाख रुपये खर्च हुए हैं तो क्या उस कार्य को पूरा कराने में अब कितना पैसा व्यय होगा ? जो पैसा आज डे–बाई–डे एसकेलेशन कोस्ट बढ़ रही है, उसके लिए सरकार चिंतित है या नहीं ? इस योजना में हम कितना कम से कम मिनिमम प्रोग्राम लेकर कि इतना तो काम हम पूरा करेंगे जिससे कि वह काम हमारे आ सके। 70 बीघा जमीन जो कि 14–15 करोड़ रुपये की जमीन है, आम जनता ने उसमें सहयोग किया है, उसके बावजूद भी हमारे यहां जो स्टेडियम निर्माणाधीन है, जो बच्चों के खेलने के काम नहीं आये तो मैं कह सकता हूं कि यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से, तीसरा प्रश्न है, पिछले पांच वर्षों में भरतपुर क्रीड़ा परिषद में खेल अधिकारी का पद भी रिक्त है तो यह खेल अधिकारी का पद कब तक भर दिया जाएगा ? यह बताने की कृपा करें।

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह योजना 1996 में बनकर राजस्थान सरकार के पास आई थी और 16.11.1998 को यह योजना राज्य सरकार के पास आई। 24.11.1998 को राज्य सरकार ने भारत सरकार के पास इसको भेज दिया लेकिन भारत सरकार के द्वारा कुछ आपत्तियां होने की वजह से अब यह 21.2.2000 को आपत्तियां दर्ज होकर वापस राज्य सरकार के पास आई है, जिसको 22.3.2000 को जिला कलेक्टर, भरतपुर को यह योजना भेजी जा चुकी है। जिला कलेक्टर, भरतपुर के यहां से जब यह डिटेल्ड एस्टीमेट और उसके अन्दर जो क्वेरीज निकाली गई हैं, उनका उत्तर आने के बाद राज्य सरकार भारत सरकार को भेज देगी। चूंकि भारत सरकार 50 प्रतिशत राशि खेल-स्टेडियमों के लिए अनुदान के रूप में राजस्थान सरकार को देती है और 50 प्रतिशत जो राशि है, वह या तो उस संस्था से या राजस्थान की सरकार को उसमें शेयर करना पड़ता है।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जब भी भारत सरकार से उक्त स्टेडियम का निर्माण के लिए यह प्रस्ताव पास होकर आ जाएगा, उसके बाद में चूंकि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन को भी मद्देनजर तो रखना पड़ेगा। भरतपुर के डी. आर. डी. ए. से या जनसहयोग से या अन्य कोई भी व्यवस्था होगी तो उसके मुताबिक ज्योंही स्वीकृति आ जाएगी, इसका निर्माण करने की कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी अपने जवाब में कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की राशि इतनी खर्च हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का तो इसमें कितना पैसा लगा और भारत सरकार का कितना लगा है ? खास तौर से अभी आपने मंशा जाहिर की कि 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को लगानी पड़ेगी और 50 प्रतिशत भारत सरकार को। क्या राजस्थान सरकार के बजट में राजस्थान के सभी जिलों के स्टेडियम के लिए 50 प्रतिशत राशि लगाने के लिए बजट में कोई प्रावधान है ? आज राजस्थान में अन्य प्रांतों के मुकाबले में जिलों में स्टेडियम का निर्माण कहीं पर भी नहीं हो रहा है क्योंकि 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के पास देने को नहीं है और इसलिए आपका कोई निर्माण होना नहीं है। आज अगर बजट में प्रावधान की बात है, वित्त मंत्रीजी यहां बैठे हैं, अगर पांच करोड़ रुपये का प्रावधान इन स्टेडियमों के लिए रखते हैं तो पांच करोड़ रुपये भारत सरकार से मिल सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कोई प्रावधान नहीं रखा है। राजस्थान के जिलों में स्टेडियमों का विकास करना चाहते हैं तो उसमें प्रावधान आपको रखना पड़ेगा। केवल मात्र कि इस जवाब में कि जब हमारे पास साधन उपलब्ध होंगे तो हम करेंगे। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को जवाब आपने दिया, उसमें मुझे लगता है कि सरकार कतई बनाने की स्थिति में नहीं है, न राजस्थान के अन्य जिलों में स्टेडियम निर्माण कराने की स्थिति में है क्योंकि आपके बजट में प्रावधान ही नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि आप इस बात को स्पष्ट करें कि आपके पास इस साल के बजट में पैसा क्या है ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने वित्तीय संसाधनों की बात कही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 17 स्टेडियम राजस्थान सरकार के शेयर से बनकर तैयार हो चुके हैं, 42 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं और उसके अन्दर कुछ न कुछ राशि राजस्थान की सरकार का शेयर है, वह रुपया दिया गया है तभी वह निर्माणाधीन है। चूंकि भारत सरकार से ये 42 स्टेडियम जो निर्माणाधीन हैं, उसके प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं, भारत सरकार जब पैसा मंजूर करेगी, तब जाकर के राजस्थान सरकार का मामला आएगा। इसलिए ज्योंही भारत सरकार को

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जो प्रस्ताव हमने भेजा है, वह मंजूर करते जाएंगे, त्योंही राज्य सरकार द्वारा डी. आर. डी. ए. या दूसरे इस प्रकार के संसाधन होंगे, उसके मुताबिक निर्माण करा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आपने एक साल में कितनी राशि रखी थी, मुझे तो आप यह बता दो। पिछले साल स्टेडियम निर्माण पर कितनी राशि लगाई गई थी ? ये सारे 17 स्टेडियम तो पहले के हैं।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, यह तो पोल हो गई कि बजट में कितना प्रावधान रखा गया है। (व्यवधान) मंत्रीजी, आप यह बता दें कि पिछली बार के बजट में भी आपने कितना प्रावधान रखा था ?

श्री जनार्दन गहलोत : बजट में आपका प्रावधान क्या है। (व्यवधान) पिछली बार आपने कितनी धनराशि कंट्रीब्यूट की है, यह बता दें। आपने 50 प्रतिशत राशि पिछले साल भी कंट्रीब्यूट नहीं की। (व्यवधान) जिस किसी स्टेडियम के लिए दिया गया है तो वह बता दें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : जिन 42 स्टेडियमों के लिए कम्पलीट होने की बात आप कह रहे हैं, कितना पैसों का प्रावधान इस बार, इस वित्तीय बजट में है, यह बता दें आप तो, जवाब दो। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल 21.5 लाख रुपये हमारे जो निर्माणाधीन स्टेडियम हैं, उनके लिए 21.5 लाख रुपये लगाये गये हैं और इस साल के बजट में, जो कि आज पास होगा और जितना बजट होगा उसके मुताबिक उन स्टेडियमों का निर्माण करा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप तो यह बता दें कि बजट में प्रावधान कितना किया है। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : वह आपके सामने हैं बजट, बजट आपके सामने है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपके हाथ में बजट है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेशल सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरा पाइंटेड सवाल है, इस वर्ष के वित्तीय बजट में राजस्थान में स्टेडियम निर्माण के लिए कितना प्रावधान है ? कितनी राशि इसके लिए बजट में प्रावधान के रूप में रखी गई है, आप तो मुझे यह बता दें। एक रुपया, दो रुपया, कितना ?

श्री रामनारायण चौधरी : खेलकूद में रखा गया है, यह इसका मेजर हैड है। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप तो प्रावधान बताइये ना।

श्री जनार्दन गहलोत : पिछली बार 17 लाख का मतलब हुआ, आपको कहीं से पैसा मिला ?

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा हुआ है। भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विराजमान हैं। उनको क्या पता कि बच्चे भी खेलते हैं, इसलिए वह तो पैसा मंजूर करते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को खेल मंत्री बनाओ। माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय रामानारायण जी को खेल मंत्री बना दो।

डां. किरोड़ी लाल : ये रामनारायणजी को खेल मंत्री बनाओ आप।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर एक भी हॉकी का सिंथेटिक ट्रेक नहीं है, एथलेटिक्स का ट्रेक नहीं है, कैसे रिजल्ट आने वाले हैं ? आज 75 प्रतिशत पैसा भारत सरकार से उन्हें मिल सकता है लेकिन राजस्थान सरकार उस पर प्रावधान ही नहीं रखेगी तो कैसे संभव होगा ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप भारत सरकार से बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आप वहां पर जाते ? आप दबाव डालिये माननीय प्रधानमंत्रीजी पर। उनको पता ही नहीं कि खेल भी होते हैं जो बच्चे भी खेलते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी कृपया ध्यान दें, आज से करीब 5–6 साल पहले हमने अखबारों में पढ़ा था कि राज्य सरकार यदि जन सेवा से, जन सहयोग से अगर किसी स्थान विशेष पर जनता स्टेडियम बनाने जा रही है तो राज्य सरकार कम से कम एक लाख रुपया देगी, क्या यह सही है कि पहले एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, आने वाले दिनों में यह प्रावधान बदस्तूर है ? तो हमने जन सहयोग से गंगापुर सिटी में करीब पांच लाख रुपये इकट्ठे किये और स्टेडियम बनाना शुरू किया। उन्हीं दिनों में मूलचन्दजी मीणा, जब वहां पर एम. पी. थे, उन्होंने पांच लाख रुपया हमें स्टेडियम के लिए दिया और डी. आर. डी. ए. ने पांच लाख रुपया नहीं देकर केवल दो लाख रुपये दिये, पी. डब्ल्यू. डी. ने दो लाख रुपये भी नहीं लगाये। अब वह स्टेडियम अधूरा पड़ा हुआ है, जन सहयोग से हम उसको पूरा करना चाहते हैं पर पूरा तभी होगा जबकि मंत्री महोदय कम से कम दो लाख रुपया और दे दें। तो हम दस लाख का एक स्टेडियम वहां पर बना देंगे।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हमारे सवाल का तो उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बजट के प्रावधान क्या है, इस बजट में तो कहीं है नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : बजट स्टडी में तो कहीं प्रावधान है नहीं, इसमें कहीं नहीं है। खेल के लिए पैसा दिया जाएगा, अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं प्रावधान नहीं है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह पचास प्रतिशत राशि जन सहभागिता की...

डा. किरोड़ी लाल : खेल के लिए पैसा दिया जाएगा, बजट में कोई प्रावधान नहीं है अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट बतायें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : पंचास प्रतिशत राशि जन सहयोग की...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो राजस्थान सरकार ने इस वर्ष के इस बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया है, यह बता दें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय सदस्य, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घुमाओ मत हमें, सीधी बात करें आप।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, पचास प्रतिशत का तो प्रोवीजन होना चाहिए न, वह प्रोवीजन भी कहीं नहीं है इसमें। आप पचास प्रतिशत पैसा कहां से लाओगे, वित्त मंत्रीजी आसानी से दे देंगे आपको....

श्री अध्यक्ष : आप दो–दो, तीन–तीन माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं, आपने पाइंटेड प्रश्न पूछ लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब नहीं दे रहे हैं, सर।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न रखा है कि उनका स्टेडियम अधूरा है और जो पैसा उन्होंने पांच लाख रुपये लगाया है, उसका आधा पैसा अपना गांव अपना काम या नगरीय सहभागी योजना के अन्तर्गत दिया जाता है। एक लाख रुपये का जहां तक सवाल है और एक लाख रुपये के कारण ही अगर वह खेल का मैदान अटका पड़ा है तो आपकी इस बात पर निश्चित तौर पर ध्यान दिया जाएगा और निश्चित तौर से आपका काम कराया जाएगा। रहा सवाल खेल के बजट का, क्योंकि बजट तो, अध्यक्ष महोदय, हर साल निर्माण के कार्यों में और खेल सामग्री का हमेशा कम होता जा रहा है। पिछले साल इक्कीस–साढ़े इक्कीस लाख रुपये की राशि निर्माण पर खर्च की गई। चूंकि इस साल, मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे पिछले साल का जो बजट था उससे डबल बजट अबकी बार किया है... (व्यवधान) आप सुन तो लीजिये। पिछले

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

साल का जो बजट था वह हमारा पूरी योजना का 65 लाख रुपये था। अब की बार उसको बढ़ा कर एक करोड़ 15 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया है। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान में बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित तौर से और बजट बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। इसलिए आधा पैसा जो है उससे डबल किया जाएगा। धन्यवाद।

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खेल स्टेडियम निर्माण का प्रावधान कहां है मंत्री महोदय, इसमें निर्माण का प्रावधान कहां है, यह बता दें आप। 42 स्टेडियम की बात कर रहे हैं आप।

डा. किरोड़ी लाल : कहीं नहीं है।

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि गंगापुर स्टेडियम के लिए एक लाख रुपया दे दिया जाएगा। महोदय, हमारी यह बात तो आज से करीब छह साल पहले की बात है, अब स्थितियां बदल गई हैं, तो आप कम से कम दो लाख रुपये तो दें आज की स्थिति में। (व्यवधान) चलिये, बहुत–बहुत धन्यवाद आपको, दो लाख रुपये दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न था, भरतपुर के लिए आप कितना पैसा देंगे, एक लाख रुपया इनको देने की क्या जरूरत पड़ गई पहले। भरतपुर का प्रश्न है, भरतपुर के लिए कितना पैसा देंगे, नम्बर वन। दूसरा मैंने कहा था...

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : लोहागढ़ भरतपुर के स्टेडियम का जो निर्माणाधीन स्टेडियम है...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा : जी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : उस स्टेडियम की 17 लाख की राशि जनसहयोग से प्राप्त हुई है, 21 लाख से ऊपर के जो विभाग के पैसे हैं, चाहे डी. आर. डी. ए. के हों, चाहे एम. पी. कोटा के हों, चाहे राज्य सरकार के हों, इतनी राशि खर्च हो चुकी है। बाकी जो पैसा जब तक प्रस्ताव पास होकर के, वहां से योजना पास होकर के नहीं आयेगी तब तक वह राशि नहीं दी जा सकती। ज्योंही वहां से योजना पास होकर आएगी, आपके इस स्टेडियम को बनाने की आगे कार्यवाही की जाएगी और कार्यवाही करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एम. पी. कोटा, विधायक कोटा, नगरीय सहभागी योजना और हमारी यू. आई. टी., नगर निगम यह बहुत साधन हैं, इसलिए

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब स्वीकृति होकर के आ जाएगी, निश्चित तौर से उन स्टेडियमों को बनाने की कार्यवाही राज्य सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। डा. रामप्रताप।

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) में थ्रेसर अनुदान में अनियमितताएं

252. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999 की रबी फसल में गेहूं निकालने के थ्रेसर पर श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) के उप निदेशक, कृषि कार्यालय द्वारा कितने किसानों को अनुदान दिया गया ?

(2) क्या उक्त अनुदान के मामले में कोई शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच में क्या कोई अधिकारी दोषी पाया गया ?

(3) क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री तैय्यब हुसैन) : (1) रबी 1998–99 की फसल में गेहूं निकालने के थ्रेसर पर श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) क्षेत्र में उप निदेशक, कृषि कार्यालय, गंगानगर द्वारा एक कृषक को अनुदान दिया गया।

(2) व (3) जी, हां। प्राप्त शिकायत की जांच करवाई गई वह सहायक कृषि अधिकारी को सी. सी. ए. नियमों के तहत दण्डित किया गया है। जांच के उपरांत उप निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर व सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीकरणपुर के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी उचित पाया गया है जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, जैसा सटीक सवाल था और जैसी आपसे उम्मीद थी चौधरी साहब, वैसा जवाब नहीं आया है। प्रश्न के उत्तर के भाग दो में आपने कहा है, जी हां, प्राप्त शिकायत की जांच करवाई गई वह सहायक कृषि अधिकारी को सी. सी. ए. नियमों के तहत दण्डित किया गया। आप इसमें यही लिख देते कि सी. सी. ए. की कौन सी धारा में कर रहे हैं, दोबारा मुझे पूछना ही नहीं पड़ता। इसके साथ–साथ आपने यह भी माना कि जांच के उपरांत उप निदेशक, कृषि, श्रीगंगानगर व सहायक निदेशक, कृषि, श्रीकरणपुर के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी उचित पाया गया है जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है। आज एक साल हो गया, आप खुद मान रहे हैं कि इसको उचित माना है, चौधरी साहब, आज आप हाउस में आते और आपकी जानकारी के बाद में आप कार्यवाही करके आते तो इसका

(श्री रामप्रताप)

पूरे प्रदेश में एक असर जाता, यह किसानों का मामला है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आपने सी. सी. ए. की कौनसी धारा में तो यह कार्यवाही की है और दूसरा, जो यह दो अधिकारी हैं, आपने इनके खिलाफ आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की है और कब तक कर लेंगे। यह मेरा पहला सवाल है।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं समझता हूं कि सामने आ गया है और जो कार्यवाही के बाद, जो रिपोर्ट आने के बाद, कार्यवाही हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और उसको रिव्यू करके सारे मामले को देख रहे हैं और माननीय सदस्य को मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप इस बात से मुतमईन रहें, सख्त से सख्त कार्यवाही कर दूंगा।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात मैं मानता हूं और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं। लेकिन सी. सी. ए. धारा में आप कार्यवाही कर रहे हैं तो यह तो पता होना चाहिए कि कौन सी धारा में आप कर रहे हैं, 16 में कर रहे हैं या 17 में कर रहे हैं, इसको बताने में क्या परेशानी है।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं आपसे कि जो कार्यवाही की गई है वह 17 सी. सी. ए. के तहत हुई है और हम उसको रिव्यू करके, कानून के मुताबिक करके, क्योंकि हम मुतमईन नहीं हैं कि वह सजा काफी है। उस सारी बात को रिव्यू करके और सारे मामलात को देखकर जिससे कभी भी किसानों के मामलात में कोई अफसर–अधिकारी खराबी करेगा तो उसको बिलकुल कोई रियायत नहीं दी जाएगी बल्कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं, आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि सजा नाकाफी है। और आपने अभी माना है कि 17 सी. सी. ए. के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, क्लियरकट अम्बेजलमेंट का केस है, यह क्रिमिनल एक्ट है और किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, सब्सिडी का मामला है और इसमें आपने विभागीय कार्यवाही की, वही 17 सी. सी. ए. का एक नोटिस दे दिया, यह आंसू पोंछने वाली बात है, इससे कैसे काम चलेगा। और आपको अच्छी तरह से जानकारी है इस बात की, एक मिनट मैं बोल लूं पूरा, कि आज कृषि विभाग की क्या दशा है, दुर्दशा कहिये। तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली चलना चाहिए था, 17 सी. सी. ए. का नोटिस देने वाली चीज थोड़ी ही है यह, जब यह क्लियरकट अम्बेजलमेंट का केस है। राज के खजाने से पैसे निकाल लिये और शिकायत होने के बाद में, दो महीने के बाद में उसी शख्स ने दोबारा जमा करवाये हैं तो क्यों नहीं इस आदमी के खिलाफ आपने एफ. आई. आर. लॉज करवाई। आपने

(श्री रामप्रताप)

विभागीय कार्यवाही कर दी। आप मानते हैं कि इस आदमी ने बेईमानी की है, गलती की है तो उसके खिलाफ आपने पुलिस में क्या कार्यवाही की और क्या आप करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जो भावना है उनसे सहमत हूं। किसानों का मामला है और मैं खुद किसान हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस मसले पर जितने भी सुधार की बात है वह होगी। बाकी जहां तक...(व्यवधान) सुन लीजिये न। जो शिकायत आई है, वह 2 जून को आई है और यह पैसा सरकार के खजाने में 13–5 को जमा हो गया है। शिकायत आने से पहले यह पैसा जमा हो चुका है लेकिन उसके बावजूद जो गलत बात की गई है उसके खिलाफ हम पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। और आप तसल्ली रखिये, आप खुद मुतमईन होंगे जब हम कार्यवाही करेंगे। आप कहेंगे कि हां, बिलकुल सही हुआ है।

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब में खुद माना कि पैसे निकाले गये और दोबारा जमा हुए। चलो माना कि शिकायत से पहले जमा हो गये। तो यह तो प्रूव्ड केस है, इसमें चक्कर क्या हो गया। एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं की गई। मैं निश्चित तौर पर आपसे उम्मीद करता हूं माननीय मंत्री महोदय कि जब आपकी जानकारी में आ गया, आज आपको हाउस में आना चाहिए था इस बात पर कुछ कांकरीट बात लेकर आप आते। माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद यहां पर बैठे हैं, अखबारों में बार–बार दिया जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यह करेंगे, वह करेंगे। इससे बड़ा सबूत आपके सामने क्या होगा जब एक मंत्री खुद खड़े होकर इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि पैसा निकाला गया है किसानों की सब्सिडी का, और पुनः उसको जमा कराया गया, तो यह तो एम्बेजलमेंट का क्लियरकट है। इसमें जिस अधिकारी ने 17 सी. सी. ए. का नोटिस दिया उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, यह भी पूछना चाहता हूं आपसे।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार–बार इस बात को कह रहा हूं, मुझे आप देखिये कि मैं क्या कार्यवाही करता हूं। इसमें थोड़ी–सी तसल्ली रखिये। और किसानों का हम सबको ही ध्यान रखने की बात है, मैं नहीं मानता कि कोई मुझे ही ध्यान रखना है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यह सवाल पूछ करके इस तरफ बात कही, मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इसमें जहां तक शिकायत की बात है वो जो अगर यह बात नहीं होती, क्योंकि वह पैसा फर्म को दे दिया गया था और फर्म से फिर वापस लिया गया और यह सारी बातें नहीं होतीं तो मैं यह क्यों एडमिट करता कि यह बात हुई है और हम बिलकुल

(श्री तैय्यब हुसैन)

एग्जैम्पलेरी पनिशमेंट देंगे यह मैं आपके द्वारा हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं।

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जैम्पलेरी तो तब होता माननीय मंत्री महोदय कि आपकी जानकारी में आ गया और आप सदन के सामने आते और सदन के इतिहास में लिखा जाता कि इस किस्म का केस है। आज इस सदन में कोई भी कार्यवाही होती है, हम वहां से लेकर आते हैं तो कुछ उम्मीद के साथ आते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको ह्यूमिलियेट नहीं कर रहा हूं न मैं सरकार को एम्ब्रेस करना चाहता हूं। माननीय सदस्य यहां इसलिए इकट्ठा होते हैं कि प्रदेश की समस्याएं आपके सामने रखें, आपको जानकारी मिले और उसका निराकरण करने का प्रयास करें। जब आप इस चीज को मान रहे हैं कि यह सारा हुआ है, तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ वह 17 सी. सी. ए. का नोटिस जिस अधिकारी ने दिया है कम से कम उसके खिलाफ तो कार्यवाही होनी चाहिए। और एफ. आई. आर. क्यों नहीं दर्ज करायी इसमें ?

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा आप सुनेंगे क्या ?

श्री रामप्रताप : एफ. आई. आर. दर्ज करवाएंगे क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एफ. आई. आर. दर्ज करवाएंगे क्या ?

डा. किरोड़ी लाल : एफ. आई. आर. दर्ज करवाएंगे क्या ?

श्री रामप्रताप : यह फर्जी बिल का मामला है माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे दुबारा निवेदन है एफ. आई. आर. दर्ज करवाएंगे क्या ?

डा. किरोड़ी लाल : इसमें एफ. आई. आर. दर्ज करवाएंगे क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनको निलम्बित करेंगे क्या और एफ. आई. आर. दर्ज करवाएंगे क्या ?

श्री तैय्यब हुसैन : मैं यह अर्ज कर रहा हूं मैंने यह कहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे मामले में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हम कार्यवाही करेंगे। और एक बात आप समझ लीजिये शायद आप उस नुक्ते को समझते हुए भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि एक अधिकारी के खिलाफ 17 सी. सी. ए. के तहत कार्यवाही की जा चुकी है अब हम उसे रिव्यू करके इस सारे मामलात को अजसिरेनो से देख करके, नये सिरे से कार्यवाही करनी होगी।

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर आप 17 सी. सी. ए. की कार्यवाही करके नहीं आते तो बहुत अच्छा रहता। मुझे अफसोस इस बात का है कि एक मंत्री सदन में इस बात को एडमिट करे और

(श्री रामप्रताप)

खुद इस चीज को मान रहे हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं इस बात से, तो फिर उसके बाद में एफ. आई. आर. वाली बात में क्या दिक्कत है ? अब एम्बेजलमेंट को खुद एडमिट कर रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. दर्ज कराने की बात का इसमें जवाब देने में क्या परेशानी है ?

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद मेरी बात को या तो हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं...

श्री रामप्रताप : मैं तो बहुत समझ गया।

श्री तैय्यब हुसैन : नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूं आपसे, आप तजुर्बेदार हैं, किसानों के हमदर्द हैं तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं...

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद छेड़ रखा है...

एक माननीय सदस्य : यह नमूना है क्या आपका ?

श्री बाबूलाल नागर : माननीय मंत्री महोदय, विभागीय कार्यवाही की बात कर रहे हैं। क्या आपराधिक कार्यवाही करने का मन रखते हैं यह सदन को बतायें। विभागीय कार्यवाही तो आप करने का मन रखते हैं लेकिन क्या आपराधिक कार्यवाही करने की मंशा आप रखते हैं ? अपराधियों के खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही करने का मन रखते हैं ?

श्री रामप्रताप : यह तो आपके माननीय सदस्यों की भावना है।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं यह 17 सी. सी. ए. की कार्यवाही सरकार में आने से पहले हो चुकी है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं आपसे उससे पहले यह हो चुकी है और उसको हम रिव्यू करके और वह अगर पाइंट नहीं होता तो जो आप बात कह रहे हैं मैं वही बात करता लेकिन वह 17 सी. सी. ए. बीच में अड़ रही हैं। उसको हम रिव्यू करके सारे मसले को, क्योंकि एक यह बात भी है, यह कानून की बात है कि एक आदमी को एक दफा सजा दे दी जाए तो उसी पाइंट पर दुबारा सजा नहीं दे सकते। इट इज ए पाइंट ऑफ लॉ। तो मैं तो यह अर्ज कर रहा हूं आपसे कि उस मामले को फिर से सारा देखने के लिए इसको रिव्यू करके उस मामले को सारे को अजसिरेनो जितनी गंभीरता से इस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए वह करने का इरादा रखते हैं, इसलिए इसकी बात कह रहे हैं हम।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एफ. आई. आर. क्यों नहीं लगाते हो आप ?

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पहला एडमिशन तो किया है कि पैसा राजकोष में जमा

(श्री रामप्रताप)

हुआ। और फिर ज़मा हुआ एक तो यह एडमिशन हो गया। दूसरा आपने फरमाया कि 17 सी. सी. ए., माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है 17 सी. सी. ए. का आपने नोटिस दिया और आप खुद फरमा रहे हैं कि एक आदमी के खिलाफ एक बार कार्यवाही होने के बाद दुबारा नहीं हो सकती। तो क्या इसके अन्दर कोई मिलीभगत नहीं है ? क्या मंशा है 17 सी. सी. ए. का नोटिस देने की इतने बड़े मामले में और जिस अधिकारी ने दिया है उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे और एफ. आई. आर. के लिए आप क्यों बार–बार मना कर रहे हैं ? आप बहुत भले आदमी हैं। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम जब आपके नोटिस में आया तो आपको उसी वक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं बार–बार यह कह चुका हूं...

श्री रामप्रताप : सरकार को एफ. आई. आर. का उसी वक्त आदेश देना चाहिए जब आपके नोटिस में यह आया। मैं दूसरे से उम्मीद नहीं कर रहा हूं।

श्री तैय्यब हुसैन : पर यह जो 17 सी. सी. ए. की कार्यवाही हो चुकी है जब तक हम उसको रिव्यू करके सेट असाइड न करें तो अजसिरेनो सारी कार्यवाही जो है...

श्री रामप्रताप : 17 सी. सी. ए. आपकी विभागीय कार्यवाही है मैं आपको पुलिस कार्यवाही के लिए कह रहा हूं।

श्री तैय्यब हुसैन : लीगल प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसमें वह बात स्टेण्ड करेगी। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि वह 17 सी. सी. ए. की कार्यवाही हुई है उसको रिव्यू करके हम सेट असाइड करके सारे मामले को फिर से कर रहे हैं।

श्री रामप्रताप : पैसा निकाला गया दुबारा जमा हुआ फर्जी बिल बने फिर एफ. आई. आर. में कौनसी कानूनी अड़चन आ रही है आपको ? माननीय मंत्री महोदय इस बात को एडमिट कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एफ. आई. आर. में कौन सी परेशानी आ रही है ? माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको पुनः निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से मैं तनिक भी आपको ह्यूमिनियेट नहीं करना चाहता, मैं आपका मान–सम्मान कर रहा हूं। आपके महकमे का मान–सम्मान बढ़ा रहा हूं। क्यों नहीं इसमें एफ.आई.आर. दर्ज की गई और जब आपके ध्यान में आ गया तो क्यों नहीं इसमें एफ. आई. आर. दर्ज हुई ? इसमें कहां कानूनी अड़चन आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से थोड़ा जवाब तो दिलवायें। आपका भला है इसमें आप कहिये कि एफ. आई. आर. दर्ज होगी, इसमें क्या परेशानी है।

श्री अध्यक्ष : दे दिया जवाब। वे तो दे चुके हैं। सी. सी. ए. रूल 17 के अन्तर्गत कार्यवाही हुई है।

श्री रामप्रताप : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : ठहरिये। वो ही विभागीय कार्यवाही एग्जम्पलेरी पनिशमेंट रूल 16 या कुछ और है, उसके अन्तर्गत हो सकती है तो इसलिए ये कह रहे हैं कि 17 की कार्यवाही से वे सेटिसफाई नहीं हैं। जहां तक एफ. आई. आर. लॉज कराने की बात कर रहे हैं तो गबन तो हुआ नहीं है। गबन तो हुआ नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गबन हो गया... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : गबन हो गया है...

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, गबन तो हो चुका है। यह गबन का क्लियरकट मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गबन का और क्या सबूत चाहिए आपको ?

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं, डिपॉजिट करा दिया है। दुबारा डिपॉजिट करा दिया पैसा।

एक माननीय सदस्य : एक बार रकम विद्ड्रा करना और उसको जमा करा दिया उससे एम्बेजलमेंट खतम नहीं हो जाता।

श्री बाबूलाल नागर : क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : दो महीने तक जिस अधिकारी ने पैसा रखा तो क्या यह गबन का केस नहीं है। गबन का नहीं है तो कौनसा है, अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : ...सी. आर. पी. सी. के तहत माननीय मंत्री महोदय को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रामप्रताप : माननीय सदस्य बिलकुल सही बात कह रहे हैं। आपसे उम्मीद ज्यादा है इसलिए आपको पुनः खड़े होकर कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह केस एम्बेजलमेंट का क्लियरकट केस है। अगर एम्बेजलमेंट का नहीं है तो किस कैटेगरी का होगा फरमा दें। किसानों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस में भी 40 साल से आपकी एक छवि है... (व्यवधान)

श्री भंवर सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने बार–बार उत्तर दिया कि कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही होगी वह हम करेंगे तो इससे आगे आप क्या उत्तर चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आता आपको... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप समझें तो सही।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बात जानना चाहता हूं कि यह 17 सी. सी. ए. की कार्यवाही कब हुई ? यह वर्तमान सरकार के समय में हुई या पिछली सरकार के समय में हुई ? यह 17 सी. सी. ए. की कार्यवाही कब हुई ?

श्री रामप्रताप : केस ही इस सरकार के टाइम में है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया।

विधान सभा क्षेत्र नोहर में प्रस्तावित यूनानी औषधालय

253. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? उक्त क्षेत्र में और कितने औषधालय खोले जाने प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील मुख्यालय नोहर में यूनानी औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : (1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में वर्तमान में 19 विभागीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कोई नया औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी, नहीं। तहसील मुख्यालय नोहर में यूनानी औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि यह 19 आयुर्वेदिक औषधालय इन्होंने बता दिये। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कितने पद रिक्त हैं इन 19 में से ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वर्तमान में सभी पद भरे हुए हैं। एक पद नीमला में रिक्त है।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, आपने जो जानकारी दी है उसमें जबरासर, दलपुतपुरा और बिडबिराना में अभी नव–सृजित पद देना बाकी है। मेघाना में बहुत दिनों से औषधालय है लेकिन उसमें अभी तक कोई पद सृजित नहीं किया। कृपया आप बताने की कृपा करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, नव–सृजित औषधालय जो भी खोले गये हैं उनकी वित्तीय स्वीकृति आते ही पद सृजित कर दिये जाएंगे। अभी खाली प्रशासनिक स्वीकृति निकाली गई है। इसलिए अभी वहां लगाये नहीं गये।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मेघाना में बहुत

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

समय से आयुर्वेदिक औषधालय खुला हुआ है लेकिन वहां आज भी कोई वैद्य लगा हुआ नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वहां वैद्य लगा हुआ है।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : यह बात सही नहीं है, आपको जानकारी सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मेरे को सही प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री यशवंत सिंह रामू।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : यह कोई बात है, अगर यह खाली है तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अगर खाली हुआ तो तुरन्त लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री यशवंत सिंह रामू।

विधान सभा क्षेत्र नदबई के क्रमोन्नत विद्यालय

254. **श्री यशवंत सिंह (रामू)** (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में विद्यालयों की क्रमोन्नति के मानदण्ड क्या हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999–2000 में विधान सभा क्षेत्र नदबई में कितने विद्यालय नये खोले गये एवं कितने विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये एवं कितने स्वीकृति उपरांत निरस्त किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदंड की प्रति परिशिष्ट–"क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1999–2000 में विधान सभा क्षेत्र नदबई में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक एवं सात प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है जो इस प्रकार है :–

1. भोसिंगा 2. केलूरी
3. नंगलामई 4. झामरी
5. बाजोली 6. बुढ़वारी कलां
7. बुढ़वारी खुर्द

इनमें से जिन चार विद्यालयों को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है वे इस प्रकार हैं :–

1. भोसिंगा 2. केलूरी
3. बाजौली 4. झामरी

राज्य सरकार द्वारा बुढ़वारी खुर्द एवं

(श्री सी. पी. जोशी)

बुढ़वारी कलां के स्थान पर भोसिंगा एवं केलूरी को क्रमोन्नत हेतु संशोधित किया गया। झामरी एवं बाजौली पर अभी भी स्थान है। इस प्रकार नदबई विधान सभा क्षेत्र में तीन विद्यालय नगलामई, भोसिंगा एवं केलूरी उच्च प्राथमिक स्तर पर संचालित हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट--2 देखें)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे स्कूल निरस्त क्यों किये ? क्या इनके जो मानदण्ड हैं वह ~~यह~~ स्कूल पूरा नहीं करते थे ? दूसरी बात, क्या सरकार इन्हें पुनः क्रमोन्नत करने का विचार रखती है, अगर रखती है तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम बाजौली में 5वीं क्लास में 7 छात्र हैं और कक्षा 1 से 5वीं तक केवल मात्र 100 विद्यार्थी हैं। ग्राम झामरी में केवल मात्र 101 विद्यार्थी कक्षा 1 से 5 में हैं और 16 विद्यार्थी 5वीं क्लास में हैं। बुढ़वारी कलां में केवल मात्र 15 विद्यार्थी 5वीं क्लास में हैं और 118 कक्षा 1 से 5 में है। बुढ़वारी खुर्द में 13 छात्र 5वीं क्लास में हैं और 178 छात्र 1 से 5वीं क्लास में हैं। जो मानदण्ड बनाये गये हैं उसमें कम से कम 5वीं क्लास में 20 छात्र होने चाहिए। यदि अगले साल इस जगह पर 20 छात्र हो जाएंगे तो माननीय सदस्य की जो भावना है, उसके अनुसार गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार इनको क्रमोन्नत करने का विचार करेगी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इन्होंने पहले यह जांच नहीं की थी कि इसमें कितने छात्र हैं और तीन महीने स्कूल चलने के बाद, एडमिशन होने के बाद में निरस्त किये। क्या इसका हर्जाना, जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, सरकार भुगतेगी ? इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने चार किये भोसिंगा, केलूरी, बाजौली और झामरी, जिसमें इन्होंने दो पुनः क्रमोन्नत कर दिये। पहले निरस्त क्यों किये, अगर बच्चों की संख्या पूरी नहीं थी तो इन्होंने वापस क्रमोन्नत क्यों किये ? आपको यह गलत जानकारी किसने दी, वहां 50–50 बच्चे हैं। आप इस पर ध्यान दें, आपने जो संख्या बताई वह बिलकुल गलत है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं जांच करवा लूंगा यदि 5वीं क्लास में 50 बच्चे होंगे तो मैं खोल दूंगा।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : धन्यवाद। हम आपकी बात से सहमत हैं क्योंकि आप इस राज्य के सबसे बढ़िया मंत्री हैं।

प्रश्न संख्या-255

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री ज्ञानचन्द पारख।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-256

नैक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-257

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री वृद्धिचन्द जैन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

जिला चूरू के बेरोजगारों को रोजगार

258. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक राज्य के रोजगार निदेशालय में पंजीकृत आवेदकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है ? अब सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने की क्या योजना बनाई है ?

(2) जिला चूरू में कितने बेरोजगार रोजगार सेवा निदेशालय में पंजीकृत हैं ? वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में कितनों को किस–किस विभाग में सरकार ने रोजगार कब–कब उपलब्ध करवाया ?

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : (1) दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आशार्थियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। राज्य में वर्तमान में संचालित योजनाओं में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। नियोजन विभाग में कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जिला रोजगार कार्यालय, चूरू में दिनांक 31.3.2000 तक 15016 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत थे। वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में रोजगार कार्यालय द्वारा क्रमशः 10 व 13 आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1998 में 4038 तथा वर्ष 1999 में 1559 व्यक्तियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध हुआ। जिसका विवरण परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट- 3 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह उत्तर देने के पहले मंत्री महोदय आपने पूरे तथ्यों की जांच नहीं की। आपने उत्तर में यह कहा, दिसम्बर, 1998 और फरवरी, 2000, इस समय में लगभग पौने दो साल में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आशार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। आपने जो प्रतिवेदन भेजा है उस प्रतिवेदन के आंकड़े बताते हैं कि इसमें कम से कम बारह–साढ़े बारह पर्सेंट पंजीकृत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आशार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नम्बर दो, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि वर्तमान में संचालित योजनाओं में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। नियोजन विभाग से कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है। फिर आप बार–बार +++ घोषणा करते हैं कि मुख्य मंत्री रोजगार योजना बनाकर गुमटियां दे रहे हैं। स्वरोजगार योजना का अलग से कार्यक्रम चल रहा है। स्वर्ण जयन्ती रोजगार का अलग से कार्यक्रम चल रहा है। आप किसको गुमराह कर रहे हैं ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह सरकार, जिस सरकार ने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आप सदन में साफ यह बात कह दीजिए कि आप एक भी बेरोजगार आदमी को रोजगार नहीं देना चाहते। दूसरी बात, आपकी और योजनाएं जैसे मुख्य मंत्री रोजगार योजना जिसमें आप बेरोजगारी मिटाने की बात कह रहे हैं, यह योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्षजी, रोजगार कार्यालय में जो आप कह रहे हैं कि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपने कहा है और आप आंकड़ों से ठीक कर रहे हो इसको।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं आंकड़े बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, विराज जाओ। वर्ष 31 दिसम्बर, 1998 को 9 लाख 4973 कुल पंजीकृत थे। 31 दिसम्बर, 1999 को 8 लाख 47286 रह गये और 29 फरवरी, 2000 को 8 लाख 34387 रह गये। इसलिए पंजीकृत की संख्या कम होती जा रही है। आपने दूसरी बात बताई कि कौनसी योजनाओं में लाभान्वित हो रहे हैं, यह योजनाएं तो आप करीब–करीब जानते हैं और नहीं जानते तो मैं आपको सुना देता हूं कि कौनसी रोजगार योजनाएं हैं वो। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, हथकरघा विकास योजना, विशेष रोजगार योजना, ड्वाकरा योजना, आई. आर. डी. पी. ग्रामीण छात्रों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, निर्बन्ध राशि योजना, 32 जिला 32 काम योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, अपना गांव अपना काम योजना, उन्नत टूलकिट वितरण योजना, मुख्य मंत्री योजना। यह तमाम् योजनाएं हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि लगातार पंजीकृत लोगों की संख्या कम हो रही है, एक लाख से ज्यादा की संख्या कम हुई है। आप मुझे बता दें कि इनकी संख्या कम किस कारण से हुई ? क्या इनको रोजगार उपलब्ध हो गया या नहीं हुआ या

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और कोई कारण रहा ? उनकी संख्या कम हुई है जिन्होंने पहले अपना पंजीयन कराया रोजगार प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आप लगातार यह कह रहे हैं कि इनकी संख्या लगातार कम होती चली गई। जिन लोगों की संख्या कम हुई है, उसका क्या कारण था। एक लाख लोगों को आपने रोजगार दे दिया या नहीं, यह स्पष्ट करें। मैं पूछ रहा हूं मेरा दूसरा स्पेसिफिक सवाल है। मैंने चूरू के बारे में पूछा है। आपने कहा है कि 30.3.2000 तक 15016 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत थे, यह कितने कम और ज्यादा हो गये, यह भी बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 31.3.2000 को 15016. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दें। जो कम हुए हैं उनको रोजगार दिया है, उनकी संख्या कम होने का कारण क्या था। एक–एक लाख कम हो रहे हैं, इसका मतलब एक लाख लोगों को रोजगार मिल गया। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने की संख्या की कमी के दो कारण हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश हुआ है यह जरूरी नहीं है कि कोई आदमी रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही जाकर नौकरी ले। नौकरी सीधी मिले, एक प्रक्रिया यह हो गई है कि अखबारों में निकालते हैं और गजट नोटिफिकेशन होता है, उसमें से चले जाते हैं। इसलिए आदमी को ज्यादा एट्रेक्शन नहीं रहा है, इसमें पंजीकृत कराने के लिए। एक तो यह बात रही है। दूसरी, स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत हम लोगों को दे रहे हैं, उसमें पंजीकृत होना जरूरी नहीं है, इसलिए संख्या के अंदर कमी होगी। दूसरा आपने बताया, मैंने 31.3.2000 को 15016 बेरोजगार आशार्थी बतायें, उसमें से 98 में 4038 और 99 में 1559 व्यक्तियों को हमने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो मुझे यह बता दें, पिछले एक वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया, कितने लोगों को ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो इसका उत्तर मेरे पास है, आप चाहे तो मैं दे दूं। यहां पर यह आरोप बार–बार दोहराया जाता है कि कांग्रेस के राज में आने के बाद लोगों को नौकरी नहीं दी गई।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं दी गई। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुनिये। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान की जनता में जो भ्रांति फैलाने की कुचेष्टा हो रही है वह समाप्त हो। चिकित्सा विभाग अध्यापक के 38 पद, निदेशालय राजपत्रित 906, निदेशालय अराजपत्रित 2452, गृह विभाग पुलिस 2950, जेल 18, होमगार्ड 35, पंचायती राज अध्यापक ग्रेड थ्री 7817, (व्यवधान) ग्राम सेवक 1069, शिक्षा सहयोगी 11764, प्रारम्भिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड थ्री 2676 टोटल 29725, इसके अलावा एक फिगर और है जो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं उसे प्राप्त कर रहा हूं। अन्य विभागों के अन्दर भी करीब–करीब हजार–बारह सौ लोगों को नौकरी दी गई है। राजस्थान के नवयुवकों और बेरोजगारों में जो मिथ्या आरोप और भ्रम फैलाने की चेष्टा की गई है वह राजनीतिक दृष्टि से इनका सिर्फ प्रचार मात्र है। यही मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने पद रिक्त हैं, राजस्थान में सेवानिवृत्ति की आयु घटाने के बाद कितने पद रिक्त हुए हैं और आपने कितने पदों को भरा है, यह बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : कितने पद रिक्त हुए थे, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया था, आप भी बता दो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल : समाज कल्याण विभाग ने कितने लोगों को नौकरी दी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सेवा निवृत्ति के बाद कितने पद रिक्त हुए थे, इसमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने एक मूल प्रश्न के उत्तर में इसी सदन में कहा था कि सेवानिवृत्ति आदमी हमेशा 58 साल की उम्र में प्राप्त करता है, तब तक उसके एक–दो–तीन प्रमोशन हो चुके होते हैं। उन पदों के ऊपर डाइरेक्ट नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। क्या चीफ इंजीनियर को डाइरेक्ट लिया जा सकता है ? वह स्टार्ट होता है ए. ईएन. और जे. ईएन. के लेवल से। तो इसलिए कितने पद रिक्त हुए थे, क्या सब भर दिये गये, इस प्रकार के आरोप उचित नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सेवानिवृत्ति से जो पद रिक्त हो गये उन पदों को डी. पी. सी. या पदोन्नति के माध्यम से नहीं भरेंगे यही बात हुई ना। जो पद रिक्त हो गये, जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया, उसके बाद... (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : आप अपने शब्द वापस लीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप उससे नीचे वाले व्यक्ति को प्रमोशन देंगे या नहीं, यह बता दें। (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : यह सरकार पर आरोप लगाते हैं। एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली, अपने शब्द वापस लीजिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात मैं बजट उत्तर में कहना चाहता था, चलो कुछ समय बच रहा है। आज ही सबको अवगत करा दूं। अध्यक्ष महोदय, डी. पी. सी. के अंदर जो एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनी थी उसने करीब–करीब 52 डिपार्टमेंट्स को एग्जामिन किया और उनमें से अधिकांश डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने डी. पी. सी. करने की अनुमति दे दी, बाकी और डिपार्टमेंट्स का एग्जामिनेशन होगा। कारण वित्त मंत्रीजी ने इस्तीफा दे दिया, वित्त मंत्रीजी पूर्व में उस कमेटी के संयोजक थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी मुझे उसमें नियुक्त किया है। बजट से फारिग होकर उस कमेटी का पुनः काम शुरू होगा। जहां पर अनुपयोगी पद हैं जो आवश्यक नहीं हैं और खाली पड़े हैं, उनको निश्चित रूप से समाप्त करेंगे, लेकिन किसी को नौकरी से निकाले जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या मंत्री महोदय, यह सही है, अप्रेल माह में जो एम. ओ. यू. आप दस्तखत करके आये थे केन्द्र सरकार से, उसमें कुछ पद समाप्त करने की घोषणा आपने की थी ? वो सही है, या गलत है। उसकी पालना आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे कहा था अनुपयोगी पद समाप्त किये जाएंगे। (व्यवधान) जो अनुपयोगी पद हैं उनको निश्चित रूप से समाप्त किया जाएगा, रिआर्गेनाइजेशन होगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसका मतलब आप नये लोगों को नौकरी नहीं देंगे, आप नये लोगों को... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठिये, आपकी समझ में यह नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसका मतलब आप नये लोगों को नौकरी नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ में आने वाला सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आप जिस स्कूल में पढ़े हो न, उसका हैडमास्टर रह चुका हूं।

श्री रामस्वरूप : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आगे लगा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंहजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत जो ऋण लिया था, उसमें आपने कहा था 31.3.2000 को 21,000 पद समाप्त करेंगे। यह सही है या गलत, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आप मंत्रीजी हैं आपका कोई साझा खेल...(व्यवधान) सप्लीमेंट्री तभी हो सकती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दुबारा पढ़ लें, एम. ओ. यू. देख लें। मैं लेकर नहीं आया, लाकर बता दूंगा, उसमें आपके दस्तखत हैं। आपके फाइनेंस सैक्रेटरी साहब के। (व्यवधान) आपने तीन प्रतिशत पदों में कटौती की बात कही है और 21,000 पदों को समाप्त करने की बात इसमें कही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपने, इस सरकार ने बेरोजगार नवयुवकों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने मेरा नाम पुकारा है, मैं श्रम मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अनुसूचित जाति, जनजाति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगा है, मेरा इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, 261 नम्बर पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका समय टाल रहे हैं आप। उसे आप नहीं आने देते हो। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अभी कहा कि सरकारी नौकरियों से निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में जो विचार कर रही है। (व्यवधान) यदि हां, तो क्यों, विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान) क्या सरकार के समक्ष उन पदोन्नतियों के आदेशों को वापस लेने का कोई मांग–पत्र पेश हुआ है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह ही माननीय सदस्य बोले जा रहे हैं, माननीय जगमाल सिंहजी को बोलना है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पदोन्नति के मामले में कोई आदेश जारी किया है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा, बैठिये। आप, क्या पढ़ रहे हैं ? नहीं, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने मेरा नाम पुकारा है। मैं मर्जी से खड़ा नहीं हुआ हूं। आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं श्रम मंत्रीजी से छोटा–सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश हो चुका है कि एम्प्लायमेंट आफिस में नाम दर्ज कराना जरूरी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 32 जिलों में 32 एम्प्लायमेंट आफिस हैं। क्या सरकार उनको बंद करने का विचार रखती है ? उनकी क्या उपयोगिता रह गई ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अभी कहा कि किसी को भी सरकारी नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : 261 नम्बर का मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अनुसूचित जाति, जनजाति के बारे में। माननीय मंत्रीजी आप जवाब दें। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी...(व्यवधान) जहां तक आपने घोषणा की थी भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी, निकम्मे कर्मचारी, जिसमें लिप्त होंगे उन लोगों को निकाला जाएगा, यह निर्णय अभी भी है या नहीं। क्योंकि रोडवेज में जिस प्रकार निकाले गये उससे दुगनी आय बढ़ गई। तो क्या ऐसे निकम्मे, भ्रष्ट कर्मचारियों को भी निकालेंगे कि नहीं। आपने तो कह दिया किसी को नहीं निकालेंगे। आप इसका तो जवाब दीजिये भ्रष्ट और निकम्मे कर्मचारियों को निकालेंगे कि नहीं। रोडवेज में निकालते ही आपकी आय बढ़ गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, माननीय करौली से आने वाले सदस्य ने जो नियमों का... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। यह मेरा प्रश्न है, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने कहा कि छंटनी के आधार पर निकालने का अभिप्राय, जो नियम विरुद्ध कार्य करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ तो नियमों के तहत कार्यवाही होगी। उसमें कोई क्या कर सकता है।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : रोडवेज की आय में वृद्धि इसलिए ही तो आयी है, नहीं तो घाटे में चल रहा था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री रामस्वरूप : बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों का तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

विधान सभा क्षेत्र पाली के स्वीकृत पशु चिकित्सालय

255. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में गत वर्ष कितने पशु चिकित्सालयों की स्वीकृति दी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गई, इनमें से कितने कार्य किस स्तर तक हो गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्षों में स्वीकृत पशु चिकित्सालयों में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) क्या जो कार्य हो गया है उसकी सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कितनी अवधि तक का भुगतान किया जा चुका है एवं कितनी अवधि का भुगतान किया जाना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब शेष भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998–99 में पाली विधान सभा क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय, धरमपुरा में खोले जाने की स्वीकृति दी गई। इसका भवन धरमपुरा गौशाला द्वारा बनाकर दिया गया है।

(2) विभाग द्वारा निर्माण कार्य नहीं करवाये जाते। स्वीकृत पशु चिकित्सालय के भवन पर निर्माण विभाग द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(3) विभाग द्वारा निर्माण कार्य नहीं करवाये जाते। स्वीकृत चिकित्सालय के भवन निर्माण पर विभाग द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(4) विभाग द्वारा शेष भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

भीम सागर बांध की नहरों की सफाई व मरम्मत

256. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीम सागर बांध की नहरों की अवस्था जर्जर है ? यदि हां, तो इनकी कब तक मरम्मत करवा दी जाएगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि अवैध खनन और बम ब्लास्टिंग से नहरों में दरारें आ गई हैं ? यदि हां, तो इनको बंद कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) नहरों की सफाई व मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा और सफाई का कार्य पूर्व में कब हुआ था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि भीम सागर बांध की नहरों की अवस्था कई स्थानों पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और मरम्मत का कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार करना प्रस्तावित है।

(2) जी, नहीं। इस बांध की नहरों के आसपास किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है।

(3) नहरों का सुधार एवं आवश्यक मरम्मत का कार्य रख–रखाव मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर ही किया जाता है।

(सिंचाई मंत्री)

अतः इस विषय में कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। यह बांध वर्ष 1983–84 में पूर्ण किया गया था। मरम्मत के कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट–"अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

पटवों की हवेली जैसलमेर का रख-रखाव

257. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्राचीन स्थापत्य और शिल्प की कलात्मक हवेलियां रख–रखाव के अभाव में काल का ग्रास बन कर इतिहास के पन्नों में दफन होती जा रही हैं ? यदि हां, तो उक्त प्राचीन स्थापत्य और कलात्मक हवेलियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राचीन स्थापत्य और कलात्मक हवेलियों के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार ने गत पांच वर्षों में और इस वर्ष कितनी राशि का प्रावधान किया है और उन पर कितनी राशि व्यय हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर शहर में पटवों की हवेली का एक ओर झुकना हवेली के अस्तित्व पर खतरा है ?

(4) राज्य सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। प्राचीन स्थापत्य और शिल्प की कलात्मक 11 हवेलियां राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित है। (सूची संलग्न है) इन हवेलियों के रख–रखाव एवं संरक्षण के लिए विभाग सजग एवं प्रयत्नशील है।

(2) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1996–97 में पटवों की हवेली संख्या 3126 एवं 3128 में लकड़ी की जोड़ियों एवं अन्य मरम्मत कार्य पर 1.47 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 1998–99 में 15.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था किन्तु बजट कटौती के कारण मरम्मत कार्य नहीं कराया जा सका। उक्त हवेलियां राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हैं। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा इन हवेलियों पर कोई व्यय नहीं कियो है।

(3) हवेली के अस्तित्व को संरक्षित करना अति आवश्यक है।

(4) जैसलमेर की पटवा हवेली संख्या 3013 एक ओर झुक रही है। इसे बचाने के लिए हवेली को खोलकर पुनः निर्माण करने तथा संरक्षण की वृहत् योजना पुरातत्व विभाग द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों से तैयार करवाई गई है। जिसके तखमीने में अनुमानित लागत 55.00 लाख रुपये दर्शाई गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-323

(स्थगित)

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भत्तों पर व्यय

324. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य- कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रतिवर्ष वेतन एवं अन्य भत्तों पर बजट का कितना प्रतिशत व्यय होता है ? गत पांच वित्तीय वर्ष के वेतन एवं भत्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत वर्षों की वेतन एवं भत्तों आदि पर हुए व्यय की वर्षवार सूचना संलग्न तालिका के अनुसार है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें).

जन शक्ति विभाग द्वारा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट

325. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति की अधिकतम आयु में दो वर्ष की छूट है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जन शक्ति विभाग द्वारा सिविल डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स को आयु सीमा में उक्त दो वर्ष की छूट प्रदान नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त छूट संबंधी आदेश कब तक जारी कर दिये जाएंगे ? जन शक्ति विभाग में पंजीकृत पिछड़ी जाति के सिविल डिप्लोमाधारियों की वरिष्ठता सूची मय नाम वल्दीयत व आयु के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वरिष्ठता सूची में आयु सीमा की अधिकतम सीमा के निकट पहुंचे आशार्थियों को निकट भविष्य में नियुक्ति देने के सम्बन्ध में सरकार क्या कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 7 (2)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 13.11.96 (परिशिष्ट–1) द्वारा जिन सेवाओं में ऊपरी आयु सीमा 33 वर्ष या इससे कम निर्धारित है, ऐसी समस्त सेवा के सीधी भर्ती के पदों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी गई है।

(2) जी, हां। अभियांत्रिकी सेवाओं में

(कार्मिक मंत्री)

अभियंता पद पर भर्ती की ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार दो वर्ष की आयु छूट अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि 2 वर्ष की छूट केवल वहीं दी गई है जिन सेवाओं में ऊपरी आयु 33 वर्ष या इससे कम है। अन्य पिछड़ा वर्ग के जन शक्ति विभाग में पंजीकृत सिविल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की वरियता सूची मय नाम, वल्दीयत तथा दिनांक 31.12.99 को आयु सहित परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जनजाति के अभ्यर्थियों को देय 5 वर्ष की छूट की भांति ही अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी राज्य की समस्त सेवा के पदों पर भर्ती हेतु ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के निर्णयार्थ प्रस्तुत कर दिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा इस मामले में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसी अनुरूप निर्णयोपरांत कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला मुख्यालय नागौर का अपूर्ण स्टेडियम

326. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला मुख्यालय, नागौर पर अर्द्ध निर्मित स्टेडियम की पूर्णता के लिए कितनी राशि की योजना बनाई गई है और उक्त राशि कब स्वीकृत हुई ? यदि नहीं, तो अब कब तक स्वीकृत की जाएगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला मुख्यालय, नागौर पर अर्द्ध निर्मित स्टेडियम की पूर्णता के लिए जिला कलेक्टर, नागौर से 95.00 लाख की लागत के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे लेकिन प्राप्त प्रस्ताव भारत सरकार की संशोधित अनुदान योजना के अनुसार पूर्ण नहीं होने के कारण जिला कलेक्टर, नागौर को प्रस्ताव पुनः भारत सरकार की संशोधित अनुदान योजना के अन्तर्गत पूर्ण कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। जिला कलेक्टर, नागौर से भारत सरकार की संशोधित योजना के अनुसार विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें अनुदान की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाये जा सकेंगे।

नगर परिषद् ब्यावर में पट्टों हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्र

327. **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर परिषद् क्षेत्र, ब्यावर में जुलाई, 1998 से फरवरी, 2000 तक उप खण्ड कार्यालय, ब्यावर को विभिन्न योजनाओं में

(डा. के. सी. चौधरी)

कुल कितने प्रार्थना–पत्र पट्टों हेतु प्राप्त हुए, इनमें से कितने प्रार्थियों को पात्र पाया गया और कितनों को वास्तविक पट्टे दिये गये ?

(2) उक्त सभी प्रार्थियों को पट्टे नहीं वितरित करने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद् क्षेत्र, ब्यावर में माह जुलाई, 1998 से फरवरी, 2000 तक विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 137 प्रार्थना–पत्र प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये जिनमें से 128 व्यक्तियों को पट्टे वितरित किये गये।

(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ख) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक प. 6(18)राज–6/99/25 दिनांक 19.7.99 के तहत नगर परिषद क्षेत्र में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को शक्तियां प्रदत्त की गई थीं। किन्तु नगर परिषद, ब्यावर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं होने से कार्य रुका रहा, अतः अन्य अधिसूचना क्रमांक प. 6 (18) राज–6/99/1 दिनांक 8.3.2000 से उप खण्ड अधिकारी, ब्यावर एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर को शक्तियां प्रदत्त की जा चुकी हैं। अतः अब अवशेष प्रकरणों का निपटारा किया जा सकेगा।

ग्राम केश्यावाला/भोपावास (जयपुर) में अवाप्त खुदकाश्त भूमि

328. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण, अधिनियम, 1952 के अंतर्गत ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं एवं ग्राम केश्यावाला, पंचायत समिति झोटवाड़ा, जिला जयपुर में भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो भूमि के स्वामी का नाम, खसरा नम्बर, रकबा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन भू–स्वामियों की भूमि उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त की गई है, उसके साथ–साथ उनके नाम दर्ज खुदकाश्त की भूमि भी अवाप्त कर ली गई ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत उक्त अवाप्तियों को खुदकाश्त के लिए भूमि आवंटन किये जाने के प्रावधान हैं ? यदि हां, तो क्या इनको भूमि आवंटित कर दी गई ? आवंटी का नाम, ग्राम का नाम, खसरा नंबर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम,

(राजस्व मंत्री)

1952 के तहत ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं एवं ग्राम केश्यावाला, पंचायत समिति झोटवाड़ा में भूमि अवाप्त की गई है। सूची (परिशिष्ट–"क" एवं "ख") संलग्न है।

(2) उक्त ग्रामों में इस अधिनियम के तहत जिनकी भूमि अवाप्त की गई है उसके साथ उनके नाम दर्ज खुदकाश्त की भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

(3) जी, हां। जागीर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत जिन जागीरदारों ने जागीर खालसा के तीन माह या 31.8.58 तक आवेदन किया उन्हें भूमि आवंटन किये जाने का प्रावधान है परंतु उक्त जागीरदारों ने निश्चित समयावधि में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया इसलिए इन्हें कोई भूमि नहीं दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम रिवाली (सवाईमाधोपुर) की खातेदारी भूमि में आम रास्ता

329. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार बामनवास (सवाईमाधोपुर) द्वारा वर्ष 1999 में खातेदारी भूमि में होकर ग्राम रिवाली की ढाणी रामबाड़ी में रास्ता तरमीम करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो किस–किस खसरा नम्बर की भूमि में किस आधार पर ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खातेदारी भूमि में नवीन रास्ता खोलने/तरमीम करना तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में आता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पीड़ित पक्षकार द्वारा उप खण्ड अधिकारी, गंगापुर के यहां अपील करने पर उसमें निर्णय दिया था कि तहसीलदार को उक्त रास्ता तरमीम करने का अधिकार ही नहीं था ? यदि हां, तो पत्रावली पुनः तहसीलदार बामनवास के पास भेजने का क्या औचित्य रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में पीड़ित पक्षकार माननीय राजस्व मंत्री से भी मिले थे और प्रार्थना–पत्र दिया था ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई ? पीड़ित पक्षकार द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि वर्ष 1999 में तहसीलदार बामनवास द्वारा ग्राम रिवाली (इस ग्राम का नाम रिवाली की ढाणी नहीं होकर रिवाली है) की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2162, 2165, 2163, 2164 की मेड से होकर खसरा नम्बर 2167, 2168, 2170

(राजस्व मंत्री)

व 2171 के बीच की मेड पर होकर तथा खसरा नम्बर 2169 कुआं के पास से 2179/2556 से होता हुआ खसरा नम्बर 2181 गैर मुमकिन आबादी में से खसरा नम्बर 2182 के मध्य होकर खसरा नम्बर 2177, 2193 की मेड से होता हुआ खसरा नम्बर 2195 गैर मुमकिन चाह से खसरा नम्बर 2196 की मेड से होता हुआ खसरा नम्बर 2199 व 2203 की मेड से होता हुआ खसरा नम्बर 2194 व 2200 व 2202 की मेड से होता हुआ ग्राम कुआं गांव की सरहद तक खसरा नम्बर 2451 व 2452 के मध्य होता हुआ खसरा नम्बर 2460 के ऊपरी मेड से होता हुआ गैर मुमकिन पहाड़ पर जाने तक के रास्ते को मुताबिक ट्रेस नक्शे में डोटेड लाइन से तरमीम करवाये जाने एवं इसका अन्य राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किये जाने के आदेश पटवारी गिरदावर हल्का को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत दिये गये हैं। तहसीलदार बामनवास के आदेश सं. 207 दिनांक 13.4.1999 की छाया प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के अंतर्गत तहसीलदार को रास्ते तथा अन्य सूखाचार अधिकार देने के संबंध में आवेदन सुनने के अधिकार है।

(3) जी, हां। यह सही है कि तहसीलदार बामनवास द्वारा नवीन रास्ता कायम करने के आदेश के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर, गंगापुर के यहां अपील संख्या 10/99 उनवानी रामकिशोर वगैरह बनाम सीताराम वगैरह प्रस्तुत की हुई है जिसमें सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी 4.5.2000 नियत है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अंतर्गत न्यायालय उप जिला कलेक्टर, गंगापुर के यहां प्रस्तुत किये गये थे। दिनांक 31-8-1989 को न्यायालय उप जिला कलेक्टर, गंगापुर द्वारा प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में निर्णय पारित किया गया है कि रास्ते की स्थिति उभयपक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किये जाने के कारण मौके व रिकार्ड के आधार पर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बामनवास को निर्देश दिये गये हैं। यह आदेश पारित करने के पीछे न्यायालय का यह औचित्य था कि मौके पर कदीमी रास्ता रहा है अथवा नहीं रहा है, इस बाबत तहसीलदार विस्तृत जांच करके उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ताकि पीड़ित पक्ष को सही न्याय मिल सके।

(4) जी, हां। प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष

(राजस्व मंत्री)

लम्बित होने एवं न्यायिक श्रेणी का होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से कोई कार्यवाही नहीं की गई। पक्षकार द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र की प्रति संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला नागौर के विचाराधीन राजस्व ग्राम

330. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार को तहसील परबतसर, जिला नागौर में नये राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किस–किस ग्राम के ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला नागौर में नये राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील परबतसर की 18 मजरें/ढाणियों को नये राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव जिला कलेक्टर, नागौर को प्राप्त हुए हैं। सूची परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है।

(2) मंत्रिमण्डल सचिवालय के परिपत्र दिनांक 19.7.1999 द्वारा जनगणना, 2001 की समाप्ति तक राजस्व प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करना प्रतिबन्धित किया हुआ है। इस कारण इन प्रस्तावों पर फिलहाल विचार करना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला कोटा, बारां, झालावाड़ एवं बूंदी में चिकित्सकों की लापरवाही से हुई मौतें

331. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2000 तक जिला कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बारां में कितने मौतें डाक्टर की लापरवाही से किस–किस सरकारी चिकित्सालय में हुई ? मृतक का नाम, पता व उम्र तथा लापरवाही के आरोपी चिकित्सक के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आरोपित चिकित्सकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या मृतकों के परिजनों ने इस सम्बन्ध में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है ? यदि हां, तो किस–किस पुलिस थाने पर किस–किस की मौत की कब–कब रिपोर्ट दर्ज की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चिकित्सा विभाग के अनुसार मौत के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) वर्णित अस्पतालों में दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2000 तक जिला कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बारां में डाक्टर की लापरवाही से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) दो मामलों में नयापुरा थाना कोटा क्रमशः 6.7.1999 तथा 3.11.1999 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवरण परिशिष्ट–"क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

332. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों/कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? चिकित्सालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों/कर्मचारियों के रिक्त पदों की चिकित्सालयवार सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी प्रथम, नर्सिंग ट्यूटर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, बी.एच.एस. के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी, दंत चिकित्सक एवं कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर एवं नर्स श्रेणी–द्वितीय, सहायक रेडियोग्राफर, लेब टेक्नीशियन, ए.एन.एम., नेत्र सहायक, दंत तकनीशियन, मलेरिया निरीक्षक, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, एन.एम.टी.एल., टी.बी.एच.वी. के रिक्त पद राज्य सरकार से नवनियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। स्वास्थ्य निरीक्षक के रिक्त पदों को डाईंग केडर घोषित हो जाने के कारण भरा जाना संभव नहीं है। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध हटने के पश्चात् ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

लेब टेक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण

333. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998–99 में लेब टेक्नीशियन के पद पर प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के किस–किस प्रशिक्षणार्थी का चयन किन मानदण्डों के आधार पर कब किया गया एवं चयनितों की सूचना कब–कब एवं किस माध्यम द्वारा दी गई ? चयनित प्रशिक्षणार्थियों का नाम, वरीयता सूची में क्रमांक, प्राप्तांक, सूचना देने की तिथि एवं किस माध्यम से सूचना दी गई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चयन में ज्यादा प्रतिशत अंक वाले आवेदक को छोड़कर कम प्रतिशत वाले आवेदक का चयन कर लिया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर क्यों एवं उक्त अनियमितता के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि पीड़ित आवेदक द्वारा निदेशालय में शिकायत करने पर उसे अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा यह बताया गया कि उसका चयन हो गया था एवं सूचना साधारण डाक द्वारा प्रार्थी को दे दी गई थी जबकि प्रार्थी का नाम जनाना अस्पताल को भेजी गई सूची में था ही नहीं ? जनाना अस्पताल को भेजी गई सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उप शासन सचिव के पत्र क्रमांक 8 (6)चिकित्सा/3/98 पार्ट दिनांक 5.6.1999 के द्वारा अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) को उक्त पत्र भेजकर सूचना दी गई एवं प्रार्थी का चयन प्रशिक्षण हेतु कर लिया गया है एवं अगले बैच में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा ? यदि हां, तो इस बैच में प्रार्थी को प्रशिक्षण क्यों नहीं दिलाया गया जबकि प्रार्थी से कम योग्यताधारी आवेदक का चयन कर उसे प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर पीड़ित आवेदक को प्रशिक्षण दिलवाने एवं वर्तमान बैच के आधार पर वरिष्ठता बनाये रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998–99 में लेब टेक्नीशियन प्रशिक्षण कोर्स की विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है जिसमें शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण है एवं चयन का मापदण्ड सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार केन्द्रवाइज मैरिट सूची तैयार की जाकर निदेशालय को भेजी जाती है। निदेशालय

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

स्तर पर राज्य स्तरीय मैरिट सूची तैयार की जाती है। वर्ष 1998–99 में लेब टेक्नीशियन प्रशिक्षण कोर्स हेतु कुल 540 सीटें स्वीकृत हैं। 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 प्रतिशत सीटें विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं शेष सीटों पर चयन किया गया है जिसकी प्रथम सूची में वर्गों में न्यूनतम प्रतिशत निम्नप्रकार है :–

सामान्य जाति वर्ग	79.45
अनुसूचित जाति	76.00
अनुसूचित जनजाति	73.27

जिन अभ्यर्थियों ने चयन उपरांत उपस्थिति नहीं दी है उनके कारण रिक्त रहे स्थानों पर प्रतीक्षा सूची जारी की गई जिसका न्यूनतम प्रतिशत निम्न प्रकार है :–

सामान्य जाति वर्ग	78.60
अनुसूचित जाति	74.90
अनुसूचित जनजाति	70.00

चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में उपस्थिति होने की सूचना माह अक्टूबर, 98/नवम्बर, 1998 में साधारण डाक द्वारा दी गई है जिस पर अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति केन्द्रों को दी है।

(2) लेब टेक्नीशियन के चयन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है केवल मैरिट के आधार पर ही चयन किया गया है। ज्यादा प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थी से किसी कम प्रतिशत प्राप्त अभ्यार्थी का चयन नहीं किया गया है।

(3) पीड़ित आवेदक श्री गजेन्द्र मीणा ने निदेशालय एवं राज्य सरकार को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चयन हेतु अनुरोध किया गया था। श्री गजेन्द्र मीणा को जनाना अस्पताल केन्द्र आबंटित किया गया था जिसकी सूचना जनाना अस्पताल, जयपुर को भेजी गई थी। (छाया प्रति संलग्न है)

(4) उप शासन सचिव के पत्र क्रमांक 8 (6)चि.स्वा./3/पार्ट दिनांक 5.6.1999 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब भी लेब टेक्नीशियन कोर्स का अगला बैच प्रारंभ किया जाए तब श्री गजेन्द्र मीणा को उक्त कोर्स में प्रशिक्षण हेतु भिजवाया जाए। विभाग द्वारा लेब टेक्नीशियन प्रशिक्षण कोर्स की नई विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। नया बैच प्रारंभ होगा तब पीड़ित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु चयन बाबत निर्देशानुसार पालना की जाएगी।

(5) प्रकरण को देख लिया गया है। इस चयन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है एवं लेब टेक्नीशियन प्रशिक्षण नया बैच प्रारंभ होने पर पीड़ित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में प्रवेश देने की राज्य सरकार के उक्त आदेशों की पालना की जाएगी।

(सूचना की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला जालौर में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान

334. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को कितनी–कितनी छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है ?

(2) वर्ष 1999–2000 में जालौर जिले में कितने छात्रों के लिए कितनी छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई ?

(3) क्या छात्रवृत्ति का भुगतान इस वर्ग के छात्रों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितने छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना शेष है ?

(4) उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालौर, आहोर, सायला व बागरा में इस वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल कितने–कितने छात्र हैं और कितनों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया तथा कितने शेष हैं ?

(5) अब कब तक उक्त भुगतान कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति का विवरण इस प्रकार है :–

कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (साधारण)

छात्रों को 15/–रुपये प्रतिमाह (10 माह के लिए)

छात्राओं को 20/–रुपये प्रतिमाह (10 माह के लिए)

कक्षा 9 से 12 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (साधारण)

छात्रों को 30/–रुपये प्रतिमाह (10 माह के लिए)

छात्राओं को 40/–रुपये प्रतिमाह (10 माह के लिए)

(2) जालौर जिले में उ. मा. वि. एवं मा. वि.में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु वर्ष 1999–2000 में स्वीकृत छात्रवृत्ति का विवरण इस प्रकार है :–

छात्र संख्या	स्वीकृत राशि
1. 3930 अनुसूचित जाति के छात्रों/छात्राओं हेतु।	11,37,000
2. 656 अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु।	1,82,000
4586	13,29,000

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी, नहीं। उक्त जिले के 206 अनुसूचित जाति एवं 09 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भुगतान किया जाना शेष है।

(4) उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालौर, आहोर, सायला एवं बागरा में वर्ष 1999–2000 में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान का विवरण परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है।

(5) वित्तीय वर्ष 2000–2001 में राशि का आबंटन होने पर भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर का छात्रावास भवन

335. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में चित्रकला स्नातकोत्तर की कक्षाएं खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के छात्रावास में छात्राओं की संख्या के अनुपात में कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

राजस्थान ललित कला अकादमी/ राजस्थान संगीत-नाटक कला अकादमी का एकीकरण

336. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कला एवं पर्यटन विभाग के साथ जवाहर कला केन्द्र का एक शासन सचिव/महानिदेशक बनाया है ? क्या मितव्ययता के लिए राजस्थान ललित कला अकादमी/राजस्थान संगीत–नाटक कला अकादमी का भी एकीकरण करना उपयुक्त होगा ? यदि हां, तो एकीकरण कब तक होगा और नहीं, तो क्यों ?

(2) राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर में नियुक्त शिक्षक वर्ग क्या निर्धारित मानदंडों और चयन प्रक्रिया के तहत चयनित हैं या प्रतिनियुक्ति पर हैं ? यदि प्रतिनियुक्ति पर हैं तो क्या सेवा नियमों के तहत वे निर्धारित अवधि में ही कार्यरत हैं या उन्हें नियमों में शिथिलता प्रदान की हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

जी, नहीं। राजस्थान ललित कला अकादमी एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अपने अलग–अलग कार्यक्षेत्र में

(राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृति)

कार्यरत हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी राज्य की ललित कला एवं कलाकारों को संरक्षण व प्रोत्साहन देने तथा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी प्रदेश के लोक संगीत, नृत्य, नाटक एवं लोक कलाओं के प्रोत्साहन के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। इसलिए इनका एकीकरण किया जाना संभव नहीं है।

(2) राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर में नियुक्त सभी शिक्षक वर्ग निर्धारित मानदंडों और चयन प्रक्रिया के तहत चयनित होकर लगे हैं। संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों के कारण तीन शिक्षक निदेशालय कालेज शिक्षा द्वारा प्रतिनियुक्ति से तथा तीन शिक्षक स्थानान्तरण से पदस्थापित हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स निदेशालय कालेज शिक्षा के नियंत्रण में संचालित है। प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से पदस्थापित शिक्षकों हेतु कार्य करने की कोई निर्धारित अवधि नहीं है और न ही इस संबंध में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर के नियमों में शिथिलता की आवश्यकता है।

कटालिया बांध (भीलवाड़ा) से राजस्व ग्राम चैनपुरा हेतु नहर

337. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भीलवाड़ा के उप खण्ड, आसींद की उप तहसील, बदनौर के राजस्व गांव चैनपुरा में कटालियां बांध का निर्माण कौन से वर्ष में प्रारंभ होकर कब पूर्ण हुआ ?

(2) उक्त बांध से कितनी लम्बाई की नहर का निर्माण किया गया ? बांध व नहर निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या चैनपुरा राजस्व गांव के बैरन के बाड़िये के काश्तकार अपनी अर्द्ध सिंचित खातेदारी भूमि की सिंचाई के लिए बहुत कम लम्बाई की नहर निकालने की मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त नहर का निर्माण बांध में पर्याप्त पानी होने पर कब तक कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) कटालिया बांध का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1984–85 में प्रारंभ हुआ था। शेष कार्य वर्ष 1997–98 में पुनः प्रारंभ कर वर्ष 1999–2000 में पूर्ण किया गया है।

(2) कटालिया बांध से दायीं और बायीं मुख्य नहर की लम्बाई क्रमशः 2.54 किलोमीटर एवं 2.34 किलोमीटर में निर्माण करवाया गया है। बांध एवं नहरों पर क्रमशः रुपये 57.01 एवं 17.87 लाख व्यय किया गया है।

(3) जी हां। परन्तु जल की उपलब्धता

(सिंचाई मंत्री)

एवं इसके अंतर्गत सिंचित क्षेत्र से अधिक भूमि में सिंचाई करना संभव नहीं है। अतः चैनपुरा गांव की मांग पर नहर बढ़ाना प्रस्तावित नहीं है।

गलवा बांध उनियारा का प्रोटेक्शन कार्य

338. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई खण्ड, उनियारा द्वारा उनियारा कस्बे में गलवा बांध के प्रोटेक्शन कार्य कराने के लिए कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त बांध के कैचमेंट एरिया में आएं ग्रामों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा बांध बनाये गये हैं ?

(3) क्या विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में उनियारा कस्बे का प्रोटेक्शन कार्य शामिल था ?

(4) क्या यह भी सही है कि अतिवृष्टि के कारण गलवा बांध की चादर चलती है तब उसका पानी सीधा निचली बस्ती में आ जाता है जिसमें अधिकतर हरिजन बस्ती आती है और उन गरीबों को काफी नुकसान होता है ?

(5) क्या सरकार उक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रोटेक्शन दीवार बनाने की स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

(4) गलवा बांध का निर्माण वर्ष 1960–61 में किया गया था। उनियारा कस्बा गलवा बांध से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बांध की चादर चलने से जल पूर्व के बहाव क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, किन्तु उनियारा कस्बे के समीप स्थित पुल से जल की निकास क्षमता कम होने से निचले क्षेत्र के प्रभावित होने की संभावना रहती है।

(5) जी नहीं, क्योंकि बांध के आसपास के कार्य ही परियोजना में सम्मिलित किये जाते हैं।

धौलपुर में चंबल से लिफ्ट सिंचाई योजना

339. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या धौलपुर जिले के लिए चंबल से लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब से लागू होगी ?

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

(2) उक्त योजना से धौलपुर की किन–किन पंचायतों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त लिफ्ट सिंचाई परियोजना योजना आयोग से स्वीकृत होने के उपरांत प्रारंभ करना संभव हो सकेगा।

(2) उक्त योजना से धौलपुर एवं राजाखेड़ा के 176 ग्रामों में लगभग 35,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।

गंग कैनाल नहर की मरम्मत पर व्यय

340. **श्री सोहन लाल** (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999–2000 में गंग कैनाल नहर की मरम्मत के लिए कितनी राशि प्रस्तावित थी और कैनाल की वितरिकाओं में किस अनुपात में कार्य किये जाने का प्रावधान था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्ष में अब तक कुल कितनी राशि मरम्मत के लिए व्यय की गई ? वितरिकाओं सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 में गंगनहर प्रणाली की मरम्मत हेतु रुपये 95.00 लाख की स्वीकृति हुई थी जो कि कार्य को दृष्टिगत रखते हुए बहुत कम थी। अतः गंगनहर/वितरिकाओं की मरम्मत के बारे में कोई अनुपात निर्धारित नहीं है। बजट उपलब्धता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्य सम्पादित करवाये गये।

(2) वर्ष 1999–2000 में कुल रुपये 69.48 लाख राशि मरम्मत के लिए व्यय की गई है। उक्त प्रणाली पर कुल व्यय विवरण परिशिष्ट–"अ" संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जिला हनुमानगढ़ की नहरों पर ईंटों की दीवार का निर्माण

341. **श्री आदराम मेघवाल** (टिब्बी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ में नहरों पर बनाये गये पुलों के दोनों ओर लोहे की एंगिलें कई पुलों पर लगी हैं ? क्या उक्त में से काफी लोहे की एंगिलें लोगों ने उखाड़ कर अपने उपयोग में ले ली हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एंगिलों के स्थान पर ईंटों की दीवार बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। परन्तु लोहे की एंगिलों को उखाड़ कर अपने उपयोग में लेने की कोई सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसी कोई सूचना आती है तो वहां पुनः व्यवस्था कर दी जाती है।

विधान सभा क्षेत्र डग की स्वीकृत लघु व मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

342. **श्री मदन लाल वर्मा** (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कितनी स्वीकृत हैं ?

(2) क्या चालू वर्ष में इनका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में और भी परियोजनाएं विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन सी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में मात्र एक लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

(2) लघु सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारंभ करना प्रस्तावित है।

(3) डग विधान सभा क्षेत्र में दो मध्यम (पीपलाद एवं क्यासरी) सिंचाई परियोजनाएं एवं दो लघु (ताई का खेड़ा एवं ठीकरिया) सिंचाई परियोजनाओं के आकलन तैयार कराये जाने के पश्चात् लाभ लागत अनुपात में उपादेय होने पर कार्य स्वीकृत किया जाना संभव होगा।

विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की प्रस्तावित लघु/वृहद् सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य

343. **श्री मानसिंह चौहान** (पिड़ावा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी लघु/वृहद् सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं ?

(2) क्या उक्त स्वीकृत योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर उनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में सरखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। कोई भी वृहद् परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) उक्त स्वीकृत योजना का कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा सकेगा।

कंवरपुरा सिंचाई योजना (झालावाड़) के किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा

344. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला झालावाड़ की कंवरपुरा लघु सिंचाई योजना के निर्माण में जिन किसानों की भूमि अवाप्त की गई उन सभी को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(2) अब उक्त किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) कंवरपुरा लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण में कुल 42 किसानों की भूमि अवाप्त करना प्रस्तावित है, जिसकी सूची परिशिष्ट–"अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। इनमें से 18 काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान वर्ष 1999–2000 में किया जा चुका है। शेष का भुगतान वित्तीय साधन की उपलब्धता के अनुसार किया जा सकेगा।

(2) शेष किसानों का भुगतान मुआवजा संबंधी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

कालख बांध (जयपुर) में पानी की आवक हेतु योजना की क्रियान्विति

345. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जयपुर में कालख बांध का निर्माण कब करवाया गया था ? उक्त समय उक्त बांध की भराव क्षमता क्या थी तथा उस पर कितनी राशि व्यय हुई थी और उससे कितने क्षेत्र में सिंचाई होती थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त बांध में पानी की आवक न के बराबर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त बांध के सम्बन्ध में अब तक किन–किन जन प्रतिनिधियों ने पानी की आवक बढ़ाने के लिए सिफारिश की एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त बांध में पानी की आवक हेतु कोई योजना भी बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि की ? वर्तमान में उक्त योजना किस स्थिति में है ? क्या सरकार उक्त योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कालख बांध का निर्माण रियासतकाल

(सिंचाई मंत्री)

में वर्ष 1893 में किया गया था और इसकी भराव क्षमता 578 एम.सी.एफ.टी. थी। इस बांध पर 2.32 लाख रुपये व्यय किये गये थे। उपलब्ध वर्षवार सिंचाई के आंकडे परिशिष्ट–"अ" संलग्न है।

(2) जी हां। बांध में पानी की आवक की कमी के प्रमुख कारण निम्न हैं :–

1. निजी भूमि पर किसानों द्वारा मेडबंदी करना।

2. विभिन्न विभागों द्वारा बांध के जलग्रहण क्षेत्र में भू–संरक्षण कार्य करना, सड़कें इत्यादि बनाकर जल प्रवाह मार्ग अवरुद्ध करना।

3. नदी के मार्ग में मिट्टी आदि के अत्यधिक आने से प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न होना।

4. नदी के प्रवाह मार्ग में उच्च तल पर कॉजवे निर्मित किया जाना।

5. नदी के प्रवाह मार्ग में वन विभाग द्वारा सघन वृक्षारोपण करना।

(3) इस बांध में जल की बढ़ोतरी लाने के लिए दूदू तहसील के कमांड क्षेत्र के काश्तकारों, जन प्रतिनिधियों एवं माननीय विधायकों द्वारा मांग की गई, किन्तु विस्तृत अध्ययन के उपरांत तकनीकी, भौतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस समस्या का समाधान करना संभव नहीं है।

(4) कालख बांध के जलग्रहण क्षेत्र में जल विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार वर्षा में कमी से जल की आवक में कमी का मुख्य कारण है। विस्तृत अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि तकनीकी, भौतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस समस्या का समाधान करना संभव नहीं है।

(आंकड़ों की सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र फलासिया के स्वीकृत कार्य

346. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में गत पांच वर्षों में किन–किन योजना के अंतर्गत क्या–क्या प्रस्ताव सरकार को भेजे गये ? उक्त में से किस–किस की स्वीकृति प्राप्त हुई, किस–किस की स्वीकृति किस–किस कारण से प्राप्त नहीं हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्यों में से कौन–कौन से कार्य पूर्ण हो गये, कौन–कौन से अपूर्ण रहे ? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे और अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाएंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया में गत 5 वर्षों में 8 लघु सिंचाई परियोजनाओं के

(सिंचाई मंत्री)

प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किये थे, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। विवरण परिशिष्ट–"अ" संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 3 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्य वित्तीय साधनों के अभाव में प्रारंभ नहीं करवाये जा सके। ये कार्य वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर प्रारंभ करना संभव हो सकेगा। विवरण परिशिष्ट–"अ" संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

ग्राम आऊवा (पाली) में पशु चिकित्सालय की स्थापना

347. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पशु चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? विधान सभा क्षेत्र खारची में ऐसे कौन–कौन से ग्राम/कस्बे हैं जो पशु चिकित्सालय के मानदण्ड के अनुरूप हैं ? क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या ग्राम आऊवा में दानदाता द्वारा पशु चिकित्सालय खोलने हेतु राशि इक्यावन हजार रुपये विभाग के खाते में दो वर्ष पूर्व जमा करा दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में पशु चिकित्सालय नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) पशु चिकित्सालय खोलने के लिए निम्न मानदण्डों का ध्यान रखा जाता है :–

(अ) ग्रामीण क्षेत्र हेतु

1. दो चिकित्सालयों की आपसी दूरी लगभग 6 से 8 किलोमीटर रखी जावे।

2. चिकित्सालयों का कार्य क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि उसमें पर्याप्त संख्या में पशु उपलब्ध हों।

3. निःशुल्क भवन उपलब्ध हो।

(ब) शहरी क्षेत्र हेतु

1. दो स्थानों के बीच की दूरी लगभग 3 किलोमीटर रखी जावे।

2. चिकित्सालय खोलते समय क्षेत्र में पशुओं की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जावे।

3. निःशुल्क भवन उपलब्ध हो।

विधान सभा क्षेत्र खारची जिला पाली में निम्नांकित स्थानों पर पशु चिकित्सालय स्थापित हैं जो अपने क्षेत्र में आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में मानदण्डों के अनुसार नई पशु चिकित्सा संस्था खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

पशु चिकित्सालय

1. मारवाड़ जंक्शन

(पशुपालन मंत्री)

2. धनला

3. दुदोड

4. राणावास

5. जोजावर

6. माण्डा

(2) जी हां, सरपंच, ग्राम आऊवा ने 50,000/--रुपये एफ. डी. आर. 197566 दिनांक 23.3.99 द्वारा निजीकरण योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सा संस्था खुलवाने हेतु जमा करवाये थे। किन्तु 100/--रुपये के नॉन--ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में शर्तों की पूर्ति करके जिला अधिकारी के माध्यम से स्मरण--पत्र भेजने पर भी इकरारनामा सरपंच द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए निजीकरण योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सा संस्था स्थापित नहीं की जा सकी है। ग्राम आऊवा में विभाग की ओर से उप केन्द्र कार्यशील है।

भेड़ व ऊन विभाग का पशुपालन विभाग में विलय

348. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि भेड़ व ऊन विभाग को समाप्त करके इसे पशुपालन विभाग में सम्मिलित किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) उक्त विभाग को समाप्त करके पशुपालन विभाग में विलय के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा तथा उनकी स्थिति क्या रहेगी ?

(3) उक्त दोनों विभागों के विलय के बाद सरकार को क्या लाभ होगा तथा कौन--कौन से खर्चे बचेंगे तथा किस--किस श्रेणी के कितने पद समाप्त होंगे जिनसे कितनी बचत कब तक होगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। विलय का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) विद्यमान नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) उक्त विलय के फलस्वरूप भेड़ व ऊन विभाग के 168 तथा पशुपालन विभाग के 240 पद समायोजन पश्चात विभिन्न संवर्गों के समाप्त किये जाने का निर्णय मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक दिनांक 7.7.99 में लिया गया है। बचत का आकलन विलय के बाद ही संभव हो सकेगा।

ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा (अजमेर) में जिला कलक्टर द्वारा गठित समिति

349. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या

(श्री सांवर लाल)

पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा में जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश किस कारण से किस नियम/कानून के अंतर्गत जारी किया गया ?

(3) क्या उक्त आदेश उचित एवं न्यायसंगत है ? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या उक्त आदेश की योजना के संदर्भ में विकास अधिकारी भिनाय द्वारा आदेश पारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कमेटी का गठन आदेश संख्या पंचायत 99/9 के तहत किया गया था। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त आदेश राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 33 (xi) के अंतर्गत जारी किये गये हैं।

(3) जी हां।

(4) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

ग्राम पंचायत नखाली/रूपजी का खेड़ा/जगपुरा एवं सेनावासा (उदयपुर) में घटिया निर्माण

350. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति घाटोल में ग्राम पंचायत नखाली, रूपजी का खेड़ा, जगपुरा एवं सेनावासा द्वारा गत पांच वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है ?

(2) उक्त चारों पंचायतों द्वारा गत पांच वर्षों में किस–किस योजना में क्या–क्या निर्माण कार्य कराया गया एवं किस कार्य की स्वीकृत राशि कितनी थी ?

(3) क्या उक्त चारों पंचायतों के गत पांच वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) चारों पंचायतों द्वारा गत पांच वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) 80 प्रतिशत कार्यों का माप–मूल्यांकन हो चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना की राजीव गांधी स्वर्ण जयंती प्राथमिक पाठशालाएं

351. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में वर्ष 1999–2000 के दौरान कुल कितनी राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली गई ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना की कितनी उक्त पाठशालाएं छात्रों की अनुपलब्धता के कारण बंद हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पाठशालाएं खोलने हेतु कितनी छात्र संख्या का मानदण्ड रखा गया था ? क्या सभी पाठशालाएं उक्त मानदण्ड के अनुसार कार्य कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या शिक्षा सत्र 2000–2001 में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान रखा गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्ष 1999–2000 में 671 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली गई। पंचायत समितिवार विवरण इस प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम पं.स.	खोली गई रा.गा. शालाओं की संख्या
1.	नागौर	124
2.	मूण्डवा	76
3.	जायल	66
4.	डीडवाना	61
5.	लाडनूं	35
6.	कुचामनसिटी	107
7.	परबतसर	43
8.	मकराना	42
9.	डेगाना	36
10.	रियां	40
11.	मेड़ता	40
	योग	**671**

(2) कोई भी पाठशाला छात्रों की अनुपलब्धता के कारण बंद नहीं है।

(3) विभागीय आदेशानुसार मरूस्थलीय

(पंचायती राज मंत्री)

क्षेत्र में 25 छात्र/छात्राओं का मानदण्ड रखा गया है।

सभी पाठशालाएं इस मानदण्ड के अनुसार ही कार्य कर रही हैं।

(4) जी नहीं। प्राथमिक विद्यालय की जगह राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं ही खोली जाएंगी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिंक नहरों का निर्माण

352. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कब से कार्य प्रारंभ हुआ तथा कब तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य था और अनुमानित लागत कितनी व्यय होनी थी ? विवरण प्रथम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर सदन की मेज पर रखें।

(2) इंदिरा गांधी नहर निर्माण पर प्रारंभ से कब–कब प्रोजेक्ट में क्या–क्या परिवर्तन किया गया ? उक्त प्रोजेक्ट में कितना अधिक व्यय होने का अनुमान था तथा कितना व्ययं हुआ ?

(3) उक्त नहर परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण होने वाला है एवं उसकी लिंक नहरों का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

(4) उक्त प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न होगा तथा इससे कितनी अतिरिक्त आय होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ किया गया था। उस समय परियोजना की अनुमानित लागत 66.47 करोड़ रुपये आंकी गई थी तथा परियोजना का कार्य वर्ष 1968–69 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था।

(2) प्रारंभ में परियोजना की लागत 66.47 करोड़ रुपये तथा कुल सिंचित योग्य क्षेत्र 13.58 लाख हैक्टेयर था जिसमें से 9.94 लाख हैक्टेयर में केवल एक फसल में सिंचाई प्रस्तावित थी तथा मुख्य नहर को छोड़कर समस्त वितरण प्रणाली को कच्चा बनाने की योजना थी तथा कोई लिफ्ट योजना भी सम्मिलित नहीं थी। वर्ष 1999–2000 तक व्यय की गई राशि 2091 करोड़ है। वर्तमान सिंचित योग्य क्षेत्र 19.63 लाख हैक्टेयर है जिसमें से 5.98 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सात लिफ्ट योजनाओं के अंतर्गत है।

(3) मुख्य नहर का कार्य वर्ष 1986 में पूर्ण हो गया था तथा वितरण प्रणाली को वर्ष 2005 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाया गया है। यह उपलब्धि वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर संभव होगी। वर्तमान में कोई लिंक नहर प्रस्तावित नहीं है।

(इंदिरा गांधी नहर मंत्री)

(4) परियोजना के पूर्ण होने तथा पूर्ण विकास पर इससे लगभग 37 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष उत्पन्न होने का अनुमान है जिसकी अनुमानित कीमत 5000 करोड़ रुपये होगी।

जैसलमेर के कृषकों को इंदिरा गांधी नहर से पानी की उपलब्धता

353. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जिला जैसलमेर के किसानों को इस वर्ष पूरा पानी नहीं मिला है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे ?

(2) क्या सरकार भविष्य में किसानों को नहर पर पूरा पानी मिले इसके लिए व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व किस तरह ?

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर से जिला जैसलमेर के किसानों को रावी व व्यास नदियों में उपलब्ध पानी के आधार पर पूरा पानी दिया गया है।

(2) जी हां। भविष्य में भी जैसलमेर जिले के किसानों को नहर से पूरा पानी देने हेतु जल वितरण का निश्चित कार्यक्रम बनाकर उपलब्धतानुसार पानी दिया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र खारची की इंदिरा आवास योजना

354. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1995 में विधान सभा क्षेत्र खारची की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में इंदिरा आवास योजनांतर्गत किन–किन लाभार्थियों को कितना–कितना भुगतान किया गया ? नाम व राशिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समितियों में वर्ष 1995 में इंदिरा आवास योजनांतर्गत लाभार्थियों को कार्य अपूर्ण होने के कारण आंशिक भुगतान किया गया था ? यदि हां, तो किन–किन लाभार्थियों को कितना आंशिक भुगतान किन कारणों से किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995 में विधान सभा क्षेत्र खारची की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में इंदिरा आवास योजनांतर्गत लाभार्थियों को 1240580/– रुपये का भुगतान किया गया। नाम व राशिवार सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1995 में इंदिरा आवास योजनांतर्गत पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन,

(ग्रामीण विकास मंत्री)

रानी व देसूरी में लाभार्थियों को कार्य अपूर्ण होने के कारण आंशिक भुगतान किया गया। कारण सहित सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

वर्ष 1995 में चयनित इंदिरा आवास योजनांतर्गत सभी लाभार्थियों को पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। लाभार्थियों को जितना भुगतान किया गया है कारण सहित सूची परिशिष्ट–3 पर दर्शाई गई है। जिन लाभार्थियों के आवास अपूर्ण हैं उनकी सूची भी परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंच ग्राम तलवास (बूंदी) द्वारा की गई अनियमितताओं की पुनर्जांच

355. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि काम के बदले अनाज योजना में अधिक भुगतान तथा अनियमितता के मामले में सरपंच ग्राम पंचायत तलवास जिला बूंदी पर राशि 158278.32 बकाया निकाली थी ? यदि हां, तो उक्त राशि की वसूली बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या उक्त सरपंच द्वारा संधारित फर्जी रिकार्ड एवं सरकारी राशि के लिए किये गये अनियमितता के मामले में फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया गया है ? यदि हां, तो दर्ज करवाये गये प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दर्ज फौजदारी प्रकरण का निस्तारण हो चुका है ? यदि हां, तो प्रकरण की दुबारा सुनवाई की जाए तथा अपील प्रस्तुत की जाने के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। काम के बदले अनाज योजना में अधिक भुगतान तथा गबन के मामले में सरपंच, ग्राम पंचायत तलवास, जिला बूंदी पर राशि रु. 158278.32 बकाया ही नहीं निकाली थी, अपितु उप परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर के द्वारा ग्राम पंचायत तलवास की वर्ष 1978–79 से 1980–81 की आडिट रिपोर्ट में सरपंच के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना एवं अन्य में अधिक भुगतान एवं गबन के मामले में रु. 268312.25 की गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। इस प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत तलवास के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94/83 पुलिस थाना देई में दर्ज कराते हुए

(ग्रामीण विकास मंत्री)

न्यायालय में चालान पेश किया गया है जिसके वाद संख्या 995/94 माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजि. नैनवां में विचाराधीन है तथा प्रकरण की न्यायालय में अगली सुनवाई दिनांक 24.4.2000 को निश्चित है।

(2) जी हां। पंचायत समिति नैनवां के पत्र संख्या एफ.( )जांच/83/1265–269 दिनांक 9.9.83 के संदर्भ में पुलिस थाना देई में सरपंच ग्राम पंचायत तलवास के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94/83 अंतर्गत धारा 409, 467, 468 भा. दं. सं. के तहत दर्ज की गई थी, जिसकी प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सरपंच, ग्राम पंचायत तलवास के विरुद्ध प्रकरण में माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजि. नैनवां के न्यायालय में वाद संख्या 935/94 विचाराधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला नागौर के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

356. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में वैद्य/उप वैद्य के कहां–कहां पद रिक्त हैं ? सूची चिकित्सालयवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिलान्तर्गत संचालित व स्वीकृत विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के 17 पद एवं नर्स–कम्पाउण्डर के 31 पद रिक्त हैं।

औषधालयवार इन रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट–"क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) यथाशीघ्र भरने के प्रयास जारी हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

उप निदेशक, जयपुर द्वारा की गई अनियमितताएं

357. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सरकारी वाहन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उप निदेशक, आयुर्वेद, जयपुर ने इस आदेश के पश्चात् भी सरकारी वाहन को उपयोग में लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री भरोसी लाल)

(3) क्या उप निदेशक आयुर्वेद, जयपुर द्वारा प्रतिनियुक्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उप निदेशक, जयपुर ने एक चिकित्सक को विगत कई वर्षो से प्रतिनियुक्ति पर अपने कार्यालय में लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त उप निदेशक को इन अनियमित कार्यो के लिए दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों के उपयोग को नियंत्रित किया है।

(2) उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर द्वारा सरकारी वाहन उपयोग में लिया ज़ा रहा है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है।

(3) जी हां। राज्य हित में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यकता पड़ने पर यदा कदा कुछ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है।

(4) इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

(5) जांचों के उपरांत इस संबंध में यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 मार्च, 2000)

जिला कलेक्टर बारां द्वारा राजकीय वाहन का उपयोग

2. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला कलेक्टर बारां द्वारा उनके कार्यकाल में किस–किस गाड़ी का उपयोग किया गया ? नंबर सहित गाड़ियों की अब तक की लॉग बुक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त यात्राओं में से कितनी निजी व कितनी राजकीय थी ? निजी यात्राओं हेतु गाड़ी कितने किलोमीटर कहां–कहां चली ?

उत्तर

(1) जिला कलेक्टर, बारां द्वारा उनके कार्यकाल में वाहन संख्या आर. जे.–28 सी–0002 एवं आर. जे.–28 सी–601 का उपयोग किया गया। दोनों वाहनों की लॉग बुक की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) उक्त यात्राएं राजकीय वाहन से राजकीय प्रयोजनार्थ की गई हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शोकाभिव्यक्ति

श्री बी. ए. वामुजो, पूर्व मुख्य मंत्री, नागालैण्ड

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत नागालैण्ड के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बी. ए. वामुजो के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

नागालैण्ड के पूर्व मुख्य मंत्री श्री वामुजो का जन्म 17 अक्टूबर, 1936 को नागालैण्ड के फेक जिले के योरुबा ग्राम में हुआ। आपने गवर्नमैन्ट लॉ कालेज, बम्बई से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री वामुजो वर्ष 1969 से 1993 तक सात बार नागालैण्ड विधान सभा के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1974–75 व 1977–82 में नागालैण्ड सरकार में मंत्री तथा 1982–87, 1987–88 व 1993 में विधान सभा में प्रतिपक्ष दल के नेता रहे। वर्ष 1990–92 में आप राज्य के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। अपने राजनीतिक जीवन में आप नागा युनाइटेड फ्रंट, युनाइटेड डैमोक्रेटिक फ्रंट, नागा नेशनल डैमोक्रेटिक पार्टी तथा नागालैण्ड पीपुल्स कौन्सिल आदि राजनीतिक पार्टियों से सम्बद्ध रहे।

अध्ययन काल में आप अच्छे एथलीट और फुटबाल के खिलाड़ी रहे। श्री वामुजो 50 के दशक में भूमिगत नागा स्वतंत्रता आंदोलन एवं नागा सेना से भी जुड़े रहे। आपातकाल के दौरा 1975 में आप मीसा के तहत जेल में रहे।

श्री वामुजो का दिनांक 22 मार्च, 2000 को निधन हो गया।

मैं श्री वामुजो को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थगत प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–.

(1) श्री ज्ञानचन्द पारख एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से बांगड़ चिकित्सालय, पाली में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन

(श्री अध्यक्ष)

करने वाले चयनित परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल मीणा, श्री मदन दिलावर एवं श्री रामप्रताप, सदस्य की ओर से राजसमन्द के थाना कैलवाड़ा में अभिरक्षारत महिला के साथ कथित रूप से किये गये सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से करौली के धाधुरेट खनन क्षेत्र से डकैतों द्वारा चार जनों का अपहरण किये जाने की कथित घटना के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जिला सवाई माधोपुर के थाना बैहरावंडा के दो किसानों सहित अनेक लोगों के अपहरण एवं फिरौती की कथित घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से दैनिक भास्कर समाचार पत्र कार्यालय में पुलिस द्वारा धावा बोलकर धक्का–मुक्की किये जाने की कथित घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ग्राह्य योग्य नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य डा. किरोड़ी लाल को प्रस्ताव की विषय–वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

व्यवस्था का प्रश्न

गैर सरकारी कार्य दिवस का नियतन

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर अण्डर रूल 106 से 117 और रूल 23 से 27, अध्यक्ष महोदय, हमारे कार्य संचालन के लिए राजस्थान विधान सभा ने कुछ नियम बना रखे हैं और यह हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि हम उन नियमों और अधिकारों की पालना करें और करवायें। हमारा एक अधिकार है कि इस विधान सभा में रिजोल्यूशन, संकल्प प्रस्तुत करना। रूल 106 में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है। लेकिन इन रिजोल्यूशंस को हम प्राइवेट मैम्बर्स डे पर ही प्रस्तुत कर सकते हैं। 1992 से पहले यहां प्रति शुक्रवार को प्राइवेट मैम्बर्स डे रखा जाता था। पार्लियामेंट में,

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

लोक सभा में आज भी प्रति शुक्रवार को प्राइवेट मैम्बर्स डे रखा हुआ है। 1992 के अन्दर हमने रूल्स में परिवर्तन किया और रूल्स में परिवर्तन करने के पश्चात् महीने के अन्दर 2 दिन प्राइवेट मैम्बर्स डे के लिए फिक्स हैं, जो कि हमारे रूल 23 के अन्दर दिया गया है। मैं उसे कोट करना चाहता हूं।

"Allotment of time for private member's business-The House may on the advice of the Business Advisory Committee, allot as many days as may be possible for private member's business and may allot different days for the disposal of different classes of such business and on days so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence:

Provided that two days in a month shall be allotted for the transaction of private member's business subject to such variations as the Speaker may consider necessary or convenient."

अध्यक्ष महोदय, यहां यह मेंडेटरी है, विधान सभा के लिए, बिजनस एडवाइजरी कमेटी के लिए कि हम प्राइवेट मैम्बर्स डे यहां पर फिक्स रखें और इसीलिए इस अरेंजमेंट ऑफ बिजनस का जो चेप्टर फिक्स है, इसमें से 7 नियमों में से 5 नियम प्राइवेट मैम्बर्स डे के लिए दिये गये हैं। इसी प्रकार से जो 106, जिसका मैंने जिक्र किया, रिजोल्यूशन से संबंधित, संकल्प से संबंधित, जो कि प्रत्येक विधान सभा सदस्य का अधिकार है कि वह यहां रिजोल्यूशन प्रस्तुत करे। रिजोल्यूशन से संबंधित एक चेप्टर पूरा दिया गया है चेप्टर 12, उसमें रूल 106 से 117 तक, कैसे रिजोल्यूशन मूव किया जाएगा, दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने तो हमारे अधिकारों का हनन किया लेकिन मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि हमारी सरकार इनके कदमों पर नहीं चलेगी और विधान सभा के सदस्यों का जो अधिकार है संकल्प, रिजोल्यूशन मूव करने का, उन अधिकारों को हमें देगी। और हमारा जो एक महीने का समय है, 26 तक की जो कार्यसूची आपके द्वारा प्रसारित की गई है उस एक महीने के अंदर जब कोई कहीं पर प्राइवेट मैम्बर्स डे नहीं आया तो मुझे इस सदन के अंदर अपने अधिकार के लिए यह अपनी बात कहनी पड़ी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप अपनी रूलिंग, चाहे अभी नहीं दें, बाद में दें लेकिन इसकी अनुपालना करायेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : आसन की व्यवस्था होने दीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप अपनी राय दीजिये। मैंने पहले आपको अवगत करा दिया था। अवश्य राय दीजिये, जरूर दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सुमित्राजी, अब मैं आपको ही आसन मान लूं और बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बोलिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आपकी जानकारी और सदन की जानकारी में जो प्रश्न लाये हैं, वह प्रक्रिया और नियमों में जो कुछ भी निर्धारित है उसके तहत उन्होंने सदन का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 23 में गैर सरकारी सदस्य के लिए दिवस निर्धारित करने का प्रावधान है और नियम 107 से 110 तक रिजोल्यूशन पेश करने की प्रक्रिया का भी इसमें ब्योरा दिया गया है लेकिन माननीय सदस्य ने जो यह बात कही है कि जब सत्र होता है तो हर शुक्रवार उसके लिए निर्धारित है, ऐसा सदन का नियम है... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैंने कहा कि पहले हुआ करता था, 1992 में। 92 में पेश कर दिया गया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले हुआ करता था, जहां तक मुझे जानकारी है हर शुक्रवार नहीं हुआ करता था, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। एक सत्र में दो दिन निर्धारित होते थे और जो दो दिन निर्धारित होते थे, उसमें भी जो निर्धारित समय था उसके अंतिम दो घंटे गैर सरकारी सदस्यों के लिए समय निर्धारित करने का उसमें था। इसमें मैं समझता हूं कि सदन को कहीं कोई ऐतराज नहीं है और जहां तक मुझे जानकारी है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में नवीं विधान सभा तक करीब 102 इस ढंग के प्रस्ताव सदन के समक्ष आये। उनमें से 56 पुरःस्थापित किये गये। चार पर बहस हुई लेकिन एक पारित हुआ और जो अंतिम गैर सरकारी विधेयक इस सदन में आया वे सदन के आज भी माननीय सदस्य हैं, उस समय भी सरकारी सदस्य थे, माननीय हीरासिंहजी चौहान ने अजमेर विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में एक रिजोल्यूशन रखा, यहां पर लाये थे लेकिन तत्कालीन सरकार के मुख्य मंत्री ने उनसे अनुरोध किया था कि आप यह वापस ले लें, सरकार नाम परिवर्तन का यह विधेयक निश्चित रूप से लेकर आयेगी। उसके बाद दसवीं विधान सभा में एक भी दिन गैर सरकारी सदस्यों के रिजोल्यूशन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय का निर्धारण नहीं था। अब चूंकि यह सब, अध्यक्ष महोदय, कार्य

(श्री हरिसिंह)

सलाहकार समिति की राय से यह समय का निर्धारण होता है। कार्य सलाहकार समिति की अब तक दो मीटिंग हो चुकी हैं, आपके निर्देशन में तीसरी मीटिंग शायद 19 तारीख को, समय निर्धारित किया गया है, जहां तक मुझे जानकारी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कार्य सलाहकार समिति में मैंने कहा था, किसी ने सुना ही नहीं। मैंने कहा था कि एक दिन फ्राईडे को रखा जाए। मैंने कही थी यह बात, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं समझता हूं कि शायद यह बात आपकी या तो सदस्यों ने सुनी नहीं या उन्होंने कोई उसमें नहीं दिया। कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में मैं भी था अगर आप जोर देकर इस बात को कहती तो जिसके लिए नियमों में प्रावधान है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : खूब जोर देकर कहा गया था और एक नहीं दो–तीन मैम्बरों ने कहा था। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था। हमने भी कहा था और यह कार्य सलाहकार समिति से बड़ा यह सदन है इसलिए माननीय सदस्य ने सदन में यह प्रस्ताव रखा है इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कब हुआ, कब नहीं हुआ, कब पेश कर दिया, यह जानकारी तो, माननीय अध्यक्ष भी बहुत वरिष्ठ हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप तो यह बता दीजिये कि कार्य सलाहकार समिति ऊंची है या यह रूल्स बड़े हैं ? रूल्स बड़े हैं या कार्य सलाहकार समिति ऊंची है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्षजी को खूब जानकारी है। माननीय सुखाड़ियाजी के समय में चार–चार दिन हुआ करता था प्राइवेट मैम्बर्स डे, उसके बाद दो दिन हुआ करता था, आप दो दिन ही दें, यही तो मांग है, इसमें आपत्ति किसको है, कहां है ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मुख्य सचेतक महोदय, यह सदन सर्वोच्च है। कार्य सलाहकार समिति इन रूल्स से बंधी हुई है और रूल्स में यह मेंडेटरी प्रोविजन है और मेंडेटरी प्रोविजन को भी, अगर आप पूर्ववर्ती सरकार की तरह से देना चाहते हैं तो यह बहुत दुःख की बात रहेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्षजी, मेरा जो अनुरोध है, वह यह है कि कार्य सलाहकार समिति आपके परामर्श से ही वह दिन तय कर सकती है और इसमें कहीं किसी को, सदन को कोई ऐतराज नहीं है। 19 तारीख

(श्री हरिसिंह)

को कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग है और उसमें अगर किसी प्रकार का, कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो इसमें सदन को कोई ऐतराज नहीं है और न कोई सरकार को ऐतराज है। सरकार को कोई ऐतराज नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका कोई मतलब ही नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति की अगली बैठक में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यही नहीं समझ पड़ा कि समर्थन किया या विरोध किया। इतनी देर बात हुई, उसका कोई समझ में ही नहीं आया। यह समर्थन करें कि होना चाहिए या विरोध करने के लिए... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने सरकार का पक्ष रखा है, बात को समझे नहीं तो दुर्भाग्य है। मैंने सरकार का पक्ष रखा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या पक्ष रखा है ?

श्री अध्यक्ष : आपने यह बात कही है कि कार्य सलाहकार समिति की अगली बैठक जो 19 तारीख को होने जा रही है, उसमें प्राइवेट मैम्बर रिजोल्यूशन, नियम 106 के अंतर्गत समय निर्धारित किया जाए और कब किया जाए इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

डा. किरोड़ी लालजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और दो अप्रेल, 2000 की रात्रि को करीबन डेढ़ बजे सहायक पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश के नेतृत्व में चालीस–पचास पुलिसकर्मी दैनिक भास्कर के कार्यालय में गये। अचानक भारी तादाद में पांच–छह जिप्सियों में जब पुलिस

(12:15)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अधिकारी वहां पहुंचे तो कार्यालय में कार्यरत पत्रकार और कर्मचारी भौचक्के रह गये। यह सीधे बिना किसी को पूछे, बिना अनुमति लिये, बिना किसी से बात किये, उपाध्यक्ष महोदय, कार्यालय में घुसे और जब इन पुलिस अधिकारियों से यह पूछा गया कि घुसने का कारण क्या है, क्यों आये हो, वे इस ढंग से गये जैसे भास्कर के कार्यालय से किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करना हो, किसी डकैत को, किसी बड़े चोर–लुटेरे को गिरफ्तार करने के लिए गये हो।

उपाध्यक्ष महोदय, भास्कर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री पोद्दारजी ने जब इसका कारण पूछा तो पुलिस के इन अधिकारियों ने उनको धक्का मार कर गिराते हुए यह कहा कि अगर यदि बकवास करोगे तो तुमको भी गिरफ्तार करके भीतर डाल दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस पर इस ढंग का आक्रामक

(डा. किरोड़ी लाल)

रवैया राज्य के अधिकारियों द्वारा अपनाया जाना मेरी समझ में राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में यह पहली घटना है कि किसी प्रेस में भारी तादाद में पुलिस इस ढंग से घुस जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि माना कोई अपराधी भी अगर प्रेस में घुस गया और शालीनता से अगर उस अपराधी को लेने के लिए पुलिस के अधिकारी कहते तो उसको बिलकुल दिया जाता। पर जिस ढंग का आतंक पुलिस ने उस दिन रात में फैलाया, ऐसा आतंक आज तक कभी नहीं पहुंचा, कभी किसी ने नहीं फैलाया। इतना ही नहीं, पत्रकारों के साथ धक्का–मुक्की की गई। इसके बाद जितने भी यह पत्रकार और भास्कर समूह के लोग उसी समय रात्रि को जब गृह मंत्रीजी से मिलने के लिए गये तो रास्ते में पुलिस ने बलपूर्वक उनको रोकने की कोशिश की और जैसे–तैसे गृह मंत्रीजी के घर पर आधी रात्रि को जब यह पहुंच गये तो वहां पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक ने, जो गृह मंत्रीजी के घर पर था, उपाध्यक्ष महोदय, जब यह अपनी बात रख रहे थे, इन्होंने अपना पक्ष रखा और यह कहा कि अचानक पुलिस हमारे भास्कर के कार्यालय में घुस गयी, हमारे साथ धक्का–मुक्की की, हमारे को बेइज्जत किया और हमारे दो कर्मचारियों को उठाकर ले आये। इतनी बात चल रही थी तो बीच में ही पुलिस अधीक्षक कहने लगे कि भास्कर का कार्यालय अड्डा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी की उपस्थिति में एक पुलिस का अधिकारी एक पत्रकार के कार्यालय को या पत्रिका के कार्यालय को गुण्डों का अड्डा कहे, इससे बड़ा दुस्साहस पुलिस का और कोई नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी तसल्ली से गृह मंत्रीजी ने बात सुनी और गृह मंत्रीजी ने बात सुनकर, जितना भी प्रतिनिधिमंडल वहां गया था, जितने भी लोग उसमें गये थे, गृह मंत्रीजी ने कहा कि आपका आदमी निर्दोष है, उनको आधे घंटे में छोड़ दिया जाएगा। इसमें ताज्जुब की बात यह है कि आधे घंटे में छोड़ना तो दूर की बात, गृह मंत्रीजी के वहां से पुलिस को जाने के बाद इनको जेल के सींखचों में डाल दिया। उनको यातनाएं दी गयीं। जेल के सींखचों में डाल दिया, कोई बात नहीं लेकिन उसके बाद भी, जुडिशियल कस्टडी के आदेश हो जाने के बाद भी गृह मंत्रीजी, उनको 15–16 घंटे तक लालकोठी पुलिस थाने में बैठाये रखा पुलिस ने और उनको बराबर यातनाएं देते रहे।

मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपका आदेश हो गया छोड़ने का, आपके छोड़ने के आदेश होने के बाद भी पुलिस के अधिकारियों ने उनको नहीं छोड़ा। चलो कोई बात नहीं, वह बात तो आयी–गयी

(डा. किरोड़ी लाल)

हुई। लेकिन जुडिशल कस्टडी के आदेश होने के बाद भी उनको नहीं छोड़ना, यह कोर्ट की अवमानना है, भयंकर अवमानना है। इतना मनोबल पुलिस के अधिकारियों का बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने गिरफ्तारी की। यह जो कार्यवाही की है, मुझे ऐसा लगता है कि अखबार वाले सरकार की करतूतों को उजागर कर रहे हैं। एक समाचार छपा था, उपाध्यक्ष महोदय, 55 लाख रुपये ठिकाने लगाने की कवायद। फर्जी नोटशीट खोलेगी भ्रष्टाचार की कई परतें। और उसमें लिखते हुए पत्रकार ने लिखा है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने का संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन देने का मुख्य मंत्री का संकल्प यदि सिर्फ नारा नहीं था तो यह समाचार कथा उनके लिए एक परीक्षण है। उपाध्यक्ष महोदय, यह 26 मार्च को समाचार छपा था उसके पहले बगरू की रोंगटे खड़े करने वाली घटना छपी, जो विश्व महिला दिवस के दिन घटी थी। छह दिन तक एक महिला को दरिंदगी से रौंदते रहे, उसका देह–शोषण करते रहे। अखबार बढ़–चढ़कर सरकार की इन कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम यह है कि भारी तादाद में पुलिस भास्कर के कार्यालय में घुस गयी। आगे दूसरे पत्र–पत्रिकाओं के कार्यालयों में घुसेगी। यह जो चौथा स्तम्भ है लोकतंत्र का, उसको तहस–नहस करने के लिए अशोक गहलोत की सरकार कटिबद्ध है, कमर कस ली है, ऐसा मुझे लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यहां पर उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज आपने अखबार देखा अभिरक्षा में जो महिला थी, केलवाड़ा थाने में महिला पुलिसकर्मी के सहयोग से सामूहिक रूप से....

श्री उपाध्यक्ष : यह सब बाद में आयेगा। आप तो, इसकी, अलग से...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पुलिस ने बलात्कार किया गृह मंत्रीजी। अगर इस ढंग से आप इनका मनोबल बढ़ाते गये तो पुलिस इतना अत्याचार कर देगी कि फिर आपके कंट्रोल में नहीं आने वाली। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है, गृह मंत्रीजी, इस बात का दुःख है कि भास्कर कार्यालय में जिस तरीके से पुलिस घुसी और जिस तरीके का घिनौना कृत्य उन्होंने किया है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। आपकी भावना तो है गृह मंत्रीजी, मुझे आपकी बातों से ऐसा लगता है। मुख्य मंत्रीजी यहां पर उपस्थित हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो घिनौना कृत्य एक पत्रकारिता पर करके पुलिस ने किया है, इस राज ने किया है, इस शासन ने किया है उस पर पुख्ता कार्यवाही होनी चाहिए उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। परंतु हुआ क्या ? अब, उपाध्यक्ष महोदय, उल्टा चोर कोतवाल को डाटे। जिसके घर में

(डा. किरोड़ी लाल)

पुलिस घुसी, जिस भास्कर कार्यालय में पुलिस घुसी उसके खिलाफ उल्टा 332, 353 का मुकदमा दर्ज करा देना, यह कौनसा कानून है गृह मंत्रीजी। भास्कर के कार्यालय में पुलिस घुसी, हमला करके घुसी, वरिष्ठ पत्रकार को धक्का मारा। कइयों को मारकर वहां पर गिरा डाला और बिना पूछे वहां पर घुस गये और उन्हीं के खिलाफ 332, 353, 147 आई. पी. सी. का डण्डा घुमा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसमें मांग करना चाहता हूं गृह मंत्रीजी, इस पर गंभीर कार्यवाही ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की जानी चाहिए वरना इसके परिणाम गंभीर हो जाएंगे। राजस्थान में बिहार की तरह जंगल राज हो जाएगा। आप मंत्रियों और मुख्य मंत्री की कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जंगल का राज तो फिर भी प्राकृतिक तरीके का राज होता है, इनके यहां तो साम्प्रदायिकता का राज है। इनके यहां तो खून का राज है। इनके यहां तो साम्प्रदायिकता का राज है। यह बिहार के राज को बुरा बताते हैं। बिहार में लोकतंत्र है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। आप इसको....(व्यवधान) आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है उससे... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) आतंक फैलाना और बाद में पत्रकारों को धमकाना और उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवाना (व्यवधान) सरकारी आतंकवादी है, सरकारी आतंकवादियों से निपटने के लिए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसका जवाब सुनना चाहते हो या इसको समाप्त करूं ? आप बैठिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब सुनना चाहते हैं। (व्यवधान) मैं तथ्यों पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। केवल एक निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करना चाहते हो ? तो फिर बिराजिये। आप भी बैठिये। प्लीज। आप बैठें। इनका जवाब आ रहा है। बिहार–बिहार कुछ नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की... (व्यवधान) बिहार में तो लालू यादव ने इनको इतना +++ कि जिंदगी भर याद रखेंगे। उनको सी. बी. आई. से गिरफ्तार करा लेना, लालू यादव को सी. बी. आई. से गिरफ्तार करा लेना उनकी ताकत नहीं छीनी जा सकती। पांच साल बाद इनको फिर +++। इतना +++ कि याद रखेंगे।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : यहां की पुलिस से तो बचाओ।

श्री जगमाल सिंह यादव : भास्कर कोई अखबार नहीं है। भास्कर केवल बी.जे.पी. का पैम्पलेट है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : यह गलत बात कर रहे हो। गलत कह रहे हो जगमाल सिंहजी। (व्यवधान) हजारों–लाखों प्रतियां निकल रही हैं। किस प्रकार बी.जे.पी. का कह रहे हो इसे।

श्री मदन दिलावर : इनकी भ्रष्टाचार की जो परतें खोल रहा है तो +++ सरकारी पक्ष के।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनना चाहते हो ?

श्री जगमाल सिंह यादव : साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का पैम्पलेट है। उपाध्यक्ष महोदय, भास्कर कोई अखबार नहीं है, बी.जे.पी. का पैम्पलेट है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न बहुत। अच्छा हो गयी बात अब। आर्डर–आर्डर।

श्री अमीन खान : उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) लालू के खिलाफ लगता है, लालू गरीबों का आदमी है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 2.4.2000 की मध्यरात्रि को किसी अज्ञात व्यक्ति ने करीब 12 ए. एम. पर कंट्रोल रूम जयपुर शहर को सूचना दी कि जीप नम्बर आर. जे. 14 टी 1570 में बैठे लड़के एक स्कूटर वाले के साथ महारानी कालेज के सामने मारपीट कर उसे जबरन जीप में डालकर ले गये हैं। कंट्रोल रूम जयपुर शहर द्वारा यह सूचना थाना लालकोठी को टेलीफोन द्वारा दी गयी एवं पूरे शहर में नाकाबंदी हेतु निर्देश दिये। लगभग 12.45 पर थानाधिकारी, आदर्श नगर, जो रात्रि गश्त पर थे, ने उस जीप को यादगार के सामने रोककर थाना लालकोठी को सूचित किया। इस पर उप निरीक्षक, पुलिस थाना लालकोठी यादगार पहुंचे और जीप सहित तीनों व्यक्तियों को लेकर पूछताछ हेतु थाने पर आ गये। घटना की सूचना मिलते ही श्री दिनेश ए. एन. सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त गांधीनगर, जो कि रात्रि गश्त पर थे एवं थानाधिकारी आदर्श नगर भी लालकोठी थाने पर पहुंचे। पूछताछ पर उन तीनों व्यक्तियों ने अपना नाम विजय कुमार, महेन्द्र कुमार और दिलीप बताया तथा यह भी बताया कि वे भास्कर के कर्मचारी हैं एवं उन्हें रात्रि में केबल सुरक्षा हेतु लगाया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

कुछ समय पूर्व महारानी कालेज के सामने से एक लड़का, जो ऊपर लगी केबल लाइन की ओर देख रहा था, को शक के आधार पर, कि वह केबल तोड़ना चाहता है, जीप में पकड़कर बिठा लिया और उसे भास्कर कार्यालय में वे छोड़कर वापस पेट्रोलिंग पर निकले हैं। इस पर महेन्द्र और विजय कुमार को थाना लालकोठी पर छोड़कर पूछताछ के कथनों की पुष्टि हेतु दिलीप के साथ दिनेश ए. एन, सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत्त गांधीनगर, श्री राजपाल, थानाधिकारी, आदर्श नगर, मोहम्मद उस्मान, उप निरीक्षक, थाना लालकोठी पुलिसकर्मियों के साथ भास्कर कार्यालय के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित स्वागत कक्ष पर पहुंचे। जहां पर दो स्टार लगाये हुए वर्दीधारी सिक्योरिटी आफिसर उन्हें मिला जिससे श्री दिनेश ने पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा लाये गये लड़के के बारे मे पूछा। इस पर दिलीप और पुलिस अधिकारियों को सिक्योरिटी आफिसर अपने साथ ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरे में ले गया। कमरा खुलवाया गया जिसमें एक लड़का बैठा हुआ मिला। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उसने अपना नाम नाथूलाल मीणा बताया तथा यह भी बताया कि महारानी कालेज के सामने उसे तीन व्यक्तियों द्वारा जबरन मारपीट कर जीप में डालकर यहां लाकर कमरे में बंद कर दिया गया है। नाथूलाल मीणा की आंख पर चोट आई हुई थी और वह घबराया हुआ था। उसके पर्चा बयान लिये और उसको साथ लेकर पुलिस अधिकारी मय जाब्ते के भास्कर कार्यालय के नीचे प्रांगण में आये। जब वे प्रांगण से बाहर निकलने लगे तो भास्कर कार्यालय के लगभग 70–80 कर्मचारियों ने पुलिस जाब्ते को घेर लिया और कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया। घेराबंदी करने वालों में प्रमुख श्री जगदीश पोद्दार, चीफ एडिटर, श्री जगदीश शर्मा, श्री भदौरिया और एक सरदार जी एवं दो स्टार वाला गार्ड था, ये कहने लगे कि भास्कर कार्यालय में आप कैसे घुस गये हैं। इस लड़के को हमारे आदमी पकड़ कर लाये हैं, हम इसे नहीं ले जाने देंगे। उन लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का–मुक्की की तथा पुलिस को कानूनी दायित्व के निर्वहन से रोका। काफी समझाने के उपरांत नाथूलाल मीणा के साथ पुलिस अधिकारी बाहर आये। उपरोक्त घटना के संबंध में श्री नाथूलाल मीणा की ओर से थाना लालकोठी पर अभियोग संख्या 81/2000 अंतर्गत धारा 365, 330, 342 भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध किया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ भास्कर कार्यालय में घटित घटना के संबंध में अभियोग संख्या 159/2000 अंतर्गत धारा 147, 332, 353, 348 भारतीय दंड संहिता में थाना बजाज नगर में पंजीबद्ध किया गया। श्री नाथूलाल मीणा, अपहृत विजय कुमार, महेन्द्र कुमार, दोनो कर्मचारी भास्कर कार्यालय, कांस्टेबल मोहन सिंह,

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

होम गार्ड बेनी सिंह का मेडिकल मुआयना कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में श्री विजय कुमार और महेन्द्र कुमार को कोई चोट आना नहीं पाया गया।

श्री नाथूलाल मीणा ने अनुसंधान में बताया कि वह अपने मित्र की माताजी को बांगड़ अस्पताल में देर रात्रि को खाना पहुंचा कर स्कूटर से आ रहा था तब भास्कर वालों ने यह घटना कारित की। श्री विजय कुमार एवं महेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा वारदात में काम में ली गयी जीप को जब्त किया गया। अपहृत नाथूलाल मीणा का स्कूटर महारानी कालेज के सामने पड़ा मिला, उसे भी जब्त किया गया।

रात्रि करीब 2.15 ए. एम. पर भास्कर कार्यालय के करीब 70–80 व्यक्तियों को विभिन्न वाहनों से सिविल लाइन की ओर जाने की सूचना प्राप्त होने पर सिविल लाइन फाटक पर पुलिस जाब्ता लगाया गया। रात्रि करीब ढाई बजे जब यह सभी जगदीश पोद्दार के नेतृत्व में सिविल लाइन फाटक पहुंचे तो वहां उन्हें धारा 144 लागू होने के सम्बन्ध में सूचित किया गया। श्री जगदीश पोद्दार ने बताया कि माननीय गृह मंत्रीजी ने मिलने की पूर्व अनुमति दे दी है जिस पर इनके प्रतिनिधियों को गृह मंत्री के निवास पर जाने दिया गया।

इस प्रतिनिधि मण्डल में श्री जगदीश पोद्दार, श्री जगदीश शर्मा, भास्कर के अन्य कर्मचारी मुझ से मिले थे। उन्होंने यह शिकायत की थी कि पुलिस भास्कर कार्यालय में जबरदस्त घुस गई है अतः उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। इस पर मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि इस घटना की पूर्ण जांच करा ली जाएगी। यह सही है कि मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया था कि निर्दोष व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। दोषी व्यक्तियों को नहीं, निर्दोष व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। इस पर वहां उपस्थित पुलिस अधीक्षक, जयपुर (दक्षिण) ने कहा कि वे थाने जाकर और जानकारी प्राप्त कर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। चूंकि श्री नाथूलाल मीणा की रिपोर्ट पर ही भास्कर के कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था तथा प्रथम दृष्ट्या भास्कर कर्मचारियों को निर्दोष नहीं पाया गया जिसके कारण इन्हें नहीं छोड़ा गया। इन व्यक्तियों ने थाने में कोई मारपीट की रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी। थाने में दोनों अभियुक्तों का मेडिकल कराया गया तथा जेल में भी दोबारा मेडिकल कराया गया। दोनों ही रिपोर्ट में अभियुक्तों से कोई मारपीट किया जाना नहीं पाया गया।

अभियोग में लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने पर विजय कुमार और महेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। 2.4.2000 को ही अभियुक्तों को सायंकाल 7.00 पी. एम. पर ए. सी. जे. एम. कोर्ट, प्रथम,

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जयपुर के निवास पर पेश किया गया जहां दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिये गये हैं। सूर्यास्त होने के कारण दोनों अभियुक्तों को 3.4.2000 को प्रातः 6.55 पर जेल में दाखिल किया गया।

इस घटना की मुख्य मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर दी गयी चुनौती को दैनिक भास्कर में छपी खबर से कोई संबंध नहीं है तथा न ही इस कार्यवाही में कोई बदले की भावना सन्निहित है। राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण की जांच हेतु संभागीय आयुक्त, जयपुर को नियुक्त कर दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दो–तीन चीजों पर पूछना चाहता हूं। दो–तीन पाइंट पर पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या है ? क्या हुआ ? किस पर, काहे के क्वेश्चन ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंटेड क्वेश्चन हैं। उपाध्यक्ष महोदय, रिप्लाई आया है। जब मंत्रीजी ने रिप्लाई दिया है तो उनसे प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार हो गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बैठो। प्लीज सिट डाउन।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब इस पर कोई डिस्कशन नहीं, बिराजो।

श्री उपाध्यक्ष : आपने इसको 290 के तहत उठाया है।

डा. किरोड़ी लाल : जानकारी गलत दी है।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी विस्तृत जानकारी, फिर और तरीके से उठाना। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बोले हैं तो उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल पूछने का तो हमारा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इस पर कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के स्टेटमैंट से यहां पर कई प्रकार के सवाल उत्पन्न हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उत्पन्न हुए हैं तो आप और दूसरे तरीके से उठाओ।

श्री मदन दिलावर : वक्तव्य दिया है मंत्री महोदय ने, उसके बाद प्रश्न पूछे जाएंगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ले जाना और बंद करना और भास्कर कार्यालय में जाना, कोई तथ्य नहीं है। बात तो हाउस में स्पष्ट की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई तथ्य नहीं हैं तो नहीं हैं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर घटना है। लीपापोती कर के समाचार पत्र को बदनाम करने की कोशिश की है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बिना मतलब का ही सारा किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों से चलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा बनाया है। यह षड्यंत्र रच रहे हैं जगदीश पोद्दार और उनको गिरफ्तार करने का।

श्री हीरासिंह चौहान : कोई भी बात स्पष्ट नहीं है। यह केवल षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप और उठा लेना। आपका और अवसर है, उठा लेना इसको आप। (व्यवधान) विराजिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह हमारा अधिकार है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपका अधिकार नहीं है। किस रूल के तहत... (व्यवधान) कोई पूछ नहीं सकते। आप पढ़ो न इसको।

श्री मदन दिलावर : यह निरंकुश सरकार इस प्रकार से दबा–दबा कर लोगों को भ्रष्टाचार करना चाहती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देकर... (व्यवधान) अध्यक्षजी ने अनुमति दी है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने उठाया 290 के तहत। आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए था, माननीय मंत्रीजी ने दे दिया। You have no right to ask any question.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह 295 नहीं है, यह स्थगन है माननीय सदस्यों का। हमारे सभी के दस्तखत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ लिया न, इसी पर तो स्पष्टीकरण आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम सवाल तो कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे को पूछते हो सवाल, आप हो क्या इसमें पूछने वाले ? You are nothing in this. Please, sit down.

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपकी लोकस स्टेंडी नहीं है।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं :–

(1) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य

(श्री उपाध्यक्ष)

की ओर से जिला सवाईमाधोपुर के एस. डी. एम. द्वारा एक मुस्लिम छात्रा का मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी नहीं करने के संबंध में।

(2) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सड़कों की मरम्मत व पेचवर्क का कार्य नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

(3) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर में अपूर्ण पड़े एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए एनीकट्स की मरम्मत का कार्य पूर्ण करवाने के संबंध में।

(4) श्री शिवनारायण नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां की सड़कों की हालत खराब होने के संबंध में।

(5) श्री आत्माराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देसूरी के कतिपय गांवों के सार्वजनिक कुओं को गहरा करवाने एवं हैण्ड पम्प शीघ्र खुदवाने की व्यवस्था करने के संबंध में।

(6) श्री घनश्याम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं की पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए तालाबों की मरम्मत हेतु राशि आबंटित करने के संबंध में।

(7) श्री अमराराम (धोद) सदस्य की ओर से राज्य में सरसों की सरकारी खरीद चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में खराब पड़े हैण्ड पम्प्स को ठीक करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रूपलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पेयजल की गंभीर समस्या के सम्बन्ध में।

(10) श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

(11) श्री नानालाल नीनामा, सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र घाटोल में अकाल राहत कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जिला सवाईमाधोपुर के एस. डी. एम. द्वारा एक मुस्लिम छात्रा को मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी नहीं करना

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, धोली, पुत्री श्री नाथू खां, जाति मुसलमान, निवासी श्यामपुरा (सवाई

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माधोपुर) को एस. डी. एम., सवाईमाधोपुर द्वारा मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी नहीं करने के सम्बन्ध में मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 में विशेष उल्लेख के जरिये माननीय डी. ओ. पी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक गरीब, अल्पसंख्यक छात्रा, धोली पुत्री नाथू खां को जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर तहसीलदार हल्का पटवारी, अतिरिक्त कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों व 10 वर्ष के शिक्षा अध्ययन की टी. सी. शपथ पत्र, गवाहों के बयान आदि प्रमाण–पत्र होने के बावजूद एस. डी. एम., सवाईमाधोपुर ने घूस के चक्कर व हठधर्मिता के कारण उक्त बालिका को मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जिससे बालिका एस. टी. सी. में प्रवेश प्राप्त करने से वंचित रह गई और उसके जीवन का एक वर्ष व्यर्थ बरबाद हो गया। उक्त अभागी बालिका, जिसका विवाह किशोर अवस्था में टोंक कर दिया गया था परंतु गोना नहीं होने के कारण एक बार भी आज तक टोंक नहीं गई है बल्कि अपने पिता के पास ग्राम श्यामपुरा, रणथम्भोर रोड, सवाई माधोपुर में रह रही है, वहीं से दसवीं की नियमित छात्रा के रूप में परीक्षा पास की है।

इतना सब प्रमाण होने पर भी एस. डी. एम., सवाईमाधोपुर ने, कलेक्टर, ए. डी. एम. व पटवारी की सिफारिश, यह बालिका अभी तक टोंक नहीं गई है, यहां ही रह रही है, इसे मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाए, पैसे मांगे और गरीब छात्रा द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर कहा कि टोंक से ही बनवा लों। जब लड़की और उसके पिता टोंक गये तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि लड़की यहां आई ही नहीं, सवाई माधोपुर में रह रही है अतः वहीं से बनवाओ। श्रीमान्, दर–दर की ठोकर खाने पर दुर्भावनावश भ्रष्ट एस. डी. एम. ने एक गरीब, अल्पसंख्यक छात्रा के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसे दंडित किया जाए तथा छात्रा को मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार है। ये सारी चीजें प्रमाण पर हैं। कुछ तो कार्यवाही होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, डी. ओ. पी. मंत्रीजी को सारे प्रमाण मैं दे देता हूं। आपकी आज्ञा से सदन की मेज पर रख देता हूं। जवाबदेही और संवेदनशील सरकार है। इनको न्याय करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। विराजें। आपने मंत्री महोदय को दिया है। 295 में जवाब नहीं दिया जाता।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, चाहे तो दे सकते हैं और अगर नीयत हो तो।

श्री उपाध्यक्ष : हां, चाहे तो दे सकते हैं। मैंने थोड़े रोका है और चाहते तो उठ जाते वे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहिए साहब। खाली आश्वासन तो दें कम से कम कल्ला साहब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : यह बहुत गंभीर बात है साहब। कहना चाहिए आपको।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। (अनुपस्थित) श्री हीरासिंह चौहान।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रमाण–पत्र दिलवा देंगे। जांच करवायेंगे। छात्रा वैसे ही नहीं पढ़ती हैं। एक बार कह दें तो उसका जीवन सुधर जाएगा माननीय मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कह दीजिए जांच करवा देंगे। दोषियों को सजा दिलवा देंगे। मैं दे देता हूं सारे प्रमाण। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री हीरासिंह चौहान।

मोहम्मद माहिर आजाद : सारे प्रमाण, कलेक्टर का लिखा हुआ मैं दे देता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : मैं इनसे सारे कागजात लेकर जो भी कार्यवाही करनी हो, कर दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है बस।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

विधान सभा क्षेत्र रायपुर में अपूर्ण पड़े एनीकट्स के कार्य

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख के नियम 295 के अंतर्गत अकाल राहत कार्यो के अंतर्गत पूर्व वर्षों में बने अधूरे अतिवृष्टि से टूटे महत्वपूर्ण एनीकट को अकाल राहत कार्यो में स्वीकृत कर पूर्ण करवाने के क्रम में। उपरोक्त विषय में विशेष उल्लेख निम्न प्रकार से है :–

कि वर्ष 86–87, 87–88 के अकाल वर्षो में विधान सभा क्षेत्र रायपुर जिला पाली में कुओं के पानी में आवक बढ़ाने के लिए भूमि का कटाव रोकने, भू–भाग को कृषि योग्य बनाने, श्रम एवं सामग्री को उचित धन राशि स्वीकार कर लाखों करोड़ों रुपये व्यय कर अति महत्व के स्थानों पर एनीकट निर्माण किये गये। जिनमें से बहुतायत संख्या में यथावत हैं तथा स्थानीय जनता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं लेकिन निम्नलिखित एनीकट अतिवृष्टि से टूट गये या अकाल राहत कार्य बन्द होने से अधूरे रह गये जिन पर लाखों रुपये निर्माण में व्यय हो रखे हैं जिनका निर्माण इस अकाल

(श्री हीरासिंह चौहान)

वर्ष में पूर्ण करवाना आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं :–

(1) झडू का नाला–कालख खुर्द अपूर्ण रहा था।

(2) गुढ़ा वाला एनीकट बलुपुरा पंचायत दीपावास अपूर्ण रहा था पूर्ण करवाया जाए।

(3) नीचला तालाब एनीकट कोट किराणा अपूर्ण रहा पूर्ण करवाया जाए।

(4) लाड़पुरा एनीकट पंचायत वीणागुड़ा अपूर्ण रहा, पूर्ण करवाया जाए।

(5) चौथी टोला एनीकट अपूर्ण रहा, पूर्ण करवाया जाए।

(6) तिकली नाका एनीकट कानूगा अतिवृष्टि में टूटा, पूर्ण करवाया जाए।

(7) कवलासिया एनीकट राजावास पंचायत बूटीवास।

(8) यादव एनीकट ग्राम पंचायत हाजीवास पूर्ण करवाया जाए।

(9) काकरिया एनीकट कजाईलवा अपूर्ण रहा, पूर्ण करवाया जाए।

(10) मातीजी वाला एनीकट केलवाड अतिवृष्टि से टूटा, पूर्ण करवाया जाए।

(11) सिंगपुरा एनीकट की मरम्मत व रपट पूर्ण करवाना।

उपरोक्त सभी अतिवृष्टि से टूटे एनीकट व अपूर्ण एनीकट अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा स्थानीय लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने के कारण पूर्व वर्षों में इनका निर्माण करवाया गया था जिनको इस वर्ष के अकाल राहत कार्य में स्वीकृति दी जाकर पूर्ण करवाये जाने आवश्यक हैं।

अतः मेरा क्षेत्र की जनता की ओर से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रायपुर के उपरोक्त अपूर्ण एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए एनीकट सिंचाई विभाग से मरम्मत का तखमीना लेकर स्वीकृत करने के निर्देश जिला कलेक्टर, पाली को दिया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण नागर (अनुपस्थित), श्री आत्माराम मेघवाल (अनुपस्थित), श्री घनश्याम जैन (अनुपस्थित), श्री अमराराम।

राज्य में सरसों की सरकारी खरीद चालू नहीं करना

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में किसानों की सरसों समर्थन मूल्य से कम पर मण्डियों में बेचने के बावजूद भी सरकारी खरीद चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर कार्य संचालन के नियम 295 के तहत ध्यान दिलाने हेतु। मान्यवर, राजस्थान में भयंकर अकाल से पीड़ित दूसरी तरफ बिजली की भयंकर अव्यवस्था सिंचाई के वक्त समुचित बिजली की सप्लाई नहीं की गई। इसके बाद राज्य के किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत एवं बड़े खर्चों के बाद जो

(श्री अमराराम)

सरसों पैदा की वह अब राज्य की विभिन्न मण्डियों में विक्री हेतु जा रही है। वहां सरसों का समर्थन मूल्य ग्यारह सौ रुपये होने के बाद भी राज्य की मण्डियों में एक हजार एवं उससे भी कम कीमत पर किसानों की उपज जा रही है लेकिन आज तक सरकारी एजेन्सियों ने आज तक भी समुचित सरकारी खरीद चालू नहीं करके अकाल एवं अन्य मारों का मारा किसानों के व्यापारियों से लूटने के लिए खुली छूट दे रखी है।

अतः सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत प्रभाव से सभी जगह खरीद की जाए तथा वित्त की समुचित व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को लूट से बचाया जा सके।

इसकी आशंकाओं को देखते हुए सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी जो नहीं की गई। अब भी किसानों को बाकी फसलों जिनमें समर्थन मूल्य से नीचे आने की संभावना है, उनका आकलन किया जाना चाहिए तथा किसानों को उचित मूल्य दिलवाने में सरकार को आगे आना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (अनुपस्थित), श्री रूपलाल मीणा।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्री रूपलाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पेयजल के गंभीर संकट की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में इस समय पेयजल की गंभीर समस्या है। अधिकतर गांवों में सभी हैण्ड पम्प सूखे पड़े हैं व कुए भी सूख गये हैं। कई पंचायतें ऐसी हैं जहां एक भी हैण्ड पम्प चालू हालत में नही है। मवेशी के लिए पीने का पानी नहीं मिल रहा है जिससे पशुधन नष्ट हो रहा है। लोगों में पानी के लिए त्राहि–त्राहि मची हुई है। हमारा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है जहां दूर–दूर तक हमारे आदिवासी भाई बसे हुए हैं। जिन्हें दूर–दूर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है।

अतः मैं माननीय, आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान विधान सभा क्षेत्र की पेयजल से त्रस्त जनता की ओर दिलाना चाहता हूं जो पेयजल का घोर संकट झेल रही है। माननीय, मैं आपसे यह आशा रखता हूं कि आप इस समस्या का शीघ्र समाधान करवा कर प्रभावित जनता को राहत पहुंचाने की महत्ती कृपा करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीशचन्द कुमावत।

कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या

श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, कुचामन पंचायत समिति

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

मान्यवर, गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने ग्रीष्म आकस्मिकता कार्य योजना के तहत नये नलकूप लगाने, हैण्ड पम्प लगाने तथा कुओं को गहरा कराने के लिए बजट प्रावधान् भी किया है। कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम मुआणा, चौसला, जवानपुरा (श्यामगढ़), देवली, इन्डाली, जीणवार, लूणवा, रेवासा, दललपुरों के वर्तमान कुओं जिनमें पानी उपलब्ध होता है, पानी काफी कम हो गया है। इन्हें गहरा कराया जाए। लवण क्षेत्र के कारण जिन कुओं में आड़ी बल्ली लगाना आवश्यक हो उसमें आड़ी बल्ली लगायी जावे। खाती का बास (श्यामगढ़) में मीठा पानी उपलब्ध है। वहां ट्यूबवैल बनाकर श्यामगढ़ पंचायत क्षेत्र को पानी देने की 10 लाख की स्कीम बनी थी। स्वीकृत करवायी जावे।

ग्राम खोरन्डा में पानी उपलब्ध है। यहां ट्यूबवैल बनाकर इस गांव में तथा कुमावतों की ढाणी में तथा खोरन्डी पंचायत में पीने के पानी की पूर्ति करवायी जाए। पांचवां के ट्यूबवैल्स का पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है। वहां गुर्जरों की ढाणी में मीठा पानी उपलब्ध है। वहां नया ट्यूबवैल बनाकर पानी सप्लाई किया जाए। ग्राम नालोट के वर्तमान ट्यूबवैल में पानी खारा हो गया तथा खारा है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास नया ट्यूबवैल बनाया जाए जहां पर्याप्त व मीठा पानी है।

गुढ़ा साल्ट में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु गुणी व गढ़ा की सीमा पर दो ओपन वैल तथा राजस में एक नया ओपन वैल, राजास नृसिंहपुरा व जाब्दीनगर पानी सप्लाई हेतु बनाया जाए। कंचनपुरा ग्राम पंचायत देवली में एक कुए में मोटर लगी हुई नहीं है। मोटर लगाकर कंचनपुरा तक दो किलोमीटर पाइप लाइन डाली जाकर पानी सप्लाई किया जाए। देवली पंचायत के बस स्टैण्ड, बलाइयों की ढाणी, रैगर बस्ती तथा रघुनाथजी के मंदिर के पास हैण्ड पम्प बनवाये जाएं तथा ग्राम पुरोहितों का बास के कुएं में बोरिंग कराया जाए।

खाखड़ की नमक की झाल के पास का गांव है। वहां मीठा पानी नहीं वर्तमान में जयपुर जिला के ग्राम कोरसीणा के कुएं से यहां पानी दिया जा रहा है। परंतु उसमें पानी नहीं, इस ग्राम के सीमावर्ती ग्राम मदूण जिला अजमेर में नया ओपन वैल बनाकर वहां से पाइप लाइन डाली जाकर पानी सप्लाई किया जाए। लूणवां में पानी सप्लाई की स्कीम ग्राम भाटीपुरा को बनायी गयी थी। उसे शीघ्र स्वीकृति देकर पानी की व्यवस्था कराई जाए।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस ग्रीष्मकाल में ये कार्य शीघ्र करायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालाल नीनामा।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, नावां से आने वाले माननीय सदस्य ने दो दिन पहले 40–50 गांवों की सूची दी है और 40–50 गांवों की आज दे दी। सौ–डेढ़ सौ गांव होते हैं। सौ गांवों के अन्दर पानी की किल्लत बतायी है और वाकई में वहां पर पानी खारा है। सांभर पास में आया हुआ है। नावां, कुचामन यह जो एरिया है खारे पानी का एरिया है। अण्डर ग्राउण्ड जितना नीचे खोदते हैं उतना पानी खारा हो जाता है तो पानी की स्थिति को देखकर इनकी वहुत बड़ी योजनाएं आपकी जगह जगह पर ट्यूबवैल, हैण्ड पम्प रिपेयरिंग वगैरहा की स्वीकृत हो गयी हैं। आप जानकारी कर लें।

दूसरा आपने जो कहा है यहां पर सलूम्बर में हमने हैण्डपम्प खोदने का, ठीक करने का, पाइप भेजने का सारा कार्य कर दिया है। मेरे ख्याल से चार–पांच दिन के अंदर वहां पर आपकी सारी चीजें पहुंच जाएंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालालजी नीनामा। श्री शिवनारायणजी। श्री शिवनारायणजी, आप बोल लीजिये पहले।

विधान सभा क्षेत्र बारां की सड़कों की खराब स्थिति

श्री शिवनारायण (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बारां की सड़कों की हालत खराब होने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र बारां में बनाई गई सड़कों की लम्बे समय से मरम्मत का कार्य व पेचवर्क नहीं होने से अन्तां से सांगोद, पलायता से राजगढ़, बडगांव से सीमवाली रोड तक बनी सम्पर्क सड़कों का व अन्य सड़कों का पेचवर्क का कार्य नहीं होने से उनमें गहरे गड्ढे व पानी भरा होने से आवागमन में असुविधा होती है। किसानों को अपना माल मण्डी तक पहुंचाने में व आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जिससे जनता में रोष व्याप्त है।

अतः आप क्षेत्र की जनता को हो रही परेशानी को मद्देनजर रखते हुए मरम्मत व पेचवर्क का कार्य प्रारम्भ कर लोगों को राहत पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालाल नीनामा।

घाटोल (बांसवाड़ा) में अकाल की स्थिति

श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र घाटोल (बांसवाड़ा) में अकाल की भयंकर स्थिति बनी हुई है। वर्षा की कमी की वजह से फसलें पर्याप्त नहीं हुई। अतः एक ओर रोजगार की कमी है साथ ही घास की व्यवस्था करनी है।

(श्री नानालाल नीनामा)

मेरे क्षेत्र की कुल 71 ग्राम पंचायतें हैं उनमें से 36 ग्राम पंचायतें "नान कमाण्ड" हैं जिसकी वजह से इन पंचायतों में अकाल राहत कार्य अधिक खोलने की आवश्यकता है। मेरी जानकारी में आया है कि सभी ग्राम पंचायतों में कार्य चालू नहीं हुए हैं और कुछ–कुछ पंचायतों में कार्य प्रारंभ किये गये हैं। इस वजह से क्षेत्र में असंतोष फैल रहा है।

अतः अकाल राहत मंत्री महोदय से आग्रह है कि सभी ग्राम पंचायतों में एक–एक कार्य स्वीकृत कराने का आदेश फरमाएं। धन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सोफिया स्कूल, बल्लभनगर द्वारा प्रकाशित स्मारिका में भारत के नक्शे में फेरबदल

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में स्थित सीनियर हायर सैकण्डरी बालिका का जो सोफिया स्कूल है बल्लभनगर में स्थित है वह हर साल अपनी स्मारिका निकालता है और इस साल और पिछले वर्ष की हम स्मारिका देखें तो उस स्मारिका में भारत के नक्शे से छेड़खानी करने का प्रयत्न किया है और स्मारिका में पाक अधिकृत कश्मीर को हटा दिया है और निरन्तर रूप से बच्चों को इस पाठ को पढ़ाया जा रहा है इससे कोटा की जनता बहुत उद्वेलित है कि किस प्रकार से राष्ट्रद्रोहात्मक कार्यवाही एक संस्था जो वहां चलती है, कर रही है। उस कोटाा शहर के अधिमान्य नागरिक बंधु उस क्षेत्र के किशोरपुरा थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गये तो उस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और वहां से अनावश्यक शब्द कहकर जिनका मैं यहां पर उपयोग नहीं करना चाहता, कहना नहीं चाहता। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उनको वहां से भगा दिया गया। वह वहां के डी. आई. जी. से मिले परंतु फिर भी वहां भी कोई अर्थ नहीं निकला। जिला कलेक्टर महोदय से मिले, जिला कलेक्टर महोदय ने जरूर कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा परंतु वहां के लोगों का यह कहना था कि हमारी प्राथमिकी रिपोर्ट थाने में दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने, इस बात को किसी भी अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया कि इस प्रकार की प्राथमिकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की जानी चाहिए और इससे कोटा शहर का देशभक्त युवा है, वहां के लोग हैं वह काफी आंदोलित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह एस. एच. ओ. को केवल यही रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते थे कि भारत में मानचित्र को युक्ति युक्त रूप से प्रकाशित करने बाबत एफ. आर. दर्ज करने बाबत निवेदन है कि बल्लभनगर स्थित सोफिया सीनियर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल की

(श्री मदन दिलावर)

स्मारिका एम्ब्रोशिया, 2000 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त किताब में द्वितीय सीमा कक्षा बारहवीं की कक्षा के लेख में मेरा हिन्दुस्तान खो गया है, में भारत कश्मीर रहित मानचित्र प्रकाशित किया गया है। उक्त मानचित्र में भारत के पूर्वी राज्यों की सीमाएं भी स्पष्ट नहीं हैं। मान्यवर, यदि इस नक्शे के प्रकाशत में कोई त्रुटि भी मानी जाए तो भी इस विद्यालय द्वारा पिछले वर्ष प्रकाशित एम्ब्रोशिया, 1999 जो इनकी स्मारिक है, में नेहा गुप्ता, कक्षा नवीं बी के लेख में भारत का नक्शा प्रकाशित किया गया। उस पर भी भारत के अविभाज्य अंग कश्मीर को नहीं दिखाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था द्वारा यह कार्य प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

उल्लेखनीय संस्था ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित है जिससे कि विदेशों में भारी मात्रा में धन प्राप्त होता है। अतः हो सकता है कि किसी विदेशी षड्यंत्रकारियों के इशारे पर यह कार्य कर रही हो। इससे हमारे देश की अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो गया है तथा उक्त शैक्षणिक संस्थाएं धीरे–धीरे भारत को विखण्डित करने का षड्यंत्र कर इस प्रकार के मानचित्र को पढ़ा रही है ताकि उनकी मानसिकता में बदलाव हो अतः इस संस्था के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह केवल यह मांग कर रहे थे और इस मांग को माना नहीं गया। मुझे भी पता चला मैं भी कल कोटा गया था। तब वहां के उद्वेलित नागरिक बंधु मेरे से भी मिले। मैं भी उनके साथ कोटा किशोरपुरा थाने में गया। मेरे से भी वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। फिर मैंने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं धरने पर बैठूंगा। यह राष्ट्रद्रोह किस प्रकार से यह भारत के नक्शे के साथ भारत का अपमान करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। कौन कर रहा है लेकिन मेरी बात को नहीं सुना गया। मैं पचास लोगों के साथ वहां धरने पर बैठा और धरने पर बैठने के बाद ढाई घंटे तक जब धरने पर बैठा रहा तो मेरे से कहा गया कि हम रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और रिपोर्ट दर्ज जब करने की बात हुई तो ऐसी धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे जिसका कोई महत्व नहीं। मैंने कहा कि इन धाराओं में हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना चाहते। इसमें राष्ट्रद्रोहात्मक का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब बड़ी मुश्किल से वहां सी. आई. आये, एडिशनल एस. पी. आये, डीवाई. एस. पी. आये, अनेक प्रकार के आफिसर आने के बाद उन्होंने बड़े अफसरों से पूछा कि मदन दिलावर मान नहीं रहा है। पहले तो उन्होंने कहा कि समझाओ इसको, कैसे भी समझाओ और इसको थाने से भिजवा दो फिर उन्होंने

(श्री मदन दिलावर)

कहा कि यह तो धरने पर बैठा है और इसने कहा है कि विधान सभा में भी नहीं जाऊंगा और यहीं धरने पर बैठा रहूंगा तब जाकर उन्होंने कहा कि यह कहे जैसे मुकदमा दर्ज कर लो। मैंने कहा मेरे कहने जैसे मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि किस प्रकार का अपराध इसमें हुआ है और इस प्रकार की धारा इस पर लगनी चाहिए फिर बड़ी मुश्किल से उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह मुकदमा दर्ज किया है। अपराध धारा 13 अंलाफुल प्रिवेंशन एक्टिविटिज एक्ट वह धारा 124 ए. आई. पी. सी. में धारा में मुकदमा दर्ज किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार तीन दिन से वहां के लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग और अन्य संस्थाओं के लोग जब वहां मांग कर रहे थे तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। इस मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे षड्यंत्र क्या था ? क्या ईसाई मिशनरियों को पंनपाने का या उनके साथ, यह मिलीभगत नहीं है ? मैं मांग करता हूं उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आपकी डिमान्ड एक्सीड कर दी, मुकदमा दर्ज हो गया अब क्या चाह रहे हो ?

श्री मदन दिलावर : मैं मांग करता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना मुकदमा दर्ज।

श्री मदन दिलावर : ऐसे षड्यंत्रकारियों को तुरंत पकड़ा जाए। यह पहली घटना नहीं है। पहले भी मैं सदन में बता चुका हूं कि कब्रिस्तान के नाम पर झूंठे पुतले पुलिस ने निकाले कपड़े के पुतले... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मदन दिलावर : जमीन को लूटने के लिए और वहां से निकाले यह पुलिस रिकार्ड में है और फिर भी इस प्रकार की संस्थाओं को बिलकुल प्रश्रय दिया जा रहा है। ऐसी संस्थाओं को निश्चित रूप से बंद करना चाहिए और राष्ट्रद्रोह में उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो बिलकुल ऐसी हो गयी है कि केलवाड़ा थाने में...

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप। हो गया, हो गया।

श्री मदन दिलावर : केलवाड़ा थाने में राजसमन्द के केलवाड़ा थाने में एक बंदी महिला के साथ पुलिस वालों ने बलात्कार किया। जबर्दस्त बलात्कार किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बंदी थी वह महिला।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका इश्यु नहीं है। अलग से आ रहा है, आप बैठो। डाक्टर रामप्रताप।

घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले के किसानों की समस्या

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले के अंदर से होकर घग्घर नदी गुजरती है। राजस्थान में एक ऐसी नदी है जिसका बहाव क्षेत्र है उस पर किसानों का स्वामित्व है। उनका स्वामित्व होने की वजह से उन्होंने अपने प्राइवेट बंधे बना रखे हैं जिसके बीच में होकर यह पानी गुजरता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इसके बहाव क्षेत्र को चिन्हित करके 6 बीघा चौड़ा रखा। जबकि इसी नदी से एक डाइवर्शन चैनल बना हुआ है। जिसकी क्षमता 40 हजार क्यूसेक्स है और उसकी चौड़ाई 500 फीट। और इस नदी के बहाव क्षेत्र में से 20 हजार क्यूसेक्स पानी निकालने का है। इसकी चौड़ाई 1000 फीट रखी गई है। यह बेशकीमती जगह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इसके साथ–साथ जो इसका बहाव क्षेत्र है उसमें काफी त्रुटियां हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीलीबंगा के पास में एक गांव है लढ़ाना। उसका आबादी क्षेत्र भी इसके बहाव क्षेत्र में रख दिया गया। इसी तरीके से सूरतगढ़ के पास में सीलवानी गांव है, उसके पास एक सड़क गुजरती है। वह सड़क इसके बहाव क्षेत्र में है। इस किस्म की कई त्रुटियां रह गई। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि इसका नोटिफिकेशन वापस लेकर और दुबारा इस पर पुनर्विचार किया जाए। इसके साथ–साथ सिंचाई विभाग और प्रशासन ने मिलकर जो किसानों के प्राइवेट बंधे बने हुए थे, डोजर तैयार कर रखा है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में किसान की गेहूं की फसल बिलकुल तैयार है और 10–15 दिन में वह फसल कटकर खलिहान में आ जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें इस किस्म का क्षेत्र है कि पंजाब और हरियाणा जो हरित क्रान्ति में अग्रणी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां जो पर बीघा या पर एकड़ उपज होती है उससे यहां पर ज्यादा होती है। किसानों ने अपनी सारी मेहनत करके अपना, सारा खर्चा जब उसमें लगा दिया तब उसमें डोजर के जरिये उसको तहस–नहस किया जाए यह सहनीय नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब वह डोजर के जरिये इन प्राइवेट बंधों को तोड़ कर आगे जब पानी आयेगा उसके बाद में पानी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा और राजस्थान सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए, घग्घर नदी के लिए जीरो बजट रखा गया है। ऐसी स्थिति में इन फसलों को तबाह करना और इसके साथ–साथ बरसात के टाइम में कितना भयानक रूप ले लेगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वजह से, उपाध्यक्ष महोदय, आज गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का किसान बड़े भारी रोष में है, उद्वेलित है।

(श्री रामप्रताप)

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि विशेष तौर से सिंचाई मंत्रीजी वहां 69 एजिटेशन को नहीं भूले। 1969 में एजिटेशन में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के किसानों ने राजस्थान की जेलें भर दी थीं और अपने सीने पर गोलियों के वार भी सहन किये थे। आज की तारीख में अगर उसकी फसल के साथ, उसके जीवन और मरण का प्रश्न है उसके साथ खिलवाड़ किया गया तो उसके नतीजे भयंकर होंगे। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह।

विभिन्न गांवों की श्मशान भूमि पर हो रहा अतिक्रमण

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांवों की श्मशान भूमि के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। गांवों में श्मशान भूमि सिवाय चक पर है और वहां पर आजकल आस–पास के किसान उस भूमि पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। यहां तक कि कई जगह रास्ते पर भी अतिक्रमण हो गया है और श्मशान भूमि पर आने जाने में दिक्कत होती है। स्थिति यह है कि प्रशासन को वहां पर सूचित करने के बाद भी उसका सीमांकन किये जाने के बाद भी वह लोग बार–बार उस पर अतिक्रमण कर रहे है। उदाहरण के लिए एक कल्याणपुरा पंचायत में पंवाला राजपूत गांव के पास में एक जोहड़ है जिसमें खसरा नम्बर 237/569 में एक श्मशान भूमि स्थित है और उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। प्रशासन को बताने के बाद तहसीलदार ने वहां जाकर देखा तो वास्तव में जो ट्रेक्टर चलाये गये थे उसके अन्दर बच्चे की लाश तक दिखाई दी। ऐसी स्थिति में लोग पहुंच गये हैं कि उनको इतना भी लिहाज नहीं होता कि जहां वास्तव में शव दबे हुए हैं वहां भी लोग खेती कर रहे हैं। एक बार तहसीलदार के द्वारा सीमांकन करवाया गया लेकिन उसके बावजूद भी फिर उन्होंने फसल बो दी उसके बाद फिर ग्रामीण लोगों ने मिलकर संघर्ष किया फलस्वरूप फसल पर दुबारा ट्रेक्टर चलवा दिया गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि पुनः उसी जमीन में दुबारा से खेती करने की कोशिश की जा रही है। मेरा निवेदन है कि यह स्थिति केवल एक ही गांव में नहीं है कई गांवों में है। चूंकि उनमें कोई सीमाबंदी नहीं है ना उनका कोई पुख्ता इंतजाम किया गया है। हर जगह कुछ न कुछ अवैध कब्जे करते जा रहे हैं। इसी तरह एक सांगटेडा गांव में श्मशान भूमि से सटी सवाई चक के लिए कुछ लोग यहां से सैक्रेटेरिएट से आर्डर लेकर गये और उन्होंने वह भूमि आबंटित करवा ली है। इसका नतीजा यह होता है कि वहां पर श्मशान भूमि के आसपास की जमीन बिलकुल दबा ली गई है। मेरा निवेदन सरकार से है

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

कि इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नहीं तो बहुत संघर्ष होने की संभावना है। वास्तव में जो कब्जेधारी हैं वह चाहते हैं कि किसी प्रकार से इन गांव वालों से संघर्ष हो जाए, झगड़ा हो जाए और कोर्ट में केस चला जाए ताकि कोर्ट में केस जाने के बाद लम्बे अर्से तक लम्बित बना रहे। मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि कोई वहाँ झगड़ा हो जैसी उनकी इच्छा है सरकार उसमें दखल दे और उसका बाकायदा सीमांकन करवा कर उसका नियमन करवा कर पंचायत के माध्यम से जनता को सौंप दिया जाना चाहिए नहीं तो एक नहीं कई जगह पर यह झगड़े होने की संभावना है। इसके अलावा दूसरी समस्या श्मशान भूमि जो कि प्रायः जोहड़ या कुए के पास हुआ करते थे आज वहां पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कुए सूख चुके हैं खोदने पर भी वहां पानी नहीं निकलता है और नदी तालाब तो सूख ही चुके हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर हैण्डपम्प का होना बहुत आवश्यक है और उसके लिए कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस के लिए नीति बनाकर सभी श्मशान भूमि में एक हैण्ड पम्प खुदवाये जाएं ताकि जनता को राहत मिले। अभी होता क्या है कि वहां पर पानी न मिलने से गांव के अन्दर हैण्ड पम्प पर जनता स्नान करने जाती है तो निश्चित रूप से वहां बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि गांव में भी कोई अधिक हैण्डपम्प नहीं हैं और बीच गांव में इस प्रकार श्मशान के बाद स्नान करने में आम लोगों को एतराज होता है। इन दो समस्याओं के प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए श्मशान की भूमि को बचावे और वहां पर हैण्डपम्प का इंतजाम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्षजी, आपकी अनुमति के लिए तो आभारी हूं लेकिन मैं इस मैटर को, इश्यु को किसी अन्य माध्यम से सदन में उठाना पसंद करती हूं। इसलिए अभी नहीं बोलूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

एस. एम. एस. मेडिकल कालेज में मेडिकल आफिसर्स के पद समाप्त करने विषयक

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। परसों शाम को सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में ऐसे आदेश आये हैं जिसके अंतर्गत लगभग 50 से अधिक मेडिकल ऑफिसर्स के पद समाप्त करके उनको कार्यमुक्त करके अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर होने के आदेश दिये गये हैं।

(डा. करण सिंह यादव)

(व्यवधान) छहों में होंगे। एस. एम. एस. के बारे में ज्यादा जानकारी मुझे मालूम है। आपने बताया कि छहों मेडिकल कालेजों में हैं। इन मेडिकल कालेजों के अंदर कुछ टीचिंग के पद होते हैं जिनमें लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज और जो जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कालेजेज हैं उनमें पढ़ाई के अलावा इलाज का इतना ज्यादा दबाव रहता है उसको ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकारों के समय में मेडिकल ऑफिसर्स के अलग पद स्वीकृत किए हुए हैं और आज जो चिकित्सा अधिकारी हैं वह सवाई मानसिंह अस्पताल, जनाना अस्पताल, जे. के. लोन अस्पताल, मनो चिकित्सालय, इन सबके कार्य का एक विशिष्ट अंग बन गये हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि मेडिकल आफिसर्स इस क्वालिफिकेशन के लोग हैं जो एम सी एच. कार्डियो थोरोसिक सर्जरी, एम. सी. एच. प्लास्टिक सर्जरी, एम. सी. एच. न्यूरो सर्जरी किये हुए हैं। चूंकि लेक्चरर के पद उपलब्ध नहीं थे, चूंकि लेक्चरर्स के इंटरव्यू नहीं हुए इन लोगों को सरकार ने जनहित को देखते हुए इन मेडिकल कालेजों में पदस्थापन करके उपयोग में लिया है। अचानक इतनी भारी संख्या में डाक्टरों का इन अस्पतालों से निकल जाने से मैं समझता हूं कि सरकार और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी संभवतया यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मितव्ययता बरत रहे हैं, अच्छा वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं। पद कम करते जा रहे हैं। हो सकता है इसमें तो यह कामयाब हों लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि इन अस्पतालों के कामकाज पर गहरा असर पड़ेगा इन पदों के समाप्त करने से। यहां इलाज में आने वाले रोगियों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। आज भी सवाई मानसिंह अस्पताल में पदों की भारी कमी है और आज भी हम बहुत–सी शिकायतें इन अस्पतालों के प्रति रखते हैं। अगर इस तरह से अचानक स्टाफ को कम कर दिया जाएगा और कम करने का भी तरीका कोई अपनाया नहीं गया। इसमें यहां के प्रिंसीपल की, इन अस्पतालों के अधीक्षकों को या इनके जो विशेष डाक्टर हैं उनसे यह नहीं पूछा गया कि डाक्टर्स की या रिटायर्ड डाक्टरों की अगर सरकार मितव्ययता ही बरतना चाहती है तो कोई टीम बनाकर इस बात को देखती कि कहां–कहां पर निरर्थक पद हैं। ऐसा कुछ नहीं कर विभाग ने अपनी तरफ से एक तरफा कार्यवाही की। एक कलम के जोर से एक आदेश निकाला कि सबको यहां से रवाना कर दीजिये। मैं समझता हूं कि इस आदेश को सरकार को वापस लेना चाहिए। सारी चीज की जानकारी करनी चाहिए। अन्यथा प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि लोगों को बहुत असुविधा होगी। आपने

(डा. करण सिंह यादव)

मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है यह बहुत गंभीर और चिंता की बात है। एक साथ ही राजस्थान के चारों मेडिकल कालेजों में...

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या करेंगे ? आप क्या करना चाहते हैं। आप क्या करोगे, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 200 पद समाप्त कर देना और ऐसे मेडिकल कालेज जहां सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अंदर रोज के प्रतिदिन के तीन हजार लोग आउटडोर में आते हैं और मैं समझता हूं निश्चित तौर पर सरकार ने जो इस तरह का निर्णय लिया इस पर पुनः निर्णय लेना चाहिए और मैं माननीय सदस्य, आपको भी याद दिलाना चाहता हूं यह वह पुराना वाला समय नहीं है जो अधीक्षक को पूछा करते थे। अब तो यह नया समय आ गया है। इस नौकरशाही राज पर आपको खुद को आत्मचिंतन करके इधर आ जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया...(व्यवधान) एक मिनट। डा. चन्द्रभान, उद्योग मंत्री, दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज लि. का 38वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कोरपोरेशन लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए के अंतर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998–99 संदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तैय्यब हुसैन, कृषि एवं भू–जल मंत्री।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि एवं भू–जल मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की धारा 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998–99 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव याचिका उपस्थापित करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

तसींग से खापरिया तहसील बहरोड की लगभग डेढ़ कि.मी. सड़क निर्माण

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तसींग से खापरिया

(डा. करण सिंह यादव)

तहसील बहरोड की लगभग डेढ़ किलोमीटर सड़क निर्माण बाबत सात व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह, सरकारी मुख्य सचेतक, वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव करेंगे।

समिति गठन प्रस्ताव

जन लेखा समिति, 2000-2001

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :–

(1) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2000–2001 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

प्राक्कलन समिति 'क' 2000-2001

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "क", 2000–2001 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

प्राक्कलन समिति 'ख' 2000-2001

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "ख", 2000–2001 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

राजकीय उपक्रम समिति, 2000-2001

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233–खा (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2000–2001 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आय-व्ययक पर वाद विवाद

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, आप कंक्लूडेड भाषण को पांच मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं बहुत जल्द ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मिनट पर मत करिये। 2–3 बिन्दुओं पर, आपने कहा तो मैं बिलकुल इसको जितना कम में हो सकता है, उतने में अपनी बात रखूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उप नेता बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बोलने दिया अभी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं दो विषय आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी के सामने रखना चाहता हूं कि इस श्वेत–पत्र को रखने के पीछे उनकी मानसिकता क्या रही...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी तो हैं नहीं, उनको तो बुलाओ। नोट कौन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएंगे। गवर्नमेंट बैठी है ना यह कर रही है। यह आपको दिख नहीं रहे हैं ?

डा. चन्द्रभान : हम बैठे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अकाउंट्स से इनका सम्बन्ध क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : पांच केबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, आपको ध्यान ही नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब जवाब दें तब इस विषय को जरूर स्पष्ट करें ताकि एक गलतफहमी राजस्थान की जनता में गयी और सारे देश में चली गयी कि श्वेत पत्र के माध्यम से सरकार कहना क्या चाहती थी। इसका परिणाम क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो हो गयी ना परसों बात।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, अभी इसमें हुई नहीं। आपने इनसे आंकड़ों को टटोलने का प्रयास नहीं किया...

श्री उपाध्यक्ष : खूब हो गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत बढ़ा–चढ़ा करके केवल इस कर्जे को दिखाने की दृष्टि से श्वेत–पत्र जारी किया। बाकी इसके एक–एक बिंदुओं को ले करके मैं तुलना करूं तो निश्चित रूप से यह सरकार स्वयं कटघरे में जाकर खड़ी हो जाएगी। पर इतना समय मेरे पास नहीं है। मैं केवल आपको यह कहना चाहता हूं यह कर्जे की जो बात कह रहे हैं जब हमारा पूरा का पूरा प्लान इन्होंने 31 मार्च, 1990 को दिया कि 7148 करोड़ रुपये का कुल हमारा प्लान बजट था। उसकी तुलना में उस समय जो कर्जा था वह 6127 करोड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रुपये है, जो टोटल प्लान का 85 प्रतिशत कर्जा है। अब उसके बाद जो इन्होंने एक अनुमानित फिगर दिया था कि 31 मार्च, 1999 तक कर्ज की संभावना 23840 करोड़ रुपये होने वाली है। इसको अब जिस प्रकार से प्लान की साइज थी उसकी तुलना में कर्जा कितना था और जितना इस समय जो कर्जा यह दिखा रहे हैं वह भी 4 महीने इस सरकार के, उनको भी मैं मान लो मिला देता हूं तो भी कर्जा जो 23800 अनुमानित माना वह एग्जेक्ट नहीं है। उसकी तुलना में प्लान जो इस समय हुई, क्योंकि 12000 करोड़ की जो 8वीं प्लान है और उसके बाद से लेकर के आपके तीन साल का वह निकला, तो 12000 करोड़ हो गया। 25 हजार करोड़ की प्लान के ऊपर मात्र 15000 का कर्जा हमारे खाते में आता है, जो मात्र 66 प्रतिशत है प्लान का। जहां एक ओर 85 प्रतिशत प्लान का कर्जा लेकर

(13:18)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

के कांग्रेस तो अपने आपसे बरी होना चाहती है और हमने अपने प्लान का केवल 66 प्रतिशत कर्जा लेकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, इसका ढिंढोरा पीट करके सारी दुनिया में राजस्थान दीवालिया है, राजस्थान दीवालिया है, इस बात का मैसेज देकर के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब आप केवल इस एक साल का ले लीजिये। एक साल में आपने प्लान तो 5022 करोड़ की रखी लेकिन बाद में काट–पीट करके आपने उसको 3855 पर लाये। उस 3855 के भी अगर गहराई में जाएं तो वह 3855 भी नहीं निकलेगा। क्योंकि उसमें आपने विद्युत का जो पैसा दिया है वह भी इसमें शरीक करके आपने उसमें जोड़ा है। अगर उसको मान भी लिया जाए तो 4000 करोड़ रुपये की प्लान और 11000 करोड़ रुपये का कर्जा। इसका मतलब केवल एक साल में आपने जो कर्जा लिया है वह प्लान से 275 गुना कर्जा लिया। यह इस बात को साबित करता है कि आपने वास्तव में राजस्थान की जनता को धोखा देकर मूर्ख बनाने का काम इस श्वेत–पत्र के माध्यम से किया। इसकी हकीकत कुछ और ही है। जिस कर्जे के बारे में आप बार–बार जिस बात को कह रहे हैं ना, आपने राजस्थान को जिस रसातल में डाला है, इसका परिणाम तो राजस्थान की जनता 2–3 साल बाद भुगतेगी कि आपने किस प्रकार से इस प्रदेश को, जो आगे बढ़ रहा था उस प्रदेश को आप ले करके कहां जा रहे हैं। अब आपकी कमियों की भी कोई पराकाष्ठा है। कभी किसी ने इसके आंकड़ों में जाकर अपने आपको देखने की कोशिश भी की कि हम राजस्थान को कहां ले जा रहे हैं ? आप इसमें प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अगर विचार करें तो जो आज स्थिर मूल्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं और जो प्रचलित मूल्य हैं, उसके आधार पर अगर आप इसका विश्लेषण करें तो हम 1993–94 की स्थिति में जो थे हमारी प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से स्थिर मूल्य पर, वह आज हम 2000–2001 में हैं। तो हमने तरक्की कहां की है, उससे भी हम और नीचे आये हैं। मैं आपको इस बारे में और स्पष्ट करना चाहता हूं। हमने प्रदेश को जिस प्रकार के हालात में पहुंचाया उसके बारे में अगर उसको बढ़ाने का रास्ता चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको लगेगा, आपका पेज नम्बर 4, आपकी यह जो आर्थिक समीक्षा है इसमें प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से जो स्थिर मूल्य पर है 1993–94 में 6238, 1994–95 में 7197 और अभी जो आपने पेश किया है उसके आधार पर 1999–2000 में 7141 आता है। अर्थात् आपने प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान को वापस इस बजट के बाद वहीं पहुंचा दिया है जहां से हमने 1994 में यात्रा शुरू की। इसको जम्प देने का प्रयास किया था वहीं ले जाकर आपने इसको डालने का प्रयास किया है।

अब आपने तुलना क्या की है, तुलना की है आपने दिल्ली से, भारत से हम कहां हैं, भारत से तो आपने और दुर्गति में पहुंचाया है। पहले भारत से हमारी जो स्थिति थी वह 1985–86 में भारत का 1841 आंकड़ा था और हमारा 1338 था, उसके बाद 1989–90 में यह 2157 रुपये हुआ और राजस्थान का 1716 था और उसके बाद हमारे समय में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी वह 14642 रुपये और राजस्थान की 11045 रुपये। यह जो बढ़ोतरी है आपने इसमें और कमी की है और अभी की स्थिति तो यह है कि 18 हजार जो हमारी टोटल है उससे भी हमारी स्थिति खराब हुई है।

सकल घरेलू उत्पादन की दृष्टि से हमारी क्या स्थिति है ? मैं इसलिए कहता हूं कि आप कृपा करके, बहुत ठीक प्रकार से विश्लेषण करेंगे तो निश्चित रूप से, ईमानदारी से यह बात कहेंगे कि हमने राजस्थान को अवनति के रास्ते पर डाला है। यह एक–एक आंकड़ा इस बात को साबित कर रहा है कि हम वास्तव में राजस्थान को पीछे की ओर ले जा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से भी आप जो फीगर्स बता रहे हैं, उसमें हम बढ़ नहीं रहे हैं। हमने उसमें भी एक तरह से कटौती प्रारंभ कर दी है। और यह जो प्लान का आपका आउटले है, बजट एट–ए–ग्लांस, इसके पेज नंबर 14 को आप देखिये। इसमें जो प्लान आउट दिया है उसमें बजट एस्टीमेट 1999–2000 का 5022 करोड़ का दिया था। उसमें आपने लिखा कि आय व्ययक सहयोग तो 3839 और आय व्ययक के अतिरिक्त सहयोग, यह जो अतिरिक्त सहयोग है इसमें से 1183 करोड़ रुपये रखकर आपने 5002 किया। आपने इसका जब बाइफरकेशन दिया विभागों के अनुसार,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसके अनुसार आपने जो एक्चुअल खर्चा किया है वह खर्चा तो केवल 3026 करोड़ रुपये ही आता है। हमने दिखाने के लिए 3800 कहकर प्लान साइट घटाया, प्लान साइट नहीं घटाया। यह जितने भी कृषि से लेकर के सामान्य सेवा तक के जो 11 हैड्स हैं जिसमें हमने पैसे खर्च किये हैं वह 3026 करोड़ रुपये करके हमने राजस्थान को अवनति के रास्ते पर डाला है। यह बात आपके फिगर्स से और आपकी इन पुस्तकों से बिलकुल प्रमाणित हो रही है। लेकिन उसके बाद भी आप इस बात को नहीं मानेंगे। आपके मन में तो एक बात आ गयी कि हमने बहुत बड़ा उद्धार का काम कर दिया। यह वस्तु स्थिति नहीं है।

आपको एक और फीगर बताना चाहूंगा, चौंकाने वाले फीगर्स हैं। यह क्या विकास कर रहे हैं और क्या बजट रख रहे हैं। इनकी एक–एक चीज को रखने का समय नहीं है। बाकी एक–एक विभाग की जो दुर्गति की है। उस दुर्गति को वास्तव में राजस्थान की जनता साल भर बाद महसूस करेगी। तब पता लगेगा। आपकी समीक्षा का पेज नम्बर 45 दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा है राज्य की सड़कों की लम्बाई, इस सरकार ने राज्य में सड़कों की लम्बाई के बारे में क्या किया ? जो पिछले साल 1998–99 में 75076 किलोमीटर पक्की सड़क थी और 9932 किलोमीटर कच्ची सड़कें थीं और आपने 1999–2000 में क्या किया ? सेम फीगर्स, वही का वही फीगर वापस रिपीट हुए और वही की वही सड़कें रहीं। इसका मतलब यह है कि आपने एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनायी और यही नहीं अन्य विभागों द्वारा निर्मित सड़कों की जो हालत है वह भी आपकी सब मिलाकर के टोटल 149411 किलोमीटर सड़क है, जो पिछली बार थे वही के वही फीगर्स वापस रिपीट हुए हैं। केवल थोड़ी सी कच्ची सड़क 900 किलोमीटर दिखाई है। यह आपकी तरक्की का नमूना है। इन सब बातों से यह लग रहा है कि आपने बजट को पेश करके राजस्थान को, जो कि विकास की ओर बढ़ता जा रहा था, जो राजस्थान आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना में 13वें, 14वें और 15वें स्थान पर 17 राज्यों की स्थिति में था, उसको हमने छठे, सातवें स्थान पर लाकर के खड़ा किया था, आपके इन सारे फीगर्स से वापस वह घटकर के किसी में 13वें, किसी में 14वें स्थान पर और किसी–किसी में तो 15वें स्थान पर है।

यहां तक कि अगर हम खाद्यान्नों की पैदावार की दृष्टि से लें, अगर हम तिलहन की पैदावार की दृष्टि से लें, आप हमारे बारे में, तो बहुत हंसा करते थे कि आपकी जो रेवेन्यू की प्राप्ति है और उसका जो व्यय है वह बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपके फीगर्स को टटोलें तो 1989 तक लगभग सभी साल ऐसे हैं जिसमें रेवेन्यू आपकी माइनस में गयी है। जितनी आपकी प्राप्ति है उससे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ज्यादा आपका खर्चा है। आपकी आय पहली बार अगर दो साल कहीं बची है तो 1991–92 और 1992–93 में प्लस में गयी है। जिस तरह से आपने इस प्रदेश को गलत दिशा में जोड़ा, आप केवल इस श्वेत–पत्र के माध्यम से अपने पाप झाड़ना चाहते हैं तो यह पाप नहीं झड़ेगा। यह आपका एक ऐसा डाकूमेंट जनता के बीच में आया है जिसका एक–एक पेज इस बात को साबित करता है कि बदनीयती से केवल अपने आपको बचाने की दृष्टि से यह सोचा कि हम कुछ नहीं कर सकें तो भी इसकी आड़ में अपनी जिंदगी निकाल लेंगे, यह जिंदगी नहीं निकलेगी। इसका एक–एक पेज, अगर मुझे समय दें तो मैं एक–एक विभाग के आधार पर यह बता सकता हूं कि सब दृष्टि से अवनति की है।

इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से चाहूंगा कि आपका प्रत्येक वर्ष का प्लान कितना था और उसके अगेंस्ट में आपका कर्जा कितना था, अगर इस हिसाब से चलेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी। आपका प्लान ही 700 करोड़ है, जितना आपने प्लान पर खर्चा किया उसके अगेंस्ट में आपका कर्जा कितना है। आपने कहा कि 2200 करोड़ रुपये का हमको ब्याज चुकाना पड़ रहा है। आपको तो एक साल में 3300 ब्याज का चुकारा करना पड़ रहा है जो कि डेढ़ा है। 2200 का भी आपने अनुमानित माना था उस समय, लेकिन उसके लिए तो आप कहते थे कि हम क्या करें इतना ब्याज चुकाना पड़ता है। जो कुछ पूंजी हम कमाते हैं वास्तव में हमारी जितनी आमदनी टैक्स के माध्यम से है उसका 60 प्रतिशत से ज्यादा पैसा तो हमारा ब्याज चुकाने में जा रहा है। हम क्या तरक्की करेंगे ? किसने सौगन्ध दिलायी थी आपको कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के साधन नहीं ढूंढ़ने चाहिए। रेवेन्यू कलेक्ट करने के साधन जरूर ढूंढ़िये लेकिन सामान्य व्यक्ति पर उसका भार नहीं पड़े और नये–नये तरीके निकालकर के भी इनको अपनी रेवेन्यू की आमदनी बढ़ानी चाहिए। इतना समय नहीं है, नहीं तो रेवेन्यू के आंकड़ों में भी आपने कोई तुर्रा नहीं मारा है। अगर स्थिर मूल्यों के आधार पर देखा जाए तो जो आपकी उपलब्धि है वह जीरो है। किसी भी प्रकार के कलेक्शन में। फीगर्स में जरूर है क्योंकि पिछले साल के जो मूल्य थे उसके मूल्यों में एक साल में जिस प्रकार से बढ़ोतरी होती है उससे अगर तुलना करें तो उस दृष्टि से भी हम नीचे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से बहुत नम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि इस श्वेत–पत्र के आधार पर राजस्थान की जनता को जो गुमराह करने का काम किया है, कृपया करके इसकी सारी पोजिशन स्पष्ट करें कि वास्तव में यह डाकूमेंट किस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

काम के लिए रखा था और उसका उपयोग क्या था ?

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने पिछला बजट और यह बजट, दो बजट जनता के सामने रखे हैं। पहला काम इन्होंने जो वार्षिक योजनाएं हैं उनको घटाने का किया है और दूसरा जो सबसे बड़ा काम राजस्थान की सरकार ने दो बजटों के माध्यम से किया है, वह काम किया है राजस्थान के किसान को बरबाद करने का। अगर दोनों बजटों में किसी पर भार बढ़ाने का काम किया है, वह राजस्थान के किसानों पर किया है। चाहे वह सिंचाई दरों को दुगुना करके किया हो, चाहे लगातार दोनों बजटों में राजस्थान के बिजली से सिंचाई करने वाले किसानों पर टैक्स बढ़ाने का काम किया हो। पिछली बार राजस्थान की सरकार ने बजट के माध्यम से 5 पैसा प्रति यूनिट टैक्स बढ़ाया था। इस साल फिर दो पैसा यूनिट, अभी विद्युत मंत्रीजी एक बात कह रहे थे कि यह तो पैसे में बढ़ोतरी है, अभी तो पैसे में है, क्योंकि टैरिफ ही पैसे में है, विद्युत मंत्रीजी शायद रुपयो में टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। जब टैरिफ पूरे देश में और प्रदेश में पैसों में है तो पैसों में ही बढ़ाया जाएगा, रुपयों में भी बढ़ाने का इनका मतलब यानि सरकार की इच्छा अभी रुपयों में भी बढ़ाने की है। और उसका नतीजा यह है सभापति महोदय, योजना में लगातार कटौती करने के कारण किसानों पर वजन बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कृषि का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा हमला राजस्थान के गांव और किसान पर हुआ है। जो विशेष ग्रामीण रोजगार योजना थी 540 करोड़ की, इससे लास्ट ईयर की, उसका जो प्रोविजन था, इस सरकार ने केवल 270 करोड़ रुपये पर लाकर छोड़ दिया है, मतलब आधे से भी कम। सरकार का इस बजट के माध्यम से एक ही मतलब है कि राजस्थान का खजाना खाली है और सब विकास योजनाएं बंद होंगी। सरकार एक ही मंशा जाहिर कर रही है कि विकास कोई करना नहीं है। विकास को बंद करके खजाना भरने की नीयत राजस्थान की सरकार की इस बजट के माध्यम से स्पष्ट होती है। इसका नतीजा यह होगा कि विकास की कोई योजना नहीं होगी तो उसका कोई बजट भी नहीं होगा।

मंत्रीजी कह रहे थे कि अधिकारी और कर्मचारी सरप्लस होंगे, अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो पांच साल में एक भी अधिकारी और कर्मचारी की आवश्यकता राजस्थान में नहीं होगी और आपका खजाना भर जाएगा। खजाना भरना ही एकमात्र काम इस राजस्थान सरकार का नहीं है। सरकार का पहला कर्तव्य है राजस्थान का विकास

(श्री अमराराम)

और विकास योजना से होगा, खर्च से होगा। सरकार को निश्चित रूप से खजाना भरना चाहिए लेकिन उनसे भरना चाहिए जो दे सकते हैं। सभापति महोदय, किसी भी अधिकारी, कर्मचारी और राजनेता, उसका जीवन दो और पांच साल से ज्यादा नहीं है, उसके एक–एक छापे में कई–कई करोड़ रुपये मिलते हैं, पैसा कहां से आया ? राजस्थान की जनता को लूटने वालों से पैसा लिया जाए। सीधे–साधे गरीब लोग, जो संगठित नहीं हैं, उनसे खजाना भरने की कोशिश सरकार लगातार दो साल से बजट के माध्यम से कर रही है। सरकार की सबसे प्रमुख नीति उदारीकरण की है, जिसके कारण राजस्थान की स्थिति खराब हुई है, राजस्थान की आज जो हालत है उसके आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता। राज्य का सकल घरेलू उत्पादन गिर रहा है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय गिर रही है। राजस्थान का कृषि उत्पादन जो इससे पहले वर्ष में 267.27 करोड़ था, वह गिरकर 257. 51 करोड़ हो गया है।

सभापति महोदय, इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि राज्य का कृषि उत्पादन लगातार गिर रहा है। चाहे आप अनाज का उत्पादन देख लीजिए जो 98–99 में 31.74 लाख टन था, वह गिरकर इस वर्ष 17.18 लाख टन हो गया है। खाद्यान्न का उत्पादन पिछले साल 34.48 लाख टन था, वह गिरकर 18.65 हो गया है। चाहे तिलहन हो, खाद्यान्न हो, दलहन हो, तमाम् के तमाम् उत्पादन गिर रहे हैं। किसानों पर बर्डन डालने की उन आर्थिक नीतियों का यह नतीजा है। हमारा सिंचित क्षेत्र लगातार गिरता जा रहा है, हमारा उत्पादन गिरता जा रहा है, हमारे किसानों की पैदावार का भाव भी लगातार गिरता जा रहा है। इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि खेत से उत्पादन गिरेगा, उद्योग से उत्पादन गिरेगा। बजट से जो पैसा मिलता है योजनाओं के लिए, वह पैसा न मिलने से लगातार इनका उत्पादन गिर रहा है और राजस्थान विनाश की ओर जा रहा है।

आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से राजस्थान में उद्योग बंद हुए हैं, रूग्ण हुए हैं। इन रूग्ण उद्योगों को रिवाइव करने के लिए, वापस चालू करने के लिए एक नया पैसा राजस्थान सरकार के बजट में नही है, न किसानों के लिए है, न उद्योगों के लिए है। राजस्थान सरकार प्रचार करके केवल यह कहना चाहती है कि सारे उद्योग एक विण्डो पर आ जाएंगे, इस नीति के बाद कितने आए ? राजस्थान में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं आया। राजस्थान के बड़े–बड़े उद्योग जो बंद हो गए हैं, वापस चालू होने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जब तक आम जनता के लिए उदारीकरण की नीति से वापस नहीं हटेगी,

(श्री अमराराम)

इस नीति से राजस्थान के बड़े–बड़े लोगों को ही फायदा हो सकता है।

सभापति महोदय, राजस्थान के 100 में से 75–80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, उनकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उनकी चिंता सरकार नहीं करती है। सरकार को केवल एक ही चिंता है शहरों का सौन्दर्यीकरण हो, इससे क्या उत्पादन होगा ? सरकार बार–बार एक ही प्रचार कर रही है कि राजस्थान में पर्यटन से रोजगार मिलेगा, राजस्थान का विकास हो जाएगा। पर्यटन से कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन राजस्थान का समग्र विकास केवल पर्यटन से ही नहीं हो सकता। ऐसे प्रचार से मैं समझता हूं कि न राजस्थान का भला होगा, न देश का भला होगा। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता उन क्षेत्रों का विकास करने की है जहां न सड़क है, न पीने का पानी है।

सभापति महोदय, मेरा आरोप है कि पिछले पांच साल में जितने भी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं, चाहे इस सरकार ने या निवर्तमान सरकार ने, एक भी स्कूल में मास्टर नहीं लगाया है। केवल स्कूल खोलने से शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक अध्यापक की व्यवस्था नहीं होगी। कोई भी विद्यालय या महाविद्यालय ऐसा नहीं है जहां विद्यार्थियों को बैठकर पढ़ने की पर्याप्त सुविधा हो, जो सुविधाएं थीं, वे समाप्त हो रही हैं, चाहे वह क्लास रूम की व्यवस्था हो, चाहे वह फर्नीचर की व्यवस्था हो। सभापति महोदय, स्कूलों और कालेजों में पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। हम 250 की आबादी पर हैण्डपम्प लगा देंगे लेकिन आज सीकर कालेज जिसमें पांच हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है, उनके बैठने के लिए भवन की व्यवस्था नहीं है, 50 साल पहले जो भवन बना था, वह जर्जर हो गया है उसके रिपेयर के लिए कोई बजट नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। हमने पिछले साल 14 महाविद्यालय खोले हैं लेकिन मैं समझता हूं कि कालेज एजुकेशन में एक भी लेक्चरर नहीं है। आप सरप्लस कर रहे हैं। 40 विद्यार्थियों पर एक अध यापक था...

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : जरूरी नहीं है कि जहां कालेज खोले वहां सब जगह लैक्चरर लगा दें।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी बता दें कि कितने कालेजों में लैक्चरर नियुक्त किए हैं। यहां से हटाकर वहां लगा दिया, सरप्लस करके एक जगह से दूसरी जगह लगा रहे हैं। कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। पहले 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नियुक्त था, आपने 50 पर कर दिया। सीनियर और बड़ी क्लासों में तो ऐसा हो सकता है।

(श्री अमराराम)

आप, शिक्षा की जो नींव है, उसको कमजोर कर रहे हैं। इससे किसी को कोई परहेज नहीं है कि विद्यालय राजीव गांधी के नाम से खोलें या सेनिया गांधी के नाम से खोलें, या इंदिरा गांधी के नाम से खोलें। गांव का सबसे ज्यादा गरीब जो ढाणी में रहता है उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए राजीव गांधी पाठशाला के नाम से लोगों को केवल बेवकूफ बनाने का काम न करें। आपने 12 हजार प्राथमिक शालाएं खोलीं, इस साल 24 हजार खोलिए लेकिन वहां के बच्चों को 1200 रुपये में पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में केवल नाम से स्कूल खोलकर उनमें पढ़ाने की व्यवस्था नहीं करेंगे विद्यार्थियों को, जब तक विद्यालय की सुरक्षा नहीं करेंगे, गांव वालों ने 20 साल पहले भवन बना दिया लेकिन आज उसकी रिपेयर कराने वाला कोई नहीं है। आपने एक योजना निकाली है उसमें है कि 30 प्रतिशत गांव वाले सहयोग करेंगे तब जाकर उसकी रिपेयर होगी।

स्वास्थ्य के नाम से कोई योजना नहीं है। एक ही योजना का प्रचार किया जा रहा है, राजस्थान की गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों के लिए मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष योजना चालू की गई है। बहुत बढ़िया किया गया है। राजस्थान में 43 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले हैं, पौने दो करोड़ लोग हैं और इस योजना में मात्र 56 लोगों का इलाज हुआ है। क्या वित्त मंत्रीजी बतायेंगे कि राजस्थान के पौने दो करोड़ लोगों में से केवल 56 लोग ही इस बीमारी से ग्रस्त थे। गरीबी की रेखा से नीचे जो गरीब जीता है वह तो अस्पताल तक नहीं आता, वह तो झाड़–फूंक, डोरा करने वालों के पास जा रहा है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, उससे अपना इलाज करवा रहा है। राजस्थान के 39 हजार गांवों में से 20 हजार गांवों में डाक्टर, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली वे दवाइयां दे रहे हैं, झाड़–फूंक कर रहे हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं और केवल 56 आदमियों का इलाज आपने इस योजना के तहत कर दिया कि हमने पूरे गरीबों का भला कर दिया, आपके जो कार्ड हैं, पहली बात तो कार्ड नहीं और अगर कार्ड लेकर जाओ तो दवाई नहीं। स्वास्थ्य का एक्सपांशन शहर में है, प्राइवेट हास्पिटल भी होंगे, सरकारी हास्पिटल भी हैं, लेकिन गांव में जहां राजस्थान की 75 से 80 प्रतिशत जनता रहती है वहां न विद्यालय में अध्यापक है, अध्यापक की कमी होगी तो सबसे ज्यादा उस गांव में और राजस्थान में उस इलाके में होगी जो सबसे ज्यादा शिक्षा में बैकवर्ड है, वहां के विद्यालय खाली होंगे, वहां स्वास्थ्यकर्मी नहीं होंगे। सबसे बड़ा जिनको फायदा मिलना चाहिए, अगर किसी स्टाफ में कमी होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान का जो सबसे कम विकसित इलाका है, चाहे वो आदिवासी

(श्री अमराराम)

हो, चाहे जैसलमेर या बाड़मेर हो, चाहे शिक्षा में उस जिले में भी पिछड़ा हुआ हो, तो चाहे अध्यापक हो या स्वास्थ्यकर्मी हो वहां से नदारद होगा।

जहां तक आप शिक्षा की बात करते हैं, उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, कह रहे हैं अध्यापक नहीं रहते। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा के डाइरेक्टर, जिसका मुख्यालय बीकानेर में है 365 दिन में से 15 दिन भी वहां नहीं बैठता है। जब डाइरेक्टर नहीं बैठेगा, आप डाइरेक्टर को अपने कार्यालय में नहीं बैठा सकते और आप चाहते हैं राजस्थान के 39 हजार गांवों में मास्टर चला जाएगा ? जब आप डाइरेक्टर को नहीं बिठा सकते तो अध्यापक को किसी सूरत में नहीं बिठा सकते। आपने समितियां बना दीं, मुझे बता दें कि उन समितियों से कितने ट्रांसफर हो गये। जब ऊपर से आपकी इच्छा नहीं होगी, शिक्षा का डाइरेक्टर नहीं बैठेगा तो अध्यापक से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बैठ सकता है। 75 पर्सेण्ट लोग, जो गांवों में रहते हैं उनकी शिक्षा का और भट्टा बैठाने का काम किया है क्योंकि पंचायत राज में प्राथमिक शिक्षा आज तक रही है और उसका नतीजा क्या रहा है। उसका नतीजा बहुत भयंकर है, प्राइवेट स्कूल में जाएगा, लेकिन आपकी स्कूल में नहीं जाएगा। आपने मिडल स्कूल और उसमें कर दी केवल मात्र इस नजरिये से कि आपकी राजनीति चलती रहे, लेकिन जब तक गांवों में शिक्षा को राजनीति के आधार पर देखेंगे कि हमारा आधार, हमारा प्रचार वो अध्यापक करता रहे जो पंचायत राज के अंडर में है तो हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो न तो राजस्थान को आगे बढ़ा पाएंगे और न जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो बजट है वह राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता, जो गांवों में रहती है उसके विरुद्ध है, जो मजदूर है उनके विरुद्ध है, केवल तनख्वाह चुकाने का बजट है। उसमें भी आप योजनाएं नहीं करेंगे तो कर्मचारी सरप्लस होंगे। इसलिए मैं इस बजट के माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसानों पर सबसे बड़ा भार पड़ा है, सभापति महोदय, मैं उदाहरण रखना चाहता हूं केवल बजट में ही नहीं किसान ने जो नर्सरी के नाम से योजना थी उसको बंद करने की सरकार ने घोषणा की थी, 1250 रुपये इस एग्रीमेंट के साथ लिए थे कि 25 रुपये पर एच. पी., पर मंथ भरा जाएगा और चार साल में पूरा पैसा भर लिया जाएगा।

श्री सभापति : कभी आपको और मौका मिलेगा, माननीय सदस्य। समाप्त करें, अच्छा रहेगा। इसके लिए और मौके बहुत मिलेंगे आपको।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं दो ही मिनट में समाप्त करना चाहता हूं।

(श्री अमराराम)

15.2.2000 को आदेश निकाला है बिजली बोर्ड को जो किसान ने 20 हजार रुपया जमा करा दिया वो बिजली में चार साल में भरना था। अभी आदेश निकाला है कि वो पांच साल के बाद, जब यह सरकार रहेगी या नहीं, चार साल के बाद में दुबारा लेना पड़ेगा, पांच साल के बाद में भरेंगे। जो पैसा था वह किसान ने इस एग्रीमेंट के साथ दिया था, आप तो कह रहे थे हम नर्सरी समाप्त करेंगे, नर्सरी में जिसने पैसा जमा कराया 40 महीने में वापस भरना था। वो कह रहे हैं पांच साल के बाद में भरेंगे। 550 करोड़ रुपये का बिजली का किसानों पर टैक्स बढ़ाया। यह दिया हुआ पैसा भरने से मना कर दिया। पहली बार, आठ साल के बाद में मिनिमम चार्ज, जो नहीं लगता था, आप मिनिमम बिजली तो दे नहीं सकते, चार्ज लेंगे। वापस वही चार्ज जो हाईकोर्ट ने हटाया था कि जितनी बिजली देते हैं, जितना कंजम्पशन होता है उसका बिल लीजिए, मिनिमम चार्ज आप नहीं ले सकते। राजस्थान में इस फसल में कहीं भी तीन घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली, लेकिन पैसा नहीं भरेंगे, मिनिमम चार्ज लेंगे तो राजस्थान की सरकार का नजरिया किसान को लूटने का और राजस्थान के विकास को बंद करने का है। मैं समझता हूं ऐसा ही बजट चला तो राजस्थान को हम विनाश की ओर ले जाएंगे विकास की ओर नहीं ले जाएंगे। यही बात कहते हुए आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री संयम लोढ़ा। नहीं, नहीं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले वित्त मंत्रीजी को बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे मैं बजट के लिए आपको धन्यवाद नहीं दे सकता। सभापति महोदय, इस बजट में हमें देश की परिस्थितियों का ध्यान रखकर बजट बनाना चाहिए था।

आप जानते हैं 1991 में हमने आर्थिक उदारीकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया। 1992 में आई. एम. एफ. के साथ हमने समझौता किया, आई. एम. एफ. की कुछ इकोनोमिक कंडीशंस को हमने देश में लागू किया और 1993 में हमने गैट का समझौता किया। फिर डब्ल्यू. टी. ओ. की कंडीशनिलिटीज में हमने अधिकांश बातें स्वीकार कर लीं। इसका परिणाम धीरे–धीरे निकल रहा है कि हमारा देश सम्पन्न राष्ट्रों के लिए एक खुला बाजार बनेगा और खुला बाजार बनने की स्थिति में इस देश में जितने उद्योग हैं वो उद्योग किसी भी प्रकार से विदेशी उद्योगों के मुकाबले में टिक नहीं पाएंगे। आज डब्ल्यू. टी. ओ. इस बात की मांग कर रहा है कि जिन आइटम्स में सब्सिडी दी जा रही है या एग्रीकल्चर में सब्सिडाइज इनपुट्स दिये जा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहे हैं या उद्योग में किसी प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है या सहायता दी जा रही है उन सबको बंद कीजिये। नतीजा यह निकलेगा कि हम तो धीरे–धीरे बंद करते जा रहे हैं, लेकिन आज सम्पन्न राष्ट्रों में जितने भी उद्योग चल रहे हैं उनके इनपुट्स जिस प्रकार से सस्ते हैं, उसमें चाहे सब्सिडी का एलिमेंट न हो, लेकिन इनपुट्स सस्ते हैं। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि अपने यहां ब्याज की दर 11 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक है, जबकि सम्पन्न राष्ट्रों में ब्याज की दर 3 से लेकर 5 प्रतिशत तक है। यह एक इतना बड़ा इनपुट है जिस इनपुट के कारण से वहां किसी भी प्रकार का उद्योग लगाएं तो बहुत सुविधा मिलती है। आज जो बिजली का इनपुट है यह बिजली वहां सस्ती है, अपने यहां बिजली महंगी है। वहां पर तकनीकी विशेषज्ञ और तकनीक जिस प्रकार की है आज हमारे यहां पर उस प्रकार की तकनीक नहीं है। परिणामस्वरूप आप धीरे–धीरे देख लीजिए हमारे मार्केट के अंदर विदेशों का माल आएगा और उसका नतीजा यह निकलेगा कि हमारे यहां के उद्योग बंद हो जाएंगे। अभी–अभी करीब 700 आइटम्स को ओपन जनरल लाइसेंस में लिया है जिसमें राजस्थान की मार्बल इण्डस्ट्री भी है। अब राजस्थान की मार्बल इण्डस्ट्री आज इटली की इण्डस्ट्री के मुकाबले में या ईरान की इण्डस्ट्री के मुकाबले में नहीं टिक सकती। वहां दो स्थिति है। वहां का जो बढ़िया मार्बल है उसका तो मार्केट केवल विदेशों में ही होगा, पूरी कीमत दे देंगे, लेकिन जो मार्केट खराब मार्बल का है वो सारा का सारा हिन्दुस्तान में डम्प किया जाएगा। वह सस्ता होगा और हमारी मार्बल इण्डस्ट्री में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है उसमें काफी संख्या में मजदूर लगे हुए हैं वो धीरे–धीरे बेकार हो जाएंगे। आज की स्थिति में हमें व्यवस्था यह करनी पड़ेगी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे यहां जो एडवर्स इम्पैक्ट होगा उस एडवर्स इम्पैक्ट को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। मैंने इस बजट को देखा है, दुर्भाग्य से इस आस्पेक्ट के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है। और उसका परिणाम आप अब भी देखते जा रहे हैं। सारे हिन्दुस्तान में 50 से 60 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये, राजस्थान में भी 60 प्रतिशत उद्योग आज रूग्णावस्था में चल रहे हैं, चाहे भिवाड़ी देख लें, आबू रोड चले जाएं, अलवर चले जाएं, जयपुर चले जाएं, जोधपुर चले जाएं, कोटा चले जाएं, बड़ी इण्डस्ट्रीज भी बंद हो रही हैं और छोटी इण्डस्ट्रीज भी बंद होती जा रही हैं। उसका परिणाम, बेकारी बढ़ रही है। और आज इस बेकारी की समस्या में, आज मैं आपको कह सकता हूं जब विदेशी कई बार या हमारे कई बड़े–बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें अमेरिकन फिलासोफी के ऊपर चलना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता अमेरिका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की पापुलेशन कुल मिलाकर 30 करोड़ है, हिन्दुस्तान की पापुलेशन सौ करोड़ हैं। 30 करोड़ के लिए जो फार्मूला फिट हो सकता है वह सौ करोड़ के लिए फार्मूला फिट नहीं हो सकता। और आज यह भी कहूंगा, आज नहीं लेकिन दो वर्ष के बाद में लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस सारे वैश्वीकरण के कारण से हिन्दुस्तान का यदि कोई भला भी होगा तो 28 से 30 प्रतिशत आदमी इसका लाभ उठा पायेंगे। जैसे धोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गांवों में रहने वाला व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या बेकार, उनको इससे किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, इस बजट में अब से ही आपको शुरू करना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन के एडवर्स इम्पैक्ट रोकने के लिए हम किस प्रकार की कार्यवाही करें, मेरी समझ में यह कार्यवाही वही हो सकती है कि हम इस ह्यूमन रिसोर्सेज डवलप करने के लिए जितनी भी कार्यवाही कर सकते हैं वह निश्चित रूप से करें। आज एक चीज से हम बच सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट जितना होगा उतना ही इस देश के अंदर इस सारी समस्या का समाधान करने की हमारी स्वतः ही ताकत बढ़ेगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में जितनी भी इण्डस्ट्रीज बंद पड़ी हैं उन इण्डस्ट्रीज का रिवाइव किस प्रकार से किया जाए, इस संबंध में अब आप गैट का या डब्ल्यू. टी. ओ. का फार्मूला लेकर आएंगे तो इसमें यह होगा कि सैल्स टैक्स में कोई रियायत नहीं दी जा सकती, बिजली में इनको कोई रियायत नहीं दी जा सकती, अब आप थोड़ा–सा अंदाज इतना लगा लें कि सैल्स टैक्स में हम रियायत दें या बिजली में हम रियायत दें या और किसी प्रकार की रियायत दें, कंडीशनल दें, एक वर्ष के लिए, दो वर्ष के लिए इनको रिवाइव करने के लिए दें लेकिन यह रिवाइव हो जाते हैं तो कितने आदमियों के पेट की रोटी का इंतजाम होता है। उन दोनों का केलकुलेशन लगाकर यदि आपको लगता है कि इसमें इतने आदमियों को रोजगार मिलेगा और रोजगार जितने आदमियों को देना चाहते हैं उसमें इतना एक्सपेंडीचर होता, उस एक्सपेंडीचर से कम एक्सपेंडीचर में इन फैक्ट्रीज को हम रिवाइव कर सकते हैं तो उस प्रकार की स्थिति निश्चित रूप से लानी चाहिए

(13:53)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वरना मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान ही नहीं पूरा देश भयंकर संकट के जाल में फंसा हुआ है। इस जाल से निकालने की व्यवस्था यदि आपने नहीं की और बेकारी बढ़ गयी तो आप यह मानकर चलिये कि देश में अराजकता बढ़ेगी और अराजकता का लाभ हमको मिलने वाला नहीं है, हमारा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देश इससे तबाह होगा इसलिए इस आधार पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर हमने कई बार यह व्यवस्था की है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट किस प्रकार से बनाया जाए। इस सरकार ने हमारी आलोचना बहुत की और आलोचना इस बात की की, वह मैं आगे आऊंगा कि इतना कर्जा लिया और इतना कर्जा नहीं लिया लेकिन मैं आपको संक्षेप में कह सकता हूं जितना कर्जा हमने लिया है वह राजस्थान का ह्यूमन रिसोर्सेज डवलप किस प्रकार से किया जाए उसमें खर्च किया है और उसके परिणाम निकले हैं जो मैं आपको बता देता हूं। साक्षरता का प्रतिशत 1991 में 38 था, केवल 38 प्रतिशत, आज 60 है और मैं समझता हूं कि 2001 में जब सारी जनगणना होगी तो उसके अंदर यह 61 हो जाएगा। ऐसे संकेत हैं। आज 38 से 61 प्रतिशत, 23 प्रतिशत की वृद्धि न तो हिन्दुस्तान के किसी राज्य में हुई है और न राजस्थान में किसी समय में हुई है। 23 प्रतिशत की वृद्धि होना यह ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट का एक बहुत बड़ा संकेत है और इसलिए मैं मानता हूं कि अगर एजुकेशन के पाइंट ऑफ व्यू से राजस्थान की सरकार यह तय करे कि कम्पलसरी एजुकेशन करेंगे, आपने राजीव पाठशालाएं खोलीं और खोलने का भी आपका इरादा है। मैं समझता हूं हमको, सबको प्रयास करके कोशिश करनी पड़ेगी कि इस एक विषय के ऊपर जितना भी ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वह इन्वेस्टमेंट कंट्री के हित में होगा और इस इन्वेस्टमेंट के लिए जितना आप हमसे समर्थन चाहोगे निश्चित रूप से हम समर्थन करेंगे ताकि राजस्थान का एक कलंक किसी प्रकार से मिट जाए। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि जहां 38 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत पर चले गये, वहां आप आश्चर्य करेंगे कि महिला शिक्षा में भी 24 प्रतिशत से बढ़कर 45 पर चले गये, 21 प्रतिशत की वृद्धि इसमें हुई है। यह मामूली वृद्धि नहीं है और इसी प्रकार से गरीबी उन्मूलन में जहां 38 प्रतिशत, 1991 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 38 था वह घटकर 27 हुआ। यह इस कारण से हुआ कि ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट की जो सरकार चिंता करेगी, वह इस ग्लोबलाइजेशन की जो प्राब्लम्स आने वाली हैं उसको मीट कर सकती है वरना नहीं कर पायेगी। इसी प्रकार से मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की प्रशंसा भी की है कि हमने जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत घटाने के जो एफर्ट्स किये हैं, वह ठीक किये। लेकिन आपको सुनकर खुशी होगी कि यह प्रतिशत 29.82 से घटकर 17.11 प्रतिशत आया है, केवल हमने पंचायत व म्युनिसिपैलिटीज में लागू किया है लेकिन इसका असर सारी जनता पर हुआ है। मेरी यह मान्यता है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतना ही प्रतिशत जनसंख्या का घटेगा और इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ शिक्षा के ऊपर हम जितना दबाव डालेंगे उतना उसका परिणाम कई क्षेत्रों में हमको मिलेगा और खास तौर से जनसंख्या वृद्धि को रोकने में हमें उससे निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय यह बढ़ाना बहुत आवश्यक है, प्रति व्यक्ति आय 3241 रुपये से बढ़कर 9356 रुपये हो गई। जब मैंने चार्ज लिया था उस समय 3241 रुपये थी 9356 रुपये हो गयी। आठवीं योजना में प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन 903 रुपये से बढ़कर 2614 रुपये हो गया। अब यह सारा दिखता तो यों है लेकिन इसके कारण से इकोनोमी जनरेट होती है, आदमी का कॉनफ्लुएंस बनता है, सरकार को साधन मिलते हैं और उन साधनों के आधार पर हम राजस्थान को आगे ले जा सकते हैं और राजस्थान को आगे ले जाने के लिए सबसे आवश्यक चीज है, हम ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर सकें, वह खर्च करें। हो सकता है कि इस सारे मामले में हमें साधनों की कई बार कमी आए लेकिन जो साधन हम लें उन साधनों का उपयोग केवल इसी दृष्टि से अगर किया जाए कि हमारे ये टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को हम पूरा करेंगे, आज 60 प्रतिशत चले गये, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी को इस समय कहना चाहिए था कि अगले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में तो जनगणना होती है, लेकिन अगले 5 वर्षों में साक्षरता बढ़ाकर इस जगह ले जाएंगे। वित्त मंत्रीजी को यह कहना चाहिए था कि पर–कैपिटा इनकम हम इस सीमा से लेकर इतने वर्षों में पर–कैपिटा इनकम इतनी बढ़ा देंगे। यह भी कहना चाहिए था कि राजस्थान की जनसंख्या में जो कमी है, उस बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रतिशत हम इस जगह तक गिरा देंगे। यदि इन चारों, पांचों बातों को आधार मानकर आप बजट बनाते तो निश्चित रूप से राजस्थान का भारी विकास होता, वरना राजस्थान उन राज्यों में है, मुख्य मंत्रीजी, आप भी जानते हैं; कई कांफ्रेंसेज में जाते हैं, राजस्थान बिलकुल लैण्ड लाक्ड स्टेट है, राजस्थान में कोई समुद्र नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। और ऐसी स्थिति में ग्लोबलाइजेशन में एक प्राब्लम और आयेगी जो आ भी गयी है, कि आज कोई भी इण्डस्ट्रीज के बारे में भारत सरकार या राजस्थान की सरकार यह नहीं कह सकती कि आप उस क्षेत्र में जाकर इण्डस्ट्रीज लगाइये, वह अपनी मर्जी से इण्डस्ट्रीज लगाएगा किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता। आज यह एन. बी. सी. और सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री या कोटा की मिलें, यह सब इसलिए लगी थी कि भारत सरकार लाइसेंस देती थी कि अमुक स्थान पर ले जाकर इण्डस्ट्रीज लगाइये और इसके कारण से बड़ी–बड़ी इण्डस्ट्रीज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान में आ गयीं लेकिन आज वह व्यवस्था नहीं है। आज तो जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया होगा वहां पर यह इण्डस्ट्रीज जायेंगी। दुर्भाग्य से इन्फ्रास्ट्रक्चर के पाइंट आफ व्यू से हम बहुत कमजोर हैं। इसलिए आप मानकर चलिये कि जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर राजस्थान का डवलप नहीं होगा, उस समय तक यह राजस्थान इण्डस्ट्रिलाइजेशन हो जाए या राजस्थान में बड़ी इण्डस्ट्रीज आ जाएं जिसका सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने देखा होगा कि मिनी सीमेंट प्लांट लगे थे, सौ के करीब मिनी सीमेंट प्लांट बंद हो गये। उसी प्रकार से ग्रेनाइट की फैक्ट्री लगी थी और यह ग्रेनाइट की फैक्ट्री आज से ही नहीं लगी, मुझे मालूम है 1955 में मैं जालौर गया था पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के मैम्बर के नाते, उस समय ग्रेनाइट पर काम शुरू हुआ था। ग्रेनाइट पनप गया, ग्रेनाइट का उपयोग शुरू हो गया, आज ग्रेनाइट की सारी इण्डस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। ये शनैः शनैः बंद हो गयीं और बड़ी इण्डस्ट्री आयी नहीं तो राजस्थान का क्या हाल होगा, इसका आप अंदाज लगा लें। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान का बजट इस आधार पर बनाया जाए कि यह हमारे टार्गेट्स हैं पांच वर्ष के, टार्गेट्स को हम पूरा करेंगे। टार्गेट्स आपके घोषणा पत्र में भी नहीं हैं कि जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से रोकेंगे, साक्षरता का प्रतिशत कितना बढ़ेगा, बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रतिशत कितना गिरेगा। यह उसमें भी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में खास तौर से इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जो इसमें नहीं रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि हमने जितना कर्जा लिया उस कर्जे में एक एलिमेंट और था कि जो सक्षम आदमी नहीं है उसको सक्षम बनाने के लिए सरकार से किस प्रकार की सहायता दी जाए है तो रिपीटेशन, लेकिन मैं यहां इस सन्दर्भ में जानकारी देना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले किसानों की ऋण माफी की 326 करोड़ की। यह केवल इसलिए की थी कि आज किसान उत्पादन के लिए जितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जितनी सेविंग कर सकते थे, किसान सेविंग करने लगे। खेत में इन्वेस्टमेंट करे और इस कारण से उपज बढ़े तो देश की समस्या का समाधान हो सकता है। तकाबी ऋण की माफी की, बारानी कृषि भूमि में लगान माफ किया। स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई में 101 करोड़ का अनुदान दिया। शायद झुन्झुनूं जिले के माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, मुझे मालूम है कि आज के 4 वर्ष पहले मैं चिड़ावा से बुहाना गया था। उस सड़क पर चलने का तो सवाल ही नहीं, सड़क का पता लगाना भी कठिन था। टीलों से सारी सड़क दबी हुई थी। वहां

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया था। लेकिन जब से स्प्रिंकलर्स चालू किये, टीला चाहे कितना ही ऊंचा हो, कोई उसके लेवलिंग की जरूरत नहीं है, एक ट्यूबवैल बनाया और उससे सिंचाई की। लोगों की खेती होनी शुरू हो गयी, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी और उस क्षेत्र का नक्शा बदल गया। सभी जगह राजस्थान कैनाल नहीं जा सकती, सभी जगह चम्बल कैनाल नहीं जा सकती। जहां जिस प्रकार के साधन हैं, यदि हम उन साधनों का सही ढंग से उपयोग करें तो टीलों को भी हरा बना सकते हैं और गरीब को भी इस प्रकार की स्थिति में ला सकते हैं कि वह गरीब किसी प्रकार से कोई गरीबी महसूस नहीं करे।

आपने इसमें ड्रिप इर्रिगेशन की बात कही है। मैं उसका स्वागत करता हूं कि ड्रिप इर्रिगेशन स्प्रिंकलर के बाद अगर कोई इर्रिगेशन आ सकता है तो ड्रिप इर्रिगेशन है जो पानी के कंजर्वेशन के लिए और पानी के ज्यादा से ज्यादा अच्छे उपयोग के लिए आवश्यक है। लेकिन ड्रिप इर्रिगेशन बहुत कोस्टली है, स्प्रिंकलर्स का इर्रिगेशन ज्यादा कोस्टली नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपने जो ड्रिप इर्रिगेशन की स्कीम बनायी है, हमारा इससे कोई विरोध नहीं है लेकिन इसको व्यापक स्तर पर ले जाएं ताकि पानी का जो संकट है, आज पानी का संकट आपको दिखता नहीं है लेकिन मैंने ऐसी रिपोर्ट देखी है कि जिन रिपोर्ट्स में 11 वर्ष में पूरे राजस्थान में पानी का संकट आएगा और उस संकट का समाधान हमें आज से ढूंढ़ना पड़ेगा कि पानी को हम किस प्रकार से कन्जर्व कर सकते हैं, पानी को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं और कम से कम पानी से ज्यादा उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। उस आधार पर हम चिंता करें और इसीलिए हमने स्प्रिंकलर्स के लिए अनुदान देकर एक वातावरण पैदा कर दिया। आज कोई भी खेती करना चाहेगा टीले में, तो निश्चित रूप से वह स्प्रिंकलर्स के आधार पर चलेगा।

इसी प्रकार से सिंचाई के कुओं के निर्माण के लिए हमने पैसा दिया। कृषि यंत्र अनुदान 8 करोड़ 50 लाख का दिया। भूमि विकास बैंक से किसानों को ऋण दिलवाया 50 करोड़ का। डिग्गी निर्माण के लिए 2 करोड़ 62 लाख दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कृषि क्षेत्र का आ गया। लेकिन उद्योगों में पूंजी विनियोजन में 362 करोड़ का अनुदान दिया। उद्योगों को डी. जी. सैट्स 7.50 करोड़ का दिया, उद्योगों को बिक्री कर प्रोत्साहन का 464 करोड़ रुपये दिया। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को 26 करोड़ दिया और पंजीयन मुद्रांक और भूमि व भवन कर में कुछ रियायतें देकर उद्योग पनपाने की कोशिश की है। सरकारी क्षेत्र में सहायता और अनुदान 73 करोड़ का दिया। कुओं में ऊर्जाकरण हेतु

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

182 करोड़ का दिया। मंत्री महोदय कई बार कहते हैं कि मैं हर महीने 30 करोड़ रुपये खर्च करता हूं तब जाकर मैं बिजली की समस्या का समाधान कर पाता हूं। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कृषि क्षेत्र को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 4672 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है। अब आप तो 4672 करोड़ रुपये पांच वर्ष में पहुंचेंगे। हमने पूरा खर्च किया केवल इसलिए कि महंगे भाव की बिजली लेकर किसान को हम सस्ते भाव पर दें। हालांकि चुनाव के दिनों में आपने यह बात जरूर कही थी। चुनाव के दिनों में यह बात कही कि राजस्थान में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। मुख्य-मंत्रीजी, आपको याद होगा क्योंकि आपने तो उस घोषणा पत्र को बाइबिल की तरह से याद कर रखा है। उस घोषणा पत्र में लिखा है, पेज एक पर लिखा है कि हम 27 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं और फिर जो आपने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं में लिखा है कि हमारे राज के अंदर जिस भाव से बिजली मिलती थी वह बिजली उसी भाव से मिलेगी। आप चाहे तो मैं आपको यह पढ़कर सुना दूं ताकि आपको यह जानकारी मिल जाए। यह है–कांग्रेस के शासन में एक कुएं पर पांच हार्स पावर कनेक्शन के लिए पांच खम्बे निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाते थे तथा 37 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थी। अब आगे आपने लिखा है कि इसके अतिरिक्त पूर्व में कांग्रेस के शासन में बिजली के सम्बन्ध में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं को पुनः प्रारंभ किया जाए। अब आप बतायें, वोट तो आपने ले लिये, इसमें तो कोई सन्देह नहीं और वोट लेने के बाद में आप बार–बार कहते भी हैं कि मैंने घोषणा पत्र की सभी बातें पूरी कर दीं। यह हो सकता है कि आपने कई कमीशन बना दिये हैं। आपने महिला आयोग बना दिया, आपने बैकवर्ड क्लासेज का कमीशन बना दिया, आपने शिड्यूल्ड कास्ट का कमीशन बना दिया, आपने माइनोरिटी का कमीशन बना दिया। सारे कमीशन बना दिये। कमीशन बना देने से इन समस्याओं का समाधान हो गया क्या ? जो 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली किसानों को देने का आपने वादा किया था इसका समाधान बैकवर्ड क्लासेज कमीशन कर देगा या महिला आयोग उसका समाधान कर देगा, या और कोई समाधान कर देगा ? वह नहीं करेगा। लेकिन आपने वायदा किया था इसलिए मैंने यहां इसका उल्लेख किया है। हमने इन सारी चीज को बिना वादा किये किया। मैं समझता था कि कृषि का उत्पादन यदि राजस्थान में बढ़ाना है तो इसके इनपुट्स को सस्ता करना पड़ेगा और इनपुट्स में सबसे बड़ा इनपुट जिसमें नये–नये क्षेत्र खेती में लिये जाएंगे वह बिजली का है और इस दृष्टि से 4854

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उम्र हो गयी और अगर वह सर्टिफाई कर दे कि मेरे बच्चे तो हैं लेकिन मुझे वह सहायता नहीं करते, मैं भूखा मरता हूं। वह एक सर्टिफिकेट दे दे और सर्टिफिकेट देने के बाद में उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले सारे राजस्थान में आपने कैम्प्स लगाये, विशेष कैम्प्स लगे और कैम्प्स के अंदर लोगों की एप्लीकेशंस लीं। एप्लीकेशंस देने के बाद सबको सर्टिफिकेट मिले। सबने सर्टिफिकेट सरपंच से ले लिये और वह सर्टिफिकेट ले जाकर दे दिया कि इसके बच्चे इसकी सहायता नहीं करते, इसलिए उनकी मदद की जाए। आज मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रकार की एप्लीकेशन 96,000 आपके पास पड़ी हैं और उनको आप पैसा नहीं दे रहे हो। 30,000 तो अकेले बाड़मेर जिले में हैं। (व्यवधान) वह दूसरी बात है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सारे विषय पर, जिस समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं पेंशन का भुगतान पूरा नहीं कर पाया। मैं समझता हूं कि आप और किसी का भुगतान रोक लेते, लेकिन पेंशन का भुगतान नहीं किया जाए, इससे बड़ी सरकार के लिए और कोई शर्म की बात नहीं हो सकती, वह आपने किया...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारे नेता प्रतिपक्ष खुद कह रहे हैं कि जो पेंशन का सर्वे हुआ, उसमें लोगों ने गलत सर्टिफिकेट दे दिये और इसके कारण से उनकी संख्या बढ़ गई...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैंने नहीं कहा था।

श्री अशोक गहलोत : ... तो मैं भी चाहूंगा, सदन के माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि कोई गलत नाम लिखवा दे, उनको भी पेंशन मिल जाए। हमारा उद्देश्य अच्छा था इसलिए हमने तमाम राजस्थान में यह निर्देश दिये थे कि सर्वे होना चाहिए कि एक भी आदमी नहीं बचे। विकलांग हैं, विधवा बहिनें हैं, या कोई वृद्ध है, अब अगर मान लीजिये सर्वे गलत हुआ है तो उसको ठीक कराना हमारा फर्ज बनता है। जहां तक विकलांग और विधवाओं का सवाल है, उसको हमने रिलीज कर दिया है, यह मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने कभी नहीं कहा कि सर्टिफिकेट गलत दिये गये। सर्टिफिकेट कोई गांव के आदमियों ने नहीं दिये या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिये। आपके सरकारी तंत्र ने दिये। सरकारी तंत्र उन कैम्प्स में बैठा था। बड़े से बड़ा अधिकारी उन कैम्प्स में जाता था। कैम्प्स में आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन लेकर उन्होंने स्वीकृत किया...

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करोड़ रुपये हमने बिजली के खाते में यह भुगते और भुगत कर किसानों को सहायता दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राजलक्ष्मी बॉण्ड योजना में 9.71 करोड़ रुपये की हमने व्यवस्था की। यह व्यवस्था इसलिए की कि जिनके बच्चियां ही बच्चियां होती थीं, लोगों के दिमाग में कई बार यह होती है, खेतसिंह जी के भी है और मेरे भी है कि हमारे एक–एक लड़की ही है, इच्छा हमारी भी होती है कि हमारे एक–एक लड़का होता और उसके लिए यदि कोशिश करें और फिर लड़की हो जाए तो सारी प्रेक्टिस...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब वह उम्र गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी नहीं कह रहा हूं। अपनी नहीं, लेकिन कोई दूसरे हों...

मोहम्मद माहिर आजाद : रामस्वरूपजी के लिए कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं रामस्वरूपजी की भी नहीं कह रहा हूं। रामस्वरूपजी को हाथ जोड़ता हूं कि मुझे बोलने दें। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि यह लोगों की इच्छा रहती है, मनोवृत्ति है कि लड़का नहीं हुआ तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सीधे नरक में जाएंगे। इसलिए लड़के लिए अटेम्प्ट करते हैं। दो लड़कियां हो गयीं तो हमने यह देखा कि दो लड़कियों के बाद में इस प्रकार अब अटेम्प्ट नहीं हो तो राजलक्ष्मी बॉण्ड योजना चालू की। मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें जिस तरह जन सहयोग मिलना चाहिए था वह मिला और यदि इसको व्यापक स्तर पर चलायें तो इससे हमारे दो तीन संकट दूर हो जाएंगे। यहां मुख्य मंत्रीजी, मैं इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूं, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि राज्य सरकार पर पेंशन का भार जबरदस्त आ रहा है। जबरदस्त आ रहा है। मैंने इस पर विचार किया। इसी राजलक्ष्मी बॉण्ड योजना के आधार पर नये रिक्रूट्स के लिए हम पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें राज्य सरकार का खर्चा बचेगा और अगले को पूरी पेंशन मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। यह भार जबरदस्त है इस पेंशन का। इस पेंशन के भार को हम भविष्य में कम कर सकें इसके बारे में हमको चिंता करनी चाहिए।

वृद्धावस्था, विकलांगों और विधवाओं को 176 करोड़ रुपये की राशि दी। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण हेतु 80 करोड़ रुपये की हमने सहायता दी। अब यह सहायता इसलिए दी कि हम वायदा करके नहीं गये कि हम यह करेंगे। जैसा कि आपने पिछली बार वादा किया बजट स्पीच में, कि हम इतनी विधवाओं को पेंशन देंगे, इतने वृद्धों को पेंशन देंगे और यहां तक लिख गये कि 65 वर्ष से जिसकी ज्यादा

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तंत्र तो आप ही छोड़कर गये हैं, वही हमारे पास है। हमने क्या नया किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि यह बात आपने सही कही कि वह तंत्र आपसे सुधरा नहीं है, इसका मतलब यह है ? नहीं सुधरा ना ? ये एग्री करते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो आप ऐसा बिगाड़ कर गये हो, वह तो आसानी से कोई सुधार नहीं सकता। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह मानकर चलिये कि अगर वह तंत्र इस प्रकार का बिगड़ा हुआ है तो आपके तंत्र और मंत्र दोनों को लोग खराब कर देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है।

लेकिन मैं यह कहता हूं कि घोषणा की गई। इस घोषणा के पीछे एक चाल थी। उस समय लोक सभा के चुनाव होने वाले थे। लोगों को ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से खुश किया जाए, और खुश करने के लिए आपने घोषणा कर दी। अब वह घोषणा करने का नतीजा यह है कि लोग अर्जी लेकर बैठे हैं। अब मेरे पास लोग अर्जी लेकर आये कि साहब, हमने पेंशन का फार्म भरा था और उसको सर्टिफाई किया था, वह मिल नहीं रही है। मैंने करीब–करीब सारे जिलों से फिगर्स लिये और लेने के बाद में, गलत हो सकता हूं लेकिन जो आपके सामने फिगर्स बताई हैं, वह सही है। मैं मुख्य मंत्रीजी, यह चाहूंगा कि अगर गलत सर्टिफिकेट दिये हैं तो सर्टिफिकेट देने वाले अधिकारी के खिलाफ आप एक्शन लो। आप बार–बार यह कहते हैं कि मैं एक्शन लेऊंगा तो जिन लोगों की इच्छा उन्होंने जागृत की, झूठे सर्टिफिकेट उनके लिए और लेने के बाद में सरकार को, कलेक्टर को लिखा कि हमने इतने पेंशन के मामले तय किये हैं और पेंशन के मामले उस प्रकार से आने चाहिए और नहीं आते हैं, तो इसके अंदर सरकार ने उस समय राजनैतिक आधार पर लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की घोषणा कर दी और उस घोषणा को लागू नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिक्री कर, दो वर्ष के अंदर जितना बिक्री कर लगा है, वह तो मैं आगे बताऊंगा लेकिन एक बात और आपको कहना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी, जिस समय मैंने चार्ज लिया था, थोड़ा करेक्शन के लिए गुंजाइश है, आप बता दें, उस समय 800 करोड़ रुपये सैल्स टैक्स से आते थे। केवल 800 करोड़ रुपये। और जिस समय मैंने सरकार छोड़ी है, उस समय सैल्स टैक्स से इन्कम होती थी 2200 करोड़ रुपये की। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सैल्स टैक्स में मैंने 1130 करोड़ की रियायतें दीं और सैल्स टैक्स बढ़ाया नहीं, यह क्या जादू है ? मैं जादू नहीं करना चाह रहा हूं, मैं लोगों में विश्वसनीयता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पैदा करना चाहता हूं। इंस्पेक्टर राज चला गया, हमने खतम किया। लोग खुद ही किस तरह से वह टैक्स जमा करा सके, उससे मैं देख रहा था और सारी दुनिया का एक माना हुआ प्रिंसिपल है कि जितना आप सैल्स टैक्स लगायेंगे उतनी ही चोरी होगी, जितना टैक्स कम होगा, लोग भुगतान करेंगे। 2200 करोड़ की जगह आज आप 2500 करोड़ रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, कितना टैक्स आपने लगाया पिछले दो वर्षों में, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं फिर आपको सावधान कर जाता हूं कि राजस्थान में इस आर्थिक संकट में जब तक आप टैक्स की प्रणाली को इस प्रकार की नहीं बनायेंगे, जिसमें लोगों में टैक्स चोरी करने की बजाय टैक्स जमा कराने में ही अपना गौरव समझे, उस प्रकार का जब तक वातावरण नहीं बनायेंगे, तब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी और हमेशा हम घाटे की अर्थव्यवस्था में ही चलते रहेंगे। यह मैंने आपको इसलिए बताया था, मैंने जैसा कहा कि ग्लोबलाइजेशन के मामले में, और शुरू से मेरे दिमाग में इस बात की चिंता थी कि यह हमारे देश के लिए संकट पैदा करेगा। इस संकट का समाधान करना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमें डवलप करना चाहिए और उसके बिना यह कोई काम नहीं होगा, उसी दृष्टि से ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर विचार कर रहे हैं कि राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब से प्लांड इकोनोमी शुरू हुई है और जब से राजस्थान का प्लान बनने लगा है, उस समय से लेकर आज तक कोई बजट ऐसा पेश नहीं हुआ है, जिसमें उस साल के बजट प्लान के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं हो। आज आप हमारी आलोचना कर सकते हैं कि हमने प्लान बनाया। आपने प्लान बनाया 5022 करोड़ रुपये का और प्लान था 4700 करोड़ रुपये का। मुझे याद है जिस समय यहां पर चंदन मलजी घोषणा कर रहे थे कि हम 4700 करोड़ रुपये से हम अपना प्लान 5022 करोड़ पर ले जाएंगे, उस समय मैंने पूछा था कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, तो उन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज के लिए उन्होंने बताया कि हम ए. आर. एम., 97–98 का, उसमें हमारा कम्पोनेंट 750 करोड़ रुपये होगा कुल मिलाकर, 750 करोड़ रुपये का ए. आर. एम.। अब मैं ए. आर. एम. के बारे में पूछना चाहता हूं कि 4700 करोड़ को आप 5022 करोड़ पर ले गये। 4700 करोड़ का प्लान आपने प्लानिंग कमीशन से मंजूर कराया और यह प्लान आपने अपनी मर्जी से बढ़ा दिया। मर्जी से बढ़ा दिया तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी कि उस प्लान के लिए रिसोर्सेज को तय किये बिना ही वह 5022 करोड़ तक ले गये। रिसोर्सेज आपने तय किये नहीं और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यहां पर पूछा तो जवाब दिया गया कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हम प्लानिंग कमीशन के सामने गये, उस समय हमारे पास 4700 करोड़ तक के ही थे, लेकिन अब हमने व्यवस्था की है कि 5022 करोड़ रुपये का प्लान बना सकें। अब 5022 करोड़ रुपये के प्लान में से आपने 1200 करोड़ की कमी कर दी, वह 3800 करोड़ पर चला गया और हिसाब लगाकर देखा, अभी गुलाब चन्दजी कटारिया कह रहे थे कि सारे प्लान का खर्चा 3000 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ है। बाकी आपने जो जोड़े हैं तो पहले मेरी आपने आलोचना की थी कि मैंने उसके पहले वाले बजट में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 707 करोड़ रुपये, इक्विटी पार्टिशिपेशन के नाते, उसके प्लान में शामिल कर दिया। अब आपने क्या किया है ? आपने तो 3100 करोड़ से लगाकर 3800 करोड़ तक सारा जितना रुपया है, वह कहीं न कहीं, किसी न किसी कारपोरेशन का, किसी कम्पनी का, किसी बोर्ड का, किसी डाइरेक्ट्रेट का, किसी और का, यह सारा रुपया शामिल करके आज आप कह सकते हैं कि हमने 3800 करोड़ रुपये खर्च किये तो इस प्रकार के प्लान से काम नहीं चलेगा। मैं आज कह सकता हूं दम भरकर कि उस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना केवल 3000 करोड़ की थी, 3000 करोड़ की योजना मैंने आठवीं पंचवर्षीय योजना 11500 करोड़ की बनाई और मुझे खुशी है यह कहते हुए कि 11500 करोड़ की योजना से ज्यादा खर्चा किया और उसके लिए जितना ए. आर. एम. इकट्ठा करना था, कमिटेड ए. आर. एम., वह हमने पूरा किया और इसको प्लानिंग कमीशन ने एप्रिशिएट किया। मैं आज आपको कह सकता हूं कि अगली योजना हमारी 27000 करोड़ की बनाई थी। वह योजना भी किसी प्रकार से राजस्थान के लिए ज्यादा हो, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं आज ऐसा मानता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति है, उस स्थिति में 27500 करोड़ की योजना ही नहीं, यदि 35000 करोड़ की योजना बने, वह ठीक है और 35000 करोड़ की योजना के लिए राजस्थान में कोई साधन जुटाना, यह मुश्किल नहीं है, साधन जुटाये जा सकते हैं लेकिन साधन जुटाने की व्यवस्था है, हम केवल साधन यह समझें कि टैक्स लगाकर ही साधन जुटाये जा सकते हैं तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। आपने दो काम किये साधन जुटाने के लिए, हमने उसको एप्रिशिएट किया। आप कहने लगे कि राजस्थान कैनाल की जितनी भी जमीन पड़ी है, उसको बेचेंगे, 200 करोड़ रुपये हमको इससे मिलेंगे। आपको केवल 120 करोड़ रुपये मिले। आपने यह भी कहा था कि शहरों में जितने लैंड कंवर्जन के मामले हैं, उन मामलों को तय करके 100 करोड़ रुपये की हम इन्कम करेंगे, आपकी उसमें भी कमी रही। मैं ऐसा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समझता हूं कि नोन टैक्स रेवेन्यू किस प्रकार से बढ़े, उसके लिए आपने दो कदम उठाये और दुर्भाग्य से दोनों में आप फैल हो गये और फैल इसलिए हुए कि आपकी नीयत साफ नहीं थी, आपकी नीतियां गलत थीं। राजस्थान कैनाल की जमीन अलाटमेंट करने का आपका जो तरीका था, गांव वाले भी चाहते हैं कि जिस गांव में वे रह रहे हैं, जिन टीलों में, रेगिस्तान में वर्षों से रह रहे हैं, वहां से कैनाल निकलती है तो उस कैनाल का पानी उनके खेत को भी मिले और उनको जमीन अलॉट की जाए ताकि वे लोग भी, जो अब तक रेगिस्तान का अभिशाप भुगतते आये हैं, उस अभिशाप से उनको मुक्ति मिले, उनको भी आनन्द आये। लेकिन आपने जो जनरल अलॉटमेंट है उसको कम किया, स्पेशल अलाटमेंट को आपने ज्यादा बढ़ाया और स्पेशल अलॉटमेंट में जो ज्यादा कीमत दे वह मालिक होगा। और कीमत के बारे में पहली बार मैंने सुना कि आपने रूल्स बनाये, कमलाजी यहां नहीं हैं, आपने रूल्स इस बात के बनाये कि इसमें टेण्डर आएंगे, कि इस जमीन के ऊपर जो ज्यादा टेण्डर देगा, टेण्डर की बोली होगी और उसके आधार पर जिस आदमी के ज्यादा पैसे होंगे उसको आपने जमीन दी। इसका मतलब न तो आपने गांव के लोगों का, जो पुश्तैनी तौर से रेगिस्तान में बैठे थे, जो राजस्थान कैनाल को भगवान के रूप में मान रहे थे उनको उस जमीन पर, वहां पर तो नहीं रखा और जमीन देने के लिए आपने उस तरह की व्यवस्था की। लेकिन मैंने कहा है, यह नॉन टैक्स रेवेन्यू, इस प्रकार के और कई रिसोर्सेज हम निकाल सकते हैं। इसलिए इस प्लान में, साढ़े सत्ताइस करोड़ का प्लान मैं आज कह कर जाता हूं, बीस हजार से कम हो जाएगा और बीस हजार से कम होगा तो आप यह मानकर चलिये कि राजस्थान का डवलपमेंट प्लान से नहीं हो सकता, कमिटेड एक्सपेंडीचर हम पूरा करेंगे, एडिशनल कोई डवलपमेंट का काम नहीं ले सकते। इसलिए मैं आपको फिर कहता हूं कि आप यह मत समझिये, मेरी यह आलोचना कर दें कि प्लान साइज तो बहुत बढ़ा दी और उसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज नहीं किये। एडिशनल रिसोर्सेज किये हैं, लेकिन जैसा आपने कहा और मैं मानता हूं, सारे देश में एक संकट आया और संकट आया पे–कमीशन के कारण। वह संकट मेरे कारण से नहीं आया। पे–कमीशन के सम्बन्ध में, माथुर साहब यहां नहीं हैं, सारे पूर्व मुख्य मंत्रियों ने पे–कमीशन को मान्यता दी, पे–कमीशन की रिकमंडेशन को मानने के लिए कमिटमेंट किया और उसी का रिजल्ट यह है कि जब भी पे–कमीशन की रिपोर्ट आती है, राज्य सरकार उस संदर्भ में अपने क्षेत्र के जितने एम्प्लाइज हैं उनको पे–कमीशन का लाभ देती है। पहले भी दिया, मैंने भी दिया। उसके कारण से संकट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आया। मैं उसको मानता हूं कि यह संकट ऐसा था जिस संकट का समाधान तुरंत नहीं हो सकता था। हमने किसी न किसी तरीके से उसका समाधान किया और समाधान करने के बाद मैं आज यह कह सकता हूं कि आज की स्थिति में आज कोई प्लान साइज को छोटा करने की बात सोचता है, मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको बता सकूंगा कि और अतिरिक्त साधन, नॉन टैक्स रेवेन्यू किस प्रकार से बढ़ सकती है। लेकिन भगवान का नाम लेकर साढ़े सत्ताइस हजार करोड़ का प्लान, यह राजस्थान में पूरा होना चाहिए और यह पूरा नहीं हुआ तो इधर तो ग्लोबलाइजेशन और इधर प्लान में कटौती, यह दोनों राजस्थान को तबाह कर देगी। इस तबाही से बचाने के लिए आप वापस इस पर विचार करिये, और इस आलोचना से मत चलिये कि हमने प्लान बनाया और कोई एडिशनल रिसोर्सेज मोबेलाइज नहीं किये। मेरी आलोचना आप कर लीजिये लेकिन आप अपने आप की अक्षमता साबित मत करिये कि हम भी जैसे भैरोंसिंह ने नहीं किया, वैसे हम भी नहीं कर सकते, इस प्रकार की स्थिति में नहीं पहुंचे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यह बहुत ही बड़ा मसला है और इसलिए मैं सोचता हूं कि जिस बजट के अंदर प्लान के बारे में कुछ नहीं है, जिस बजट में प्लान के सम्बन्ध में लिखा गया कि हम प्लानिंग कमीशन से बात करेंगे और प्लानिंग कमीशन हमारा प्लान जितना मंजूर करेगा उसकी जानकारी हम सदन को दे देंगे। यह जानकारी के लिए सदन नहीं बैठा है। सदन इस बात के लिए बैठा है कि आप प्लानिंग कमीशन से ज्यादा से ज्यादा धन लायें, ज्यादा धन नहीं मिलता तो अपना धन उसमें योगदान करें और योगदान करने के बाद में राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, इसके बारे में विचार करें। वरना मुख्य मंत्रीजी, इधर तो ग्लोबलाइजेशन और डब्ल्यू. टी. ओ. और गैट, इसके कारण राजस्थान के उद्योग–धन्धे बंद होंगे, इसके कारण से राजस्थान में बेकारी बढ़ेगी और उस बेकारी के साथ, आपने अभी जयपुर में और बाकी में जो थड़ियों को उठा–उठा कर फेंकने की बेकारी की है, यह बेकारी तो इस सीमा तक जाएगी कि सरकार आतंक पैदा कर रही है, कानून की अवहेलना कर रही है और यह आतंक पैदा करके आप टेरेरिज्म राजस्थान में ला रहे हैं। तो इसका जवाब साधारण जनता नहीं देगी, टेरेरिज्म को आप न्यौता दे रहे हैं कि राजस्थान में यह पैदा हो। आपने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन राजस्थान बरबाद होगा। आज यह मानकर चलिये कि आज हजार आदमियों को आपने उठा कर फेंक दिया, उनकी रोटी का इंतजाम नहीं है, वह क्या करेंगे। चोरी भी कर सकते हैं, वह मार–कुटाई भी कर सकते हैं और यह आपको देखना है कि जहां अकालग्रस्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्षेत्र है वहां चले जाइये, उन अकालग्रस्त क्षेत्रों में आज भी छह बजे बाद कोई गाड़ी लेकर सुरक्षित वापस आ जाए या पैदल जाकर वापस आ जाए, उस प्रकार की स्थिति नहीं रही। मैं ऐसी स्थिति में यह कहना चाहता हूं कि यह प्लान साइज़ किसी भी रूप में छोटी नहीं हो, इसके बारे में आप विचार करें और इसमें आप हमारा जितना सहयोग चाहते हैं हम सहयोग देने को तैयार हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं कई बार कहता हूं कि राजस्थान में विकास के काम बंद हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि विकास के काम चालू हैं। अब भाषण दे सकते हैं कि विकास के काम चालू हैं लेकिन राजस्थान में जहां घूमते हैं वहां विकास के काम चालू नहीं हैं और क्यों नहीं चालू हैं, यह सरकार का नीतिगत निर्णय है। यह निर्णय मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। योजना व गैर योजना मद में किसी भी नये कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी एवं अब तक प्रारम्भ किये गये कार्य शुरू नहीं किये जाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : यह किस तारीख का है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तारीख आप बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, व्यक्तिगत आप बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूंगा, कापी दे दूंगा। मैं यह कापी आपको दे दूंगा और तारीख आप लिख देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : जब आपने आत्मचिंतन किया था, आत्मचिंतन शिविर के बाद का है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप, भैरोंसिंहजी, मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह रहा हूं, यह आपने किया कब था, यह भी बता दूं। जिस समय प्लान साइज बारह सौ करोड़ आपने घटाये उस समय का आदेश है। एक्चुअल डेट मैं नहीं दे सकता। लेकिन जिस समय, आ गया ध्यान, अड़तीस सौ पर आप लाये उस समय के आदेश हैं। योजना व गैर योजना मंद में किसी भी नये कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी एवं अब तक प्रारम्भ किये गये कार्य शुरू नहीं किये जाएंगे। चालू वर्ष में संधारण के लिए प्रावधित राशियों पर दस प्रतिशत कटौती की जाएगी। यह आपके पास नहीं हो तो मैं दे दूंगा। यह कोई कांफीडेंशियल लैटर नहीं है और इसमें रहा तारीख का सवाल, यह तारीख इस समय मेरे पास नहीं है, आप ज्यादा इंसिस्ट करेंगे तो मैं दे दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो सिर्फ इसलिए निवेदन कर रहा था कि यह जो प्लान का साइज का डिडक्शन कर रहे थे यह उस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वक्त का था। मैं सिर्फ यही कहलवाना चाहता हूं आपसे, और कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह उस समय का है। लेकिन एक और कहना चाहता हूं आपको वित्त मंत्रीजी, यह वापस नहीं लिया गया आज तक। यह जो आपने आदेश निकाला है वह वापस नहीं लिया गया आज तक। अब आप बता दो कि कब निकाला है आदेश। (व्यवधान) अब आप बताओ डेट, कौन सी को निकाला है आपने। इसको वापस कब लिया।

श्री खेतुसिंह राठौड़ : आगे चलो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो बताओ न। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं, राजस्थान में विकास के काम नहीं हों, वह अपने आप में कोई उचित बात नहीं है। आप विकास अपनी मर्जी से करिये, जो चाहे वह विकास करिये, उत्पादक हो इसकी और भी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकास के काम करिये लेकिन विकास के बिलकुल ताला लगा दें और ताला इसलिए लगा दें कि प्लान छोटा है, हम साधन नहीं जुटा सकें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने तो नहीं कहा था कि आप 4700 से लेकर 5022 पर चले जाएं। उस समय तो चुनाव थे तो आपने तालियां बजवाने के लिए कि हमने प्लान ऐसा बनाया है जो इनके प्लान से छोटा नहीं है, हमको पालिटिकली बीट करने के लिए आपने प्लान साइज बढ़ा दिया और राजस्थान की जनता को एक मुगालते में डाल दिया। यह उचित नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री) : चुनाव की स्थिति से बजट नहीं था। बजट जब पास हुआ तो चुनाव की स्थिति नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चलो, कोई बात नहीं, एक तो कहने लगा न। एक तो कह रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी नहीं कह रहे हैं, आपकी बात का समर्थन मुख्य मंत्रीजी...

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो विपक्ष के नेता के धमकी देने के कारण उसका प्लान साइज बढ़ाया था। वह भूल गये हैं यह। यह गये थे जोधपुर और जोधपुर में नागौरी गेट की बैठक में इन्होंने कहा, अगर इस सरकार ने, जबकि यह जानते थे कि इनकी प्लान साइज कम हो चुकी है, इनके खुद के जमाने के अंदर, इन्होंने कहा कि अगर इस नई सरकार ने प्लान साइज को कम कर दिया तो मुख्य मंत्री की गुद्दी पकड़ लूंगा। यह भूल गये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, मैं मुख्य मंत्री की गुद्दी पकड़ लूंगा, यह तो मैंने नहीं कहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गुद्दी पकड़ने के डर से कम कर दिया, यह क्या बात हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो मैंने नहीं कहा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी मेरे कहने से 4700 का प्लान 5022 पर ले गये। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह आ गई कि मुख्य मंत्रीजी धमकी से काम कर सकते हैं और धमकी में बिना साधनों की चिंता किये कर सकते हैं, यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है।

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्षजी, यह सरकार, इस सरकार के मुख्य मंत्री या मंत्रिमण्डल के सदस्य कोई धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, पर हमारे बुजुर्ग नेता थे राजस्थान के। नई–नई सरकार थी, हटे ही थे। उनका आठ साल का अनुभव था, तीन बार राजस्थान के मुख्य मंत्री रह चुके थे। हमने सोचा उनकी बातों में कोई दम होगा उस मुगालते में हम आ गये थे। इसी मौके पर एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप जब बोल ही रहे हैं तो कृपा करके आप सदन को भी बतायें कि 27650 करोड़ का आपने जो इतना बड़ा प्लान किया यह क्या सोच कर किया और आपके पास में रिसोर्स मोबेलाइज करने के क्या मद रखे थे कम से कम इस पर प्रकाश डालिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जनता की बात सुनने वाले हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जनता में हूं। आप मुगालते में आ गये मेरे कहने से। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 27 हजार करोड़ रुपये का जब प्लान बनाया था वह प्लान डाक्यूमेंट इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन प्लान में एडिशनल रिसोर्सेज क्या होंगे, सेन्ट्रल एड हमको कितनी मिलेगी, फॉरेन इंवेस्टमेंट से हमारा कितना हिस्सा होगा यह पूरा विवरण उसमें दिया हुआ है।

श्री अशोक गहलोत : कुछ भी नहीं है उसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं–नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यह मत समझिये कि आप जैसे ही प्लानिंग कमीशन में हैं कि मेरी धमकी में प्लान मंजूर कर दें, ऐसा नहीं है वहां। वहां बड़े बुद्धिमान आदमी हैं।

श्री सी. पी. जोशी : सर, पहले साल में आपने 3200 करोड़ रुपये खर्च किये आपके प्लान के और दूसरे साल में 3400 करोड़ रुपये खर्च किये। जब आपने 2500 करोड़ का प्लान बनाया था पांच साल का...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जब मंजूर कर रहा हूं खुद।

श्री सी. पी. जोशी : तब पहले दो साल में रिसोर्स मोबेलाइजेशन आपके कोरस्पोंडिंग क्यों नहीं हुए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये मैं पहले ही कह चुका हूं कि पे–कमीशन के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कारण प्लानिंग कमीशन के प्लान के लिए जितनी सहायता या धनराशि एकत्रित करनी थी वह नहीं कर पाये मैं खुद एडमिट कर रहा हूं। आज भी कर रहा हूं लेकिन वे परिस्थितियां हमेशा रहने वाली नहीं हैं। आप उसको यह मान कर चलें कि पे–कमीशन हमको वर्षों तक खाता रहेगा तो हम तो खुद एक कदम भी नहीं चल सकते। आखिर यह प्लानिंग कमीशन ने...

श्री अशोक गहलोत : हालात देश के ऐसे ही बन चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं खुद ही कह रहा हूं न।

श्री अशोक गहलोत : फिफ्थ पे–कमीशन के बाद आपको तो मालूम ही है तमाम राज्य सरकारें क्राइसेस के अंदर हैं और हमेशा खाता रहेगा जब तक केन्द्र सरकार आगे आकर कोई नई कुछ बात नहीं कहेगी कि पांचवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद जो भार बढ़ गया है राज्य सरकारों पर और केन्द्र पर भी, उसमें नई रिसोर्स नीति क्या है जब तक कोई दो टूक फैसला नहीं होगा तब तक यह खाता रहेगा यह आपकी जानकारी में है। उसमें से निकलें कैसे, इसके बारे में सुझाव दें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यह बता दूं कि यह तो आप इस आधार पर निकाल सकते हैं, आपने गलती कहां की है, आप बुरा मत मानना। आपने हमको बदनाम करने के लिए एक व्हाइट पेपर इश्यू किया। राजस्थान की सबसे बड़ी भयंकर भूल जो है वह यह व्हाइट पेपर है और इस व्हाइट पेपर में आपने जिस तरह के फार्मूलों से आज पिछले साल में आपको बार–बार चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आये, चाहे वर्ल्ड बैंक के आये, चाहे सी. आई. आई. की मीटिंग में आप जाएं, चाहे चेम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में जाएं, चाहे एसोचेम की मीटिंग में जाएं, आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता था कि आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है। और जिस समय फिस्कल डेफिसिट पिछले साल जो आपने बताया, मैं आज भी कहता हूं कि उस प्रकार की फिस्कल डेफिसिट आने वाली स्टेट या स्टेट का मुख्य मंत्री एक पैसा भी किसी से उधार नहीं ले सकता, एक पैसा उधार नहीं मिल सकता। आपने वह उस समय एक गलती की। उस गलती का खामियाजा राजस्थान ने उठाया है। मैं इस प्रश्न को आगे रखना चाहूंगा। इसलिए यह जो श्वेत–पत्र आपने जारी किया उसके परिणाम सबसे पहले आपको भोगने पड़े। आपको याद होगा कि पहली बार राजस्थान की सरकार ने अपने इतिहास में 20 करोड़ रुपये ब्यावर की श्री सीमेंट फैक्ट्री से उधार लिये। राजस्थान की सरकार, जिसका बजट कितना बड़ा है वह बीस करोड़ के लिए श्री सीमेंट के पास जाकर कहे कि हमें जरूरी है हमें आप एडवांस में पेमेंट कर दें लेकिन वह एडवांस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में पेमेंट नहीं दे रहे थे तो उसके बावजूद भी कहते हैं कि उधार ही दे दो बीस करोड़ रुपये।

डा. चन्द्रभान : वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लिये थे गवर्नमेंट ने नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान सरकार के बाहर नहीं है। पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप जाते तो कौड़ी भी नहीं मिलती। ये तो चीफ मिनिस्टर ने मांग की है तब मिल गये हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं...

श्री अशोक गहलोत : यह गलत बात है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में भी नहीं था यह तो बोर्ड की रूटीन की एक्टीविटी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी में था मुख्य मंत्रीजी आपकी।

श्री अशोक गहलोत : यह आर. एस. ई. बी. की रूटीन की एक्टीविटी है किससे पैसा ले, किसको दे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

डा. चन्द्रभान : गवर्नमेंट का इसमें कहीं कोई लेना–देना नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा सेल्स टैक्स में एडवांस पास्ट में लेते थे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लेते रहे हैं। माननीय विपक्ष के सम्माननीय नेता महोदय मूड में आ रहे हैं इसलिए जो मर्जी में आये कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आज गणगौर है न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, गणगौर है लेकिन वित्त मंत्री गणगौर के लिए उपयुक्त नहीं है, यह मैं बता देता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्रीजी आपने कहा था कि प्लान के रिसोर्सेज कहां हैं तो मैंने कागज मंगा लिया है आप चाहें तो आपको दे देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि 20 करोड़ रुपये तो लिये श्री सीमेंट से यह सबको मालूम है, 80 करोड़ रुपये आर. एस. एम. एम. से, यह भी आप पूछ लीजिये लिये हैं। 110 करोड़ रुपये आपने लिए आर. एस. आर. टी. सी. से, 50 करोड़ रुपये आपने लिये आर. एफ. सी. से और इससे भी काम नहीं चला तो 25 या 24 नवंबर को आपने ढाई सौ करोड़ रुपये रीको के द्वारा बॉण्ड्स इश्यू किये। एक महीने के अंदर उन बॉण्ड्स को सब्सक्राइब होना चाहिए। मैंने भी बॉण्ड्स कई बार इश्यू किये हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए मैंने एक बार ढाई सौ करोड़ रुपये के रीको के मार्फत ही बॉण्ड्स इश्यू कराये थे तीन घंटे में सब्सक्राइब हो गये। तीन घंटे में, और मुख्य मंत्रीजी मुझे शर्म आती है जब लोग यह कहते हैं कि राज्य सरकार ने रीको के मार्फत बॉण्ड्स इश्यू कराये और एक महीने तक ढाई सौ करोड़ के अगेंस्ट में आपको 180 करोड़ रुपये मिले। इससे ज्यादा सरकार की और मुख्य मंत्री की बदनामी का कोई कारण नहीं हो सकता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। यह आपकी पैठ, यह साख इसमें यह श्वेत–पत्र खा गया, इसके कारण 180 करोड़ रुपये मिले। राजस्थान सरकार की गारंटी, राजस्थान की सरकार के बिहाफ पर बॉण्ड्स इश्यू किये जा रहे हैं एक महीने की अवधि दी जा रही है और एक महीने की अवधि में केवल 180 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। फिर उसकी एक महीने की अवधि और बढ़ायी और बढ़ाने के बाद 260 करोड़ रुपये पूरे हुए। मुख्य मंत्रीजी, आप माने या नहीं माने आपकी जगह मैं होता और मैं बॉण्ड्स इश्यू करता और बॉण्ड्स सब्सक्राइब्ड नहीं होते तो त्याग पत्र देकर चला जाता इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था लेकिन खैर आप नहीं देंगे।... (व्यवधान)... यह इनके बस की बात नहीं है मैं कहूंगा भी नहीं। लेकिन मैं जो कह रहा था वह इसलिए कहना चाहता हूं कि इस व्हाइट पेपर ने राजस्थान का कितना नुकसान किया है। अब यह व्हाइट के इश्यू पर हमारे वित्त मंत्रीजी अब आएंगे इस क्वेश्चन पर, मैं यही कह दूं कि फिस्कल डेफिसिट जो इस व्हाइट पेपर में बताया गया है और चन्दन मलजी ने व्हाइट पेपर के पक्ष में जो भाषण दिया है वह भाषण पढ़ कर मैं आपको सुनाता हूं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी निकालता हूं उसमें चन्दन मलजी ने कहा है व्हाइट पेपर में जितना फिस्कल डेफिसिट बताया है वे ही आंकड़े अपने भाषण में चन्दन मलजी ने दिये हैं जिस समय बजट की डिबेट का उन्होंने जवाब दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो अपने बजट में फिस्कल डेफिसिट की बात कही है वह बात सही है या इस व्हाइट पेपर में जो बात आयी है वह सही है या चन्दन मलजी ने जो वक्तव्य दिया है कौन–सी बात सही है ? मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा अहम क्वेश्चन है जो विधान सभा में आज तक नहीं आया कि एक वित्त मंत्री कहता है कि फिस्कल डेफिसिट यह है दूसरे वित्त मंत्री कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट यह है दोनों कागज सदन में पेश किये जाते हैं और दोनों कागजों में अंतर है और इस अंतर के लिए दोनों ही जिम्मेदार होंगे। अगर चन्दन मलजी ने जो बात कही है वह सही है तो आपका बजट स्पीच पढ़ने लायक नहीं है और अगर चन्दन मलजी ने कहा है तो इस व्हाइट पेपर के बारे में चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का यह डाक्यूमेंट क्यों इश्यू किया। जिस डाक्यूमेंट को कल सदन की मेज पर रखवाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि राजस्थान में कोई रिसोर्सेज की कमी हो, यह बात नहीं है। रिसोर्स इकट्ठे करने चाहिए। रिसोर्सेज के लिए कांफीडेंस पैदा करना चाहिए। अगर आप कांफीडेंस यह पैदा करें कि हमारे पास पैसा नहीं है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपको याद होगा कि सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन के बाद में, आपने समझौता किया और उस समझौते में आपने जो प्रेस स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या लिखा है। उस प्रेस स्टेटमेंट में लिखा है कि हमने ट्रेजरी पर मेडिकल बिल्स के भुगतान के बारे में कह रखा था कि नहीं किया जाए, डी. ए. और टी. ए. का भुगतान नहीं किया जाए। पेंशन नहीं दी जाए। यह सारे आदेश हम वापस लेते हैं। इसका मतलब सरकार इस स्थिति में पहुंच गई कि ट्रेजरीज को मौखिक रूप से यह कहे कि मेडिकल बिल पास मत करो, टी. ए., डी. ए. बिल पास मत करो, पेंशन के कागज किसी के भी मत निकालो, कांट्रेक्टर्स के पैसे मत दो...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपके शासनकाल में भी ट्रेजरीज को मौखिक रूप से कई बार आदेश पारित किये गये। मुझे यह बिलकुल निश्चित जानकारी है। क्या आप इसको डिनाई करने की स्थिति में हैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वही रास्ता सही है और उसी पर आप चल रहे हैं, यही है ना बात, ठीक है। लेकिन मैं इतना बता दूं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप करो तो लीला, हम करें तो पाप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, पाप नहीं है। मैं चल रहा था उसको आप पाप क्यों बता रहे हो ? उपाध्यक्ष महोदय, यह चन्दन मलजी का भाषण है, आप सुन लीजिए। फिस्कल डेफिसिट पिछले साल था 9162 करोड़ 50 लाख रुपये। इस साल का फिस्कल डेफिसिट है 6960 करोड़ 29 लाख रुपये, यह चन्दन मलजी का भाषण है और आपके बजट भाषण में जो लिखा है उसको पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है, वह आपके सामने है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा और सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन को गुमराह करने की इस कार्यवाही को यदि सख्ती से सदन ने नहीं लिया तो जब चाहे तब बजट के मामलों में और आंकड़ों के मामले में या और किसी मामले में सदन को गुमराह कर सकते हैं। इसका फैसला आज होगा कि चन्दन मलजी का स्टेटमेंट सही है या आपने जो बजट में कहा है, वह सही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार चल काहे पर रही है, इस बजट भाषण में बी. ओ. ओ. टी. बूट और बी. ओ. एम. टी., यह सारी व्यवस्थाएं आपने कर दीं। अभी श्री गुलाब चन्दजी ने अपने भाषण में कहा कि राजस्थान में पिछले साल जितनी सड़कों की लंबाई के आंकड़े दिये गये थे उतने ही इस साल हैं। मतलब सड़क तो एक किलोमीटर भी आपने बनाई नहीं। अब रहा मरम्मत का सवाल, मैं कहना चाहता हूं कि सड़क मरम्मत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के लिए आपने बजट में प्रावधान ही नहीं रखा तो मरम्मत किससे होती। वह बात तो मान ली, लेकिन अब आप सड़क बनाने का काम, पुल बनाने का काम, यह सारे काम यदि आपने विदेशी पूंजी के हाथ में दे दिये तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, मैं भुगता हुआ हूं इसलिए आपको बता दूं। आपने राज्य उच्च मार्ग मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने तथा रख–रखाव के लिए 1560 करोड़ रुपये का समझौता किया है वर्ल्ड बैंक से। उसी प्रकार से ए. डी. बी. से 6 बड़े शहरों में ढांचागत विकास के लिए 1529 करोड़ रुपये का समझौता किया है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के लिए 4435 करोड़ रुपये का समझौता किया है। राजस्थान वाटर रिसोर्सेज कंसोलिडेशन प्रोजेक्ट के लिए 1800 करोड़ का आपने वर्ल्ड बैंक से समझौता किया है। जर्मनी के के. एफ. डब्ल्यू. द्वारा राजस्थान माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट दूसरे चरण का 63 करोड़ रुपये का समझौता किया है। 63 करोड़ के समझौते के लिए आपको ध्यान होगा पिछली बार बजट भाषण में चन्दन मलजी यह कह गये कि मैं बिजली पानी की रेट दुगुनी कर रहा हूं, सिंचाई दर मैं दुगुनी कर रहा हूं। इससे के. एफ. डब्ल्यू. से माइनर इर्रिगेशन को ठीक करने के लिए पैसा का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक वह पैसा जो आपको मिलना चाहिए था, वह चाहे के. एफ. डब्ल्यू. का था या वर्ल्ड बैंक का था, वह पैसा राजस्थान को नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में आर. एस. ई. बी. की विद्युत लाइनों के रख–रखाव एवं वितरण सुधार हेतु वर्ल्ड बैंक से ऋण 2500 करोड़ का आप लोगे। अन्य कई परियोजनाओं के लिए भी आप ऋण ले रहे हैं। विद्युत मंत्रीजी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं मैं जब मुख्य मंत्री था उस समय वर्ल्ड बैंक से कई मामलों में मेरी चर्चा चली और वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा दबाव यह था कि हम आपको 2500 करोड़ रुपये जब देंगे जब आप इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्राइवेट कम्पनीज, जनरेशन, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसमीशन, यह तीन अलग कम्पनियां आप बना दोगे। मैं आज आपको कहता हूं उस समय पैसे मुझे भी दिख रहे थे कि मैं पैसा ले लूं। लेकिन मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं, आपने बिल पास कर दिया, सब कुछ कर दिया, इस बिल के पास होने के बाद आज वर्ल्ड बैंक एक ही इंतजार कर रहा है कि आप जो सर्विस है उसकी पूरी कास्ट वसूल करें और जिस दिन कास्ट वसूल कर लेंगे उनके लिए रेड कारपेट आ जाएगी। वह डिस्ट्रिब्यूशन में भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद जनरेशन में भी आ जाएंगे, उसके बाद ट्रांसमीशन में भी आ जाएंगे। आपको अभी तक पैसे दिये नहीं हैं। मेरी समझ में अभी तक पैसे मिले नहीं हैं। लेकिन यह पैसे चार वर्ष से चल रहे हैं। चार वर्ष से मुझे पैसों का लालच दिया गया था कि आप यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कानून बनाओ। मैंने कहा कानून नहीं बनाऊंगा। आपको फिर जानकारी दे दूं, आप अपने आफिसर्स से पूछ लेना, हमसे कंसल्टेंट अपाइंट कराया। कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दी और सारे सैक्रेटेरिएट में यह मालूम है कि उस कंसल्टेंट की रिपोर्ट में मैंने एक लफ्ज भी स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि इसको स्वीकार करने का मतलब यह है कि मैं काश्तकारों की छाती के अंदर एक छुरा घोंप दूं, उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। 2500 करोड़ रुपये अभी तक आपको मिले नहीं हैं।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : आपकी जो केबिनेट थी उसने पॉलिसी स्टेटमेंट को एप्रूव किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह मानता हूं कि पॉलिसी स्टेटमेंट को एप्रूव किया था। मैं उसको विधान सभा में भी लाया हूं। विधान सभा में उस पर चर्चा हुई है और चर्चा में आप लोगों ने विरोध किया। मुख्य मंत्रीजी ने जैसे मेरी बात स्वीकार की, मैंने आपकी बात स्वीकार की। इसलिए मैंने कोई अन्याय नहीं किया है। आपने विरोध किया था, डटकर विरोध किया था। यहां कागज फाड़कर फेंके थे।

डा. चन्द्रभान : मैं इसलिए कहना चाह रहा था अभी आपने यह कहा कि मैंने उसका पुरजोर शब्दों में विरोध किया तो फिर आपकी केबिनेट ने उसको एप्रूव कैसे किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जब केबिनेट में एप्रूव हुआ उसके बाद में कंसल्टेंट अपाइंट हुआ। कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद मेरे और कंसल्टेंट के बीच पटी नहीं। मैंने कहा मैं इस तरह की कंसल्टेंसी पर विश्वास नहीं करता। फिर प्रश्न आया कि विधान सभा में इस पर मत लिया जाए। विधान सभा में मामला रखा गया। विधान सभा में सबने विरोध किया, खास तौर से चन्दन मलजी ने विरोध किया कि मैं इसको फाड़ कर फेंक दूंगा। उस हालत में हमने कहा कि इस झगड़े में नहीं पड़ना और यह 2250 करोड़ रुपये का लालच हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, असलियत तो यह है कि आपने बिल भी तैयार कर लिया था और आप बिल लाना चाहते थे। आपमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था इसलिए आप यह नहीं कर पाये और आज के दिन भी केन्द्र सरकार किस की है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी की ही होगी।

डा. चन्द्रभान : आप ही की है और वही बी. जे. पी. के नेतृत्व वाली सरकार देश भर में कह रही है, सब राज्य सरकारों को कह रही है कि आप इन रिफोर्म्स को लागू करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधान सभा की प्रोसीडिंग भी देख लेना। मैं यह कहना चाहता हूं आज आप यह कहें कि केन्द्र सरकार के दबाव से आपने मंजूर किया, क्या आप यह कह रहे हैं ?

डा. चन्द्रभान : केन्द्र सरकार नहीं, अभी आपने ग्लोबलाइजेशन की बात कही। पूरे देश में एक माहौल है। उत्तर प्रदेश में किस की सरकार है, हरियाणा में किस की सरकार है, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में किस की सरकार है ? दबाव की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस की सरकार है, किस की नहीं, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आप केन्द्र सरकार के दबाव में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं क्या ?

डा. चन्द्रभान : नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं लेकिन राज्य के हित में और राज्य के लिए आवश्यक है, इसलिए कर रहे हैं और आप भी करना चाहते थे, आप कर नहीं पाये, बस अंतर इतना ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर, मेरे में इच्छा शक्ति नहीं थी और कमजोरी आ गई थी। जनहित में कमजोरी आई है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपमें यह इच्छा शक्ति पैदा हो गई कि किसानों को जिस भाव से आप बिजली दे रहे हैं उस भाव से उनसे वसूल करेंगे, आपमें यह इच्छा शक्ति नहीं थी। आप कांग्रेस पार्टी से जीत कर आये। इस घोषणा–पत्र के आधार पर जीत कर आये। आपमें यह इच्छा शक्ति नहीं थी कि जिस समय 75 पैसे किये गये उस समय खड़े हो जाते कि हम इस घोषणा–पत्र के आधार पर जीत कर आये हैं। आपमें इच्छा शक्ति नहीं थी। आप आज इच्छा शक्ति बता दो कि आप फिर, आज मैं आपको कहता हूं कि कुछ दिनों के बाद 15 पर्सेंट टैरिफ आप बढ़ाने जा रहे हैं और वह टैरिफ बढ़ेगा। उस समय किसान याद करेंगे और फिर आप यह कहोगे कि यह मैं ही हूं कि मेरी इच्छा शक्ति से मैंने 15 पर्सेंट की दर बढ़ा दी।

डा. चन्द्रभान : देखिये, यह सब आप अभी प्रिज्यूम कर रहे हैं। आपके समय में भी बिजली की दरें बढ़ी हैं। बिजली की दरें बढ़ना एक सतत प्रक्रिया है, वह जारी रहेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान की पक्षधर है। किसानों को अन्य वर्गों के मुकाबले, अन्य राज्यों के मुकाबले हम ज्यादा बिजली देंगे और सस्ती देंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार सब्सिडी भी देगी उनको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, समझ गया। उपाध्यक्ष महोदय, सस्ती बिजली देने वाले, इनके घोषणा पत्र में लिखा है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नर्सरी स्कीम बंद है। लिखा है कि नहीं, लिखा है। लेकिन आपने तरीका क्या निकाला नर्सरी स्कीम को वापस लाने का। आपने +++ योजना चालू की। मैं सीकर में गया, मैं तथ्य बता रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी, मैं तथ्य बता रहा हूं, कि ये श्रीमान जी जाने वाले थे सीकर और मैं जा रहा था बीकानेर। सर्किट हाउस में भीड़ थी। मैं सर्किट हाउस में चला गया, कि कैसे खड़े हों। आज हमारे बिजली मंत्रीजी आ रहे हैं। क्या समस्या है, कि साहब +++ योजना चालू नहीं हो रही है। मैंने कहा +++ योजना कौनसी आ गई। फिर मैंने जानकारी की +++ योजना है। नाम से नहीं है लेकिन +++ योजना है। वह +++ योजना क्या है, कि अगर बिजली में किसी को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन लेना है तो पहले बिजली की चोरी करो, फिर चोरी को पकड़वाओ और पकड़वाने के बाद बिजली की चोरी के पैसे दो, और फिर बिजली के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर ले लो। हिन्दुस्तान के राज में इस प्रकार से चोरी को प्रोत्साहन देने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपकी इच्छा शक्ति...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ऐसी कोई योजना नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इस काम में रत्तीभर भी फर्क नहीं है और किसान को (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ऐसी कोई योजना नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : योजना तो है, और कैसी योजना है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, मैंने आज से करीब एक महीने पहले आपका वक्तव्य पढ़ा था। मैंने निर्देश भी दिये हैं कि इस योजना को जारी नहीं रखा जाये, यह योजना (व्यवधान) योजना नहीं व्यवस्था कहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था बहुत लम्बे समय से चली आ रही है। आपकी ज़ानकारी में लाना चाहूं, बहुत पहले से थी। अंतर इतना ही था कि उसको नर्सरी योजना के नाम से कर देते थे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको इस दृष्टि से विश्वास दिलाता हूं कि वास्तव में कुछ लोग ऐसे लोग थे उनसे टैरिफ भी ज्यादा लेते थे और वह ही लोग हमारे पास आते थे कि इसको जनरल में करो। उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना गलत थी मैं उसे गलत मानता हूं उसके लिए निर्देश दे दिये गये हैं। इस योजना को हम बंद करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह योजना कितने समय तक चली ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसका मतलब यह योजना थी। (व्यवधान)

+++ नाम/शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : लोगों की सीटिंग की फाइलें जमा रहती है, सीटिंग की फाइल जमा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने भी तो नर्सरी योजना किसानों का खून चूसने वाली चालू की थी। (व्यवधान) आपने भी तो किसानों को खून चूसने वाली योजना चालू की थी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बरसों की +++ आप तो बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने कहा कि आपका बयान एक महीने पहले पढ़ा (व्यवधान) उसके बाद मैंने निर्देश दे दिये। यानि भैरोंसिंहजी का बयान नहीं आता तो यह व्यवस्था चालू रहती। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के कोई बहुत गिनती के मामले होते हैं। किसी योजना के अन्तर्गत ऐसा कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कितने केस हुए बता दीजिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : हजारों में नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आज नहीं, बता देना इस योजना में यह सरकार के आने के बाद कितने कनेक्शन हुए हैं। यह बता देना, मैं कह रहा हूं, मेरा दावा है यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अलग से डिबेट होगी तब बोल लेना आप। (व्यवधान) बिजली पर अलग से डिबेट होगी। आप विराजिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि इस तरह की कोई योजना नहीं थी। शुरू से एक परम्परा चली आ रही थी और मैं इसको विधिवत रूप से बंद करने की घोषणा करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर प्लीज। इस पर अलग से डिबेट होगी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मैं इस मुद्दे को छोड़ता हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज सदन में पहली बार रैड हैंडेड चोरी पकड़ी गई। इसके लिए मैं चन्द्रभानजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इसको बहुत इच्छाशक्ति के आधार पर स्वीकार कर लिया। मैं यह इसलिए कह रहा था कि सारी स्थिति में मैं जिस विषय पर सारी बातें कह रहा था उस विषय में 7887 करोड़ रुपया हमें फोरेन फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस से लेना है। मुख्य मंत्रीजी, आपको बता दूं, आपका भी अनुभव होगा। केन्द्र सरकार में रहे हैं। लेकिन मेरा अनुभव विचित्र है। और वह अनुभव मैं समझता हूं, मेरा समर्थन करेंगे माननीय शिवचरणजी माथुर, वह इसलिए करेंगे कि एक बार

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जितने भी फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस की योजना है, एक बार वह चालू कराना चाहते हैं। जैसे आप ए. डी. बी. का रुपया ला रहे हैं, 1529 करोड़ रुपये। मुझे आप करेक्ट करेंगे, 100 करोड़ रुपया तो उसकी कंसल्टेशन का है। 22 प्रतिशत कंसल्टेशन की लेंगे, 22 प्रतिशत कंसल्टेशन फी लेंगे। आज आपको बता दूं यह योजना जो आपने तोड़–फोड़ से शुरू की है, यह यदि पानी से शुरू करते, सीवरेज से शुरू करते, कचरे से शुरू करते तो जयपुर का ही भला नहीं होता पूरे राजस्थान का भला होता। आपने तोड़–फोड़ से शुरू की है, और तोड़–फोड़ से शुरू की है इसका नतीजा क्या है, आपने सारी म्युनिसिपैलिटी से गारंटी ली है या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ली होगी, आपने गारंटी ली होगी। अब उस गारंटी लेने के बाद यह रुपया चुकाएगा कौन, यह आज आप (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह म्युनिसिपैलिटी चुकायेगी अपने हिस्से का। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है मैं यही...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब कैसे चुकायेंगे यह और सुन लें आप। आप मेहरबानी करके यह और सुन लीजिये। आप इस सदन के बाहर क्या कहते हो और सदन के अंदर क्या फरमाते हो। सदन के बाहर तो आपने अतिक्रमण की तारीफ की मुझसे और पब्लिक मीटिंग में की है 17 मार्च को। आप यहां पर आलोचना कर रहे हो। कैसे चुकाएंगे मैं अर्ज कर देता हूं। इस बार जयपुर नगर निगम को गृह कर का 8 करोड़ रुपया वसूल किया जाना था और 14 करोड़ रुपया वसूल हुआ है एक ही साल में। इस तरीके के कई एग्जाम्पल कई शहरों के मैं दे सकता हूं, जिसमें आने वाली नई सरकार ने, गहलोत साहब के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसने एक साल के अंदर–अंदर इन चुनी हुई नगर निगमों, नगर परिषदों की आमदनी बढ़ाई (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं, यह इच्छाशक्ति है इन्होंने गृह कर वसूल कर लिया यह इनकी इच्छाशक्ति है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन उठाना चाहता हूं। बेसिक क्वेश्चन यह है कि सरकार ने ए. डी. बी. से जितना लोन लिया है, वह लोन, जनता के माथे लिया है, जनता उसका चुकारा करेगी। चाहे हाउसिंग बोर्ड करे चाहे जे. डी. ए. करे, चाहे म्युनिसिपैलिटी करे, सब कुछ करेगी। इस रुपये का उपयोग क्या होगा ? इस बात को नहीं समझते कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए। जितना रुपया आपने लिया। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब यह

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

योजना बनाई गई, छह जिला मुख्यालयों के लिए यह योजना बनाई गई। छह जिला मुख्यालयों पर जाकर हमने मीटिंग्स की हैं वहां के विधायकों को बुलवाया, वहां के नगर निगम के, नगर परिषदों के चेयरमैन को बुलवाया। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : सबको तो नहीं बुलाया। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको नहीं बुलवाया, जो सत्ता पक्ष के थे उनको बुलवाया। अजमेर शहर के मोटवानीजी को बुलाया और आपके अजमेर शहर के दूसरे विधायक थे उनको बुलाया। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : आपकी पार्टी के विधायकों को बुला लिया, विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया आपने। इसलिए आप कह रहे हैं। (व्यवधान) उनकी राय से यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह ओरिजनल प्रोजेक्ट ए. डी. बी. ने हमें बनाकर दिया था। हमने उसको रिजेक्ट किया और दुबारा छहों सिटी के जनप्रतिनिधियों की राय लेकर प्रोजेक्ट बनवाया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, इसमें इंटरेस्ट कम्पोनेंट और कंसल्टेंसी चार्ज है वह और बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरे चेम्बर में आ जाना बता दूंगा पूरी डिटेल आपको। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इंटरेस्ट कम्पोनेंट है 13 प्रतिशत। अब आप बता दें कि 13 है या 11 है, 13 है, मैं नहीं जानता 13 प्रतिशत इंटरेस्ट है ए. डी. बी. का। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 13 से कौनसी कम देती है बता देना आप, कौनसी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है मैंने मान लिया। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चाहे वर्ल्ड बैंक ले लें, चाहे कोई सी भी बैंक ले लें, कौन 13 से कम देता है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। 13 प्रतिशत इंटरेस्ट के ऊपर आप 1529 करोड़ रुपया उधार ले रहे हैं, जिसको चुकाने की ज़िम्मेदारी इन पांचों शहरों के नागरिकों की है। यह तो तथ्य है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सैण्ट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी अलग है। कुछ पार्ट स्थानीय निकायों का है, कुछ पार्ट यू. आई. टी. और जे. डी. ए. का है। सबका अलग-अलग है और उतना ही हमने उनका हिस्सा रखा है। एक सैकण्ड...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रेट ऑफ इंटरेस्ट बता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रहा हूं करेक्ट हो जाए, रिकार्ड सही हो जाए। ए. डी. बी. का इंटरेस्ट 12.5 यह भारत सरकार की मार्फत आया है। जितने लोन आ रहे हैं वह आपके वक्त में भी आये सब साढ़े बारह प्रतिशत की दर से आ रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा विपक्ष के नेता महोदय, हुडको तो अब 13 प्रतिशत के ऊपर दे रहा है। अपना इंस्टीट्यूशन होकर 13 प्रतिशत पर रह रहा है यह भारत सरकार के मार्फत है। (व्यवधान) हमें भारत सरकार को साढ़े बारह प्रतिशत की रेट से ब्याज चुकाना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने राउण्ड फीगर में 13 प्रतिशत कहा है। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आधे प्रतिशत का बहुत फर्क पड़ता है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने साढ़े 12 प्रतिशत के आधार पर यह कर्जा लिया है। आपने और रिसोर्सेज ढूंढे हैं क्या कि साढ़े 12 प्रतिशत से कम पर आपको यह रुपया मिल जाए, आपने तलाश किया है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब हुडको 13 प्रतिशत पर दे रहा है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, हुडको का सवाल छोड़िये। हुडको ने तो इंटरेस्ट रेट कम कर दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, मैं ऐसा आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं इंटरप्ट भी नहीं करना चाहता था, और यह बड़ा अनुचित कार्य है इंटरप्ट करना। लेकिन जब एक बात सामने आ रही है, आपने कहा आज कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको आई. डी. बी. आई., आई. सी. आई. सी. आई., कहीं पर चले जाइये। आज आपको साढ़े 12, 13, साढ़े 13 से कम लोन आपको कहीं नहीं मिल रहा है। इस बात से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं तो आपका स्वागत करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं स्वागत नहीं कराऊंगा। मैं तो केवल यह पूछना चाहता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इंटरेस्ट रेट कम की है। आपको यह जानकारी है, हुडको ने अपनी इंटरेस्ट रेट कम की है, यह भी आपको जानकारी है।

श्री शिवचरण माथुर : अभी हाल ही में की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज भी की है। मैं इसलिए कह रहा हूं, उस सारी लाइट में आज अगर प्राइवेट इंटरप्रिन्योर को आज की रेट्स के हिसाब से, 11 प्रतिशत के हिसाब से रुपया मिल सकता है, किसी उद्योगपति को 11 प्रतिशत के हिसाब से कर्जा मिल सकता है तो राज्य सरकार ने साढ़े 12 प्रतिशत का मंजूर करने से पहले, मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने और रिसोर्सेज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ढूंढे हैं क्या कि हमको कम प्रतिशत के ऊपर यह मिल जाए। आपने अटेम्प्ट नहीं किया।

श्री महेश जोशी : आप दिलवा दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं बताता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं दिलवा दूं। क्या बात करते हो, क्यों नहीं मिलता है। मैं दिलाता हूं, कह रहा हूं आपको। मंत्री बनाओ, मैं दिलाता हूं। यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात चाहता हूं, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी मुझसे एग्री करेंगे।

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि नेता, प्रतिपक्ष को सब बातों की जानकारी है और वे 8 साल तक, जितने भी प्रस्ताव बने हैं, चाहे ए. डी. बी. का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, वे सब आपके जमाने में बने हुए हैं। लोन क्यों लेना पड़ रहा है, यह आपकी जानकारी के अन्दर है। अगर मैं यह कहूं कि साल भर में इस सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने एक बात कही थी, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, कि हम लोग, सभी लोग, चाहे आप इस पक्ष में रहें, चाहे उस पक्ष के हैं, हम लोग एक ट्रस्टी के रूप में हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि एक नया पैसा बे–वजह खर्च हो। आप लोग 23 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गये, यह तो आप स्वीकार करेंगे। अब आपने परिसम्पत्तियां बनाई, नहीं बनाई, यह एक डिबेट का इश्यू है। वह आप अपनी बात कहते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट करने की आपने कोशिश की, वह कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, यह एक डिफरेंट विषय है। पर इतना बड़ा कर्जा छोड़कर जाना, 22 सौ करोड़ का जिसका ब्याज हो, आज एक साल हो गया हम लोगों को, पूरी कोशिश कर ली। शासन सचिवों से सरकारी गाड़ियां विद्ड्रा कर लीं, मंत्रियों की एक कार विद्ड्रा कर ली, हालांकि सिम्बोलिक किया होगा। कोई खर्चा हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं इसके बावजूद भी आज भी गाड़ी पटरी पर नहीं आ रही है। और आप जो फिगर बता रहे हैं कि हमने रीको से, आर. एफ. सी. से, किस–किस से, कितना–कितना लोन लिया, यह तमाम इन कारणों से हो रहा है। यह व्हाइट पेपर का दोष नहीं है। दोष आपका है, दोष आपकी सरकार का था जिसके कारण आज यह नौबत पड़ी है कि एक विशिअस सर्किल बन गया कि जिसके कारण कितने ही लोन ले रहे हैं।

अभी 10 दिन पहले 250 करोड़ का लोन लिया गया, आर. बी. आई. के माध्यम से। आपकी जानकारी में, मैं कहना चाहता

(श्री अशोक गहलोत)

हूं, मैंने मेरे फाइनेंस सैक्रेट्री को पूछा, उन्होंने कहा, सर, आज हम ओ. डी. से निकल गये हैं। मैंने कहा, बड़ी खुशी की बात है, बताओ कितने दिन के लिए। इस पर उन्होंने कहा, 3 दिन के लिए। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितना पैसा किस प्रकार साइफन हो रहा है। चाहे वह वेजेज में हो, सैलेरी के अन्दर हो। जो आपके जमाने में कर्जा लिया हुआ है, उसकी किश्तें चुकाने के अंदर हो, और चाहे ब्याज चुकाने के अंदर हो, 95 प्रतिशत पैसा इन 4 मदों के अन्दर जा रहा है। आप सोच सकते हैं। आज सवाल इस बात का है, आप और हम सब मिलकर के कि गाड़ी पटरी पर चलाने के लिए क्या किया जाए, राजस्थान के इंटरेस्ट के अंदर, भारत सरकार को हम लोग अप्रोच करते हैं। मैंने पहले भी कहा, मुझे पता नहीं, आप या आपके नेता, कौन थे, जिन्होंने जाकर दिल्ली में यह कहा कि राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला में 16 हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भर दिया गया है। अगर आप इनको इस प्रकार मदद करते रहेंगे तो हमारे लिए जीना दूभर हो जाएगा। इस प्रकार के हालात आपने बनाये हैं। इसको बोलना नहीं चाहिए। अन्त में, शेखावत साहब, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो आप बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की, आपकी जानकारी के अन्दर है कि वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ए. डी. बी. हो, कोई 13 प्रतिशत ब्याज नहीं लेती है, 4 प्रतिशत या 7 प्रतिशत ब्याज लेती है। सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज लेती है। राज्यों को 4 प्रतिशत में वर्ल्ड बैंक का पैसा मिलता है। यह भारत सरकार का सिस्टम है कि वह 4 प्रतिशत में लेने के बाद में वह खुद 12 प्रतिशत वसूल करती है क्योंकि डालर्स और रुपये का वेल्यूएशन बदलता रहता है। यह सब आपकी जानकारी के अन्दर है। इसलिए आपकी जो खूबी है बोलने की, अपनी बात कहने की, उसका दुरुपयोग न करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक ऐसा प्रसंग विधान सभा के सामने रखा है जिसका उत्तर देना मैं आवश्यक समझता हूं। यह बिलकुल सही है कि वर्ल्ड बैंक या बाहर के जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वे सब हमको डाइरेक्ट रुपया नहीं देते हैं। हम डाइरेक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। हम एग्रीमेंट करते हैं भारत सरकार के माध्यम से। भारत सरकार के माध्यम से करते हैं वह इसलिए कि भारत सरकार को काउण्टर गारंटी देनी पड़ती है। बिना काउंटर गारंटी के कोई पैसा दे नहीं सकता है। अब इस ए. डी. बी. के लोन में भी मैं आपको बता दूं, आपने अब तक सदन को नहीं बताया होगा। इसमें 70 प्रतिशत लोन है और भारत सरकार ने 30 प्रतिशत आपको ग्रांट दी है। कह दीजिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है। (व्यवधान) नहीं, ठहरिये थोड़ा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, साहब मैं एक्सप्लेन तो कर दूं बात को। नहीं, आप मुझे भी एक्सप्लेन करने का मौका दीजिये। भारत सरकार ने यह पैसा ए. डी. बी. से 6 प्रतिशत पर लिया और फिर 13 प्रतिशत पर हमें दिया। (व्यवधान) तो अगर सब्सिडी दी तो क्या उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया।

श्री मदन दिलावर : बैठें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठें आप, पहले भैरोंसिंहजी को बोलने दें।

श्री रामस्वरूप : नहीं, बैठो आप; आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बैठो, +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं समझता हूं, आप इनको बोलकर समाप्त करने दीजिये। यह सब डिबेट चलती रहेगी तो एण्ड ही नहीं होगा इसका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, चलने दीजिये, गणगौर है आज।

श्री उपाध्यक्ष : गणगौर तो गणगौर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जाने की जल्दी हो तो मैं बैठ जाऊं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मेरे को तो कोई जल्दी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें 70 प्रतिशत लोन है और 30 प्रतिशत ग्रांट है। यह मामला मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि इससे पिछली बार जब प्लान लेकर गया था, मंजूर कराने के लिए तो प्लानिंग कमीशन में मैंने कहा आप हमारे साथ यह अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या अन्याय कर रहे हैं ? मैंने कहा कि हम जिन टर्म्स के ऊपर वर्ल्ड बैंक से या किसी और संस्था से रुपया लाते हैं उन्हीं टर्म्स के आधार पर राजस्थान को या अन्य स्टेट्स को वह रुपया ट्रांसफर होना चाहिए। मैंने इसकी मांग की। इसका जवाब मुझे क्या मिला, जवाब दो मिले। यह प्रेक्टिस आज की नहीं है, पुरानी प्रेक्टिस है। तो उस समय विमल जालान, वे प्लानिंग कमीशन के फाइनेंशियल एडवाइजर थे, ने कहा कि इसमें रिस्क इन्वाल्व है। मैंने कहा, काहे का रिस्क इन्वाल्व है ? उन्होंने कहा कि कोई स्टेट यदि जमा नहीं कराये और डालर और रुपये की एक्सचेंज रेट में कोई ज्यादा अंतर आ जाए तो उस कारण से हमें जमा कराना पड़ता है इसलिए रिस्क इन्वाल्व है। तो मैंने उनसे उस समय सवाल पूछा था और आज भी वह रिकार्ड पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी जांच कर रही है कि आप यह बताएं कि इस रिस्क के कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना पेमेंट करना पड़ा है ? लेकिन मेरी जानकारी है कि एक पैसे का पेमेंट नहीं करना पड़ा। एक पैसे का पेमेंट नहीं किया है। अब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सवाल यह आता है कि आप उनसे लें, तो दूसरा बहाना बताया कि ये जितने भी नार्थ–ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नागालैण्ड है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरूणाचल प्रदेश है, इनमें कोई रेवेन्यु नहीं है। माथुर साहब अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो देखिये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया... (व्यवधान) इम्प्रूव करने के लिए करती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह चाहे काहे का भी, कैसे ही करती है।

श्री शिवचरण माथुर : सोफ्ट लोन भारत सरकार को मिलता है 6 प्रतिशत, नहीं बल्कि 4 प्रतिशत पर लोन मिलता है और वह सब राज्यों को 12 प्रतिशत, 13 प्रतिशत पर देती है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं खुद ही कह रहा हूं, उन टर्म्स पर हमको दिया जाए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ए. डी. बी. में भी यह हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने तो लिया है ए. डी. बी. से 6 प्रतिशत में और हमें दिया है 13 प्रतिशत। अब तीन सौ करोड़ की सब्सिडी वह दे रही है तो क्या गजब कर रही है ?

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, भारत सरकार अपनी वेज. एण्ड मीन्स सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए यह रुपया लेती है। यह एक तरह से टैक्स है स्टेट गवर्नमेंट पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह बता दूं कि यह परम्परा आज वाजपेयीजी प्रधान मंत्री बने हैं, उस समय से नहीं चली है। माथुर साहब, यह तो सही है। यह शुरू से परम्परा चल रही है, मानते हैं ना। वे शायद नहीं मानेंगे। मैं इसलिए कह रहा था। अब उनका दूसरा उत्तर यह था कि इन स्टेट्स में जहां इनकी ओन रेवेन्यू नहीं है, इनका डवलपमेंट हमको कराना पड़ता है इसलिए हमें इनको ग्रांट इन एड देनी पड़ती है। मैंने इस पर झगड़ा किया कि ग्रांट इन एड दे तो सरकार दे, केन्द्रीय सरकार दे। यह स्टेट्स के माथे क्यों पटका जाता है ? यह मामला अभी डिबेटेबल है और मैं समझता हूं कि आप भी परश्यू करेंगे तो मेरी भी आपको इस पर पूरी मदद मिलेगी।

श्री शिवचरण माथुर : सरकारिया कमीशन के सामने भी यह विचार रखा था कि स्टेट गवर्नमेंट को भी डाइरेक्टली लोनिंग के लिए बाहर की एजेंसी से सम्पर्क कर अपना सीधा पैसा लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बीच का पैसा जो वसूल होता है यह एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट पर एडिशनल टैक्स है, एडिशनल बर्डन है, उनके रिसोर्सेज पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात को सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं करता कि आज जो हमारा कांस्टीट्यूशन है, इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कांस्टीट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट बाहर से, किसी सरकार से अपना डाइरेक्ट समझौता करके पैसा ले लें, सिद्धान्ततः मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।

श्री शिवचरण माथुर : इसके कारण हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी हो चाहे, इसके रिपरकशंस दूसरे हैं। बहुत भारी रिपरकशंस हैं और हमें इतना ईजीली इसको कंसीड नहीं कर देना चाहिए कि दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, यहा की स्टेट गवर्नमेंट कहीं अमरीका से समझौता करके पैसा ले ले, इस प्रकार की स्थिति नहीं हो।

श्री शिवनाथ सिंह : अभी फरमा रहे थे कि माथुर साहब एग्री करेंगे। अब डिसएग्री हो गये। अभी तो कह रहे थे एग्री करेंगे, अब डिसएग्री हो गये, इसका क्या मतलब है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो दोनों क्या करेंगे यह सुनने वालों के समझने का विषय है, मेरा विषय नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने कर्जे की बात कही, बीच में... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : एक सैकण्ड। उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर है। मैं अनुरोध कर रहा हूं। मेरा अनुरोध यह है कि अभी इस आपस के वाद–विवाद में यहां दो–तीन बार एक शब्द का उच्चारण हुआ है, +++ योजना। उपाध्यक्षजी, यह प्रोसीडिंग्स में आ गया है। कल अखबारों में छपेगा। इसमें असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, इसको कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : चन्द्रभानजी को +++ थोड़े ही कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, चाहते हो क्या ? (व्यवधान) +++ योजना के नाम से नहीं, अच्छा वह, +++...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : +++ रिकार्ड नहीं था।

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप यह पदवी मेरे को देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं–नहीं, आपको नहीं दी है।

डा. चन्द्रभान : मेहरबानी करें इसको तो हटवाने दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं कि मेरा यह मतलब नहीं था कि आपको...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको एग्जामिन कर लेंगे। प्रोसीडिंग में होगा तो देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, देख लीजिये। +++ नाम डिलीट कर दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, चोरी का कोई मामला हो, +++

+++ नाम/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नाम हटा दीजिये। अब चन्द्रभानजी ने तो एक चोरी का आरोप लगाया था, फिर मुझे याद दिला दिया आपने। आपने मीटर परचेजेज के मामले में चेयरमैन पर चार्ज लगाया था।

डा. चन्द्रभान : मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपने प्रेस स्टेटमेंट जोर से दिये थे कि इसकी जांच होनी चाहिए।

डा. चन्द्रभान : प्रेस में स्टोरी आती रहती है। मेरे नाम से कोई वक्तव्य भी नहीं गया है और न मैंने कोई इस तरह का वक्तव्य दिया है, न कोई चार्ज लगाया है। यहां हाउस के अन्दर जरूर यह मामला कई बार उठा है। एक माननीय सदस्य ने उठाया था लेकिन मैंने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, स्टेटमेंट आपके अखबारों में तो आये हैं कि मीटर परचेजेज करने के मामले में गड़बड़ हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए और मुझे इतना पता है कि इसके बारे में भण्डारीजी ने विरोध करके एक लैटर चीफ मिनिस्टर को लिखा और चीफ मिनिस्टर के पास गये कि, साहब, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आप इंकंविनिएंट फील कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। इंकंविनिएंट इसलिए फील कर रहे हैं... (व्यवधान) उद्योग दे दिया वह तो ठीक है। उद्योग देकर तो ठीक है। उद्योग के कारण तो कंविनिएंट है लेकिन इंकंविनिएंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इसलिए कि जिस चेयरमैन के खिलाफ इन्होंने जांच की मांग की है, आज वह चेयरमैन है और यह मिनिस्टर है। दोनों में तालमेल कैसे बैठेगा, यह भगवान ही जाने। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं और मैं आपकी मदद कर रहा हूं इसमें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सब्जैक्ट पर, मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी यह कर्ज लिया जाए, उस कर्जे के बारे में इस सदन को कांफिडेंस में लिया जाए। आप कर्जा तो राजस्थान की जनता से वसूल करेंगे और मंजूरी आप करेंगे। आपको अपना अधिकार है, मंजूर कर लें, राजस्थान के हितों में जो लेना है वह ले लें लेकिन इस सदन को कांफिडेंस में लें कि हम जो कर्जा ले रहे हैं, उस कर्जे का उपयोग इन चीजों पर होगा और इस कर्जे का भुगतान इस प्रकार से किया जाएगा ताकि लोगों का मानस पहले से बना हुआ रहे। यह मानस बनाये बिना यदि हमने अचानक किसी पर टैक्स लगा दिया और वह कर दिया, तो उन चीजों का विरोध होता है। मानस, यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भूमिका पहले से बननी चाहिए। इसलिए अच्छा हो इस सैशन में इन सारे कर्जों के सम्बन्ध में आप एक पेपर प्रस्तुत कर दें कि हमने इन–इन से इन–इन शर्तों पर इतना कर्जा लिया है। इस इंटरेस्ट पर लिया है। भुगतान की इस प्रकार की स्थिति होगी और कर्जा वसूली करने की इस तरह की बात होगी। मैं समझता हूं कि सदन के सब माननीय सदस्य चाहते होंगे कि हम पर जो कर्जा हो रहा है, हमको उसकी जानकारी मिले। मैं समझता हूं कि यह सदन की सहमति से आप सहमत हो जाएं, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 23 हजार करोड़ तो आप मानते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो मानता हूं न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बस ठीक है।

श्री देवीलाल बैरवा : मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप 23 हजार करोड़ छोड़ गये और यों मान लो, अकाल को भी हमारे माथे पटक गये। तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पांच महीने में 27 करोड़ रुपये लोगों के लिए अकाल पर खर्च किया है और आपने आठ साल में नहीं किया इतना उन्होंने पांच महीने में खर्च किया है। आठ साल में खर्च नहीं किया वह पांच महीने में खर्च किया है। (व्यवधान) उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत बढ़िया। आप जैसे नहीं बोलेंगे तो इस असेम्बली में मजा ही कैसे आएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुख्य मंत्रीजी ने कर्जे की बात कही तो मैं थोड़ा खुलासा कर देना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार जब गयी और हमारी सरकार आयी उस समय 6127.11 करोड़ का कर्जा था। मानते हैं आप ? मैंने लिया 11,785 करोड़ का कर्जा। राष्ट्रपति शासन का कर्ज है 1384 करोड़ रुपया। एक वर्ष राष्ट्रपति शासन रहा, उसमें 1384 करोड़ का कर्जा लिया और आठ महीने भा.ज.पा. का राज और चार महीने कांग्रेस का राज, उसमें बंटवारा कर लें तो 4891 करोड़ का कर्ज उस समय लिया। यह कुल मिलाकर 24 हजार करोड़ का कर्ज होता है। इसमें कोई फिगर्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपने एक वर्ष में ही क्या कर दिया ? 1999–2000 में आपने 10,252 का कर्जा लिया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : I take objection to this figure. आप शुद्ध आय लेखें देखें। शुद्ध लेखों के हिसाब से आएगा कि आपने जो रोजमर्रा के लिए वेज एण्ड मीन्स का, फ्लोटिंग लोन जिसे कहते हैं, शार्ट टर्म, आज आया, कल गया, आज आया, उस फिगर को आपने ले लिया है। मैं यहां पर कहूंगा, मैं आपको बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप यह बोलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, वह तो कागज में है। कागज में बजट के फिगर्स हैं, इसमें कोई कहां छिपा हुआ है ? कोई छिपाने की गुंजाइश तो नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझ गया। मैं इस बात पर आपको बुलवाना चाहता था।

आपने जो 24 हजार करोड़ का कर्जा बताया है, क्या उसमें 20 हजार करोड़ यूं और तीन हजार करोड़ रुपये पी. डी. अकाउंट का पैसा नहीं है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आगे मैं बताऊंगा न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बता देना। यह मैने इसीलिए आपसे कहलवाया है। कर्जा लिया। आपने कर्ज ले लिया और मैं आज आपको कहता हूं कि आपका पांच वर्ष यह शासन इसी प्रकार से चला तो आप भरोसा रखकर चलिये कि राजस्थान पर चालीस हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर जाएंगे। पचास कह रहे हैं, चालीस से तो कोई कमी आने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, ब्याज की बार–बार बात कही जाती है कि हम ब्याज चुकाते हैं। अब ब्याज चुकाते हैं तो आपको जानकारी होगी कि ब्याज की रेट 1991 में क्या थी और उसके बाद में ब्याज की रेट कितनी बार बढ़ी ? 1991 के पहले ब्याज की रेट क्या थी और आज किस रेट पर ब्याज हम देते हैं, उससे आप अंदाज लगा लें कि ब्याज ज्यादा देना पड़ा है। ब्याज बढ़ा है, उस कारण से। मैं इसी आधार पर कहना चाहता हूं कि ब्याज की लाइबिलिटी हम 2200 करोड़ छोड़कर गये। आज ब्याज की लाइबिलिटी है 3300 करोड़। 1100 करोड़ की लाइबिलिटी और बढ़ गयी। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आपने इतना कर्जा लिया है, सारा कर्जा, अब यह 11,000 करोड़ का अगले साल तक हो जाएगा। यह कर्ज लिया है, उस कर्जे में आपने जो कर्जा था, उसका भुगतान भी किया है। किया है न ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो है ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समझ गया। उसी प्रकार से जो मैंने कर्जा लिया है, उसका कर्जा और ब्याज लगातार भुगतान किया। कभी भी राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट डिफाल्टर नहीं रही है। कभी भी डिफाल्टर नहीं रही है और जो मैंने आपको बताया कि जो पैसा खर्च किया है, वह मैंने ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट पर खर्च किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर नहीं खर्च किया है। आप चाहे इसकी जांच करा लें इसलिए मैं आज भी कहता हूं, एक मिनट... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट पर खर्चा नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा ठीक है, आप बता दो।

श्री सी. पी. जोशी : यह आप इसको रिकार्ड कर लीजिये। आज हमने 17 हजार शिक्षकों का समानीकरण करके वहां भेजा है। आज लोक जुम्बिश में पौने दो सौ करोड़ रुपये खर्च हो गये। किस बात पर हम एच. आर. डी. के लिए क्लेम कर रहे हैं ? that the figure which you are giving is a fictitious figure. हम कह रहे हैं, किस बात पर...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, आप यह एक्सप्लेन करिये। यह सारा जो आज मैंने कहा है, उसका कंट्राडिक्शन कर दीजिए कहीं पर। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, नहीं, आप मेहरबानी करके ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट के नाम पर 23 हजार करोड़ रुपये के ऋण को जस्टिफाई नहीं करें। यह ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट पर खर्च नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा ठीक है। मैंने आपको बता दिया न कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिवव मैटर्स में यह पैसा नहीं लगाया है। प्लान डवलपमेंट में लगाया है। प्लान के लिए कर्जा लिया, मुझे इसमें संकोच नहीं है और इसलिए, मुख्य मंत्रीजी, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि कर्ज लेना गुनाह नहीं है। अगर कर्जा नहीं लेंगे तो डवलपमेंट नहीं होगा। कर्जा लेकर आप प्रोडक्टिव काम कराइये ताकि उनकी रिकवरी से आपको कर्जा चूक जाए। ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट में आप एजुकेशन में खर्चा करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन में या लिट्रेसी के लिए खर्चा करेंगे उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत होगा, उसके बाद में आपको उसका पैसा मिलेगा। लेकिन एक ह्यूमन वैल्यू क्रियेट होगी, उस वैल्यू क्रियेट करने के लिएं भी आप खर्चा करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अब जब कह रहे हो कि कर्जा लिया, आज छह स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा कर्जा लिया और सारी ऐसी स्टेट कोई गरीब स्टेट नहीं हैं। छह स्टेट हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा कर्जा लिया है। कर्जे से डरना नहीं चाहिए, कर्जा चुकाने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। इसलिए जो कुछ कर्जे की आपने बात कही, हमने 23 हजार करोड़ का कर्जा ले लिया। मैं समझता हूं आपने एक वर्ष में ही राजस्थान को 7000 करोड़ रुपयें का कर्जा लेकर डुबो दिया, उसके बारे में आपको चिंता नहीं है। आज मैं कहता हूं आपने उस हालत में डुबोया, 1200 करोड़ रुपये की प्लान साइज आपने छोटी की। 1200 करोड़ रुपये की प्लान साइज छोटी की और लगभग 1400 करोड़ रुपये के आपने टैक्स लगाये इन दो वर्षो में इस बजट में। सेल्स टैक्स के समानीकरण के नाम पर 1400 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये। 1200 करोड़ रुपये की आपने प्लान साइज छोटी कर दी, 7000 करोड़ का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपने कर्ज ले लिया और बाकी क्या लूटना चाहते थे राजस्थान की जनता को ? यह है दृढ़ इच्छा शक्ति। इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़ो, कर्जा ले लिया बहुत हो गया प्रचार। अब तो मौका हमको मिलेगा कि कर्जा लेकर क्या स्थिति राजस्थान में पैदा की है। इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो आज भी कहता हूं....

श्री गोवर्द्धन कल्ला : कर्जा लेकर कहां खर्च किया, वह भी बता दें थोड़ा। कर्जा लेकर कहां खर्च किया, वह भी बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आज भी कहता हूं कि आपके सड़क बनेगी तो कर्जे से बनेगी। पोलियो के मामले में आप कर्जा लेंगे। कोई पुलिया बनेगी तो आप कर्जा लेंगे। आज कोई सिंचाई का काम होगा तो कर्जा लेंगे। सबके लिए कर्जा ले रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कर्जे के बारे में। लेकिन कर्ज में दो तरह की बाते हैं। एक तो इमिजिएटली, जिसे कहते हैं, स्थिति पैदा हो जाए कर्जा चुकाने की, वह काम। और दूसरे काम, जिनके जेस्टेशन पीरियड ज्यादा हैं, वह कर्जा लम्बा चलेगा और जिनका इमिजिएटली कोई गेन हो सकता है, प्रोड़क्टिव, ऐसे काम हों। इसलिए कर्जे से घबराएं, इस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आप भी चिंतित हैं कर्जे से, मैं भी चिंतित हूं कर्जे से। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की राय हो कितना कर्जा स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, एस. बी. पी. के अगेंस्ट में कितने प्रतिशत का कर्जा हो सकता है। इस बारे में सदन को निर्णय कर लेना चाहिए ताकि कोई भी सरकार उस निर्णय के बाहर कर्जा लेकर राजस्थान की जनता पर कर्जे का बोझ नहीं डाले। मैं समझता हूं सदन इस बात के लिए एग्री करे। ऐसी स्थिति में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : ... हमको सदाशयता नहीं मिले और फिर हम उधर आ जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चले जाओगे आप।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : जितनी अच्छी बात आज कह रहे हो न, ऐसी बातें आपने पहले तो कभी नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छी बात, देखिये, शिवनाथ सिंहजी, मैं इस बजट को फाइनेंस मिनिस्टर का बजट नहीं मानता। मैं इसको राजस्थान की जनता का बजट मानता हूं। उनको अधिकार है बजट पेश करने का और यह बजट पेश किया है वह राजस्थान की जनता के लिए किया है। इस बजट से जनता का क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, उसका जिक्र करना मेरा धर्म है और इस नाते कोई व्यक्तिगत मेरा नहीं है। चन्द्रभानजी नाराज हो गये, मुझे बड़ा दुःख है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैं कोई नाराज नहीं हूं आपसे।

डा. के. सी. चौधरी : आपने नाम तो हटवा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो प्रोसीडिंग से नाम हटवाया है। कहीं मंत्रिमंडल से मत हटवा देना, नहीं तो संकट खड़ा हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन सब चीजों पर, चाहे कर्जा हो, चाहे कर्जे का ब्याज हो, आप देख लीजिये मेरे पास सारे आंकड़े हैं कि किस–किस वर्ष में ब्याज की रेट कितनी बढ़ी है। 1987 तक रेट कुछ थी, 1987 के बाद रेट बढ़ती–बढ़ती आई है और रेट बढ़ रही है उस कारण से ब्याज की रकम बढ़ी है। हमने कर्जा लिया है, ब्याज देना पड़ेगा, देना चाहिए। और आवश्यकता हो तो, प्रोडक्टिव कामों के लिएं कर्जा लेने की आवश्यकता हो तो कर्जा लेना भी चाहिए, मैं इसमें विरोध करने वाला नहीं।

ऐसी स्थिति में आपको यह निवेदन कर रहा था कि राजकोषीय घाटे के संबंध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। माननीय मंत्री महोदय समझ गये होंगे और इस चीज को स्पष्ट करेंगे कि इसमें व्हाइट पेपर में या चन्दन मलजी ने जो राजकोषीय घाटा बताया है और आपने घाटा बताया है उसमें कौनसी चीज सही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने रेवेन्यू डेफिसिट जितना बताया, इस साल एस्टीमेट आपके थे शायद 21 के और एस्टीमेट के अगेंस्ट में आप गये हैं 28 पर, इतना ही होगा, सब्जेक्ट टू करेक्शन। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को याद होगा कि गये साल पहली तारीख को फर्स्ट अप्रेल को हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि 1200 करोड़ रुपये का ओवर–ड्राफ्ट हुआ। 1200 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट हिन्दुस्तान के किसी राज्य में नहीं हुआ। बजट पास होता है मार्च में और एक अप्रेल को 1200 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट हुआ। उस ओवर ड्राफ्ट के समय आप गये भारत सरकार के पास। आपने 1010 करोड़ उनसे लिये। कुछ उसमें आपने कंडीशंस स्वीकार कीं। उन कंडीशंस में एक कंडीशन यह भी थी कि हम रेवेन्यू डेफिसिट नहीं बढ़ने देंगे और आज आपने जितना रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ाया है उसमें 600 करोड़ रुपये की कमी होनी चाहिए। आपने उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया। आप देख लें वह जो सारा मेमोरेण्डम है, उस मेमोरेण्डम में, यह सरकार का ही है। मैं आपको बता देऊं। उपाध्यक्ष महोदय, यह है, सरकार ने आदेश निकाला है 12 मई, 1999 को और 12 मई, 1999 को इसमें लिखा है राज्य सरकार को, अपने कर व गैर कर राजस्व घाटे के 20 प्रतिशत के बराबर अर्थात् 650 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि करनी होगी और यह वृद्धि करके यह जो रेवेन्यू डेफिसिट है, इसको कम करना पड़ेगा। आपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रेवेन्यू डेफिसिट कम नहीं किया, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ाया। आपने भारत सरकार से जो एग्रीमेंट किया उसका उल्लंघन किया और आज भी मैं आपको कहता हूं इसको यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अभी अकाल के मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी आये दिन सब जगह प्रचार करते हैं कि अकाल के लिए हमको भारत सरकार से पैसा नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आती अकाल राजस्थान में 1952, जब विधान सभा बनी, उस समय से लेकर लगातार अभी तक अकाल पड़ते आये हैं। अभी तक अकाल पड़ रहा है। अकाल में कभी भारत सरकार ने सहायता नहीं दी। भारत सरकार सहायता देती है सी. आर. एफ. के जरिये और अभी पिछले फाइनेंस कमीशन ने व्यवस्था कर दी एन. एफ. सी. आर. के जरिये। दो ही तरीके हैं। लेकिन 1986–87 में माथुर साहब को याद होगा अकाल में 800 करोड़ रुपये का खर्चा हो गया। उस खर्चे को फाइनेंस कमीशन ने राइट आफ किया, भारत सरकार ने मदद नहीं की।

श्री शिवचरण माथुर : 1988–89 में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1988–89 में होगा। 1988–89 में भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने कहा कि इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इतना हिस्सा राइट आफ कर दिया जाए, उसके कारण हमको लाभ मिला।

आज अभी दिल्ली जाकर आये और दिल्ली जाकर आपने कहा कि हमने 1144 करोड़ रुपये का ज्ञापन पेश किया और उसके अगेंस्ट में 102.96 करोड़ रुपये मिले। मैं आपको फिर बता देऊं आप इस धोखे में नहीं रहें। गुजरात ने 722 करोड़ रुपये का ज्ञापन दिया था, 324.38 करोड़ रूपये की केन्द्रीय टीम ने सिफारिश की थी, उनको केवल 54 करोड़ रुपये मिले। उसी तरह से उड़ीसा ने 7145.93 करोड़ रुपये का ज्ञापन दिया था, 871 करोड़ रुपये स्टैडी टीम ने दिये और उसमें 828.15 करोड़ रुपये मिले। अब आप यह मानकर चलो उड़ीसा की स्थिति क्या थी जिसमें राजस्थान सरकार ने भी सहायता भेजी थी और भी राज्य सरकारों ने सहायता भेजी थी, वह तो देनी आवश्यक थी। अब मध्य प्रदेश ने 556 करोड़ रुपये का ज्ञापन दिया, 39 करोड़ रुपये की कमेटी ने सिफारिश की और 38 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश की सरकार को दिये। अब इससे आप यह कहें कि हमारे साथ भारत सरकार भेदभाव कर रही है, भेदभाव किसके साथ किया। सारी स्टेट के साथ जो किट्टी है, उस किट्टी में कितना पैसा दिया जा सकता है, उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया है और आपको तो पैसा सबसे ज्यादा मिला है, आपको भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। इतना ही नहीं आपने प्रधान मंत्रीजी से बात की कि मैं फूड फोर वर्क्स चलाना चाहता हूं, चलाइये। फूड फोर वर्क्स चलाने के लिए आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप छिपाना चाहते हों तो बात दूसरी है। 11 करोड़ रुपये आश्वासित रोजगार योजना के लिए आपको मिले हैं। आप 11 करोड़ रुपये का अनाज खरीद लीजिये और काम चलाइये और रोटेट करते जाइये। अन्नाज के बदले काम चल जाएगा, चलाने की इच्छा हो तो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस प्रचार के सम्बन्ध में ही कह रहा था कि अब राजस्थान सरकार कर क्या रही है ? अकाल का प्रबंध अकाल के पैसे से नहीं होता। मुख्य मंत्रीजी, मैं भी आठ–दस वर्ष में इस अकाल ही अकाल से जूझता रहा हूं। माथुर साहब मेरे से ज्यादा जूझे हैं, अकाल का प्रबंध केवल अकाल राहत राशि से नहीं होगा यह होगा सारी डवलपमेंट एक्टिविटीज की डोवटेलिंग से। कहां कितना पैसा है और कहां कितना काम कराना है, उसके आधार पर यह काम चलेगा। आपने डोवटेलिंग नहीं किया। भारत सरकार की जितनी भी सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं, यदि उनका आप डोवटेलिंग कर लेते और जो पैसा वहां से मिलना है वह मैचिंग ग्रांट जमा करा कर पैसा ले लेते तो आपके पास पैसे की कमी नहीं आती। बिना खर्च आपके पास राशि पड़ी रही 390 करोड़ की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं और अन्य योजनाओं की। आज कोई आप से जवाब पूछे कि आप मांग कर रहे हो पैसे के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है, आपके पास 390 करोड़ तो यह रहे। मैचिंग ग्रांट आपको देनी थी 16.61 करोड़ की लेकिन आप अपनी मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाये। मैं चाहूंगा कि विधान सभा को कांफिडेंस में लेने के लिए जितनी भी सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का अकाउंट आप सदन की मेज पर रखिये ताकि यह पता लगे सेंटर से कितना पैसा मिल सकता था लेकिन दो कारणों से आप पैसा नहीं ले पाये, मैचिंग ग्रांट का इंतजाम नहीं कर पाये और साथ ही अकाउंट सबमिट नहीं कर पाये। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाये। उसके कारण से हमें यह पैसा नहीं मिला। आज अगर यह पैसा, आप आश्वासित रोजगार योजना का पैसा और बाकी की निर्माण की योजनाएं, उन सब का डोवटेलिंग करें तो निश्चत रूप से राजस्थान की इस अकाल की स्थिति का हम सामना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह सकता हूं कि यह अकाल पड़ा है, इसके इंतजाम की जिम्मेदारी किसी की नहीं है राज्य सरकार की है। राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि हमारे पास पैसा नहीं है। राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। आपको चारे की व्यवस्था

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करनी पड़ेगी, आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर यही करना होता तो 1986–87 या 1987–88 के अकाल में राजस्थान की सरकार ने पैसा खर्च किया। भारत सरकार को उस समय भी ज्ञापन दिया लेकिन फाइनेंस कमीशन हमारी मदद पर आया और मदद...

श्री शिवचरण माथुर : मैं यही कहना चाहता हूं कि सेंट्रल रिलीफ फंड या दूसरी जो योजनाएं हैं, उनके अंतर्गत जो प्रदेशों को सहायता मिलती है वह एक तरफ है। जैसा कि आपने अभी स्टेटमेंट में बतलाया कि और दूसरी स्टेट को जो पैसा मिला उसके मुकाबले में राजस्थान को मिला है। लेकिन 1988–89 के अकाल में जो पैसा अधिक खर्च किया गया, ह्यूमन मिजरी को देखते हुए उसको भारत सरकार ने रिएम्बर्स किया है हम को, फाइनेंस कमीशन को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिएम्बर्स नहीं किया है। रिएम्बर्स की बात मत कहिये।

श्री शिवचरण माथुर : राइट आफ कर लिया, वह एक ही बात है।

अब फाइनेंस कमीशन बैठा हुआ है, आने वाला है। मुख्य मंत्रीजी ने 1140 करोड़ रुपये की मांग की है, मान लीजिये आपके नियमों के मुताबिक जो उनको मिलना है, स्टेट गवर्नमेंट को वो मिल जाएगा लेकिन ह्यूमन मिजरी तो है कि नहीं ? इस बात को मानते हैं कि नहीं ? आप जब एक बात कह रहे हैं कि कहीं से भी लाइये, आपको अकाल के वक्त करनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यही कहूंगा। ह्यूमन मिजरी है...

श्री शिवचरण माथुर : मेरी बात सुनिये। अगर ह्यूमन मिजरी है और किसी गाइड लाइन में वह नहीं आती है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। जितना वजन हम उठा सकते हैं हम उठायेंगे और जितना वजन भारत सरकार उठाना चाहती है वह उठाये। आप उसको राइट आफ करने की बात, सिफारिश कम से कम कीजिये। यहां विपक्ष में बैठ कर यह तो कीजिये। पुराना जो इतिहास है उसके मुताबिक भारत सरकार...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं राइट आफ उसको करूं जिसने खर्चा किया हो, खर्चा कौड़ी नहीं किया, राइट आफ क्या करूंगा ? अकाल राहत के लिए, माथुर साहब, आप बता दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : खर्चा तो पिछली साल किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसा ? पिछली साल तो आपने मांगा ही नहीं था।

श्री शिवचरण माथुर : 22 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : रफली 22 करोड़।

श्री शिवचरण माथुर : 22 करोड़ रुपये पहली बार मिला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितना ?

श्री शिवचरण माथुर : आपकी गाइड लाइंस के मुताबिक 22 करोड़ रुपया राज्य सरकार को मिला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 21 करोड़।

श्री शिवचरण माथुर : 21 करोड़ समझ लीजिये। खर्चा कितना हुआ, आपको मालूम है, उसका हिसाब लगा लीजिये। वह खर्चा कर चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये आप। मैं बताऊं न आपको। इनसे पूछ लीजिये, गये साल के अकाल में इन्होंने कितना खर्च किया। कोई भी जवाब दे दे।

श्री शिवचरण माथुर : यह बतायेंगे आपको। बता रहे हैं न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताएं कितना ? अभी नहीं दे सकते न ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पास है, राइट नाउ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताओ न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्वेश्चन आन्सर सेशन चल रहा है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्वेश्चन आन्सर सेशन नहीं, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब मैं जवाब दूंगा तो वह फिगर्स आपके सामने पेश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में दे दीजिये। माननीय वित्त मंत्रीजी, एक बात मेरी सुन लीजिये, यह जो पिछले साल आपने पैसा खर्च किया है उसके डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फिगर्स हैं इसलिए आप से पूछना चाहता हूं। मैंने इसको अध्ययन किया है, कहीं 500 करोड़ है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : वह बुक कहां है, यह बता दीजिये ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बुक आपको देने से तो कोई मतलब है नहीं। आप तो पढ़ेंगे नहीं और उनके पास बुक्स हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब आप घुमा रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके पास तो बुक्स हैं और आपको दूंगा तो बेकार जाएगी, रद्दी में बेच देंगे कहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि अकाल के नाते अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट नहीं कर सकते। जिम्मेदारी मूलतः राजस्थान सरकार की हे।

श्री शिवचरण माथुर : ठीक बात है, दोनों की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है, मैं दोनों की नहीं मानता, बिलकुल नहीं मानता।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मूलतः राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, राजस्थान इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। यह पहलू दूसरा है कि हम जितनी सहायता ले सकें उतनी सहायता लें लेकिन उस सहायता के नाते, मेरी भी सरकार थी और दिल्ली में सरकार दूसरों की थी, मुझे केवल 21 करोड़ रुपये मिले और 21 करोड़ रुपये भरतपुर में जो बाढ़ आई थी, उसका मेमोरेंडम तो बनाया था कोई 700 करोड़ का, हमें भी 21 करोड़ रुपये मिले लेकिन जितना खर्च करना चाहिए था उतना खर्च किया। आज खर्च तो हो नहीं रहा, मुख्य मंत्रीजी, आपने 1400 करोड़ रुपये का ज्ञापन दिया। ज्ञापन दिया उस समय नवम्बर में एक लाख आदमियों को रोजगार देना था, दिसम्बर में एक लाख आदमियों को रोजगार देना था, जनवरी में दो लाख आदमियों को रोजगार देना था और फरवरी में दो लाख आदमियों को रोजगार देना था, आपने इन चार महीने में एक आदमी को रोजगार नहीं दिया, आपको पैसा किस बात का मिलेगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपका आरोप मेरी राय में बिलकुल निराधार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल निराधार नहीं है। मेरा आरोप निराधार नहीं है, मैं समझता हूं कि मेरा आरोप निराधार हो तो आप बता देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चार महीनों में कोई काम आपने नहीं किया। चार महीने में एक आदमी को रोजगार नहीं दिया।

श्री शिवचरण माथुर : दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं ? नहीं दिया न ?

श्री शिवचरण माथुर : दिया है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह सारा जब अकाल पर आयेगा तब पूरा हिसाब–किताब कर लेंगे अभी कोई चिंता की बात नहीं है।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आज इस अकाल के मामले में मैं आपसे कह सकता हूं, गुलाब सिंहजी बैठे हैं, अभी मैं दो–तीन दिन पहले कहीं गया था और मुख्य मंत्रीजी भी साथ थे, अपन दोनों ही गये थे एक गौशाला में, पाली में, उस समय आपको पता होगा कि हम गौशाला में गये तो मैंने पूछा कि एक गाय पर तुम्हारा कितना खर्चा आता है। तो उन्होंने बताया कि 18 रुपये तो वैसे आते हैं और कैटल फीड का जोड़ते हैं तो ज्यादा खर्चा आता है। आपको शायद स्मरण होगा ? अब मैं पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान के पशु को बचाने के लिए आप दे क्या रहे हैं ? आप कह रहे हैं चारा बेच रहे हैं और चारे के लिए हमने लोगों को रियायतें दी हैं। गुलाब सिंहजी, मैं आपको कह सकता हूं कि चारा आज सारे राजस्थान में ट्रक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लदे हुए खड़े हैं खरीददार नहीं हैं। खरीददार इसलिए नहीं हैं कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है कि वह उस परचेजिंग कैपेसिटी से ड्राई एनिमल्स को बचा सकें, उनका चारे का प्रबंध कर सकें। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। मैंने परसों आपको बात कही हाउस में, रिपीट करना नहीं चाहता, इस अकाल के सम्बन्ध में अगर लोगों की रोजी–रोटी का आपने प्रबंध नहीं किया तो मैं समझता हूं कि हम ऐसे संकट में फसेंगे जिस संकट का समाधान आज की स्थिति में हमारे लिए बेकाबू हो जाएगा। उसमें आप चाहें तो चाहे मांगने का सवाल हो, मैं मांगने को तैयार हूं। चारा मांगने का सवाल हो चारा मांगने के लिए जाऊंगा, पानी के लिए कुए अगर उधार आपको मिल सकते हों तो मैं जाऊंगा और करूंगा। यह जनता का संकट है, इसका समाधान करने के लिए राजनीतिक विषय मत बनाइये। यह राजस्थान का मामला है और जनता को बचाने का मामला है।

अब ऐसी स्थिति में मैं दो बातों की ओर आपको सावधान कर देना चाहता हूं। एक तो यह कि फिस्कल डेफिसिट का मामला आया था कल भी, आज भी आया। फिस्कल डेफिसिट जिस मात्रा में है उस मात्रा में यह एक फाइनेंशन स्ट्रेस के पाइंट पर पहुंच गया है और स्ट्रेस ऐसा है कि अगर आप सारा कांस्टीट्यूशन पढ़ें और सारी फाइनेंशल बुक्स में देखें तो फाइनेंशल इमरजेंसी का जो प्रोविजन कांस्टीट्यूशन में दिया है, उस प्रकार की स्थिति बन रही है। भगवान करे वह स्थिति नहीं बने इसलिए कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब फिस्कल डेफिसिट, टोटल रेवेन्यू डेफिसिट का यदि परसेंटेज बढ़ता है तो इसका मतलब अनप्रोडक्टिव कामों में पैसा ज्यादा खर्च होता है। इसको आप रोकिये। और आप नहीं रोकेंगे तो इसके भी बहुत खतरे हैं। उन खतरों से आप सावधान होकर चलें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सदन का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे गंभीरता से लिया और मैं आभारी हूंगा वित्त मंत्रीजी का, कि इस भाषण को राजनीतिक विषय न बनाकर तथ्यों में जाकर इसका उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बोल चुके थे पहले।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया अब।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पन्द्रह दिन हो गये। आप मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिमांड पर बोल लेना।

श्री संयम लोढ़ा : आपने मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया और जब मेरा नाम बोला...

श्री उपाध्यक्ष : बोलो–बोलो। (व्यवधान) नहीं ये बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी समाज तब चलता है जब उसमें वर्ग संघर्ष पैदा नहीं हो और पिछले पचास सालों में हमारे पुरखों ने जिस सोच का निर्माण किया कि हम सम्पन्न से लेकर विपन्न को दें, मैं समझता हूं हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह उसी का परिचायक है। आज आर्थिक उदारीकरण के दौर में जब आम आदमी शासन की चिंता का विषय नहीं रहा, ऐसे वक्त में हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया, मैं यह कह सकता हूं कि इससे बेहतर बजट हो ही नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में हमें वह मानवीय चेहरा दिखता है, वह मानवीय संवेदनाएं दिखती हैं जो हमारे शासन में और हमारे नेतृत्व की सोच में है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस बजट में सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक राशि का प्रावधान किया गया है। आज जब हम हमारे समाज में देखते हैं कि किस तरीके से हमारी बहिनों के साथ दहेज को लेकर अत्याचार हो रहे हैं। विशेष साज–सज्जा और धन के प्रदर्शन का एक दौर चल रहा है। एक व्यक्ति अपनी शादी में पांच हजार लोगों की बारात के लिए खाने का इंतजाम करता है तो दूसरा यह सोचता है कि मैं उससे कहीं बढ़कर आगे जाऊं। जब शासन कोई सोच लेकर यह फैसला करता है और शासन के दिमाग में यह बात आती है कि हमें सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना चाहिए तो मैं समझता हूं हमें भी इस बात को महसूस करना चाहिए कि शासन का सोच हमारे समाज की कुरीतियों के प्रति कितना सकारात्मक है और इसी दिशा में हमारे वित्त मंत्री और हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय के माध्यम से सामूहिक विवाह के लिए प्रावधान किया गया है। पूर्व में माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे उसमें मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में जो प्रावधान किया गया है, यह कहा गया कि पिछले एक साल में मात्र 56 लोगों को इसका लाभ मिला और राजस्थान के पौने दो करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पौने दो करोड़ लोग सारे उस रोग से प्रभावित नहीं होते हैं। यह जो प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय और हमारे मुख्य मंत्री महोदय के दिमाग में समाज में वह जो सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी, सबसे अंतिम छोर पर खड़ा हुआ आदमी था, जो एक गंभीर बीमारी के नाम से भयभीत हो जाता था और इलाज से पहले ही मर जाता था आज उसके पास एक रास्ता उपलब्ध है। वह कैसी भी गंभीर बीमारी हो वह प्राण

(श्री संयम लोढ़ा)

रक्षा के लिए शासन से किस तरह की उम्मीद कर सकता है, अपेक्षा रख सकता है और जो मेडिकेयर रिलीफ कार्ड योजना प्रस्तुत की गई है और पिछले साल उसके माध्यम से लाभ भी मिला है। मैं समझता हूं, राजस्थान की करीब 28 प्रतिशत आबादी को इस शानदार प्रावधान के माध्यम से लाभ मिलेगा और जो मुख्य मंत्री रोजगार योजना प्रस्तुत की गई है और इसमें भी खास तौर पर निशक्त व्यक्तियों के लिए 10 फीसदी प्रावधान किया गया है वह हमारे शासन की सोच को प्रदर्शित करता है कि जिन लोगों के साथ परमात्मा ने अन्याय किया है, ईश्वर ने न्याय नहीं किया है, यह शासन उनको न्याय देने की इच्छा रखता है, भावना रखता है और उसी के अनुरूप यह प्रावधान किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गरीब इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बड़ी तादाद में हैं और पिछले पचास साल का उदाहरण मेरे सामने है कि मेरे जिले से जो उच्च सेवाएं हैं, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों और बड़ी सेवाएं हों, बहुत कम लोग हमारे जिले से चुनकर आ सके और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके पास प्रशिक्षण का इंतजाम नहीं था, उनके पास सुविधाएं नहीं थीं और इस बार के बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रावधान किया है कि वे सिविल सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में जो छात्र रहते हैं उनके लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। ये जो प्रस्ताव इन्होंने बजट में किये हैं ये मानवीय संवेदनाओं की आवाज को सुनने का प्रतीक है और कमजोर तबके को आगे लाने की इच्छाशक्ति का प्रतीक है। इसी के साथ जो कमजोर वर्ग के छात्र, समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा कि उनकी किस तरह की स्थिति होती है। इस बजट में उनके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। गांवों से जिस बैक ग्राउंड से वे लोग आते हैं और उन छात्रावासों में अगर इस तरीके की सुविधा उन्हें दी जाती है तो बहुत हित में है। इस प्रस्ताव का भी मैं स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कर प्रस्ताव जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किये हैं, बहुत शानदार हैं। बिक्री कर का टर्न ओवर पर जो टैक्स प्रपोज किया है और व्यावसायिक कर का जो दायरा इन्होंने निर्धारित किया है वह स्वयं ही इंगित करता है कि इन्होंने पूरे समाज की भावनाओं को समझा है और जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा है उनसे लेकर विपन्न लोगों के हित में उस धन का

(श्री संयम लोढ़ा)

उपयोग करने का प्रयास किया है। मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी चर्चा के दौरान हमारे कई प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने राजीव गांधी पाठशालाओं को लेकर सरकार की आलोचना करने की कोशिश की है। लेकिन जो प्रदेश साक्षरता के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है, जहां महिला साक्षरता का प्रतिशत देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है, ऐसे प्रदेश में अगर राजीव गांधी पाठशालाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो मैं समझता हूं उससे जरूरी कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। और सिर्फ राजनीति के लिए किसी प्रस्ताव का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। पिछले साल जो राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गयीं उनके माध्यम से करीब पांच लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का अतिरिक्त नामांकन हुआ है और मैं समझता हूं कि इससे आने वाले वक्त में हमारा प्रदेश एक साक्षर प्रदेश के रूप में खड़ा हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दस दिन पहले जब मैं शिक्षा मंत्री महोदय से मिला था, तब मैंने इनको एक सुझाव दिया था कि आप आने वाले वर्षों में सैकण्डरी स्कूल्स या सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स, इस तरीके के और प्रावधान करने की चेष्टा नहीं करें क्योंकि पहले जो आपने प्रावधान किये हैं, आज वे सारे स्कूल्स खाली पड़े हुए हैं। उनमें लेक्चरर्स की पोस्ट नहीं है। मैंने उनसे यह निवेदन किया था कि आप हर पंचायत समिति मुख्यालय पर ऐसे स्कूल की व्यवस्था करें जिसमें होस्टल भी हो, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक बेहतर शिक्षा मिल सके। आज आफिसर्स गैलेरी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं या इस हाउस में हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से कितनों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं ? बहुत कम लोग होंगे जिनके बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ते होंगे फिर क्यों हम सरकारी स्कूल्स का स्तर ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं जहां पर हम सब लोगों के बच्चे पढ़ सकें। हम स्कूल्स पर स्कूल्स खोलते जाते हैं लेकिन उसमें हम कोई लेक्चरर की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो ऐसे लोकप्रिय कदमों को उठाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक हम उन्हें बेहतर तालीम की सुविधा नहीं दे सकें, (व्यवधान) उससे साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता है। वे सारे वह बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। जहां राजीव पाठशालाएं खोली गई हैं वहां जाकर देख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कई तरीकों से आंकड़ों को लेकर सरकार की आलोचना की गई। यह भी कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई। घरेलू उत्पाद में कमी हुई लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दो साल से राजस्थान अकाल का सामना कर

(श्री संयम लोढ़ा)

रहा है और जिन कुओं के अंदर बारह घंटे पानी मिलता था आज उन कुओं में आधे घंटे भी पानी नहीं रहा है। इन सारी बातों का असर कृषि उत्पादन पर भी पड़ता है और उसके साथ–साथ प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ेगा। सरकार की ओर से उन प्रयासों में कोई कमी नहीं है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके।

पिछले एक साल के अंदर विद्युत को लेकर हमारे प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने आलोचना की लेकिन यह सच्चाई है। यह सच्चाई रिकार्ड पर है कि विद्युत का उत्पादन जो 1997–98 में 2098 करोड़ यूनिट था वह अभी 2433 करोड़ यूनिट हो चुका है और प्रति व्यक्ति वर्ष उपभोग जो पिछले साल 297 यूनिट था वह इस बार 309 यूनिट हो चुका है और यह सरकार की उपलब्धि है और सरकार के इस इरादे को प्रदर्शित करती है कि वह किसानों को पूरी सुविधाएं उपलबध करवानां चाहती है। आंकड़ों की बाजीगरी को लेकर, सरकार के वित्तीय प्रावधान को लेकर, कई तरीके से विपक्ष की ओर से, करने की कोशिश की गई लेकिन पूरे देश की स्थिति सामने है। हमारे पूर्व वित्त मंत्री श्री चन्दन मल बैद, वर्तमान वित्त मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कठोर प्रयासों की वजह से, उनके नियंत्रण की वजह से आज राजस्थान को शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, असम के अन्दर ट्रेजरी बंद हो गई, पंजाब के अंदर सरकारी भवनों की नीलामी हुई और पैसा चुकाना पड़ा। राजस्थान को इस शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। इतनी खराब परिस्थितियों के बावजूद इस तरीके की व्यवस्था को कायम रखना मैं समझता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार की उपलब्धि है और इसके लिए मैं हमारे माननीय नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। प्रति व्यक्ति आय में कमी की बात हमारे विपक्ष की ओर से कही थी। लेकिन पिछले पचास साल में कांग्रेस ने जिस शासन की बुनियाद रखी है, जिस व्यवस्था की बुनियाद रखी है, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, लोगों के जीवन में खुशहाली आयी है और यह आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि पिछले एक साल में राजस्थान में 2 लाख 65 हजार 738 वाहन खरीदे गये, एक लाख नब्बे हजार दुपहिया वाहन खरीदे गये, तीस हजार एक सौ ट्रेक्टर खरीदे गये। अगर लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं आई हुई है तो एक साल में तीन लाख वाहन इस प्रदेश की जनता खरीद नहीं सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने अभी यह कहने का प्रयास किया कि हमने जितना भी लोन लिया वह मानव संसाधनों के विकास में खर्च किया। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के आंकड़े बताये और यह

(श्री संयम लोढ़ा)

साबित करने की कोशिश की उनके कार्यकाल में गरीबी उन्मूलन हुआ है जबकि उपाध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर गलत तरीके से हजारों लोगों के नाम जो गरीबी रेखा के नीचे थे, उनके काट दिये गये। आज भी आप पूरे राजस्थान में सर्वे करा लें। हर गांव के अंदर जो पहले नाम थे लोगों के वह नाम उनके शासनकाल में काट दिये गये और इस तरीके से गलत आंकड़ों का एक मायाजाल बुनकर यहां भ्रमित करने वाला आंकड़ा पेश किया गया। मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पिछले साल लिखित में दिया था कि गरीबी रेखा के नीचे जो चयनित किये गये लोग हैं उसके अन्दर धांधली हुई है और वास्तविक आदमी को वंचित किया गया है। जो गरीबी उन्मूलन के आंकड़े हैं वह सही नहीं हैं जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने प्रस्तुत किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो जनसंख्या बढ़ोतरी की स्थिति है, सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वह उससे प्रभावित होती हैं। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अपनी जनसंख्या नीति की पिछले दिनों घोषण की लेकिन उसमें वह साहस नहीं जुटा पायी जो उसको करना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्य और सांसदों को उस जनसंख्या नीति के दायरे में लिया जाना चाहिए था जिसके तहत पंचायत समिति के सदस्य और नगरपालिका के सदस्यों को लिया गया है। दो से अधिक संतान होने पर विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। यह प्रस्ताव उन्होंने नहीं लिया और आज आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने 1975 में जो परिवार नियोजन का अभियान चलाया था, वह सारे परिणामों को जानती थी लेकिन इसके बावजूद देश हित में उन्होंने वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। विपक्ष ने उसका गलत दुरूपयोग किया और आज इस बात की महती जरूरत है और हमने वह कठोर कदम नहीं उठाये तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। राजस्थान में छह लाख सरकारी कर्मचारी हैं। मैं समझता हूं सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाले वर्ष के बाद ही प्रावधान लागू किया जाना चाहिए कि जिसके दो से अधिक संतान होगी उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। अगर ऐसे कठोर फैसले सरकार ने नहीं लिये तो आने वाले वक्त में चाहे आप मुख्य मंत्री हों, चाहे कोई दूसरा हो, प्रदेश का कोई मुख्य मंत्री इस चुनौती का सामना नहीं कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चारे और पशुओं की व्यवस्था को लेकर कई तरह के +++

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री संयम लोढ़ा)

सदन में हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने प्रस्तुत किये। हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता खुद इतने सक्षम हैं, इनके इतने प्रभावशाली रिश्तें हैं कि चाहें तो निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करके जगह–जगह पर इस तरीके से चारा डिपो लगाने में सहयोग कर सकते हैं। आज मेरे सिरोही जिले में 24 डिपो ऐसे निजी संस्थाओं के माध्यम से चल रहे हैं जो पचास पैसे दर से कम मूल्य में लोगों को चारा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे सांसद बूटासिंह हर महीने एक ट्रेन गाड़ी भेज रहे हैं। हमारे जिले में एक भी इनकी पार्टी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस दिशा में कोई प्रयास कर रहा हो। आप हर चीज पर सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर आपके मन में वाकई इन पशुओं के प्रति कोई दर्द है, कोई करूणा है तो आपको अपने सोर्सेज को उपयोग करके उनको बचाने की दिशा में आगे आना चाहिए बजाय कि सरकार पर झूंठी तोहमत लगाने के।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा–सा समय और लूंगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संघर्ष का एलान किया। हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन मैं दो–तीन बातें उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं। आपके कमिटमेंट को, आपकी प्रतिबद्धता को लागू करने वाली जो मशीनरी है वह इसके प्रति कितनी ईमानदार है, यह देखने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1995 से लेकर 1997 के दौरान केन्द्रीय सहकारी बैंक, बाड़मेर के माध्यम से जो फव्वारा ऋण योजना थी उसके अंदर दो करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। उसकी शिकायतें हुई, जनवरी में उसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। तीन महीने में उसने अपनी जांच पूरी की और जांच रिपोर्ट उसने प्रस्तुत कर दी। उसमें दो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की गई। सदन को जानकर ताज्जुब होगा कि वह जनवरी में जो नियुक्ति आदेश निकाला गया था, चूंकि अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट आ रही है, अप्रेल में सहकारिता विभाग के एक संयुक्त सचिव ने आदेश जारी करके उस इन्क्वायरी आफिसर की नियुक्ति के आदेश को ही निरस्त कर दिया। अगर इस तरीके की स्थिति रही तो मैं नहीं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई प्रभावशाली संघर्ष हो पाएगा।

माननीय गृह मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में पुलिस शराब के ठेकेदार की रेड पार्टी के रूप में काम कर रही है। इस तरीके की शिकायतें अधिकांश जगह पर हैं कि जब रेड पार्टी के लोग जाकर रिवाल्वर दिखाकर लोगों को उठाकर लाते हैं और पुलिस को हैंड ओवर करते हैं और उनके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आबकारी विभाग ने अभी एक नया संशोधन

(श्री संयम लोढ़ा)

निकाला है जिसमें यह प्रावधान कर दिया है कि जो गाड़ी सीज की गई है, चाहे वह झूठी है या सच्ची है उसको आबकारी आयुक्त ही छोड़ सकता है। इस तरीके से पुलिस द्वारा लगातार असत्य मुकदमें किये जा रहे हैं। मेरा सिरोही जिला बहुत छोटा सा है। सिर्फ तीन विधान सभा क्षेत्र उसमें हैं। साढ़े चार लाख की आबादी है और वहां शराब का ठेका जाता है बीस करोड़ का। उपाध्यक्ष महोदय, किसलिए जाता है कि वहां से गुजरात को शराब की तस्करी होती है और सिर्फ वह तस्करी करने के लिए वह शराब के ठेके का आंकड़ा इतना ऊंचा जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

1973 में लोकायुक्त संस्था की आपने स्थापना की और उसके बाद से लेकर आज तक वह संस्था राजस्थान की जनता के हित में कितनी कारगर हो पाई है यह आप और हम सब जानते हैं। पहले भ्रष्टाचार से पीड़ित कोई आदमी होता था वह अखबार में खबर छपवाता था और यह सोचता था कि इसकी कार्यवाही हो जाएगी, लेकिन वह सब बंद हो गया। फिर उसको यह लगने लगा कि मैं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में शिकायत करूंगा तो कार्यवाही हो जाएगी लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग उन अधिकारियों का अड्डा बन गया जो हमारे फील्ड में काम नहीं कर सकते। जो एकदम नाकारा, निकृष्ट और अक्षम हो चुके हैं वह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में लगाये जाते हैं। तीसरी उम्मीद इस लोकायुक्त संस्था से है लेकिन इसके पास कोई अधिकार नहीं है। वह मात्र एक सिफारिशी संस्था बनकर रह गई है। ना तो सीज एंड सर्च का अधिकार उसके पास है, ना उसके पास कोई स्वतन्त्र जांच एजेन्सी है अगर आप भ्रष्टाचार को रोकने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जो लोकायुक्त संस्था का स्वरूप है उसी के आधार पर चलते हुए आपको राजस्थान में भी लोकायुक्त संस्था को अधिकार प्रदान करने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले साल बजट पर एक सुझाव दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि उन सुझावों में से एक सुझाव को लागू किया उन्होंने और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से एक गाड़ी वापस लेने का सरकार ने फैसला किया। मेरे उन सुझावों के साथ और भी कई सुझाव थे जिन पर अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस उम्र का हूं, राजस्थान में दो करोड़ लोग उस उम्र के हैं और मैं जो भावना आपके सामने रख रहा हूं मैं राजस्थान के दो करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जैसे बड़ामेडा, केंदली, वहां पर अगर कोई गर्भवती महिला बीमार

(श्री संयम लोढ़ा)

हो जाए तो उसको खाट पर डालकर ऊपर से नीचे लेकर आना पड़ता है और देवली, मोचाल, बाड़का ऐसे गांव हैं जहां कोई गर्भवती महिला बीमार हो जाए तो उसको छकड़े में डालकर अस्पताल ले जाना पड़ता है और कई बार तो वह गर्भवती महिलाएं रास्ते में दम तोड़ देती हैं तो उनके परिवारजनों की वेदना का हम अहसास कर सकते हैं। आज पचास साल हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके की व्यवस्था हम देख रहे हैं, आज भी मैं यह समझता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत अगर उन मामलों में कार्यवाही नहीं कर सके तो आने वाले भविष्य में कोई दूसरा नेता वह कार्यवाही नहीं कर सकेगा। राजस्थान की जनता को और मुझे स्वयं को उनसे ही यह उम्मीद है कि वह इस दिशा में ठोस कार्यवाही कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय सिविल सेवा आजादी के पहले जब चलती थी 1200 अधिकारी हुआ करते थे और उसके बाद उसको आई. ए. एस. का रूप दिया गया। आज पांच हजार आई. ए. एस. हिन्दुस्तान के अंदर कार्यरत हैं। पचास साल में कितना स्वरूप बदला है। पहले की जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक आज भी वही सहूलियतें, वही सुविधाएं अगर इस तरीके से कायम रखी गयी तो उस गरीब आदमी का क्या होगा जिसने एक उम्मीद और विश्वास के साथ हमें इस सदन में भेजा है। हम अपनी सुविधाओं में कटौती नहीं करना चाहते। आज जिलों के अंदर संभाग मुख्यालय पर राजधानी में सात–सात बीघा की कोठियां बनी हुई हैं। राजस्थान की गरीब जनता का करोड़ों रुपया इसमें लगा हुआ है, पड़ा हुआ है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उन सारी प्रोपर्टी को बेचकर आप उस गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए सड़क बना सकते हैं। आप लोगों के लिए चारे का इंतजाम कर सकते हैं और इस वक्त आपने अगर कठोर फैसले नहीं किये तो आने वाले वक्त में कभी नहीं हो पायेंगे। मैं यह समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने, मुख्य मंत्री महोदय के परामर्श से जो बजट पेश किया है, एक शेर उनके दिलो दिमाग में रहा होगा। उसके साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं –

"हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो,
चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो।"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने उत्तर में सर्वप्रथम...

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको बोलने दीजिये फिर नहीं कहा हो तो बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई...(व्यवधान) ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले उनको सुनो। आपके इस सवाल का जवाब नहीं आये फिर बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सवाल का जवाब नहीं चाहिए मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : फिर क्या चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनें। सवाल यह है कि जब तक फिस्कल डेफिसिट वाले पाइंट के ऊपर क्लेरिफाई वित्त मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : Let him clarify.

श्री सुरेन्द्र व्यास : This is no Budget. इस पर रिप्लाई जब होगा जब पहले फिस्कल डेफिसिट के ऊपर...

श्री उपाध्यक्ष : In your opinion it may not be a Budget but it is a Budget.

श्री सुरेन्द्र व्यास : But this is not a Budget.

श्री उपाध्यक्ष : It is a Budget.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल...

श्री उपाध्यक्ष : Your saying that it is not a Budget does not mean that it is not a Budget. It is a Budget.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ...(interruptions)... there is no Budget.

श्री उपाध्यक्ष : And the Leader of the Opposition has spoken on the Budget. Where is the problem now ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : Where has he spoken ?

श्री उपाध्यक्ष : He has spoken on the Budget.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं लीडर ऑफ दी अपोजीशन से बंधा हुआ नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I too don't say that. लेकिन it is a Budget. The House has accepted it as a Budget.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कानून से बंधा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अकेले कह दो कि बजट नहीं है तो वह थोड़े ही चलेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बिलकुल बजट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down. Let the Hon'ble Finance Minister speak.

श्री के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, आप वित्त मंत्रीजी को सुनिये तो सही पहले।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। आप विराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन सुनें पहले।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं सुन रहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : (व्यवधान) सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट को वेरीफाई करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कहने से थोड़े ही करना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मेरे कहने से नहीं करना पड़ेगा, नियमों में है।

श्री उपाध्यक्ष : You cannot put your words in his mouth. आप नियम कोट कीजिये। नियमों में है तो किस नियम में है, बताइये ? Under what rule you are speaking ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बजट क्या होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : नियम क्या होता है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : गलत फैक्ट्स दिये हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हो ना कि नियम में है। माननीय सदस्य, Let him speak. If you are not satisfied, then you can ask him.

श्री सुरेन्द्र व्यास : सेटिस्फाई, क्वेश्चन नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह जानने का हमको अधिकार है कि आपने बजट एट ए ग्लांस में जो बात कही है वह सही है या जो कह रहे हो वह सही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बोले ही नहीं उससे पहले आप बहस कर रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : दोनों के आंकड़ों में बहुत भारी अंतर है।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) यह बात आप कह चुके हो। उनका जवाब सुनो ना आप। (व्यवधान)

श्री के. सी. चौधरी : यह पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों हो रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चश्मा है या यह तराजू है, दोनों में से क्या चीज है यह तो पूछने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पूछ चुके कल। आप समझ ही नहीं रहे हो। (व्यवधान) यह बात तो आप कह चुके हैं।

डा. चन्द्रभान : आप उन्हें रिप्लाई क्यों नहीं देने दे रहे हैं। पहले आप जवाब सुन लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब मना कर रहे हैं रिप्लाई देने के लिए। कब मना कर रहे हैं रिप्लाई देने के लिए। कोई भी चीज हो उसको पूछा तो जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे समझ में नहीं आ रही आपकी बात।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1990 से लेकर अब तक जितने भी बजट भाषण, बजट एट ए ग्लांस हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कल एक घंटा बोले हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने इसको सबको खतम कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ नहीं रहे हो। आप कल एक घंटा बोले हो और यह सब कह चुके हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : बजट के घाटे को, आपने बजट भाषण को पूरा कर दिया। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर अबके क्या दिक्कत थी कि आपने इसमें...

श्री उपाध्यक्ष : किससे जानना चाहते हो आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद : राजकोषीय घाटा और प्रारम्भिक घाटा दर्शाया ? ऐसी क्या जरूरत आ रही थी ?

श्री उपाध्यक्ष : किससे जानना चाहते हो यह बात ?

मोहम्मद माहिर आजाद : वित्त मंत्रीजी से।

श्री उपाध्यक्ष : बोलेंगे जब जानेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : बोलने दीजिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं यह ?

श्री उपाध्यक्ष : आप जानना भी चाहते हो, सुनना भी नहीं चाहते हो। दोनों बात साथ कर रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष के, प्रतिपक्ष के और खास तौर से प्रतिपक्ष के नेता महोदय, सभी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट की चर्चा के अंदर महत्वपूर्ण सुझाव दिये, मार्गदर्शन दिया, आलोचना हुई, मैं इन सबका आभार प्रकट करता हूं। यहां पर यह कहा गया कि यह बजट ही नहीं है। बजट का प्रावधान प्रस्तुत करने का आर्टिकल 200 (2) आफ दा कांस्टीट्यूशन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मानते हैं, कोई मना नहीं करता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब आप यह मानते हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान) मैने आपको बता दिया ना। अब आप उसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह मेरा पहला मौका है शायद आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसमें आपका सहयोग करना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप शायद मेरी क्लास

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लेने के हिसाब से पूछ रहे हैं। मैंने प्रयत्न किया है। क्योंकि मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है मुख्य मंत्रीजी ने कृपापूर्वक मेरे ऊपर भरोसा करके एक माह पूर्व...

श्री खेतसिंह राठौड़ : फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन लाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फर्स्ट डिवीजन तो आप ही आये हैं, आप में और इनमें तो बहुत फर्क है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह लॉ में फर्स्ट डिवीजन हैं, यह फाइनेंस में फर्स्ट डिवीजन हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह महकमा सौंपा और मैंने अपनी अक्ल से जो थोड़ी बहुत मुझ में है, यह बजट पेश करने की अल्पकाल में कोशिश की यहां पर। मुख्य मंत्रीजी का मैंने इसमें मार्गदर्शन, मेरे सहयोगी मंत्रियों से भी मैंने चर्चा की, खाली टैक्स प्रपोजल्स को छोड़ कर क्या कर सकते हैं जनरल, कुछ चीजें समावेश की, कुछ नहीं की, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं यहां पर।

मैंने अपने बजट भाषण में खास तौर से एक बात पर जोर दिया था फिस्कल डेसिप्लिन, एण्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिस्कल कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यह मेरे पूरे बजट का थ्रस्ट था, समर्पित था। यहां यह कहा गया कि बजट दिशाहीन है, कोई दिशा ही नहीं है और कहना स्वाभाविक भी है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जरूर कुछ राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय इकोनोमिक इश्यूज को यहां उठाया जिन पर मैं बाद में संक्षेप में चर्चा करूंगा। मेरे पक्ष के लोगों ने, मेरे साथियों ने बजट को सराहा और उधर के लोगों ने कुछ कृपा कम की। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, हमारा रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू साइड में जो हमारा डेफिसिट है वह बढ़ रहा है इसको कंटेन करने की बात, इसको एक सीमा में रखने की बात और भविष्य के अंदर इसको कम करने की बात मैंने खास तौर से कही है। अब इसके कई इम्प्लीकेशंस हैं। क्या विकास की गति रुकेगी इससे ? विकास अवरूद्ध होगा, हमारे सोशल सैक्टर का क्या होगा ? हमारे जो वीकर सैक्शंस के लोग हैं इनका क्या होगा ? हमारी जो परिसम्पत्तियां हैं पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में डवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो बंधी हैं, उनके रख–रखाव का क्या होगा ? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं। मैं उनके ऊपर संक्षेप में आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। राजस्व घाटे में पिछले साल में बढ़ोतरी हुई और इस साल के अंदर भी मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें मैं किसी तरह से कमी लाऊं। और मुझे उम्मीद है क्योंकि मैंने अपने बजट भाषण में बहुत साफ तौर से कहा था, चूंकि इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन की अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है और

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रिपोर्ट नहीं आने के कारण से उसके रिकमंडेशन के फलस्वरूप जितना डिवोल्युशन होगा इस बात को मैंने अपने बज़ट के जो एस्टीमेट्स हैं, उसमें इस बात को लिया नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सबसे ज्यादा चर्चा प्रतिपक्ष ने इस बात की की है कि राज्य का विकास अवरूद्ध हो गया। यह बात सही है कि प्लान साइज 5 हजार 20 का जो बनाया था उसको घटा करके 38 सौ का रखा था जो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के मुताबिक 4 हजार करोड़ का रहा। मैं इसके बैक ग्राउंड में जाना चाहूंगा। जब आपने फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, नाइंथ फाइव ईयर प्लान आपने जो बनाया, पंचवर्षीय योजना, 27 हजार करोड़ रुपये की आपकी चर्चा हुई थी, उस वक्त भी स्टेट के रिसोर्सेज को लेकर चर्चा हुई, वहां पर बातचीत हुई थी। यह मेरे पास कागजात हैं इसके, लेकिन अन्ततोगत्वा तो 27,000 की वहां से मंजूर हुई और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर उसको 27,650 की कर दी। यह 1997 के अंदर मंजूर हुई थी और आवश्यक भी था प्रतिपक्ष के नेता के लिए, जो उस समय मुख्य मंत्री भी थे क्योंकि उनके सिर पर भी इलेक्शन का प्रश्न था कि मैं इलेक्शन के लिए जा रहा हूं और इलेक्शन में जाने से पहले मैं इतनी बड़ी योजना अगर जनता के सामने प्रस्तुत करूंगा तो उससे मेरी वाहवाही होगी और राज्य के विकास के अंदर मेरी पार्टी का और मेरा कमिटमेंट दर्शेगा इससे। लेकिन उसी वक्त से जो प्लान को फंड करने की बात थी, प्लान के लिए रिसोर्सेज की बात थी, यह उसी दिन से लग गया था कि रिसोर्सेज भारत सरकार से आने नहीं हैं और नहीं आये। क्योंकि अगर आते तो आपका पहला साल इस नाइंथ फाइव ईयर प्लान का 3500 करोड़ रुपये का नहीं बनाते। आप खुद सीरियस नहीं थे इसके बारे में। आपको दिक्कत थी। कर आये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहता हूं, अब 27,650 की योजना, मोटा रूप दें तो इक्वल इंस्टालमेंट, लोग कहते हैं इन्क्रीमेंट्स। दो थ्योरी है। It should be incremental. चलिये इन्क्रीमेंटल की बात करें। 3500 करोड़ की आपने बनायी और 700 करोड़ रुपये आपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लोन इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। यह फिगर खाली पाने के लिए, रेस्पेक्टेबिलिटी पाने के लिए आपने 4200 करोड़ की वह योजना बना दी। ठीक था। उसके बाद आपने प्लान का सैकंड ईयर 4000 की बनायी। फोर जीरो समथिंग, आपने बनायी। उसके अंदर एक्चुअल्स भी नहीं हुए। एक्चुअल्स कई दफे कम हो जाते हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं। एक्सपेंसिव जो खर्चा होता है जब अकाउंट्स री–कंसाइल होते हैं, जब ए. जी. की रिपोर्ट आ जाती है तो कई दफा थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो मेरे कहने का

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मतलब है कि आपको दिख गया था कि जो भारत सरकार ने तय किया था कि सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स के तहत, टेंथ फाइनेंस कमीशन के 29 परसेंट डिवोल्यूशन के तहत जो मिलेगा आपको और भारत सरकार से जो ग्रांट–इन–एड मिलेगी, वह आपको प्राप्त हो गई। इलेक्शन का साल था। आप रिसोर्स मोबेलाइजेशन करने की भी स्थिति में नहीं थे। उस साल में नहीं कह सकते थे आप यह आ रहे हैं। अगर हम आपकी जगह होते तो हमारे सामने भी यही समस्या होती, हर राजनीतिक दल के सामने होती। मुझे इसको स्वीकार करने में कहीं दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर आपकी पार्टी का प्रेशर हो सकता है। हमारी पार्टी के ऊपर हमारे लोगों का प्रेशर होता है। आपने नहीं किया। अब आप हमसे कल्पना करते हैं कि रिमेनिंग तीन साल के अंदर राजस्थान के विकास को गति देने के लिए जो 27,650 का आपने आंकड़ा पकड़ लिया क्योंकि आपने सारा काम अवरूद्ध कर दिया।

रिसोर्स मोबेलाइजेशन की बात, हालांकि कर संग्रह हमारा बढ़ा है। नोन टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। यह बात सही है कि इंदिरा गांधी नहर की भूमि को बेच करके 200 करोड़ रुपया प्राप्त करने की पिछले साल बात की थी, 120 करोड़ आया। लैंड कन्वर्जन के तहत सौ करोड़ रुपया प्राप्त करने की बात थी, मुश्किल से 20 करोड़ रुपया आया, 25 करोड़ हो गया है। शॉर्ट फाल तो यहां रहा। फिर कुछ टैक्सेज वापस लेने पड़े और इस उम्मीद के अंदर विकास के बहुत सारे कामों की पिछले साल वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की। कामों की तो घोषणा की जाती है लेकिन टैक्स प्रपोजल जब वापस लेने पड़ते हैं तो काम वापस लिये नहीं जा सकते। वह हुआ। उसका इम्पेक्ट कि पिछले साल हमने राज्य के नौजवानों के हित के अंदर निर्णय लिया था 60 साल से 58 साल की उम्र का। हां, की है हमने। एडमिट करते हैं इसको। इट वाज ए, हमारा कमिटमेंट था। मुख्य मंत्रीजी का कमिटमेंट था। मेनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट था और हमने पूरा किया और उसकी हमको कीमत चुकानी पड़ी। हां, किया हमने और यह कोई जरूरी नहीं है आप जो मेनिफेस्टो का मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, बाइबल, बाइबल, बाइबल (व्यवधान) हां–हां, मैं आपकी भावना समझता हूं इसाइयों के प्रति। मुझे आप सबकी भावना मालूम है, आपके दल की और आपके सहयोगी दलों की क्रिश्चियंस के प्रति क्या भावना है मुझे मालूम है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : हमने इसको बाइबल बताया तो इसमें तो बाइबल का तो महत्व बढ़ाया है और आपके घोषणा पत्र का तो महत्व बढ़ाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इसको और कुछ भी कह सकते थे। खैर, मैं उसी बात पर आ रहा था कि आप हमसे उम्मीद करते थे कि आप प्लान को पूरा कीजिये। इस कारण ये हमारे सामने और जो भारत सरकार से डिवोल्यूशन आना था भारत सरकार से, वह आया नहीं। हमारे रिसोर्सेज में कमी आयी तो प्लान साइज को कम करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैं कहता हूं शुरू से ही आपकी अवधारणा, शुरू से ही जो आपका एप्रोच था, प्लान के प्रति आपके केलकुलेशंस थे, आपके एक्सपेक्टेशंस थे डिवोल्यूशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के, वह गलत थे। मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। बनाया है, उसको पूरा करना है क्योंकि 27,650 की योजना थी। चेष्टा की। हमारी चेष्टा में कहीं कमी नहीं थी। हमारी सिंसियरिटी में कहीं कमी नहीं थी लेकिन जब हालात हुए, नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, अगले साल की अब हमने योजना बनायी इसलिए जो हमारे हालात हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारे वेज एंड मीन्स की पोजीशन खराब है, इसको हम स्वीकार करते हैं। आपने कहा कि मुख्य मंत्रीजी के भाषण का और मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य का आपने हवाला दे दिया, कि ट्रेजरीज के ऊपर पेमेंट रोका हुआ है। रोका नहीं था। डेफर करने की बात कही थी कि कुछ दिन के लिए डेफर, तो कई दफे मौके आये हैं और आपके वक्त में भी हुआ है। कोई नई बात नहीं है। हमको भी बुरा लगता है। हम भी नहीं चाहते लेकिन आपको जानकर खुशी होगी इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी मार्च तक के 99 परसेंट बिल क्लियर हो गये, कोई एक–आधा परसेंट बिल रह गया होगा। इन कठिनाइयों के बावजूद भी हमने इन बिल्स को क्लियर किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 6 महीने तक डेफर करना वाजिब है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : 6 महीने तो नहीं लगे। हां महीने, डेढ़ महीने की देर हुई। 6–6 महीने डेफर नहीं हुए। यह मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, यह आपके वक्त में भी था। मेडिकल के पेटे आप हर जिले के अलाटमेंट कर देते थे। 10 लाख के बिल पड़े हैं तो एक लाख रुपया जिनको मिल गया उनको मिल गया, बाकी को नहीं मिला। खैर, this is not a point.

उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर इस बात की बड़ी चर्चा है क्योंकि मेरा सोच यह है, इस सरकार का सोच यह है कि जो हमारे वीकर सैक्शंस हैं, जो हमारा कमजोर वर्ग है उसके कार्यों को तो राज्य को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं। वीकर सैक्शंस की बात कर रहे हैं। एस. टी., एस. सी. की बात कर रहे हैं। मैं आपको फिगर दूंगा कि एस. सी., एस. टी. के अन्दर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अलाटमेंट क्या था पिछले साल और क्या हुआ, मेरे पास सारे फिगर्स हैं, मैं अभी आपके समक्ष पेश करूंगा। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, जो कि इंडस्ट्रीज के पाइंट आफ व्यू से और राज्य के विकास के पाइंट आफ व्यू से। इसमें आज सारे देश में प्राइवेट सैक्टर का और दूसरे सैक्टर का इन्वाल्वमेंट होता जा रहा है और जो उनको इन्वाल्व नहीं करेगा वह पीछे रह जाएगा। एक तरफ भारत सरकार इंडस्ट्रीज के ऊपर सब्सिडी के ऊपर रोक लगाने की बात कह रही है और वह भी उचित है क्योंकि टैक्स वार शुरू हो गया था स्टेट्स के बीच में, इन्सेंटिव देने का, सब्सिडी के नाम पर, सेल्स टैक्स की इन्सेंटिव के नाम पर, जो पहले से सम्पन्न राज्य थे, जो मालदार राज्य थे वह अधिक इन्सेंटिव दे रहे थे। 20-20 वर्ष की सेल्स टैक्स माफ, यह राजस्थान की हैसियत नहीं है।

आपके वक्त में ही बिल गेट्स यहां आया। आपके वक्त में ही हुण्डई यहां आई। सिर्फ 15 और 17 वर्ष के चक्कर में वह प्रोजेक्ट यहां से चला गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपकी गलती थी। आपने जो निर्णय लिया होगा, राज्य हित में लिया होगा लेकिन कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है, आज यहां बात हो रही थी कि राजस्थान में कौनसा बड़ा प्रोजेक्ट आया, राजस्थान के अंदर क्या हुआ ? अगर आप दो वर्ष बढ़ा देते तो हुण्डई यहां से नहीं जाती और एक बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस स्टेट के अंदर आती है तो उसके सहारे कितनी सारी एंसिलियरी इंडस्ट्रीज लगती हैं। यह आप सब जानते हैं। आप स्वयं बहुत अनुभवी हैं लेकिन आपकी भी कुछ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जानते हैं उससे क्या डिफिकल्टी होने वाली थी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब वह जो भी हो। मैं आपकी इसके लिए आलोचना नहीं कर रहा हूं। एक सोच की बात है।

एक माननीय सदस्य : हुण्डई कम्पनी तो दूसरे राज्य की है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, ब्लड प्रेशर का मरीज हूं। दवा लेता हूं बीमारी की, इसलिए मेरी मजबूरी है और कोई मेरे पास चारा नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह भी पानी पीते हैं, उन्होंने कौनसा नहीं पीया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझसे तो उम्र में बहुत बड़े हैं। मुझसे तो उम्र में प्रतिपक्ष के नेता बड़े ही रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो पानी पीते हैं, आप जाने क्या-क्या पीते हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज सवाल खड़ा हो रहा है कि स्टेट्स में टैक्स वार शुरू हुआ। कंसेशन देने की होड़ लगी। सेल्स टैक्स में कंसेशन दो, परचेज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

टैक्स का कंसेशन दो, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तहत कंसेशन दो। जमीन के पेटे कंसेशन दें, बिजली के पेटे कंसेशन दें। सब तरह के कंसेशन दो, नहीं तो हम नहीं लगायेंगे क्योंकि राज्य हित में राज्यों ने सोचा कि एम्प्लायमेंट अपार्चुनिटीज कम होती चली जा रही हैं तो एम्प्लायमेंट जनरेट कहां से हो। दूसरे उद्योग कहां से आयें, एक दफे इंडस्ट्री आती है, एक दफे कंसेशन आप देकर रह जाते हैं लेकिन सर्विस सैक्टर तो बढ़ता है, सर्विस सैक्टर के जरिये नये जॉब क्रियेट होते हैं, ढाबे खुल रहे हैं, कहीं मैकेनिक आ गये, टायर की दुकानें खुल गयी, कहीं ट्रक चल रहे हैं, सर्विस सैक्टर बढ़ता है। तो इसीलिए हमने कोशिश की। अब प्रश्न यहां आया कि जब इन्सेंटिव बंद हो जाएंगे तो फिर जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्टेट का डवलपमेंट नहीं करेंगे तो नई इंडस्ट्री राजस्थान में नहीं आने वाली हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के सैक्टर में पैसा पम्प करना पड़ेगा अदरवाइज आप फिर पीछे रह जाएंगे। पहले से पीछे हैं। इसलिए तय किया है कि प्राइवेट सैक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर के सैक्टर में चाहे वह रोड सैक्टर हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, हमको प्राइवेट सैक्टर को इन्वाल्व करना पड़ेगा। विलेज रोड की परवाह सरकार करेगी, उनकी केयर सरकार करेगी क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा लगाने के लिए कोई जा नहीं रहा है। तो यह हमारा थ्रस्ट है इसके अंदर कि प्राइवेट सैक्टर को इन्वाल्व करें।

आपने यहां वर्ल्ड बैंक की बात की, ए. डी. बी. प्रोजेक्ट्स की बात की, आपके वक्त में भी प्रोजेक्ट्स आये थे, मेरे पास पूरी लिस्ट है, अगर आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। उन पर भी साढ़े बारह पर्सेण्ट की रेट थी उस वक्त। आपने भी लिये हैं और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चीफ सैक्रेटरी की अगुवाई में वर्ल्ड बैंक का लोन नेगोसिएट करने के लिए बहुत बड़ी टीम भेजी है, गये और करके आये हैं वहां से क्योंकि आज राज्यों के पास एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद राज्यों के पास पैसा बच नहीं रहा है। कर्जे का बोझ बढ़ रहा है। इंटरेस्ट की लायबिलिटी बढ़ रही है। मैं आज आपके ऊपर कहूं कि आपके वक्त में 1997–98 में 2485 था, 1998–99 में 4900 करोड़ हो गया, हो गया क्योंकि मैं जानता हूं, उसका मूल कारण यह था कि इलेक्शन का साल था, रिसोर्स मोबिलाइजेशन आप कर नहीं सकते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी तो कहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी गुजारिश सुन लें, मैं तो आपकी पासंग में नहीं हूं नॉलेज के अंदर, I am nowhere. I stand nowhere. इसलिए आप तो मेरी बात सुन लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनको सुनाओगे कि सदन को भी सुनाओगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको भी सुना रहा हूं। आप भी मुझसे बहुत सीनियर हैं। आपके सामने मैं क्या कहूंगा। आप तो बहुत विदूषी हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : वित्त मंत्रीजी, ऐसा लगता है कि आपको भैरोंसिंह फोबिया हो गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मुझे फोबिया नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज लायबिलिटी...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं एक बात पूछ रहा था कि इन्होंने इतने रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया फिर वहां 30 ही जाकर के कैसे बैठ गये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1975 से लेकर 1977 तक बहुत कुछ किया था। सारे के सारे इतने ही आकर यहां बैठे थे 1977 के चुनाव में यहां बैठे थे न ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम 40 थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम 45 हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 2485 करोड़ 1997–98 में और 1998–99 में 4908 करोड़ रुपये, एक संग 97 पर्सेण्ट का इन्क्रीज। अब कहते हैं कि हमने विकास के लिए लिया, आपने विकास के लिए लिया लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट लायबिलिटी सोचो, जब 2200–2300 करोड़ रुपये की आपके एक्चुअल्स आये हैं तो उसकी लायबिलिटी 2300 करोड़ रुपये से ऊपर की बनी है क्योंकि ए. जी. के तमाम फिगर्स आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बात कही जाती है कि विकास के लिए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, माफी चाहूंगा आप इंटरेस्ट लायबिलिटी की चिंता कर रहे हैं। यह कम होनी चाहिए थी। हमने तो ज्यादा कर दी, हमारे टाइम में तो 2200 करोड़ रुपये रह गये परंतु आपके टाइम में कम हुए या ज्यादा हुए ? आप यह तो बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां–हां, मैं बता रहा हूं। मैं भुगत रहा हूं। यह एक तरह से देखा जाए तो 1997–98 से राज्य की वित्तीय स्थिति के अंदर गिरावट आनी शुरू हो गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 1997–98 से ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां–हां, बिलकुल, आप सुन लीजिये। अब यहां कहते हैं कि आपके वक्त में बढ़ा। हां, हमने भी लास्ट ईयर में, 31 मार्च को जो साल खत्म हुआ है, 1999–2000 में 5 हजार का रफली कर्ज लिया, अगले साल भी हमको 5 हजार रुपये का कर्ज लेना पड़ेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : 5 हजार नहीं 12 हजार।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे गुजारिश करूंगा, माहिर साहब, आपके फिगर्स सही नहीं हैं। आप उसमें देख लें। उसमें नेट लोन्स, शुद्ध कितने हैं, वह आप देख लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, वेज एण्ड मीन्स के भी उसमें शामिल हैं 12 हजार में, हम मानते हैं परंतु आपने 23 हजार करोड़ का जो आंकड़ा निकाला है पिछली सरकार का कर्जे का, उसमें वेज एण्ड मीन्स तो नहीं हैं न ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, वह नहीं है। वह वेज एण्ड मीन्स में नहीं आता...(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इंटरेस्ट का कितना ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कृपया स्थान ग्रहण करें। 1998–99 का बजट तो मैंने पेश किया नहीं, 1998–99 का बजट तो आपकी सरकार ने पेश किया था। आप लोगों ने पेश किया है। मैं तो उसके आंकड़े आपके सामने री–प्रोड्यूस कर रहा हूं। इसमें कंट्रोवर्सी तो हो नहीं सकती कि यह कोई मेनिपुलेटेड हैं। यह तो ए. जी. के द्वारा वेरिफाइड आंकड़े हैं। जो एक्चुअल्स हैं वह मैंने आपको दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह आता है जब ब्याज का भार एक दफे बढ़ जाता है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है हम तो मान रहे हैं। हमने अपने खर्चों के लिए और पुराने कर्जों के लिए भी जो ब्याज चुकाना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा लेना पड़ रहा है। लेकिन आप एक बात नोट करें कि 1999–2000 में अमाउंट आपको जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन जो जम्प 97 पर्सेण्ट का लगाया गया था, 2400 से 4800 हुई थी वह हमारा इतना नहीं है, वन पाइंट समथिंग। मेरे कहने का अभिप्राय है, मैं दूसरे रूप में कहना चाहता हूं, हमारी आवश्यकता है, आगे भी रहेगी, लेकिन मैं एक ही बात जो मैंने बजट में कही है, मैं सिर्फ कर्ज लेकर विकास नहीं करना चाहता, मैं कर्जा सीमित मात्रा में लेकर विकास करूंगा, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से करूंगा, जिसको आसानी से पेमेंट कर सकूं। मैं प्राइवेट सैक्टर को इसमें इन्वाल्व करूंगा, वर्ल्ड बैंक की जो योजनाएं भारत सरकार के जरिये आ रही हैं, उनको हम स्वीकार कर रहे हैं और अभी आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हमारे अधिकारी गये थे, वहां से लौट कर आये हैं, साइन करके आए हैं, डिस्ट्रिक्ट पावर्टी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, नेगोशिएशंस हुए हैं, यह करके आए हैं, हमको हिचक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं आपको फिर सावधान करना चाहता हूं। जितना आप यह फोरेन एजेंसीज से कर्जा लेंगे, उसके परिणाम राजस्थान के लिए बहुत ही भयंकर होंगे। आज आप कह रहे हो कि मैंने एक कर्जा और मंजूर करवा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिया। मैं आज आपको कहता हूं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाकर किसी वर्ल्ड बैंक के पास चली जाए, के. एफ. डब्ल्यू. के पास चली जाए, एशियन डवलपमेंट बैंक के पास चली जाए, वह अपना सारा हिसाब उसमें लेकर आपकी योजना मंजूर कर लेते हैं, कोई बहादुरी का काम नहीं करते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके वक्त में अफोरेस्टेशन, पेश्चर डवलपमेंट इन आई. जी. एन. पी. फेज II, अरावली अफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट, राजस्थान फोरेस्टिव डवलपमेंट प्रोजेक्ट, रूरल वाटर सप्लाई स्कीम 393 करोड़ की, रेजिडेंशियल स्कूल फार डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, इतनी सारी योजनाएं आपने स्वीकार कीं, उनमें भी साढ़े बारह प्रतिशत का लोन है तो आपने इनके अंदर क्यों नहीं ध्यान में रखा ? हम तो ट्रेप में फंस रहे हैं, आप ट्रेप में नहीं फंसने वाले थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको फिर बता दूं, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। उस समय में और आज के समय में फर्क है। आप समय के हिसाब से देखें, आज हम कर्जा ले रहे हैं और फोरेन एजेंसीज से कर्जा ले रहे हैं और आज के दो वर्ष बाद फोरेन एजेंसीज का हिन्दुस्तान में मार्केट बन जाएगा, उस समय हमारी क्या पोजिशन होगी, इसका ध्यान रखें। आप कर्जा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने खुद ने कहा है कि आप कर्जा लो, लेकिन कर्जा सावधानी से लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सावधानी से, पूरा डिस्कशन हुआ, मंत्रिमंडल में हुआ, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अधिकारियों को लगाया, मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई, इसको कई स्टेज पर एग्जामिन किया और उसको देखा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : यह तो कुएं में पड़ गये, क्या आप भी पड़ेंगे ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : बार–बार समर्थन कर रहे हो, इन्होंने किया, हम भी कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम नहीं पड़ेंगे कुएं में, हम कुएं में पड़ने वाले नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यहां पर जब मैंने फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की, आज सबसे ज्यादा हर सरकार के सामने जो चिंता का विषय है, वह है एस्टेब्लिशमेंट कास्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पांचवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इतना आसान काम नहीं है, राज्य सरकारों ने, केन्द्र सरकार ने सारी बातें मंजूर कर ली पांचवें वेतन आयोग की लेकिन डाउन साइजिंग की बात आई तो उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो रिकमंडेशन थी,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पूर्व मुख्य मंत्रीजी सही कह रहे हैं, एक कमेटी और बना दी वहां पर, तत्कालीन गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत जी गुप्ता, पासवानजी भी थे मैम्बर शायद उसमें, जो रिकमंडेशन आई, उससे ज्यादा रिकमंड कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस गवर्नमेंट को कांग्रेस का समर्थन था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने आंख मींच कर स्वीकार कर लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं भविष्य के लिए, शायद इलेक्ट्रिसिटी के चीफ इंजीनियर्स और चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। पहली बार प्रधानमंत्री ने हमको कहा कि ऑफिसर्स यहां से चले जाएं और चीफ मिनिस्टर्स यहां बैठे रहें। उस समय कहा कि पे कमीशन की सिफारिशें हमने मंजूर की हैं, आप अपनी तरफ से कोई नई बात मंजूर मत कर लेना। उस समय 1100 करोड़ रुपये और जब मंजूर होकर आई तो 19 करोड़ रुपये और 19 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 40 करोड़ तक पहुंच गई। उस समय सरकार जो थी वह कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी। यदि आपको इसमें विरोध होता तो उस समय सरकार से विद्ड्रा कर लेते, एक व्यक्तिगत इश्यू पर विद्ड्रा करने के बजाय यदि एक सार्वजनिक हित में विद्ड्रा करते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खैर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में आन्ध्रा की सरकार को छोड़कर करीब-करीब सभी सरकारों ने इसे स्वीकार किया और उसका नतीजा आज सबके सामने है। (व्यवधान) उन्होंने सेण्ट्रल पे कमीशन लागू नहीं किया, उन्होंनें अपना खुद का पे कमीशन बनाया था, तभी मैंने कहा है एक्सैप्ट।

अब डाउन साइजिंग की बात आई, उन्होंने रिकमंड किया, तीन प्रतिशत के हिसाब से हर साल में, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि किसी सरकार के लिए आज अपने एम्प्लॉयी की सर्विसेज टर्मिनेट करना सम्भव है ? इम्पोसिबल, नहीं निकाल सकते आप। फिर अंधाधुंध भर्ती हुई। आप इसको अदरवाइज न लें, हमारे यहां पिछली सरकार के अंदर सेण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम आ गई, आप एक फिगर दे रहे थे कि सेण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम का, मैं आपको एक मिनट क्लियर कर दूं, सेण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के तहत पिछले साल और ज्यादा रुपया खर्च हुआ है, उससे पहले यह जो आप कह रहे थे कि आपने रुपया नहीं लिया, सेण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम का, 1998-99 में 648 करोड़ 66 हजार रुपया, 1999-2000 में 745 करोड़ 33 लाख रुपये, मैं आपको कह रहा था, आपने एक बात कही थी, सेण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में एक वाटर शेड प्रोग्राम आया, तय यह हुआ था कि 10 प्रतिशत एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट रहेगी और एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट चली गई 40 प्रतिशत, अनाप-शनाप भर्तियां हुई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

किस किस्म की मोनिटरिंग थी, समझ नहीं आता, किस किस्म की मोनिटरिंग थी। भारत सरकार को लिखते रहे कि तनख्वाह दी जाए, नहीं दी तनख्वाह उन्होंने, कहा कि तय तो 10 प्रतिशत था। इसी तरह की योजनाएं जब आई तो उसके पेटे भर्तियां कर ली गईं और योजनाएं समाप्त हो गई और राज्य सरकार के गले के अंदर वह कर्मचारी और अधिकारी अटक गए। रिआर्गेनाइजेशन नहीं किया, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया, जो योजना आई है, जहां पर काम कम है, अन्य महकमे के सिमिलर नेचर, सिमिलर वर्क के आदमियों को बुला लो, इर्रिगेशन के प्रोजेक्ट्स कम हुए थे, बेसिकली इर्रिगेशन, सोइल कंजर्वेशन से जुड़ी हुई योजना थी, आप लोग वहां से बुला सकते थे। आज हालत यह है कि 1100 आदमी में से मुश्किल से 300 लोगों के पास काम है, 800 आदमी खाली बैठे हुए हैं, जिनके समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।

तिलम संघ बहुत जोरों से बनाया गया ...(व्यवधान) मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा, तिलम संघ का कंसेप्ट ही गलत था, अपन ने भी कई ऐसी योजनाएं बनाई होंगी। आज 106 करोड़ का एक्युमुलेटेड लॉसेज है वहां पर, कोई मोनिटरिंग नहीं, कोई देखभाल नहीं। आवास विकास संस्थान बना किसी और चीज के लिए था। आवास विकास संस्थान और किसी काम के लिए बना था और ठेकेदारी में लग गए। हालत यह हो गई कि डिपार्टमेंट के पैसे ले लिये, सब तनख्वाह में खर्च कर डाले, अब आप नौकरी दो। तो मैं कह रहा हूं पोलिटिकल लेवल पर मोनिटरिंग की कमी थी। जे. एम. ई. एल. अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन राजनैतिक दखलंदाजी से एक हजार आदमियों को आपने 1700 कर दिया। 1700 आदमी करने की नौबत आई तो सिक हो गया। अच्छी–खासी इण्डस्ट्री चल रही थी, देश की बड़ी इंडस्ट्री थी, लेकिन सिक हो गई। कहीं न कहीं मोनिटरिंग की कमी थी। मैंने जब यह कहा, मेरे कहने का मतलब यह है कि रि–आर्गेनाइजेशन, आज प्रश्न आया कि कांग्रेस का राज आया तो नौकरी देना बंद कर दिया गया, राजस्थान के बेरोजगारों के संग मजाक उड़ाया गया है, धोखा हुआ है, इस किस्म की बात यहां बहुत जोर से कही गई है। वह तो मैंने आज फिगर दी है। हमने बराबर यह बात कही है, हमने कहा है जो आवश्यक पद होंगे वे रखे जाएंगे, क्या आज संभव है। बाकी जो अनुपयोगी पद होंगे नहीं भर्ती करेंगे। अनुपयोगी पदों को समाप्त किया जाएगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आज काफी डिपार्टमेंट्स को एग्जामिन किया गया है जहां अनुपयोगी होगा उन्हें समाप्त करेंगे, जहां आवश्यकता होगी उन पदों को रखेंगे, कहीं समायोजन करने की बात होगी समायोजन करेंगे, दूसरी जगह काम लगा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सकते हैं, जहां काम की आवश्यकता है उनसे लेंगे, लेकिन अपनी एस्टेब्लिशमेंट कास्ट को निश्चित रूप से हम कम करेंगे, यह बात भी मैं आपसे यहां पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह फरमा दें मेडिकल कालेज में किया है उसी तरह से करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेडिकल कालेज की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज सुबह ही क्वेश्चन उठा है इस बात का। मेडिकल कालेज में 255 डाक्टर्स को आपने कम किया है।

डा. करण सिंह यादव : मेडिकल कालेजों से जुड़े हुए अस्पतालों के लगभग 50 से अधिक पदों को समाप्त करके उन डाक्टरों को रिलीव किया गया है जिसमें मैंने अपना विरोध जताया था और यह निवेदन किया गया था राज्य हित में और स्वास्थ्य हित में देखते हुए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस डिपार्टमेंट का मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इस बारे में...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : जो किया है अच्छा किया है, माननीय सदस्य की सहानुभूति हो सकती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं नौकरी से निकालने का इरादा किसी को नहीं है। यह तरह–तरह की अफवाहें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि 58 साल से 55 साल उम्र हो रही है। मैं सदन के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार का कोई इरादा नहीं है 58 से 55 साल की उम्र करने का। यहां पर अखबारों में, मुझे कई टेलीफोन आ रहे हैं, मैं आज सही कह रहा हूं, यह लोगों में ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि 58 से 55 साल की उम्र करने का है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा...

श्री जगमाल सिंह यादव : इसका विरोध कौन कर रहा है ? हम तो यह कहते हैं कि 40 साल के बाद ही रिटायरमेंट करो आप। इसका विरोध कौन कर रहा है, यह पक्ष तो कर नहीं रहा, 50 साल में करो, 45 साल में करो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं आय–व्यय अनुमान वर्ष 2000–2001 पर हुई चर्चा का उत्तर देने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह क्या बात हुई ? हम सप्लीमेंट्री पूछेंगे, उनका जवाब देने तक।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो एडजार्न कर देंगे। हमारी जो क्वेरीज हैं उनका जवाब नहीं पूछेंगे ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : उस पर कोई अलग से बात थोड़े ही है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : अलग से बात कैसे नहीं है, बहुत अलग से बात है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ऐसा आज तक तो नहीं हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी थी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। समय बढ़ाते समय आज तक कभी नहीं हुआ।

मोहमद माहिर आजाद : उपाध्यक्षजी ने व्यवस्था दे दी थी कि आप मंत्रीजी को उनका जवाब दे लेने दीजिये उसके बाद आप जवाब नहीं आये तो पूछ लीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उसी से जुड़ा हुआ है, आपका उत्तर भी तो यही देंगे न।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कह रहे हो उत्तर देने के बाद खतम कर दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उत्तर देने तक।

डा. के. सी. चौधरी : आपको क्या दिक्कत है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर साहब, इतना मैं भी समझता हूं, आपसे ज्यादा सदन में आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हमारे सप्लीमेंट्री का उत्तर देने तक।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूछेंगे उसका उत्तर देंगे, तो उत्तर ही हुआ और क्या हुआ ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप समझते नहीं हैं समझदारी का ढोंग करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या मतलब है आपके कहने का ? क्या मतलब है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : आज कह नहीं सकते ऐसा। आपके रहमो–करम पर, आपकी मेहरबानी से सदन में नहीं आये। हम कितना समझते हैं या कितना नहीं समझते हैं, वह वित्त मंत्रीजी कहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम सरकार मुख्य सचेतक से नहीं, हम आसन से मांग कर रहे हैं। We are requesting the Hon'ble Deputy Speaker, not you.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप मेरे को क्या पढ़ा रहे हो ?

मोहम्मद माहिर आजाद : हम उपाध्यक्ष महोदय से कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आपसे पहले सदन में आया हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मेरे से पहले आये होंगे, क्या हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ज्यादा ऊंचा काहे को बोलते हो ? आप ज्यादा समझते हो अपने आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप दुनिया में भी मेरे से पहले आये हो, मेरे से उम्र में भी बड़े हो।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बहस का विषय नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कभी आप भी खड़े होते थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन हमारे हितों की रक्षा करेगा। आपसे नहीं मैं आसन से बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों जिद कर रहे हो ?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो मेरे से पहले आये हो, आप तो दुनिया में भी मुझसे पहले आये हो, मुझसे बुजुर्ग हो। सदन में ही नहीं इस धरती पर भी मुझसे पहले आये हो, यह क्या बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) आर्डर–आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण का उत्तर शुरू हुआ उसके साथ कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न रखे थे। मैं यह चाहता हूं माननीय मंत्री दूसरे विषयों पर जाने की बजाय पहले फिस्कल डेफिसिट के मामले पर बोलें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बस मैं समाप्त ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा जवाब नहीं दो...(व्यवधान) पहले फिस्कल डेफिसिट के बारे में बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका जवाब ही नहीं दोगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसका जवाब दे दीजिये, सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : यदि हमारे सवाल का जवाब नहीं देते...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये अपने हिसाब से बोलेंगे, आप डिक्टेट नहीं करा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। (व्यवधान) ऐसा लगता है विपक्ष के नेता जल्दी में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं–नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप इनको क्यों रोक रहे हो ? बोलने दो इनको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो कहता हूं जवाब तो दो।

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएंगे वे। उनका फ्लो क्यों रोक रहे हो ? लेट हिम कंटीन्यू।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट भाषण में जो बातें कही गई...

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका ख्याल है कि ये जवाब नहीं देंगे, वे जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिस्कल डेफिसिट के मामले में ये जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय 5.30 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 5.30 से नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं होगा तो आगे बढ़ा देंगे।

आय व्ययक पर वाद-विवाद

श्री प्रद्युम्न सिंह : समाप्त कर रहा हूं अब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समाप्त नहीं आप पहले उसका जवाब दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी बात तो सुनो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना, आप अवोइड करना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अवोइड करना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत् कहूं जो कुछ मैं जानता हूं उसके बारे में अपनी अक्ल से जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी अक्ल से दीजिये, मुझे आपकी अक्ल पर विश्वास है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अपनी अक्ल से जवाब दूंगा आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट ठहर तो जाओ, लेकिन इस अक्ल का प्रयोग पहले कर दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरे मुंह से कहलाकर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं कहलवाना चाहता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरे मुंह से कहलाकर सब बात सुनना चाहते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं कहलवाना चाहता, लेकिन जो आप कहना चाहते हैं वह पहले कह दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, समाप्त नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसी पाइंट पर आ रहा हूं, आपके पाइंट पर आ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पहले इस पाइंट पर आ जाएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप हमेशा हमारी बात को कभी स्वीकार नहीं करते, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात हमेशा स्वीकार करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो कभी करते नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहोगे वह स्वीकार कर लेऊंगा मैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से अकाल के बारे में। मैं अकाल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान) प्लीज देखिये, बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये, वित्त मंत्रीजी, फिस्कल डेफिसिट के बारे में एक छोटी सी बात है, सब की शंका एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दी में क्यों हो आप ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी, सबकी शंका एक ही बात पर है, फिस्कल डेफिसिट कितना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अकाल तो बाद में ही आ जाएगा, इस बात पर क्या एतराज है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिस्कल डेफिसिट क्या मामला है ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्षजी, अकाल के बारे में मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं तो उसको भी सुनना नहीं चाहते। मजाक बना रखा है सदन का। (व्यवधान) अकाल के बारे में सुनना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आखिर कोई बजट की सेंक्टिटी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम पूरा बजट भाषण सुनना चाहते हैं पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सवाल इतना सा है बजट की आत्मा फिस्कल डेफिसिट में है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब बजट पर कोई चर्चा हो रही है, हम भाषण सुन रहे हैं क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिस्कल डेफिसिट की गणना इन्होंने कितनी की है, व्हाइट पेपर में कितनी है ? इन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें कितनी है ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी कितना फिस्कल डेफिसिट है जो आप समझते हो। बैठ तो जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम समझते हैं। समझते हैं तभी तो पूछ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनो ना, यह इंतजार करो आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप समझते तो सुनते जरूर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपका सम्मान है, लेकिन यह कहते हैं आप समझते नहीं हैं, यह क्या हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए आप इंतजार करो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम भी तैयारी करके आते हैं, यह क्या हुआ। हमने भी तैयारी की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम आपका ज्ञानवर्द्धन करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो आप ? Why are you so agitating ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बात समझना नहीं चाहते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम यह समझना चाहते हैं वित्त मंत्रीजी, हमको समझा दें क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं...

श्री उपाध्यक्ष : हां तो समझो ना, उन्होंने मना कब किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... फिस्कल डेफिसिट के बारे में आप थोड़ा सा व्हाइट पेपर और दोनों की तुलना करके उन आंकड़ों से हमें समझा दें।

श्री उपाध्यक्ष : तो उन्होंने मना किया क्या ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वित्त मंत्रीजी हैं ना। इस बारे में और बता दो। (व्यवधान) इसके बारे में आओ ना, उसके बाद क्यों।

श्री उपाध्यक्ष : अपना भाषण समाप्त नहीं किया उन्होंने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह तो अकाल पर आ रहे हैं, अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : वे कह रहे हैं समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अकाल पर जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त उसके साथ ही करेंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम वाकई में नहीं समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको नहीं कहा मैंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसलिए हम समझना चाहते हैं कि चंदन मल जी सही हैं या प्रद्युम्न सिंह जी सही हैं। यह बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : समझाएंगे, बताएंगे, बैठिये तो सही।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम तो इनके कागजों से भ्रमित हो रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : या फिर सी. पी. जोशी जी को सम्भलाओगे क्या यह कांम ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बोलने दें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, क्यों समय खराब कर रहे हो आप ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह प्रोफेसर हैं, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप तो समाप्त करने जा रहे हो। (व्यवधान) आपने तो अभी बजट का रिप्लाई ही चालू नहीं किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं वही कह रहा हूं आपसे। उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक व्हाइट पेपर...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आपने जवाब नहीं दिया तो भाग नहीं जाओगे, महीना भर चलेगा सैशन आगे। याद रखना यह बात आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, कल मुझे मालपुरा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछकर एक दबे रूप में धमकी भी दी थी कि मैं प्रिविलेज मोशन लाऊंगा, वह तो मैं उनको रोक नहीं सकता प्रिविलेज मोशन लाने से, लेकिन यह प्रिविलेज मोशन लाना चाहें, लायें, नहीं लाना चाहें, नहीं लायें। वैसे पुराने मित्र हैं शायद नहीं लायें और लें भी आयें तो उनका स्वागत है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : समझ में बैठ जाएगी तो नहीं लाऊंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो फार्मूला सबसे पहले, श्वेत–पत्र की आप प्रारंभ की भाषा सुन लें और मैंने निवेदन किया था कांस्टीट्यूशन के तहत एनुअल अकाउंट्स राज्यपाल महोदय की अनुमति से यहां प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और अपने रूल्स आफ बिजनैस में भी इसका प्रावधान है। यह एक संवैधानिक दायित्व है जिसे राज्य सरकार को पूरा करना आवश्यक है। व्हाइट पेपर जो पिछले साल 15 मार्च

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को पब्लिश हुआ था इसका मूल उद्देश्य यह था। यह श्वेत–पत्र जारी करने का मूल उद्देश्य राजस्थान की जनता को राज्य की अर्थ व्यवस्था और वित्तीय दशा के बारे में तथ्यात्मक जानकारी देना है ताकि वह नयी सरकार द्वारा राज्य की अर्थ–व्यवस्था और माली हालत को सुधारने की दिशा में किये जा रहे प्रयत्नों में भागीदार हो सके। उपाध्यक्ष महोदय उसका सारा एम्फेसिस कर्जे के ऊपर था कि राज्य सरकार 23 हजार करोड़ रुपये के कर्जे में दबी हुई है और इस आंकड़े को आपने जो बजट प्रस्तुत किया 1998–99 का उसमें माना, इसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं है तो जो मूल उद्देश्य था उसके ऊपर, बाकी किसी चीज पर सारे के सारे आंकड़े जितने व्हाइट पेपर के अंदर दिये हैं, जो आपने परकैपिटा इन्कम बढ़ाने की बात की, कर्जा कम हुआ, परकैपिटा... (व्यवधान) एक मिनट मेरी बात सुन लें, साहब। मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) क्यों, इसमें दिक्कत क्या है ? आप अपनी बात कहें, मैं तो उसका महत्व दर्शा रहा था। राजस्थान की जनता के सामने यह सारी बात थी इसलिए पब्लिश किया था कि किस तकलीफदेह स्थिति के अंदर हमको राज्य की बागडोर सम्भालनी पड़ी। क्या हमारी स्थिति है, उससे अवगत कराने के लिए यह व्हाइट पेपर आया है यहां पर और आप सब सम्माननीय विधायकों को भेजा गया, प्रेस में भी पब्लिश हुआ लेकिन यह बजट का हिस्सा नहीं है। यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गवर्नमेंट डाक्यूमेंट है न, आप मानते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्यूमेंट तो है, गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, गवर्नमेंट डाक्यूमेंट तो है ही, इसमें कहां डिनाई कर सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि हमने पब्लिश नहीं किया। But it is not a part of the Budget. बजट के सारे पैपर्स की अपनी सैंक्टिटी है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब फिस्कल डेफिसिट की बात आयी, उसकी परिभाषा "Fiscal deficit is a difference... पार्लियामेंट की परिभाषा है, वही हमने स्वीकार की है, वही रिजर्व बैंक मानता है, सी. ए. जी. ने वही कही है, सब लोग सर्वमान्य जो फार्मूला है फिस्कल डेफिसिट को वर्क आउट करने का वह अपने हिसाब के अन्दर लिया, वही सारा रिफ्लेक्शन है। "Fiscal deficit is a difference between the revenue receipts plus certain non-debt capital receipts...." (व्यवधान) आप मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हैं, मेरी बात सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप पढ़िये, कहां से पढ़ रहे हैं, थोड़ा यह बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मैं पढ़ रहा हूं। Budget At A Glance, Ministry of Finance, Government of India. केन्द्र के बजट का भाग पढ़ रहा हूं इसलिए

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आप जो कह रहे हैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं। मैं भारत सरकार जिसको मानती है, रिजर्व बैंक जिसको मानता है, उसको पढ़ रहा हूं। "Fiscal deficit is a difference between the revenue receipts the non-debt capital receipts and the total expenditure, including loans, net of repayments." पार्लियामेंट मानती है इसको, पार्लियामेंट में जो बजट पेश हुआ है, बजट एट ए ग्लासं में, it is a government document. यह उसके अन्दर लास्ट पेज के ऊपर है, आप कहीं से देख लीजियेगा। अब सवाल आता है कि यह जो व्हाइट पेपर पब्लिश...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, इसका मतलब गवर्नमेंट आफ इण्डिया जिसको फॉलो करती है उस फार्मूला से आप फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं। Will you kindly place the formula on the table of the House ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने पढ़ दिया न आपको, भारत सरकार के डाक्यूमेंट से, I am sorry, I am not going to table any document. यह भारत सरकार का ऑफिशियल डाक्यूमेंट है, सब के पास होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह बोले हैं, रिकार्ड पर आ गया, अब कौनसा डाक्यूमेंट लाओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनें। यह इन्होंने फिस्कल डेफिसिट केलकुलेट किया है 1999–2000 का 5772.62, how has he arrived at this figure ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, He is not going in to figures. What he is trying to explain is what he means by fiscal deficit. पहले आप इस बात को समझें कि What he is trying to explain to you is what is the meaning of fiscal deficit. Understand that and then talk about— it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह मैं समझ गया।

श्री उपाध्यक्ष : Then listen to him.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना मैं कह सकता हूं कि फिस्कल डेफिसिट के चार फार्मूले हैं, सी. ए. जी. का फार्मूला अलग है, रिजर्व बैंक का फार्मूला अलग है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया का फार्मूला अलग है और आपका फार्मूला अलग है। इसलिए इस फार्मूले पर मत जाओ, न ही हमें जाने की जरूरत है। हमें तो केवल इतना ही पूछना है, आपने किसी भी फार्मूले से जो फिस्कल डेफिसिट बताया है, वह किसी भी फार्मूले से बताया हो, यह सही है या किसी भी फार्मूले से, श्वेत–पत्र में जो फिस्कल डेफिसिट की बात कही है वह सही है ? इतना सा तो हां या ना में जवाब दे दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है, प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे मन की बात और सही बात खुद ने कह दी कि चार–चार फार्मूले हैं, हमने वह फार्मूला माना है, श्वेत–पत्र में तत्कालीन वित्त मंत्रीजी ने दूसरा फार्मूला माना है, बस, बात खतम यहां पर...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है, whatever the government...

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बात को गौर से सुना और बजट भाषण को सराहा। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है, कोई सा फार्मूला एप्लाई करें, अमाउंट वही आयेगा। 13061.72 यह चन्दन मलजी का फार्मूला है, व्हाइट पेपर का फार्मूला उससे भी वही आयेगा। यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया का फार्मूला है, जिसको आप कह रहे हैं कि आपने एडाप्ट किया है। 13061.72 और, श्रीमान् प्रद्युम्न सिंहजी, आप आये हैं 5772.62, how have you arrived at this figure ? यह फीगर आपके इरोनियस हैं, फर्जी हैं, फर्जकारी हैं, this is my allegation. और आपको इसके कांसीक्वेंसल इफेक्ट भी भुगतने पड़ेंगे आपकी वजह से, आपको ब्यूरोक्रेसी ने मिस गाइड किया हे। इसका जवाब दिलायें, उपाध्यक्ष महोदय, जो फार्मूला यह बता रहे हैं, उस फार्मूले को एप्लाई ही नहीं किया है इन्होंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, फार्मूले को छोड़िये आप, व्हाइट पेपर को छोड़िये, यह चन्दन मल जी का इस असेम्बली में स्टेटमेंट है बजट की डिबेट का, जिसमें उन्होंने कहा है फिस्कल डेफिसिट जो पिछले साल था 9162 करोड़ 50 लाख रुपये, इस साल का फिस्कल डेफिसिट 6960 करोड़ 29 लाख, इसको आप सही मानते हैं या गलत ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि बैद जी ने जो फार्मूला लिया है, उन्होंने बजट डेफिसिट एण्ड ग्रोस बोरोईंग्स को जोड़ कर डेफिसिट निकाल दिया। हमारे फार्मूले में फर्क इतना है कि बोरोईंग्स में से जो री–पेमेंट हो जाता है उसको निकालकर हम जोड़ते हैं और उसको निकालते हैं। दैट इज द डिफरेंस। तो जो मैंने कहा, शुरूआत मैंने कही व्हाइट पेपर में कि नेट एंड में जाकर के इससे कोई फर्क आपके जो टोटल लोन थे स्टेट के ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक फार्मूले पर डिबेट करके कि यहां मेरा फार्मूला सही है या बैदजी का फार्मूला सही है और आपने स्वयं ने कहा है कि 4–4, 5–5 फार्मूले हैं। उनके दिमाग में क्या रहा, उन्होंने इसको कैसे स्वीकार किया, मैं इस बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 4 हों या 5 हो, मेरी सुन लीजिये। फार्मूला कोई भी हो नेट रिजल्ट यही निकलेगा। फार्मूला कोई भी हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फार्मूला कोई भी हो, अमाउंट वही आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फार्मूले कितने ही लगा दें लेकिन नेट अमाउंट एक ही बनेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर बुराई भी क्या है निकलेगा तो ? आप मुझे किसलिए घेर रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आपने कहां से निकाला, साहब, बुराई यह है। कुछ निकल नहीं रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर मुझे आप आंकड़ों के मायाजाल में किसलिए घेर रहे हो ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने गवर्नमेंट आफ इण्डिया का फार्मूला एप्लाई नहीं किया। आपने, प्रद्युम्न सिंहजी, खुद का फार्मूला निकाला है कोई, अदरवाइज कोई–सा भी फार्मूला हो, अमाउंट वह का वह आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आपको क्या कहना है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फार्मूला चाहे कुछ भी हो लेकिन माल बेचने के बाट दूसरे और माल खरीदने के बाट दूसरे नहीं हो सकते। श्वेत पत्र में आपने राजकोषीय घाटा, बजट घाटा अधिशेष को ऋण और अन्य दायित्वों में जोड़ने–घटाने से राजकोषीय घाटा दिखाया। उपाध्यक्ष महोदय, फोर एग्जाम्पल, आप 1994–95 को ले लें। कालम 4 में 3370.25, अब आपका जो प्लस था, अधिशेष, वह 56.06 था, तो जो प्लस होता है उसको आप माइनस करते हैं। इसको माइनस किया तो आपका 3314.19 हो गया। यानि बजट सरप्लस का इसमें से घटा दिया। उसके बाद में 1995–96 में ले लें, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, उसमें आपका 202.88 माइनस था। तो इस माइनस को आप जोड़ देंगे 4997.06 में जो ऋण और दूसरे दायित्व हैं तो यह 5199.94 हो जाएगा। तो मेरे कहने का आशय केवल इतना–सा है कि आपको श्वेत पत्र में तो यह दिखाना था कि दूसरी सरकार ने कर्जा ज्यादा लिया। तब तो आपने दूसरा फार्मूला अपना लिया और बजट में अपने घाटे को कम दिखाना था तो आपने इसमें दूसरा फार्मूला अपना लिया। इन दो फार्मूलों में से कौनसा सही है, यह तो कम से कम आपको बताना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बता दिया आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, सीधी–सी आपकी स्थिति यह है कि आप दोनों जगह अलग–अलग फार्मूले अपना रहे हैं। सामान बेचने के बाट अलग और खरीदने के बाट अलग नहीं हो सकते।

श्री उपाध्यक्ष : वह बता दिया। वे कहते हैं कि बता दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, इसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 10 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.03 बजे सोमवार, 10 अप्रेल, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-251 की सूची)

परिशिष्ट "क"

राज्य में राजस्थान क्रीड़ा परिषद के माध्यम से राज्य सरकार/भारत सरकार की सहायता से बने/निर्माणाधीन स्टेडियमों का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	निर्मित स्टेडियम	निर्माणाधीन स्टेडियम का नाम/स्थान
1	2	3	4
1.	जयपुर	(1) एस.एम.एस. स्टेडियम, जयपुर (2) चौगान स्टेडियम, जयपुर	(1) शाहपुरा (2) विधाधर नगर, जयपुर
2.	जोधपुर	(1) बरकततुल्ला स्टेडियम, जोधपुर (2) स्टेडियम ग्राउण्ड, जोधपुर	(1) बिलाड़ा (2) फलौदी (3) तिलवासनी
3.	झुन्झुनूं	–	(1) राजोटा (2) झुन्झुनूं
4.	बांसवाड़ा	–	(1) स्टेडियम, बांसवाड़ा
5.	अजमेर	(1) पटेल स्टेडियम, अजमेर	(1) संत नागरीदास स्टेडियम, किशनगढ़ (2) स्टेडियम, बोगला
6.	चूरू	(1) राजलदेसर, चूरू	(1) चूरू स्टेडियम (2) सुजानगढ़ स्टेडियम (3) रतनगढ़ स्टेडियम (4) मिनी स्टेडियम
7.	भरतपुर	–	(1) लोहागढ़ स्टेडियम, भरतपुर

1	2	3	4
8.	भीलवाड़ा	(1) सुखाड़िया स्टेडियम, भीलवाड़ा	–
9.	पाली	(1) बांगड़ स्टेडियम, पाली	–
10.	दौसा	–	(1) दौसा स्टेडियम (2) मान क्लब स्टेडियम, दौसा
11.	उदयपुर	(1) भूपाल स्टेडियम, उदयपुर	(1) स्टेडियम निर्माण विद्या प्रचारिणी सभा, उदयपुर (2) स्टेडियम, खेरवाड़ा
12.	जैसलमेर	(1) पूनम स्टेडियम, जैसलमेर	–
13.	राजसमंद	–	(1) नाथद्वारा स्टेडियम
14.	सीकर	–	(1) राजकीय स्टेडियम (2) फतेहपुर शेखावाटी स्टेडियम (3) श्रीमाधोपुर स्टेडियम
15.	बीकानेर	(1) डा. कर्णी सिंह स्टेडियम (2) पुष्करणा स्टेडियम, बीकानेर	(1) स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, यू.आई.टी. बीकानेर
16.	श्रीगंगानगर	–	(1) महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम, गंगानगर (2) गजसिंहपुर
17.	चित्तौड़गढ़	–	(1) इंदिरा गांधी स्टेडियम, चित्तौड़गढ़ (2) सुखाड़िया स्टेडियम, प्रतापगढ़ (3) बड़ी सादड़ी, स्टेडियम
18.	जालौर	(1) स्टेडियम जिला मुख्यालय (2) स्टेडियम भीनमाल	– –

1	2	3	4
19.	टोंक	–	(1) टोंक स्टेडियम
20.	कोटा	(1) जे. के. लॉन क्रिकेट पवेलियन, कोटा	(1) बाल हितकारी स्टेडियम, कोटा
21.	सिरोही	–	(1) स्टेडियम नगरपालिका, आबूपर्वत
22.	हनुमानगढ़	–	(1) हनुमानगढ़ स्टेडियम
23.	नागौर	(1) मकराना स्टेडियम	(1) नागौर स्टेडियम (2) डीडवाना स्टेडियम (3) नावां स्टेडियम
24.	सवाईमाधोपुर	–	(1) स्टेडियम नगरपालिका, सवाईमाधोपुर
25.	अलवर	(1) इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर	–
26.	डूंगरपुर	–	(1) स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, मालपुर (2) काकरड़ा स्टेडियम
27.	करौली	–	(1) माथुर स्टेडियम, करौली
28.	बारां	–	(1) अटरू स्टेडियम
29.	बून्दी	–	(1) नगरपालिका, बून्दी

परिशिष्ट "ख"

निर्माणाधीन स्टेडियमों के निर्माण में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध
I आर्थिक सहायता का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	निर्माणाधीन स्टेडियम का नाम/स्थान	अनुदान राशि (रुपये लाखों में)		
			भारत सरकार	राज्य सरकार	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर	(1) शाहपुरा	–	9.00	9.00
		(2) विधाधर नगर	–	27.50	27.50
2.	जोधपुर	(1) बिलाड़ा	0.50	0.50	1.00
		(2) फलौदी	1.30	–	1.30
		(3) तिलवासनी	1.00	0.65	1.65
3.	झुन्झुनूं	(1) राजोटा	4.725	2.00	6.725
		(2) झुन्झुनूं स्टेडियम	–	2.00	2.00
4.	बांसवाड़ा	(1) स्टेडियम, बांसवाड़ा	11.00	1.00 (सी.एम.फण्ड 2.00)	14.00
5.	अजमेर	(1) संत नागरीदास स्टेडियम, किशनगढ़	–	2.00	2.00
		(2) बोगला	–	1.66	1.66
6.	चूरू	(1) चूरू स्टेडियम	–	17.33	17.33
		(2) सुजानगढ़ स्टेडियम	–	10.00	10.00
		(3) रतनगढ़ स्टेडियम	–	2.00	2.00
		(4) मिनी स्टेडियम, चूरू	0.50	1.00	1.50
7.	भरतपुर	(1) लौहागढ़ स्टेडियम	–	10.00	10.00
8.	दौसा	(1) दौसा स्टेडियम	–	15.00	15.00
		(2) मान क्लब दौसा स्टे.	1.75	1.75	3.50

1	2	3	4	5	6
9.	उदयपुर	(1) स्टे. (विद्या प्रचारणी सभा, उदयपुर)	2.50	2.00	4.50
		(2) स्टेडियम, खैरवाड़ा	0.97	0.50	1.47
10.	राजसमंद	(1) नाथद्वारा (लालबाग)	9.00	2.00	11.00
11.	सीकर	(1) राजकीय स्टे.,सीकर	7.50	4.00	11.50
		(2) फतेहपुर शेखावाटी	–	2.00	2.00
		(3) श्रीमाधोपुर	–	4.00	4.00
12.	गंगानगर	(1) महाराज गजसिंह स्टेडियम, गंगानगर	2.50	14.50	17.00
		(2) गजसिंहपुर	–	1.00	1.00
13.	चित्तौड़गढ़	(1) इंदिरा गांधी स्टे.	0.50	7.00	7.50
		(2) सुखाड़िया स्टेडियम, प्रतापगढ़	2.00	0.50	2.50
		(3) बड़ी सादड़ी स्टे.	–	0.385	0.385
14.	टोंक	(1) स्टेडियम, टोंक	–	4.50	4.50
15.	कोटा	(1) बालहितकारी समिति	10.00	2.00	12.00
16.	सिरोही	(1) स्टे. नगरपालिका माउंट आबू	1.00	1.32	2.32
17.	हनुमानगढ़	(1) स्टे. निर्माण हनुमानगढ़	–	10.00	10.00
18.	नागौर	(1) स्टेडियम, नागौर	1.44	2.00	3.44
		(2) स्टेडियम, डीडवाना	–	6.00	6.00
		(3) स्टेडियम, नावां	0.18	0.50	0.68
19.	सवाईमाधोपुर	(1) नगरपालिका स्टे.	1.25	0.50	1.75
		(2) स्टे. सिवाड़	–	0.30	0.30

1	2	3	4	5	6
20.	डूंगरपुर	(1) स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, मालपुर	10.00	1.00	11.00
		(2) स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, ठाकरडा	0.93	0.93	1.86
21.	करौली	(1) त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम	–	8.80	8.80
				(मय सी.एम.फण्ड 1.00)	
22.	बून्दी	(1) स्टे. नगरपालिका	2.50	–	2.50
23.	बारां	(1) स्टेडियम (मिनी) बारां	–	2.00	2.00
			73.045	183.125	256.17

परिशिष्ट "ग"

भरतपुर के निर्माणाधीन स्टेडियम के लिए जन सहयोग से प्राप्त राशि की सूची

क्र.सं.	नाम	राशि	दिनांक
1	2	3	4
1.	डा. धीरेन्द्र गोधारा, नगर परिषद, भरतपुर	500/–	21.12.95
2.	बंसल बुक डिपो, भरतपरु	184/–	22.12.95
3.	अनाह गेट उत्थान समिति, भरतपुर	5100/–	23.12.95
4.	डी. सी. ए., भरतपुर	5100/–	28.12.95
5.	डा. दिगम्बर सिंह	5100/–	28.12.95
6.	किरंन नर्सिंग होम	5100/–	28.12.95
7.	डा. एन. के. अग्रवाल	5100/–	28.12.95
8.	जिन्दन नर्सिंग होम	5100/–	28.12.95

1	2	3	4
9.	श्री हजारी लाल गोयल	5100/–	28.12.95
10.	श्रीमती गुरुमीत कौर	5100/–	28.12.95
11.	तारा महेन्द्र अस्पताल	5100/–	28.12.95
12.	डा. संजय रस्तौगी	5100/–	28.12.95
13.	सी. टी. ओ. आफिस	5200/–	16.1.96
14.	मदन लाल गोयल	11000/–	25.1.96
15.	श्री आर. पी. शर्मा, विधायक	11000/–	5.2.96
16.	इन्स्पेक्टर फैक्ट्री एण्ड बायलर्स डिपो	418/–	2.3.96
17.	सैन्ट पीटर स्कूल	11000/–	2.3.96
18.	प्रौढ़ शिक्षा	1050/–	2.3.96
19.	श्रीराम आर्य	11000/–	15.3.96
20.	सी. टी. ओ. आफिस	4825/–	15.3.96
21.	कर्नल हुकम सिंह	1111/–	18.3.96
22.	डी. ई. ओ. गर्ल्स, भरतपुर	11225/–	21.3.96
23.	कलेक्ट्री, भरतपुर	7719/–	16.3.96
24.	डी. ओ., भरतपुर	1906/–	23.3.96
25.	डा. धीरेन्द्र गोधारा	49/–	24.3.96
26.	सुरजीत सीनियर सैकण्डरी स्कूल	11000/–	25.3.96
27.	नगर सुधार न्यास, भरतपुर	2581/–	25.3.96
28.	श्री माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी	11000/–	26.3.96
29.	स्पेश उद्योग, भरतपुर	2100/–	26.3.96
30.	डी. एस. ओ., भरतपुर	1286/–	26.3.96
31.	तहसीलदार, बयाना	804/–	26.3.96

1	2	3	4
32.	सैन्टपोल स्कूल, भरतपुर	5001/–	3.4.96
33.	जिला कलक्टर, भरतपुर	400/–	3.4.96
34.	पैन्टीकास्टल स्कूल, भरतपुर	5000/–	3.4.96
35.	कला मंदिर, भरतपुर	11000/–	3.4.96
36.	डा. भूषण अरोड़ा	5100/–	4.4.96
37.	संयुक्त रजिस्ट्रार, भरतपुर	864/–	6.4.96
38.	डी. आई. सी., भरतपुर	1750/–	9.4.96
39.	डी. डी. ग्रीट उद्योग, कामां	2100/–	10.4.96
40.	लक्ष्मी उद्योग, कामां	2100/–	10.4.96
41.	राव ग्रीट उद्योग, कामां	1100/–	10.4.96
42.	डिप्टी सी. एम. एच. ओ.	3350/–	11.4.96
43.	एच. एच. ग्रीट उद्योग, कामां	2100/–	12.4.96
44.	सी. एम. एण्ड एच. ओ.	5881/–	16.4.96
45.	पी. एच. सी., सेवर	4161/–	17.4.96
46.	उप जिला शिक्षा अधिकारी	8820/–	19.4.96
47.	पी. एच. सी., डीग	5321/–	27.4.96
48.	मांडल पब्लिक स्कूल, भरतपुर	2100/–	3.5.96
49.	डी. एस. ओ., भरतपुर	364/–	3.5.96
50.	ए. डी. एम., भरतपुर	182/–	6.5.96
51.	मैनेजर, मानव भारतीय विद्या मंदिर	11000/–	10.5.96
52.	पी. एच. सी., बहनेरा	439/–	13.5.96
53.	महाराजा बदन सिंह स्कूल	3854/–	16.5.96
54.	डिप्टी सी. एम. एण्ड एच. ओ.	270/–	18.5.96
55.	भीम सिंह, अध्यापक	100/–	18.5.96
56.	डी. ई. ओ. प्राइमरी शिक्षा, भरतपुर	41235/–	20.5.96

1	2	3	4
57.	डी. आर. डी. ए., भरतपुर	2373/–	20.5.96
58.	टी. ओ., भरतपुर	1875/–	20.5.96
59.	सीनियर डिप्टी डी. ई. ओ., सेवर	2840/–	21.5.96
60.	सी. टी. ओ., भरतपुर	1000/–	24.5.96
61.	रोजगार विभाग, भरतपुर	600/–	31.5.96
62.	नगर परिषद, भरतपुर	961/–	3.6.96
63.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)	11528/–	4.6.96
64.	आई. डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर	3588/–	7.6.96
65.	डी. टी. ओ., भरतपुर	2580/–	11.6.96
66.	एस. डी. एम., डीग	1871/–	11.6.96
67.	एम. एस. शिव इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	5100/–	13.6.96
68.	गैस्ट्रा इण्डस्ट्रीज	2100/–	13.6.96
69.	कुबेर ऑयल मिल्स, भरतपुर	2100/–	13.6.96
70.	चौधरी ऑयल मिल्स, भरतपुर	5100/–	13.6.96
71.	वी. आर. ऑयल मिल्स	5100/–	13.6.96
72.	त्रुपति वैलवेट प्राइवेट लिमिटेड	1100/–	13.6.96
73.	हिमगिरी ऑयल मिल इण्डस्ट्री	1100/–	13.6.96
74.	डी. ई. ओ. ब्वॉयज, भरतपुर	3092/–	13.6.96
75.	डी. एम. गिरीष, भरतपुर	2100/–	13.6.96
76.	अजायबघर, भरतपुर	600/–	13.6.96
77.	राजा सीमेण्ट पाइप उद्योग, भरतपुर	11000/–	13.6.96
78.	डिप्टी सीनियर डी. ई. ओ., सेवर	2050/–	18.6.96
79.	–	4560/–	24.6.96
80.	डिप्टी कमिशनर लेबर कोर्ट	603/–	4.7.96
81.	मेडिकल ऑफिसर, डीग	398/–	12.7.96

1	2	3	4
82.	सी. पी. ओ. स्टाफ, भरतपुर	424/–	12.7.96
83.	तहसीलदार, रूपवास	4550/–	13.7.96
84.	मै. सकुन्तला, भरतपुर	11000/–	25.7.96
85.	सिंघल इण्डस्ट्रीज	11000/–	25.7.96
86.	तहसीलदार, पहाड़ी	3769/–	25.7.96
87.	कार्यालय आयुर्वेद ऑफिस, भरतपुर	18415/–	27.7.96
88.	आयुर्वेदिक अधिकारी	825/–	17.8.96
89.	राजीव भट्ट	20/–	19.8.96
90.	डा. धीरेन्द्र गोधारा	1300/–	26.8.96
91.	समाज कल्याण विभाग	1039/–	31.8.96
92.	कार्यालय कृषि विस्तार	955/–	6.9.96
93.	कार्यालय शिक्षा अधिकारी	24256/–	18.9.96
94.	डा. धीरेन्द्र गोधारा	600/–	20.9.96
95.	डा. धीरेन्द्र गोधारा	420/–	25.9.96
96.	सिंचाई विभाग	2500/–	8.10.96
97.	डिप्टी शिक्षा अधिकारी, भरतपुर	15859/–	22.10.96
98.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र)	4042/–	27.10.96
99.	बी. डी. ओ., कामां	8450/–	29.10.96
100.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार.)	3693/–	29.10.96
101.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार.)	2015/–	29.10.96
102.	जिला शिक्षा अधिकारी	160/–	25.1.97
103.	अल्प बचत अधिकारी	225/–	25.1.97
104.	डा. धीरेन्द्र गोधारा	150/–	1.2.97
105.	डा. धीरेन्द्र गोधारा	800/–	15.2.97
106.	कार्यालय जिला सैनिक	431/–	17.2.97

1	2	3	4
107.	कार्यालय ए. सी. एम., कामां	6981/–	15.3.97
108.	आयुर्वेदिक मेडिकल आफिसर	1573/–	18.3.97
109.	डी. आई. जी., भरतपुर	180/–	27.3.97
110.	शिक्षा अधिकारी, डीग	8141/–	10.4.97
111.	एस. पी. आफिस	90250/–	21.4.97
112.	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी	11758/–	20.5.97
113.	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी	479/–	11.8.97
114.	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी	5563/–	27.11.97
115.	कार्यालय विकास अधिकारी, रूपवास	1000/–	17.6.98
116.	पी. एच. सी., नगर	4455/–	24.7.98
117.	पुष्पेन्द्र लवानियां	11000/–	22.3.98
118.	प्रेमचन्द मित्तल	11000/–	13.7.99
119.	कन्स्ट्रेक्शन वर्क पी. डब्ल्यू. डी.	197681/–	31.12.98
120.	नगर परिषद, भरतपुर	300000/–	4.6.98
121.	अग्रवाल एण्ड कम्पनी	35000/–	22.3.99
122.	अन्य स्रोत	62750/–	22.3.99
		1221578/-	

परिशिष्ट "घ"

राज्य सरकार एवं संस्थाओं से प्राप्त अनुदान की सूची

क्र.सं.	नाम	राशि	दिनांक
1	2	3	4
1.	डी. आर. डी. ए., भरतपुर	260000/–	4.8.96
2.	डी. आर. डी. ए., भरतपुर	260000/–	8.8.96
3.	डी. आर. डी. ए., भरतपुर	125000/–	24.5.97
4.	क्रीड़ा परिषद्, जयपुर से (पी. डब्ल्यू. डी. में वर्ष 1997 में क्रीड़ा परिषद् द्वारा भेजी गई)	500000/–	22.3.99
5.	क्रीड़ा परिषद्, जयपुर से	500000/–	4.8.99
6.	सांसद क्षेत्र विकास योजना से प्राप्त	500000/–	4.4.98
		21,45,000/-	

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-254 की प्रति)

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड

(1) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1. ग्राम की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा–5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3. कक्षा 1–5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4. फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2

5. 2 किमी. परिधि में अन्य उच्च प्राथमिक
विद्यालय की सुविधा का नहीं होना

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जन प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु-

मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
जनसंख्या (1991) छात्र विद्यालय	2500	2000
छात्रा विद्यालय	3000	2500
छात्र संख्या कक्षा –8 छात्र विद्यालय	30	20
छात्रा विद्यालय	20	20
फीडर विद्यालय	2	2
दूरी (कि.मी.)	राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुरूप	

(3) माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु-

मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
जनसंख्या – 1. छात्र विद्यालय	4000	3000
2. छात्रा विद्यालय	5000	4000
छात्र संख्या कक्षा–10 छात्र संख्या	50	30
छात्रा संख्या	40	25
फीडर विद्यालयों की संख्या	2	2
दूरी (कि.मी.)	08	08

अन्य आधार बिन्दु

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान।
2. प्रशासनिक आधार।
3. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं।
4. भौगोलिक परिस्थितियां।
5. माध्यमिक एवं सी. उ. मा. वि. का अनुपात।

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट - अ

(तारांकित प्रश्न संख्या-258 का विवरण)

जिला रोजगार कार्यालय, चूरू द्वारा वर्ष 1998-99 में कुल 10 बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है

विभाग का नाम	पद	कुल नियोजित	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	माह
1	2	3	4	5	6	7
आयुर्वेद विभाग	नर्स, कंपाउंडर	5	1	1	3	मई, 98
चिकित्सा विभाग	रेडियोग्राफर	3	1	–	2	जून, 98
शिक्षा विभाग	अध्यापक	2	–	–	2	फरवरी,99
योग		10	2	1	7	

वर्ष 1999-2000 में कुल 13 आशार्थियों को रोजगार कार्यालय, चूरू द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है

विभाग का नाम	पद	कुल नियोजित	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	माह
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय खाद्य निगम	शिफ्टर	1	1	–	–	अप्रेल, 99
डाक विभाग	ई.डी.एम.सी.	5	–	–	5	अप्रेल, 99
जलदाय विभाग	वाहन चालक	1	–	–	1	अप्रेल, 99
ओरियन्टल बैंक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	–	–	1	अप्रेल, 99
शिक्षा विभाग	अध्यापक	5	–	–	5	अप्रेल, 99
योग		13	1	-	12	

परिशिष्ट - ब

चूरू जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वरोजगार योजनाओं में स्वरोजगार प्राप्त आशार्थियों का विवरण

वर्ष	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	पोप योजना	स्वर्ण जयंती योजना	आई. आर. डी. पी. योजना	यूनिट्स स्थापित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1998	452	1639	—	1933	14	4038
1999	375	833	336	—	15	1559

चूरू जिले में कुल स्वरोजगार प्राप्त आशार्थियों का श्रेणीवार विवरण

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6
1998	561	55	119	3303	4038
1999	369	52	65	1073	1559

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

सामान्य चिकित्सालय, जालौर में चयनित परिवारों को निःशुल्क दवाई व्यवस्था

259. श्री गणेशीराम मेघवाल(जालौर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जालौर सामान्य चिकित्सालय में चयनित परिवारों की सूची उपलब्ध है ?

(2) क्या सूची के अनुसार चयनित परिवारों के मरीजों की चिकित्सा की जाती है ? यदि हां, तो कितने चयनित परिवारों के मरीजों को वर्ष 1999–2000 में चिकित्सा उपलब्ध कराई गई ?

(3) क्या ऐसे मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो किन–किन मरीजों को कौनसी दवाई लिखी गई और यदि दवाई स्टॉक में उपलब्ध नहीं थी तो दवाई कहां से उपलब्ध करवाई ?

(4) दवा स्टॉक में उपलब्ध नहीं होने पर कितने मरीजों को अपने पैसों से इलाज कराना पड़ा ?

(5) क्या सरकार अब ऐसी व्यवस्था करने का इन्तजाम करेगी कि उक्त गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सदा मिलती रहे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा हेतु कार्ड जारी किये गए हैं, जिसके आधार पर अक्टूबर, 1999 से 3 अप्रेल, 2000 तक 153 रोगियों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।

(3) जी हां।

चिकित्सालय में उपलब्ध दवाइयों में से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मेडिकेयर रिलीफ कार्डधारी मरीजों को लिखी गई दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई उसकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–क) सामान्यतया रोगियों को चिकित्सालया के स्टॉक में उपलब्ध दवाइयां ही लिखी जाती हैं।

(4) राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्डधारी रोगियों को चिकित्सालय से ही दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है एवं स्टॉक में किसी दवाई के उपलब्ध नहीं होने पर मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) जी हां। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले मेडिकेयर रिलीफ कार्डधारी परिवारों को निःशुल्क नेदानिक सुविधा एव स्टॉक में उपलब्ध दवाइयां उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है।

परिशिष्ट"क"

B.P.L. PATIENT TREATED IN GENERAL HOSPITAL, JALORE

S. No.	Name of Patient	BPL Card No.	Medicines Supplied	Qyt.	Date of Supplies
1	2	3	4	5	6
			OCTOBER, 1999		
1.	Smt. Raj Kanwar W/o Bhom Singh	00221	Tab. CPM	15	1.10.99
2.	Alba Ram Sayaji	00266	Cap. Ampicilin 500mg.	20	1.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	20	
			Tab. BC	20	
3.	Jathu Singh S/o Bheru Singh	00124	Cap. Ampicilin 500mg.	20	2.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	20	
4.	Mohan Lal Jiwaji Mali	00101	Tab.Cotrimoxazole	10	3.10.99
			Tab.CPM	10	
5.	Pokar Ram Prahladji	00051	Tab.IFA	30	3.10.99
6.	Saka Ram Genaji	01768	Tab.Cotrimoxazole	12	4.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	10	
7.	Pratap Ram S/0 Ramaji	00043	Tab. Metrogyl 400mg.	20	5.10.99
			Cap. Ampicilin 250mg.	20	
			Tab. BC	20	
8.	Pawani Devi W/o Kishanji	00066	Cap.Tetracycline250mg.	20	7.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	15	
			Tab. BC	20	
9.	Chhoga Ram S/o Adha Ramji	04207	Tab.Cotrimoxazole	20	8.10.99
			Tab. PCM	20	
			Tab. BC	10	
10.	Khanga Ram S/0 Tara Ramji	04058	Cap. Ampicilin 500mg.	20	8.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	20	
			Tab. BC	20	

1	2	3	4	5	6
11.Sadam Khan S/o Moti Khan	1.Feroza 2.Feryana	00297 00297	Syp.Cotrimoxazole	20	8.10.99
			Tab. PCM	20	
			Tab. BC	10	
12.Uki MohanJi		00167	Cap. Ampicilin 500mg.	20	9.10.99
			Tab. PCM	15	
			Tab. BC	20	
13.Geeta D/o Baburam		00046	Tab.Cotrimoxazole	20	9.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	20	
			Tab. PCM 500mg.	20	
			Tab. BC	20	
14.Kanti Lal S/0 Narayan Lal		05551	Tab.Cotrimoxazole	20	10.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	20	
15.Kupa S/o Maga		03432	Tab. BC	10	10.10.99
16.Narsa Ram S/o Motiji Darji		04214	Cap. Ampicilin	21	11.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	12	
			Tab. PCM 500mg.	12	
			Tab. BC	12	
17.Khatun Bai W/o Sultan Khan		00093	Tab. Metrogyl 400mg.	20	12.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	20	
			Tab.PCM 500mg.	20	
			Tab. BC	20	
18.Naina Ram S/o Devaji (Kailash)		00618	Tab.Cotrimoxazole	10	13.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	10	
			Tab.PCM 500mg.	10	
19.Lehra Ram S/o Ganga Ram (fully)		086	Tab.Decylomin	10	13.10.99
20.Bhanwar Lal S/o Champa Lal		01420	Cap. Ampicilin 500mg.	10	13.10.99
			Tab.PCM 500mg.	10	
21.Aabid Khan S/o Lal Khan		00103	Tab.Ibuprofen 400mg.	10	15.10.99
			Tab.Cotrimoxazole	10	
22.Arman S/o Modi Khan		00297	Tab. Metrozyl	10	16.10.99
			Tab.PCM 500mg.	10	
			Tab.Decylomin 20mg.	10	

1	2	3	4	5	6
23.	Afroza S/o Modi Khan	00297	Tab.PCM 500mg.	10	16.10.99
			Tab.IFA	10	
24.	Chandu S/o Lumba Ram	00024	Tab.PCM 500mg.	10	16.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	10	
25.	Manohar S/o Lumba Ram	00024	Tab.PCM 500mg.	10	16.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	10	
26.	Chela Ram S/o Mabutaji	0002	Tab.Ibuprofen 400mg.	10	16.10.99
27.	Bhanwari	0021	Tab.Cotrimoxazole	10	22.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	10	
28.	Galo	0070	Tab.CPM 4mg.	10	26.10.99
29.	Padma Devi	00147	Tab.Ibuprofen 400mg.	10	26.10.99
30.	Santosh W/o Mohan Lal	00002	Tab.Cotrimoxazole	10	27.10.99
			Tab.PCM 500mg.	10	
31.	Khag Singh	04685	Tab.Cotrimoxazole-DS	10	27.10.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	10	

NOVEMBER, 1999

1.	Surajpal Singh	02324	Cap. Ampicilin 500mg.	10	1.11.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	10	
			Tab.PCM 500mg.	10	
			Tab. BC	11	
2.	Magpal	00068	Tab.Cotrimoxazole	10	2.11.99
			Tab.Ibuprofen	10	
3.	Jitendra	00338	Tab.Ibuprofen	10	3.11.99
			Tab. BC	10	
4.	Dilip	00029	Cap. Ampicilin 500mg.	10	4.11.99
			Tab.Ibuprofen 400mg.	10	
5.	Saroj	00304	Tab.Cotrimoxazole-DS	10	5.10.99
			Tab.Decylomin	10	
6.	Samela Ram	0486	Tab.Cotrimoxazole	10	6.11.99
			Tab.Ibuprofen	10	

1 2	3	4	5	6
7. Khagu Ram	04058	Tab.Cotrimoxazole-DS	10	7.11.99
		Tab. Chloroquine	10	
8. Monika	00118	Tab. Ampicilin	10	8.11.99
		Tab.Ibuprofen	10	
9. Shakhia	00243	Tab.Cotrimoxazole	10	9.11.99
		Tab.PCM	10	
		Tab.CPM	10	
10.Narsa Ram	00112	Tab.Ibuprofen	10	10.11.99
		Tab. BC	10	
11.Smt. Tara	00136	Tab.CPM	10	11.11.99
		Tab.Cotrimoxazole-DS	10	
12.Saria Banu	00136	Tab.Ibuprofen	10	13.11.99
		Tab.Cotrimoxazole	10	
13.Dimpal	00259	Tab.Ibuprofen	10	17.11.99
		Tab.Cotrimoxazole	10	
14.Khnchan		Tab.Ibuprofen	10	17.11.99
		Tab.Cotrimoxazole	10	
15.Lehri Devi	00010	Tab.Ibuprofen	10	17.11.99
		Tab.Cotrimoxazole	10	
		Tab.Decylomin	10	
16.Deepika	00132	Tab.Ibuprofen	10	17.11.99
		Tab.Cotrimoxazole	10	
17.Kailash	00120	Tab.PCM	10	18.11.99
18.Lumba Ram	00024	Tab.Ibuprofen	10	18.11.99
19.Fan Lal	06699	Cap. Ampicilin 500mg.	10	20.11.99
		Tab.PCM 500mg.	10	
20.Kamlesh	00120	Cap. Ampicilin	12	22.11.99
		Tab.Ibuprofen	9	
21.Lundiza	00120	Tab.PCM 500mg.	6	22.11.99
22.Puri	00140	Tab.PCM 500mg.	3	23.11.99
23.Methi Devi	00324	Tab.Cotrimoxazole-DS	8	23.11.99
		Tab.Ibuprofen	6	

1 2	3	4	5	6
24.Taribi	00136	Tab.Ibuprofen	3	24.11.99
25.Shankar Singh	03714	Cap. Ampicilin 500mg.	16	27.11.99
		Tab.Ibuprofen	12	
26.Khatub	00093	Tab.Metaclopramide	3	27.11.99
		Tab.Dicylomin	3	
27.Natha Ram	00725	Tab.Dicylomin	6	27.11.99
		Tab.PCM	6	
28.Lutiya	00093	Cap..Teracyline 500mg.	20	29.11.99
		Tab. PCM 500mg.	15	

DECEMBER, 1999

1. Jammu Devi	00003	Tab.Ibuprofen 400mg.	9	1.12.99
		Tab.Asprin	15	
2. Tara Bai	00136	Tab. Ibuprofen	9	1.12.99
3. Rakesh	00139	Tab.Cotrimoxazole	12	1.12.99
		Tab.PCM 500mg.	9	
4. Kalu Ram	00365	Tab.PCM	6	2.12.99
5. Mani Devi	00919	Tab.Cotrimoxazole	16	2.12.99
		Tab.PCM	12	
6. Khibra Khan	02250	Tab.Dicyclomin	3	3.12.99
		Tab.PCM	3	
7. Ganga Ram	00186	Tab.PCM	9	5.12.99
8. Vaga Ram	00683	Tab.Cotrimaxazole	12	6.12.99
		Tab.Ibuprofen	9	
9. Mancha Ram	00167	Tab.PCM	9	7.12.99
		Tab.Cotrimaxazole	16	
10.Leharki	01633	Tab.IFA	30	9.12.99
11.Laxmi	00720	Tab.PCM	9	10.12.99
12.Ramesh	04246	Cap..Ampicilin 500mg.	10	13.12.99
		Tab.PCM	10	

1 2	3	4	5	6
13.Khatun	00093	Tab.Aspirin	15	14.12.99
14.Laxmi	00720	Cap..Ampicilin 500mg.	20	14.12.99
		Tab.PCM	15	
15.Vala Ram	00720	Tab.PCM	6	14.12.99
16.Dharmendra	01932	Tab.Metaclopramide	10	15.12.99
		Tab.Dicyclomin	10	
17.Moti	00035	Cap.Tetracycline500mg.	20	17.12.99
		Tab.Ibuprofen	15	
18.Rinku	00021	Cap..Ampicilin	20	17.12.99
		Tab.PCM	10	
		Tab.Metaclopramide	6	
19.Ritu	00021	Tab.PCM	2	18.12.99
		Syp.Cotrimoxazole	1	
20.Moti	00035	Tab. Cotrimoxazole	12	18.12.99
21.Khatun Banu	00093	Tab.PCM	10	20.12.99
22.Kamlesh	00324	Cap..Ampicilin 250mg.	20	21.12.99
		Tab.PCM	10	
23.Moola Ram	00023	Tab. Ibuprofen	9	21.12.99
24.Aja Ram	04243	Tab.Cotrimoxazole	16	21.12.99
		Tab.PCM	12	
25.Ramesh	04246	Cap..Ampicilin	16	21.12.99
		Tab.PCM	10	
26.Kalu Ram	00074	Cap..Ampicilin	20	21.12.99
		Tab.PCM	15	
27.Kundan Mal	00147	Cap.Tetracycline500mg.	20	22.12.99
28.Seema	00042	Syp.Cotrimoxazole	1	24.12.99
		Tab.PCM	3	
29.Ganga Ram	00188	Cap..Ampicilin	20	27.12.99
		Tab.PCM	15	
30.Champa	00095	Tab.PCM	9	27.12.99
31.Idan Ram	00288	Tab.Dicyclomin	9	27.12.99
		Tab. Ibuprofen	10	

1 2	3	4	5	6
32.Dhana Ram	00304	Cap..Ampicilin	16	28.12.99
		Tab.PCM	12	
33.Khatan Bai	00093	Tab. Ibuprofen	13	31.12.99
34.Malu Ram	00023	Tab.Cotrimoxazole	12	31.12.99
		Tab.PCM	9	

JANUARY, 2000

1. Suja Ram	00263	Tab.Metaclopramide	15	4.1.2000
2. Chatra Ram	00774	Cap..Ampicilin 500mg.	20	6.1.2000
		Tab.PCM	16	
3. Abdul	00304	Tab.Cotrimoxazole	20	7.1.2000
		Tab.Ibuprofen	15	
4. Purki	00188	Cap..Ampicilin 500mg.	20	9.1.2000
		Tab.Ibuprofen	13	
5. Babu Lan	03997	Tab.Cotrimoxazole	16	10.1.2000
		Tab.Ibuprofen	12	
6. Santu	00725	Tab.Cotrimoxazole	12	10.1.2000
		Tab.PCM	10	
7. Pushpa	AH06447	Tab.Metaclopramide	6	12.1.2000
		Tab.Dicylomin	10	
8. Sanjay	AH06447	Syp.Cotrimoxazole	1	12.1.2000
		Tab.PCM	3	
		Syp.Cloroquin	1	
9. Ravindra	AH06447	Syp.Cotrimoxazole	1	12.1.2000
		Tab.PCM	3	
10.Bhanwari	00021	Tab.PCM	10	12.1.2000
		Tab.Ibuprofen	6	
11.Urmila	00021	Tab.Ibuprofen	10	12.1.2000
12.Vimla	04046	Tab.Cotrimaxazole	12	12.1.2000
		Tab.Ibuprofen	10	
13.Dharmendra	01932	Tab.Ibuprofen	10	15.1.2000

1 2	3	4	5	6
14.Chuki	00029	Tab.Aspirin	10	17.1.2000
		Tab.Ibuprofen	10	
15.Tara Banu	00136	Tab.PCM	10	17.1.2000
16.Tari Banu	00136	Tab. Aspirin	10	18.1.2000
17.Soni	00060	Tab.Ibuprofen	10	20.1.2000
18.Barda Ram	0239	Tab.PCM	10	20.1.2000
19.Tara	00136	Tab.Aspirin	10	31.1.2000
20.Tari	00136	Tab.Ibuprofen	10	31.1.2000

FEBRUARY, 2000

1. Rawta Ram	00005	Cap..Ampicilin	20	6.2.2000
		Tab.PCM	10	
2. Khatun Bai	00093	Tab.Decyclomin	10	6.2.2000
		Tab.Ibuprofen	10	
3. Lehari	00064	Cap.Tetracycline500mg.	10	8.2.2000
		Tab.PCM	10	
4. Kalu Ram	00064	Syp.Cotrimoxazole	1	8.2.2000
		Tab.PCM	3	
		Syp.Chloroquin	1	
5. Hudia	00120	Tab.Metacloxpramide	3	10.2.2000
		Syp.Metronidazole	1	
6. Jitendra	07027	Syp.Metronidazole	1	11.2.2000
		Tab.Mebendazole	6	
7. Chuki	00029	Tab.Ibuprofen	10	11.2.2000
8. Ganga Ram	00188	Cap.Ampicilin	20	12.2.2000
		Tab.Ibuprofen	10	
9. Rinku	00103	Syp.Chloroquin	1	12.2.2000
		Tab.PCM	4	
10.Sasa Ram	00012	Cap.Ampicilin	12	12.2.2000
		Tab.PCM	10	
		Tab.Decylomin	10	

1 2	3	4	5	6
11.Sawroopa Ram	03914	Tab.Aspirin	10	14.2.2000
12.Rawta Ram	00005	Tab.Cotrimoxazole	10	14.2.2000
		Tab.Ibuprofen	10	
13.Firoza	00304	Tab.Mebendazole	10	19.2.2000
		Tab.Dicylomin	10	
14.Rawta Ram	0005	Cap..Ampicilin	12	24.2.2000
		Tab.PCM	10	
15.Lumba Ram	0024	Tab.Cotrimoxazole	12	26.2.2000
		Tab.Ibuprofen	10	
16.Khatun	0093	Tab.Ibuprofen	15	26.2.2000
17.Afroza	00297	Syp.Cotrimoxazole	1	28.2.2000
		Syp.Chloroquin	1	
		Tab.PCM	3	
18.Arman	00297	Syp.Cotrimoxazole	1	28.2.2000
		Syp.Chloroquin	1	
		Tab.PCM	6	
19.Vikram	04673	Tab.Cotrimoxazole	15	28.2.2000
		Tab.Ibuprofen	10	

MARCH, 2000

1. Soni	00005	Tab.Ibuprofen	10	1.3.2000
2. Monika	00118	Tab.Ampicilin	15	1.3.2000
		Tab.PCM	10	
3. Moola Ram	00023	Tab.Ibuprofen	15	5.3.2000
4. Basi Ram	25568	Tab.Cotrimoxazole	16	6.3.2000
		Tab.PCM	12	
5. Lumba Ram	00024	Cap.Tetracycline	16	7.3.2000
		Tab.Ibuprofen	10	
6. Uki	00167	Tab.Cotrimoxazole	20	8.3.2000
		Tab.Ibuprofen	15	
7. Bhanwar Lal	00324	Tab.Ibuprofen	10	9.3.2000
		Tab.Aspirin	15	
8. Tari	00136	Tab.PCM	10	10.3.2000

1 2	3	4	5	6
9. Prema Ram	00176	Tab.Cotrimoxazole	20	11.3.2000
		Tab.Ibuprofen	10	
10.Bhera Ram	011411	Tab.Cotrimoxazole	16	13.3.2000
		Tab.PCM	10	
11.Gata Ram	01141	Cap..Ampicilin	20	13.3.2000
		Tab.Ibuprofen	16	
12.Ganga Ram	00188	Cap..Ampicilin	20	14.3.2000
		Tab.Ibuprofen	16	
13.Lumba Ram	00024	Cap..Ampicilin	20	15.3.2000
		Tab.Ibuprofen	16	
14.Gaja Ram	00919	Cap..Ampicilin	20	16.3.2000
		Tab.Ibuprofen	16	
		Tab.Decyclomin	10	
15.Farman	00297	Syp.Cotrimoxazole	1	24.3.2000
		Tab.PCM	2	
16.Khatun	00093	Syp.Metronidazole	1	24.3.2000
		Tab.Metaclopramide	2	
17.Sasa Ram	00012	Tab.Cotrimoxazole	20	24.3.2000
		Tab.Frusemide	20	
18.Pasati	04791	Tab.Cotrimoxazole	20	25.3.2000
		Tab.Ibuprofen	15	
19.Lumba Ram	00024	Cap..Ampicilin	20	31.3.2000
		Tab.PCM	15	
1. Saski	00725	Tab.Dicylomin 20mg.	12	3.4.2000
		Tab.PCM	12	
		Tab.Mebendazole	12	
2. Nathu Ram	00725	Tab.Dicylomin 20mg.	12	3.4.2000
		Tab.PCM	12	
		Tab.Mebendazole	12	

पंजीयन कार्यालय तहसील जैतारण द्वारा पंजीकृत दस्तावेज

260. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंजीयन कार्यालय तहसील जैतारण द्वारा गत पांच वर्षों में किस–किस राजस्व गांव की कितनी–कितनी भूमि बेचान के दस्तावेज पंजीकृत किये गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दस्तावेज पंजीयन में किस–किस अर्जीनवीस के द्वारा दस्तावेज तकमील कर पंजीयन हेतु पंजीयक तहसीलदार, जैतारण के सामने प्रस्तुत किये गये ? संख्या विवरण गांववार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंजीयन कार्यालय तहसील जैतारण द्वारा गत पांच वर्ष में राजस्व गांव की भूमि बेचान के जो दस्तावेज पंजीकृत किये गये उनकी संख्या सूची संलग्न है।

(2) उक्त दस्तावेज जिन अधिकृत अर्जीनवीसों द्वारा तकमील कर संबंधित पक्षकारान द्वारा उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुतकिये गये उनका संख्या विवरण दर्शाते हुए गांववार सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति पर पुनर्विचार

261. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में पुनः विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के समक्ष उक्त पदोन्नति के आदेशों को वापस लेने/रोकने हेतु कोई मांग पत्र पेश हुआ है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद पदोन्नति के मामलों में कोई आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उच्चतम न्यायालय की सांविधानिक

(कार्मिक मंत्री)

पीठ द्वारा 1979 की (सिविल) रिट याचिका संख्या 79–आर. के. सबरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1371–1995 (2) एस. सी. सी. 745–जे. टी. 1995 (2) एस. सी. 351 में संप्रकाशित) में दिये गये निर्णय दिनांक 10.2.95 एवं 1989 की सिविल अपील संख्या 3792–3794 अजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (संक्षेप में अजीत सिंह (1996)(2) एस. सी. सी. 715 जे. टी. 1996 (2) एस. सी. 727 में संप्रकाशित) में दिये निर्णय दिनांक 1.3.96 की अनुपालना में राज्य सरकार ने दिनांक 11.2.2000 को परिपत्रादेश जारी किये हैं जो परिशिष्ट–I एवं II पर संलग्न है।

(2) जी हां, विभिन्न संघों/महासंघों/अभ्यर्थियों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनकी सूची परिशिष्ट–III पर संलग्न है।

(3) जी हां, दिनांक 11.2.2000 को दो परिपत्रादेश जारी किये हैं जो परिशिष्ट–I एवं II पर संलग्न हैं।

(4) जी हां, सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अधिकारियों को नियमानुसार पदोन्नति दिये जाने का विचार रखती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आयुर्वेदिक औषधालय देसूरी (पाली) में पदस्थापन

262. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तहसील मुख्यालय देसूरी पर सरकार द्वारा आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया है ?

(2) क्या उक्त आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक व अन्य स्टाफ लगाया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नवीन औषधालय खोलने की स्वीकृति जारी की गई है, किन्तु अभी भी औषधालय ने कार्य आरम्भ नहीं किया है।

(2) जी नहीं। वित्त विभाग द्वारा नवीन व्यय पर प्रतिबन्ध होने के कारण, अभी इस नवीन स्वीकृत औषधालय में किसी भी स्टाफ का पदस्थापन नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत सूरजपुरा एवं कोटड़ा (अजमेर) के सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

263. **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(डा. के. सी. चौधरी)

(1) पंचायत समिति जवाजा की ग्राम पंचायत सूरजपुरा, एवं कोटड़ा के सरपंचों के विरुद्ध निर्माण व अन्य योजनाओं के कार्यों में अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त सरपंचों की शिकायतों पर अब क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत सूरजपुरा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत. पत्रों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ा के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) ग्राम पंचायत सूरजपुरा के पूर्व सरपंच को विभागीय आदेश क्रमांक 7955–61 दिनांक 3.11.99 से निलंबित किया गया है। तत्पश्चात् अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी से विस्तृत जांच करायी जा रही है। जांच प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

264. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पशुपालन-राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सहकारी डेयरी महासंघ का प्रबंधन संभाल रहे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अधिकारियों ने महासंघ को लाखों रुपये की अनियमितता कर नुकसान पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया था ?

(2) क्या उक्त मामलों की जांच अलग–अलग स्तर पर पहुंच चुकी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच के क्या निष्कर्ष हैं ? क्या इसमें कुछ अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो किस–किस अधिकारी ने कब–कब कितनी–कितनी अनियमितता की है और अब तक दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अलग–अलग स्तर पर जांच कार्यवाही जारी है।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार से प्राप्त जांच प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(3) विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में क्षतिग्रस्त बांध/नहरों की मरम्मत

265. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1995 व 1998 में विधान सभा क्षेत्र रूपवास में बाढ़ से जो बांध/नहरें क्षतिग्रस्त हुई थीं, उनमें से कितने कार्य पूर्ण कराये गये और कितने कार्य अपूर्ण हैं ? क्या सरकार उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों की बाढ़ से जो बांध/नहरें क्षतिग्रस्त हुई थीं इस कार्य के लिए प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ? क्या सरकार द्वारा जो राशि दी गई उसका पूरा सदुपयोग हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य 55 में से 49 कार्य पूर्ण हुए तथा 6 कार्य अपूर्ण परन्तु सुरक्षा स्तर तक पूर्ण कर लिये गये हैं। वर्ष 1998 में 5 कार्य क्षतिग्रस्त हुए जिनके प्रस्ताव सहायता विभाग को दिनांक 18.11.98 को आपदा राहत कोष के मद से वित्तीय साधन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। विवरण परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों के जीर्णोद्धार हेतु वर्षवार आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है।

वर्ष	**रूपवास क्षेत्र को आवंटन राशि (लाखों में)**	**व्यय राशि (लाखों में)**
1996–97	70.00	69.93
1997–98	21.00	20.52
1998–99	7.00	6.95

परिशिष्ट "1"

पूर्ण किये गये कार्य बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्य वर्ष 1995 रूपवास विधान सभा

(व्यय लाखों में)

क्र.सं.	नाम कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति	96-97	97-98	98-99	व्यय योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	पिचूना कैनाल	13.00	6.79	0.68	—	7.47
2.	खण्डासा बंधली	4.00	10.93	0.02	—	10.95
3.	कंजर बरौली बांध	1.00	0.37	—	—	0.37
4.	कच्चा बांसी बांध	2.40	0.55	0.15	—	0.70
5.	गहलऊ बांध	1.00	0.05	0.19	—	0.24
6.	भोर बंध	1.00	0.84	0.85	—	1.69
7.	बहरा बांध	5.00	0.30	—	1.21	1.51
8.	कुरका बांध	4.00	—	4.00	—	4.00
9.	उच्चैन नहर	5.00	2.42	1.42	—	3.84
10.	पिचूना नाला	3.50	5.39	—	—	5.39
11.	श्री नगर बोसोली	5.00	6.16	—	—	6.16
12.	कुरका फीडर	10.00	5.10	0.32	—	5.42
13.	खरेरा क्रास पिचूना कैनाल	3.00	0.89	—	—	0.89
14.	करचा रूपवास	1.00	0.21	—	—	0.21
15.	समेसरा अपर	1.50				
16.	चैकोरा बांध	1.20				
17.	समेसरा लोड़ार	1.50				
18.	शक्करपुरा बांध	2.50				

1	2	3	4	5	6	7
19.	रूघ खेरिमा	1.10	6.25	3.79	0.56	10.60
20.	सामरी अपर	1.10				
21.	सामरी लोअर	1.00				
22.	नोरदा	1.80				
23.	मोलोनी लोअर	2.00				
24.	मोलोनी अपर	2.00				
25.	पुरा मोलोनी	1.50				
26.	सज्जनवास	1.50				
27.	समाध अपर	2.00	1.23	4.92	1.30	7.45
28.	समाध लोअर	2.00				
29.	जटमासी	1.80				
30.	विनउभा बंध	1.50				
31.	दोरदा बांध	2.00				
32.	बोरोली बांध	1.80	0.43	0.10	—	0.53
33.	खेडा जमीदारी	2.20	—	0.20	—	0.20
34.	लखनपुर बांध	1.00	0.43	0.06	0.05	0.54
35.	जोतरौली अपर	0.80	0.15	—	—	0.15
36.	नेरपुर बांध	2.00	—	—	3.83	3.83
37.	घाटा कैनाल	1.20	0.25	—	—	0.25
38.	दाहिना कैनाल	4.00	2.36	1.79	—	4.15
39.	शक्करपुर कैनाल	1.50				
40.	चेकोरा कैनाल	1.50				
41.	मिलक्सा नाला	0.40	6.28	—	—	6.28
42.	खेरिया विलोच नाला	0.40				
43.	नेकपुर फ़ीडर	1.00	0.25	—	—	0.25

1	2	3	4	5	6	7
44.	जुगला पट्टी बंधली	1.00	0.44	0.59	—	1.03
45.	मुर्रका मार्जिनल बांध	1.50	1.40	—	—	1.40
46.	रतउभा प्रोटेक्शन	5.00	4.83	0.23	—	5.16
47.	सूपा प्रोटेक्शन बांध	1.00	—	0.80	—	0.80
48.	बोसोली प्रोटेक्शन	2.00	2.69	—	—	2.69
49.	कारई पोन्ट्री	4.00	1.27	0.41	—	1.68
	योग	**119.20**	**68.26**	**20.52**	**6.95**	**95.78**

परिशिष्ट "2"

अपूर्ण कार्य एवं सुरक्षित स्तर तक के बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्य 1995 विधान सभा क्षेत्र रूपवास

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाखों)	खर्चा (लाखों) 96-97
1.	बोल्डर डेम सेवला	2.00	0.37
2.	मेरपी प्रोटेक्शन	4.00	0.40
3.	करई बांध	1.00	0.20
4.	कादोली बांध	1.00	0.40
5.	नगला पटलवार	0.80	0.20
6.	बी. आर. बी. पनोह से सेरी गांव	0.50	0.10
	योग	**9.30**	**1.67**

परिशिष्ट "3"

बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्य वर्ष 1998 विधान सभा क्षेत्र रूपवास जो स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर, भरतपुर के माध्यम से स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये स्वीकृति अपेक्षित है

क्र.सं.	नाम कार्य	राशि (लाखों में)
1.	महलपुर काछी बांध के नक्के बंद करने का कार्य	15.00
2.	खेडा जमीदारी बांध	5.00
3.	समाध लोअर बांध	4.00
4.	दाहिना नहर	20.00
5.	गेटों की मरम्मत का कार्य	30.00
	योग	**74.00**

श्री राम फाइबर फैक्ट्री (अलवर) में गैस रिसाव से पीड़ित किसानों को मुआवजा

266. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति तिजारा स्थित श्री राम फाइबर फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ था ? यदि हां, तो उससे आसपास के ग्रामों की कितनी फसल को नुकसान हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि किसानों को इसके लिए मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो किस–किस को कितनी–कितनी राशि का भुगतान हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में सरकार ने उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री राम फाइबर लि. पंचायत समिति, तिजारा में दिनांक 10.3.92 को हाईड्रोक्लोरिक एसिड की फ्यूम्स निकली थी। इससे आसपास के पांच गांवों क्रमशः बनवन, गोदान, खीचूरीवास, मिलकरपुर गूर्जर, सॉथलका में 355 बीघा 8 बिस्वा क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ था।

(2) जी हां, किसानों को कुल राशि 81489/–रुपये मुआवजे के रूप में वितरित

(श्रम मंत्री)

की गई, कृषकवार सूची "अ" संलग्न है।

(3) उक्त घटना के दौरान कारखाना अधिनियम एवं राजस्थान कारखाना नियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया, इसलिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ (अलवर) में एक्स-रे मशीन

267. **श्री जौहरी लाल** (राजगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ (अलवर) को 100 बैड का बनाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ? क्या सरकार इसमें नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इस वर्ष एक्स–रे की मशीन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2000–2001 में विभाग की वार्षिक योजना में चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां।

जी नहीं। भारत सरकार के मापदण्डानुसार अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास के अलावा अलग से मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं। भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है, जिसके अनुरूप विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) में आने वाली पंचायत समिति, राजगढ़ एवं रेणी में निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति की जा चुकी है।

(3) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ (अलवर) को वित्तीय वर्ष 1998–99 में 100 एम. ए. की नवीन एक्स–रे मशीन उपलब्ध करवाई हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

शाहपुरा समूह से प्राप्त राजस्व में कमी

268. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999–2001 में शाहपुरा समूह

(डा. किरोड़ी लाल)

के लिए कुल कितनी निविदाएं प्राप्त हुई ? निविदाओं में उच्चतर निविदा किस पार्टी (ठेकेदार) की कितनी राशि की थी एवं उसे कब स्वीकृति दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण नियत तिथि को ठेकेदार को स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया गया ? यदि हां, तो कब स्वीकृति जारी की गई ?

(3) शाहपुरा समूह से दिनांक 1 अप्रेल, 1999 से 8 जून, 1999 तक कुल कितनी आय का लक्ष्य था ? अपेक्षित राशि से कितनी कम राशि राजकोष में जमा हुई ?

(4) उक्त समूह की कम राशि जमा होने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मदिरा समूह शाहपुरा–कोटपूतली–विराटनगर के लिए 30.3.99 को दो निविदाएं प्राप्त हुई :–

1. श्री राजाराम पुत्र श्री दानाराम, राशि रुपये 8,71,77,821/–

2. श्री रणपाल सिंह, रघुवीर सिंह एण्ड पार्टी राशि रुपये 8,69,80,000.88/–

प्राप्त निविदाओं में श्री राजाराम पुत्र दानाराम की निविदा उच्चतर थी। समूह की स्वीकृति दिनांक 31.5.99 को दी गई।

(2) जी नहीं। द्वितीय निविदादाता ने उच्चतर निविदादाता के विरुद्ध शिकायत की जिसकी जांच करना आवश्यक था। साथ ही यह भी देखना आवश्यक था कि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से कहीं सम्पूर्ण क्षेत्र के ठेकों के संचालन में कठिनाई तो नहीं आयेगी। तथ्यों की जांच के बाद निविदा निर्णायक समिति की अनुशंषा पर दिनांक 31.5.99 को अस्थाई स्वीकृति जारी की गई। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण चला था।

(3) आय के लक्ष्य ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् ही ठेके में प्राप्त राशि के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। दिनांक 30.5.99 तक ठेका स्वीकृत नहीं होने से देशी मदिरा की दुकानों का संचालन फ्रैंचाइज आधार पर तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से कराई गई।

(4) किसी भी अधिकारी का उत्तरदायित्व नहीं बनता है, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र जैसलमेर में एक्वाडेक्टों का निर्माण

269. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला जैसलमेर के इंदिरा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

गांधी नहर क्षेत्र में वर्षा के पानी की निकासी हेतु नहर निर्माण में एक्वाडेक्ट की व्यवस्था नहीं की गई ?

(2) क्या यह सही है कि पानी निकासी के अभाव में वर्षा के पानी से झीलें बन गई, जिससे सड़कें, वन क्षेत्र तथा उपजाऊ भूमि बेकार हो गई है ?

(3) क्या सरकार के समक्ष नये एक्वाडेक्टों का सर्वे कराकर निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के जैसलमेर संभाग क्षेत्र में वर्षा के पानी की निकासी हेतु पूर्व में सागरमल गोपा शाखा की बुर्जी 241.500 एवं गडरा रोड उप शाखा की बुर्जी 16 पर एक्वाडेक्ट का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 1998 में अतिवृष्टि के परिप्रेक्ष में भविष्य की संभावनाओं का पुनः आंकलन कर सागरमल गोपा शाखा की बुर्जी 180, 242 एवं 264, भाटियावाली माइनर की बुर्जी 18.250 एवं 31.400, सतार वाली माइनर की बुर्जी 7.300 तथा गडरा रोड उप शाखा की बुर्जी 21.500 पर अतिरिक्त एक्वाडेक्टों का निर्माण प्रस्तावित किया गया।

(2) यह सही है कि पानी की पर्याप्त निकासी के अभाव में वर्षा के पानी से अस्थाई झीलें बनी हैं पर इससे सड़कें, वन क्षेत्र व उपजाऊ भूमि बेकार नहीं हुई है। हां, सड़कों व नहरों को आंशिक रूप से क्षति अवश्य पहुंची है।

(3) जी हां। सर्वे पश्चात् स्थलों का चयन तकनीकी दृष्टि से सही पाये जाने पर अतिरिक्त एक्वाडेक्टों का आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाना विचाराधीन है।

होम्योपैथिक चिकित्सकों का वेतन स्थिरीकरण

270. **श्री के. सी. विश्नोई** (संगरिया) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग में ऐसे कुल कितने होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जिनकी नियुक्ति वर्ष 1989 में हुई थी परन्तु विभाग ने उनकी नियुक्ति वर्ष 1982 से मानते हुए काल्पनिक आधार पर वेतन स्थिरीकरण का लाभ देकर वेतन स्थिरीकरण किया है ?

(2) क्या वर्ष 1989 में विज्ञापित होम्योपैथिक ग्रेड—द्वितीय पद हेतु आवेदन करने वाले चार चिकित्सकों जिनको वर्ष 1993 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से नियुक्ति दी गई थी से वर्ष 1989 में नियुक्त चिकित्सकों के प्राप्तांकों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें यह लाभ दिया गया है ?

(3) यदि हां, तो वर्ष 1993 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से नियुक्त

(श्री के. सी. विश्नोई)

चिकित्सकों से वर्ष 1981 में विज्ञापित पदों हेतु आवेदन करने वाले कुल कितने चिकित्सकों के प्राप्तांकों की संख्या अधिक है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त सभी चिकित्सकों की नियुक्ति वर्ष 1982 से मानने के आदेश करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1989 में नियुक्त उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति वर्ष 1982 से मानने का आधार क्या था ?

(5) क्या विभाग ने वर्ष 1989 में नियुक्त चिकित्सकों को वर्ष 1982 में नियुक्त मानकर काल्पनिक आधार पर वेतन स्थिरीकरण करने हेतु सरकार के वित्त विभाग की अनुमति ली गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार काल्पनिक आधार पर वेतन स्थिरीकरण का लाभ देने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभाग में दो होम्योपैथिक चिकित्सक ऐसे हैं, जिनकी नियुक्ति वर्ष 1989 में हुई है तथा उनका वेतन स्थिरीकरण वर्ष 1982 से काल्पनिक आधार पर, वर्ष 1982 से नियुक्ति मानकर किया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1989 में होम्योपैथिक ग्रेड द्वितीय के लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। वर्ष 1981 में विज्ञापित होम्योपैथिक ग्रेड द्वितीय पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आशार्थियों में से ही चार आशार्थियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में वर्ष 1993 में नियुक्ति प्रदान की गई थी।

(3) वर्ष 1993 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में जिन चार आशार्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई, उनसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 14 आशार्थी हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

इस सम्बन्ध में जारी आदेश को राज्याज्ञा दिनांक 1.10.99 के द्वारा पुनः ले लिया गया है।

(5) जी हां।

वित्त विभाग की राय तथा महाधिवक्ता की राय के मध्य नजर ही नोशनल फिक्शेसन राज्याज्ञा दिनांक 1.10.99 के द्वारा वापस लिया गया है। वित्त विभाग की राय की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" में रख दी गई है। चूंकि वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा वहां से स्थगन प्राप्त है, फलस्वरूप न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1993 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में जिन चार आशार्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई, उनसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आशार्थियों की सूची

क्र.सं.	नाम आशार्थी मय पिता का नाम	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.	सुश्री बृजेश कौर/गजराज सिंह	56.69
2.	श्री लालचन्द/कल्याणसहाय शर्मा	55.27
3.	श्री राजबहादुरसिंह राठौड़/जालिम सिंह	55.02
4.	श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़/तुलसीराम	52.67
5.	सुश्री इन्द्रा अग्रवाल/गोपीनाथ	52.38
6.	श्री महेशचन्द्र त्रिपाठी/लक्ष्मीनारायण	50.35
7.	श्री भंवरसिंह जादौन/भीमसिंह	51.83
8.	श्री चन्द्रमोहन माथुर/देवकीनन्दन माथुर	50.90
9.	श्री भानुकुमार माथुर/अवधबिहारी	50.06
10.	श्री सतीन्द्रपालसिंह/धर्मवीरसिंह	49.50
11.	श्री गोविन्दराम शर्मा/पोखीराम शर्मा	49.11
12.	श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत/सूरत सिंह	48.63
13.	श्री भानुप्रकाश शर्मा/अमीचन्द शर्मा	48.48
14.	श्री मौजीराम शर्मा/माधवनारायण	47.35

परिशिष्ट "ख"

वित्त (नियम) विभाग की राय

राजकीय सेवा में नई नियुक्ति पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिये जाने के राजस्थान सेवा नियमों के नियम 24 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है। अतः तदनुसार वेतन दिया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय निर्णय संख्या 3031/1988 दिनांक 22.8.88 में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्णय की पालना में नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति की तिथि से वेतन के लिए मान्य होंगे अर्थात् ऐसे लोगों को कार्यभार दिनांक की तिथि से वेतनमान का न्यूनतम वेतन ही देय है।

एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. नं. 1026/81 दिनांक 31.1.92 श्री राजेश कुमार हरित एवं अन्य में भी उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि निर्णय की तिथि से तीन माह की अवधि में नियुक्तियां दी जावे। इस निर्णय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि नियुक्ति से पूर्व की अवधि का कोई वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे। अर्थात् वेतन वेतनमान के न्यूनतम पर ही देय होगा। इस निर्णय में सिर्फ यह उल्लेख है कि वरिष्ठता मेरिट के अनुसार रहेगी।

श्रीमती शाहिस्ता खां के एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. नं. 1596/94 दिनांक 28.11.94 के निर्णय एवं डी. बी. के निर्णय में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि यदि पद रिक्त हो तो श्रीमती शाहिस्ता खां को नियुक्ति दी जावे जब पद रिक्त नहीं था तो इस प्रकरण में नियुक्ति की जाने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय में केवल यह रिपोर्ट करना था कि पद रिक्त नहीं है। इसलिए नियुक्ति दी जाना संभव नहीं है परंतु विभाग ने बिना किसी औचित्य में 25 पदों के विरुद्ध 26 नियुक्तियां कर दी हैं जो गंभीर अनियमितता है और जिम्मेदारी निर्धारित करके दोषी के विरुद्ध सी. सी. ए. नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्रीमती शाहिस्ता खां के मामले में अवमानना प्रकरण इस कारण विचाराधीन है क्योंकि विभाग ने अन्य समान चार प्रकरणों में नोशनल वेतन निर्धारित कर दिया जबकि इसके प्रकरण में नहीं किया है। उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय की पालना हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य था परन्तु विभाग ने अपने स्तर पर ही नोशनल वेतन निर्धारण कर दिया जो नियम विरुद्ध है। गलत वेतन निर्धारण के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध सी. सी. ए. नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रशासनिक विभाग/निदेशक, आयुर्वेद विभाग ने जो कार्यवाही नियम विरुद्ध की है उसका मूलतः कारण यह मान रहा है कि अवमानना प्रकरण में बचने के लिए हड़बड़ाहट में आदेश बिना पूर्ण सोचे विचारे जारी किये गये हैं। अतः न्यायालयों के निर्णयों पर समय पर कार्यवाही नहीं की जाने के लिए प्रशासनिक विभाग जिम्मेदारी निर्धारित कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध सी. सी. ए. नियम के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही करे।

अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय पृ. 266/सी पर उपलब्ध है उसके अनुसार भी नोशनल लाभ देय नहीं है। ए. ए. जी. ने चाहा है कि या तो जिन प्रकरणों में नोशनल वेतन निर्धारण किया गया है निरस्त किया जावे या श्रीमती शाहिस्ता खां को भी नोशनल वेतन निर्धारण का लाभ दिया जावे।

प्रशासनिक विभाग ने कुल 6 प्रकरणों में 267/सी एवं पृ. 150–151/सी (एफ. 10 (4) आयुर्वेद/93) के द्वारा नोशनल वेतन निर्धारण को निरस्त किये जाने के कारण बताओ नोटिस एक सप्ताह की अवधि के लिए जारी किया है और उसके बाद नोशनल वेतन निर्धारण के आदेश निरस्त करके न्यायालय में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।

यदि उक्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो अन्य सभी प्रकरणों में भी नोशनल वेतन निर्धारण करना होगा। इतना ही नहीं बाद के बैच में भी जिसके उच्च न्यायालय के निर्णय पृ. 92–95/सी पर उपलब्ध है उसमें भी नोशनल वेतन निर्धारण करना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के प्रकरण भी प्रभावित हो सकते हैं। अतः उपयुक्त तो यह ही होगा कि नोशनल वेतन निर्धारण के आदेश निरस्त किये जावें। ऐसा करना नोटिस अवधि की समाप्ति पर ही युक्तिसंगत होगा।

योग्यता के अनुसार वरिष्ठता निर्धारण का नोशनल वेतन निर्धारण से कोई सम्बन्ध नहीं है। नियमों में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

केशोरायपाटन (बूंदी) के विद्यालयों में रिक्त पद

271. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बूंदी में कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ?

(2) क्या यह सही है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ? रिक्त पदों की विषयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) केशोरायपाटन क्षेत्र के झाली जी का बरावा, लाखेरी, कापरेन, केशोराय पाटन उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं लेसरदा, मायजा गेण्डोली, लबान, देहीखेड़ा, अरनेढ़ा माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी में 28 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (23 छात्र तथा 05 छात्रा) तथा 58 राजकीय माध्यमिक विद्यालय (52 छात्र तथा 06 छात्रा) संचालित हैं।

(2) जी हां, उक्त विद्यालयों में व्याख्याताओं एवं अध्यापकों के रिक्त पदों का विद्यालयवार एवं विषयवार विवरण तथा रिक्त रहने का कारण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां, नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध के हटने पर उक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(4) केशोरायपाटन क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशोरायपाटन, कापरेन एवं लाखेरी में व्याख्याताओं के रिक्त पद प्रश्न की भाग संख्या 03 में उल्लिखित कार्यवाही के पश्चात् ही भरे जा सकेंगे। झाली जी का बरावा, लेसरदा, मायजा, गेण्डोली, लबान, देहीखेड़ा एवं अरनेढ़ा के माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद सृजित नहीं हैं, अतः रिक्त रहने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट "क"

रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों का विवरण				कब से	रिक्त रहने का कारण
		विषय	व्या./ शा.शि	व.अ./ शा.शि.	अध्या./ शा.शि.	रिक्त है	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उ.मा.वि. बूंदी	हिन्दी	व्या.	–	–	2/2000	समानीकरण में आवंटित
		संस्कृत	व्या.	–	–	2/2000	समानीकरण में आवंटित
		–	शा.शि.	–	–	7/98	स्थानान्तरण
2.	उ.मा.वि. बांसी	अंग्रेजी	व्या.	–	–	7/98	सेवानिवृत्ति
		–	–	शा.शि.	–	8/98	स्थानान्तरण
3.	उ.मा.वि. बरूंधन	ना.शा.	व्या.	–	–	4/99	सेवानिवृत्ति
		हिन्दी	व्या.	–	–	1/2000	सेवानिवृत्ति
		भौतिक	व्या.	–	–	3/2000	छात्र संख्या शून्य होने से
		रसायन	व्या.	–	–	3/2000	निदेशालय को कार्य मुक्त
		गणित	व्या.	–	–	3/2000	कर भेजा
		–	–	शा.शि.	–	10/99	सेवानिवृत्ति
		सामा.	–	व.अ2 पद	–	2/2000	समानीकरण में पद आवंटन

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	उ.मा.वि. देई	कृषि	व्या.	–	–	12/96	स्थानान्तरण
		अंग्रेजी	व्या.	–	–	7/98	स्थानान्तरण
		ना.शा.	व्या.	–	–	2/2000	समानीकरण में आवंटित
5.	उ.मा.वि. गोठडा	संस्कृत	व्या.	–	–	8/98	नवसृजित
		भूगोल	व्या.	–	–	8/98	नवसृजित
6.	उ.मा.वि. हिण्डोली	संस्कृत	व्या.	–	–	8/98	सेवानिवृत्ति
		ना.शा.	व्या.	–	–	9/99	सेवानिवृत्ति
7.	उ.मा.वि. इन्द्रगढ़	भैतिक	व्या.	–	–	7/99	स्थानान्तरण
		–	–	व.अ.2 पद	–	7/99	स्थानान्तरण
8.	उ.मा.वि.जवाहरसागर बांध	–	–	शां.शि.	–	7/99	स्थानान्तरण
9.	उ.मा.वि. कापरेन	संस्कृत	व्या.	–	–	7/99	स्थानान्तरण
10.	उ.मा.वि. के.पाटन	इतिहास	व्या.	–	–	11/98	कॉलेज शिक्षा में पदस्थापन
		अर्थशास्त्र	व्या.	–	–	7/99	स्थानान्तरण
11.	उ.मा.वि. लाखेरी	चित्रकला	व्या.	–	–	7/98	स्थानान्तरण
		अर्थशास्त्र	व्या.	–	–	8/97	सेवानिवृत्ति
		संस्कृत	व्या.	–	–	7/98	स्थानान्तरण
12.	उ.मा.वि. नैनवां	अंग्रेजी	व्या.	–	–	7/97	स्थानान्तरण

1	2	3	4	5	6	7	8
		गणित	व्या.	–	–	7/97	स्थानान्तरण
		ना.शा.	व्या.	–	–	9/99	स्थानान्तरण
		चित्रकला	व्या.	–	–	7/97	स्थानान्तरण
		चित्रकला	व्या.	–	–	2/2000	समानीकरण में आवंटन
		इतिहास	व्या.	–	–	2/2000	समानीकरण में आवंटन
13.	उ.मा.वि. पेचकीबावड़ी	ना.शा.	व्या.	–	–	7/99	स्थानान्तरण
14.	उ.मा.वि. तलवास	ना.शा.	व्या.	–	–	9/98	नवसृजित
		संस्कृत	व्या.	–	–	9/98	नवसृजित
15.	उ.मा.वि. अलोद	सामा.	–	व.अ.2 पद	–	2/2000	समानीकरण में आवंटित
15ए	बा.उ.मा.वि. लाखेरी	–	–	–	अध्या.	2/2000	समानीकरण में आवंटित
16.	बा.उ.मा.वि. बूंदी	अंग्रेजी	व्या.	–	–	2/2000	समानीकरण में आवंटन
		हिन्दी	व्या.	–	–	2/2000	समानीकरण में आवंटन
		चित्रकला	व्या.	–	–	2/2000	समानीकरण में आवंटन
		गृहविज्ञान	व्या.	–	–	2/2000	समानीकरण में आवंटन
		संगीत	व्या.	–	–	–	स्थानान्तरण
17.	बा.उ.मा.वि. कापरेन	हिन्दी	व्या.	–	–	7/97	आवंटन
18.	बा.उ.मा.वि. के.पाटन	हिन्दी	व्या.	–	–	7/97	आवंटन

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	बा.उ.मा.वि. नैनवां	इतिहास	व्या.	–	–	12/98	पदोन्नति
		संस्कृत	व्या.	–	–	7/99	स्थानान्तरण
		सामा.	–	व.अ.	–	11/99	सेवानिवृत्ति
		–	–	–	अध्या.	1/2000	समानीकरण में आवंटित
20.	मा.वि. खटकड	सामा.	–	व.अ.	–	2/2000	समानीकरण में आवंटन
21.	मा.वि. अंथडा	सामा.	–	व.अ.	–	2/2000	समानीकरण में आवंटन
22.	मा.वि. बसौली	सामा.	–	व.अ.	–	2/2000	समानीकरण में आवंटन
23.	मा.वि. मायजा	सामा.	–	व.अ.	–	3/2000	समायोजन
24.	मा.वि. कोथ्या	संस्कृत	–	व.अ.	–	7/99	नवसृजित
25.	मा.वि.नोताडाभोपत	संस्कृत	–	व.अ.	–	7/99	नवसृजित
		–	–	–	शा.शि.	3/2000	समानीकरण में आवंटन
26.	मा.वि.धाबाइयों का नयागांव	संस्कृत	–	व.अ.	–	7/99	समानीकरण में आवंटन
27.	मा.वि.भीया	संस्कृत	–	व.अ.	–	7/99	समानीकरण में आवंटन
		–	–	–	अध्यापक	1/2000	समानीकरण में आवंटन
		–	–	–	शा.शि.	–	–
28.	मा.वि. खेरखटा	–	–	–	अध्या.2 पद	2/2000	नये पद
29.	मा.वि. पगारा	–	–	–	अध्या.2 पद	2/2000	नये पद

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	मा.वि. गरडदा	–	–	–	अध्या.2 पद	2/2000	नये पद
31.	मा.वि. लाम्बाखोह	–	–	–	अध्या.2 पद	2/2000	नये पद
32.	मा.वि. बाबई	–	–	–	अध्या.2 पद	2/2000	नये पद
33.	मा.वि. सुनगर,	–	–	–	अध्या.2 पद	2/2000	नये पद
34.	मा.वि. रोटेदा	–	–	–	अध्या.2 पद	2/2000	नये पद
35.	मा.वि. देई खेडा	–	–	–	अध्या.3 पद	2/2000	समानीकरण/परिवेदना निस्तारण
36.	उ.मा.वि. झाबराना	–	–	–	अध्या.1 पद	3/2000	सेवानिवृत्ति
	योग		41	18	23		

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बांदनवाड़ा के भवन का उपयोग

272. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बांदनवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति गत 20 वर्षो से भी अधिक समय से चल रही है ? यदि हां, तो कब से ? स्थापना के समय कितने व कौन–कौन सदस्य बने और वर्तमान में कौन–कौन समिति के सदस्य हैं ?

(2) क्या समिति का भवन भी बना हुआ है ? यदि हां, तो भवन निर्माण में कितनी–कितनी राशि किस–किस योजना में लगी ? वर्तमान में भवन क्या समिति के काम पूर्ण रूप से आ रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त भवन किराये पर दिया हुआ है ? यदि हां, तो किसको व किस नियम के तहत ? क्या सरकार समिति के प्रतिदिन दुग्ध संग्रह व प्रबंध व्यवस्था से संतुष्ट है ? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) जी हां। बांदनवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति दिनांक 09.11.1974 से चल रही है एवं इसका पंजीयन दिनांक 18.06.76 को हुआ है। पंजीकरण के समय इस समिति में 22 सदस्य थे। पंजीकरण के समय सदस्यों का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। वर्तमान में समिति के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। समिति के भवन के निर्माण में कुल एक लाख चार हजार आठ सौ चालीस रुपये व्यय हुए हैं जिसमें से 4230/– रुपये मजदूरी के पेटे गेहूं अनुदान में तथा शेष राशि रुपये एक लाख छह सौ दस दिनांक 20.3.2000 तक समिति के लाभांश में से व्यय हुए हैं। वर्तमान में उक्त समिति का भवन पूर्ण रूप से काम आ रहा है।

(3) वर्तमान में भवन किराये पर दिया हुआ नहीं है। समिति द्वारा प्रतिदिन दुग्ध संग्रह एवं प्रबन्ध व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। यह इससे स्पष्ट होता है कि समिति वर्ष 1995–96 से लगातार हर वर्ष लाभ अर्जित कर रही है। साथ ही प्रबन्धकारिणी के चुनाव भी पूर्ण हो चुके हैं।

परिशिष्ट "क"

बांदनवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, बांदनवाड़ा

रजिस्ट्रेशन के समय बनाये गये सदस्यों की सूची

क्रमांक	नाम सदस्य मय पिता/पति
1	2
1.	श्री माना/श्री सवाई गुर्जर
2.	श्री राम/श्री सवाई गुर्जर
3.	श्री पांचू/श्री जवारा गुर्जर
4.	श्री मगना/श्री भागू गुर्जर
5.	श्री श्रवण नाथ/श्री सूजानाथ जोगी
6.	श्री मोहनदास/श्री भगनादास खाजू
7.	श्री हीरा/श्री छोगा गुर्जर
8.	श्री सूरजमल/श्री सुखदेव खारोल
9.	श्री किशन/श्री नाथू गुर्जर
10.	श्री सूरजमल/श्री हजारी खारोल
11.	श्री रामकरण/श्री घीसा खारोल
12.	श्री भूरा/श्री प्रताप गुर्जर
13.	श्री लादू/श्री उगमा जाट
14.	श्री गोपी/श्री सदा गुर्जर
15.	श्री गेंदा/श्री मोटा खारोल
16.	श्री शम्भू सिंह/श्री जोरावर सिंह राठौड़
17.	श्री हुकम नाथ/श्री लक्ष्मीनाथ जोगी
18.	श्री गोरधन/श्री भूरा नाई
19.	श्री वरदा/श्री भागीरथ जाट
20.	श्री माना/श्री गोकल गुर्जर
21.	श्री सदानाथ/श्री लादूनाथ जोगी
22.	राज्य सरकार

परिशिष्ट "ख"

बांदनवाड़ा समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची

क्र. सं.	नाम सदस्य मय पिता/पति
1	2
1.	श्री माना/सवाई गुर्जर
2.	श्री राम/सवाई गुर्जर
3.	श्री माना/भागू
4.	श्री पांचू/जवारा
5.	श्री श्रवण/सुजाराम जोगी (मृत्यु)
6.	श्री मोहनदास/भारूदास साधू
7.	श्री सूरजमल/हजारी खारोल
8.	श्री रामकरण/घीसा
9.	श्री किशन/नाथू गुर्जर
10.	श्री सुरजमल/सुखदेव खारोल
11.	श्री लादू/उगमा जाट
12.	श्री शम्भू सिंह/जोरावरपुर सिंह राठौड़
13.	श्री गोरधन/भूरा नाई (मृत्यु)
14.	श्री वरदा/भागीरथ जाट (मृत्यु)
15.	श्री संदानाथ/भादूनाथ जोगी
16.	राजस्थान सरकार
17.	श्री लादू/श्री लाल जाट (मृत्यु)
18.	श्री लादूराम/भागीरथ कुम्हार
19.	श्री रहमान/नवीबक्ष तेली (मृत्यु)
20.	श्री रामगोपाल/भूरा जाट
21.	श्री मांगू/पीरूशाह
22.	श्री भूरनाथ/स्वरूपननाथ जोगी
23.	श्री लादू/उगमा जाट (मृत्यु)
24.	श्री हरदेव/हरनाथ जाट

1	2
25.	श्री भागू/दूदा गुर्जर
26.	श्री रघुनाथ/मेघा जाट
27.	श्री नन्दा/देवा गुर्जर (मृत्यु)
28.	श्री सुजा/देवा खटीक (मृत्यु)
29.	श्री शिवनारायण/भादू दरोगा
30.	श्री मदन/काना खटीक
31.	श्री नन्दा/रामा जाट
32.	श्री हरजी/जुवारा गुर्जर
33.	श्री लादू/धूला जाट
34.	श्री छगना/श्रवण जाट
35.	श्री हरी/जगन्नाथ जाट
36.	श्री भोलू/उगमा जाट
37.	श्री गिरधारी/भूला जाट
38.	श्री रंगालाल/नाथू जाट
39.	श्री मगन लाल/रामकरण जाट
40.	श्री मोहन/चौथू रैगर
41.	श्री उगमा/भूरजी जाट (मृत्यु)
42.	श्री समुन्दर नाथ/सुखानाथ जोगी
43.	श्री रामदेव/गोकुल जाट
44.	श्री बालू/देवा गुर्जर (मृत्यु)
45.	श्री रणवीर सिंह/धुकल जाट
46.	श्री भादू/देवा कुम्हार
47.	श्री बजरंग/सुवालाल जाट
48.	श्रीमती सुशीला/कल्याण दरोगा
49.	श्री किशन/हीरा जाट
50.	श्री किशनलाल/गंगाराम गुर्जर
51.	श्री गोपी/किशना कुम्हार

1	2
52.	श्री हंसराज/रामकरण जाट
53.	श्री हरजी/रामा जाट
54.	श्री शिवराज/किशना जाट
55.	श्री मांगू/गोकल जाट
56.	श्री रामस्वरूप/काना गुर्जर
57.	श्री हरि/कालु गुर्जर (मृत्यु)
58.	श्री कल्याण/हरलाल जाट (मृत्यु)
59.	श्री छोटू/उगमा जाट
60.	श्रीमती सुगनी/हीरा गुर्जर
61.	श्री अमरा/भूरा गुर्जर
62.	श्री जेठू/घासी गुर्जर
63.	श्री देवी लाल/श्रवण जाट
64.	श्री गणपत/रामलाल जाट
65.	श्री मूला/मांगू खटीक
66.	श्री काना/चन्द्रा माली
67.	श्री चन्द्रा/हजारी गुर्जर
68.	श्री भंवरलाल/घासी जाट
69.	श्री घनश्याम/भंवरलाल शर्मा
70.	श्री सुरजकरण/कालू कुम्हार
71.	श्रीमती उगमी/रामनारायण (मृत्यु)
72.	श्री रामकुंवार/उगमा जाट
73.	श्रीमती गीता देवी/रूपकिशोर जाट

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की भूमि बेचान से अनुमानित आय में कमी

273. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1999–2000 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कमांड एरिया में कृषि भूमि के बेचान से 200 करोड़ रुपये की आय अनुमानित थी ? यदि हां, तो उक्त मद में अब तक कितनी राशि प्राप्त की जा चुकी है ?

(2) क्या सरकार ने उक्त राशि प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास किये ? यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्ति की सफलता अर्जित क्यों नहीं हो सकी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिसके विरुद्ध विभाग में माह फरवरी, 2000 तक 8500.00 लाख रुपये की आय हो चुकी है। मार्च, 2000 में आय और बढ़ने की सम्भावना है।

(2) राजस्थान उपनिवेशन (इं. गां. न. प. उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत कृषि भूमि का आवंटन करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये तथा खुली नीलामी हेतु भूमि का भी निर्धारण कर आवंटन अधिकारीवार आवंटन कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस कार्य में प्रगति लाने हेतु आवंटन अधिकारी का पदस्थापन कराया गया। जिसके कारण विभाग को 8500.00 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई। इतने प्रयासों के बावजूद भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति में सफलता अर्जित नहीं होने के निम्नांकित कारण रहे हैं :–

1– इसी वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों की आम हड़ताल अवधि 15.12.1999 से 16.2.2000 तक में आवंटन के कार्य में विपरीत प्रभाव पड़ा है।

2– विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1999–2000 में 20350 मुरब्बों की 128612 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गये थे। इस वित्तीय वर्ष में 7061 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा पूर्व के 53513 प्रार्थना पत्र शेष थे। इस प्रकार कुल 60574 विचाराधीन प्रार्थना पत्रों में से 7225 आवेदकों को 41,136 हैक्टेयर भूमि का विशेष आवंटन के अंतर्गत आवंटन माह फरवरी, 2000 तक किया गया। इस आवंटन के विरुद्ध माह फरवरी, 2000 तक 8500.00 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है। आवंटन से शेष 13125 मुरब्बे आवंटन नहीं होने का मूल कारण अधिकांश आवेदकों का आवंटन कार्यक्रम में रुचि नहीं होना रहा है। यदि इनमें से शेष 13125 मुरब्बे आवंटन होते तो विभाग को लगभग 120 करोड़ रुपये की और आय हो सकती थी।

जिला भरतपुर में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद

274. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला भरतपुर में कुल कितने चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मियों के पद कहां–कहां कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से कहां–कहां कितने पद कब से रिक्त हैं और इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) जिला भरतपुर में कितने चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं ? अब इन्हें कब तक हटाया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में कार्यरत चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण मय रिक्त की अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला भरतपुर में कार्यरत चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति की अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार प्रश्न के भाग–एक की सूची में दर्शाया गया है।

कनिष्ठ विशेषज्ञों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षिका, परिचारिका अधीक्षक, प्रथम एवं द्वितीय नर्स श्रेणी प्रथम, सहायक मलेरिया अधिकारी, ब्लॉक हैल्थ सुपरवाइजर (मेल/फिमेल), नर्सिंग ट्यूटर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, सेक्टर सुपरवाइजर एवं वरिष्ठ लेब. टैक्नीशियन के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर, नर्स श्रेणी द्वितीय, सहायक रेडियोग्राफर, दन्त तकनीशियन, मलेरिया निरीक्षक, प्रसाविका, एम. पी. डब्ल्यू. एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को राज्य सरकार ने नव नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी एवं बायोलोजिस्ट के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

स्वास्थ्य निरीक्षक के पद को ड्राईंग केडर घोषित किये जाने के फलस्वरूप स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना संभव नहीं हो सकेगा।

(3) जिला भरतपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	मूल पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति का स्थान
1.	डॉ. अशोक कुमार दन्त चिकित्सक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीग	सामान्य चिकित्सालय, भरतपुर
2.	श्री धर्मेन्द्र कुमार वरिष्ठ लिपिक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीग

डा. अशोक कुमार, दन्त चिकित्सक कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पद पर पदस्थापित है। वरिष्ठ लिपिक की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दो फसली असिंचित भूमि का रजिस्ट्रेशन चार्ज

275. **श्री मदन लाल वर्मा** (डग) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या दो फसली असिंचित भूमि का रजिस्ट्रेशन चार्ज सिंचित भूमि की दर से लिया जाता है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह किसानों के हित में विसंगति है ?

उत्तर

(1) जी. नहीं। रजिस्ट्रेशन चार्ज (Registration fee) की दर में कोई अन्तर नहीं है। भूमि के मूल्यांकन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जारी परिपत्र की प्रति संलग्न है। इस परिपत्र के खण्ड (च) में सिंचित व असिंचित भूमि के मूल्यांकन की प्रक्रिया दी हुई है।

(2) जी. नहीं।

परिपत्र सं. 2

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ.7(521)जन/29579–30013 दिनांक : 01.10.99

1. समस्त कलेक्टर एवं जिला पंजीयक,
   राजस्थान।

2. समस्त उप महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक),
   राजस्थान।

3. समस्त उप पंजीयक,
   राजस्थान।

परिपत्र

विषय : भूमि के प्रचलित मार्केट वैल्यू निर्धारण के सम्बन्ध में।

1. मुद्रांक कर का दायित्व

मुद्रांक अधिनियम के तहत दस्तावेजों पर मुद्रांक कर निष्पादन की तिथि को प्रचलित सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू पर देय है। निष्पादन से तात्पर्य दस्तावेज के तहत जिम्मेदारी/दायित्व लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर से है। यदि हस्ताक्षर की तिथि अंकित नहीं हो तो दस्तावेज लिखने या टाइप करने की तिथि को निष्पादन की तिथि माना जावेगा। यदि टाइप या लिखने की तिथि भी न हो तो स्टैम्प पेपर के पृष्ठ भाग पर स्टैम्प विक्रय की तिथि को निष्पादन की तिथि माना जावेगा।

2. प्रचलित मार्केट वैल्यू की परिभाषा एवं निर्धारण

मार्केट वैल्यू की परिभाषा के अनुसार ऐसी किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो दस्तावेज की विषय वस्तु है, 'बाजार मूल्य' से वह कीमत/जो ऐसी सम्पत्ति के लिए प्राप्त हुई होती, यदि उसे उक्त दस्तावेज के निष्पादन की तिथि को खुले बाजार में बेचा जाता अथवा दस्तावेज में अंकित प्रतिफल, इनमें से जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है। पंजीयन अधिकारी द्वारा दस्तावेज से हस्तांतरित सम्पत्ति के 'बाजार मूल्य' की जांच या बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए उस क्षेत्र की भूमि की निम्नलिखित दरों में जो भी उच्चतर हो, को

आधार माना जायेगा :–

(क) जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर।

(ख) इण्डेक्स–2 की उच्चतर दर।

(ग) पंजीयन विभाग द्वारा निर्धारित दर।

3. कृषि भूमि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में

(क) पैराफेरी एवं नगरपालिका क्षेत्र में

(अ) यदि दस्तावेज के द्वारा क्रय की गई भूमि 1000 वर्ग गज से कम है या क्रेता एक से अधिक हो और एक के हिस्से की भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज से कम हो तो उसका प्रयोग आवासीय माना जावे एवं उस क्षेत्र के पास आवासीय दर लगायी जावे और यदि पास के क्षेत्र की भूमि आवासीय के रूप में रूपान्तरित है तथा हस्तांतरित की जा रही भूमि अरूपान्तरित है तो रूपान्तरण शुल्क व विकास शुल्क की राशि कम करके मूल्यांकन करें।

(ब) यदि दस्तावेज से हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज से अधिक है या एक से अधिक खरीददार हैं तथा एक का हिस्सा 1000 वर्ग गज से अधिक बनता है तो उसे कृषि प्रयोजनाथ माना जावे किन्तु मौका निरीक्षण अवश्य किया जावे तथा भूमि का मौके पर आबादी उपयोग होना पाया जावे अथवा उपयोग का प्रथम दृष्ट्या आधार हो तो कृषि भूमि की तीन गुनी दर से बाजार मूल्य आंका जावे।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र में :

यदि दस्तावेज से हस्तान्तरित भूमि 1000 वर्ग गज से कम हो या एक से अधिक खरीददार हों तथा एक के हिस्से में 1000 वर्ग गज से कम भूमि बनती हो एवं भूमि आबादी के पास स्थित हो तो उसका उपयोग आवासीय माना जावे तथा आवासीय दर से मूल्यांकन किया जावे, यदि आवासीय दर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित न हो तो कृषि भूमि की तीन गुनी दर से मूल्यांकन किया जावे।

(ग) यदि कृषि भूमि के खसरा नम्बर का क्षेत्रफल ही 1000 वर्ग गज से कम है या विक्रेता का हिस्सा ही 1000 वर्ग गर्ज से कम है या रास्ते या कुए के लिए पास के खातेदार ने भूमि क्रय की है जो 1000 वर्ग गज से कम है और पूरा खसरा नम्बर ट्रांसफर किया जा रहा है तो अन्तिम खसरा गिरदावरी से एवं मौका निरीक्षण करके यह सुनिश्चित किया जावे कि उसका उपयोग कृषि भूमि के रूप में हो रहा है तथा निकट भविष्य में गैर कृषि उपयोग

की सम्भावना नहीं है, अपनी संतुष्टि लिखित में दर्ज करने के पश्चात् ही कृषि भूमि की दर से मूल्यांकन किया जावे।

(घ) जहां पर जिला स्तरीय समिति ने कृषि भूमि के भूखण्डों की दरें अलग से निर्धारित कर रखी हैं वहां कृषि भूमि के भूखण्डों का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति की दरों से ही किया जावे।

(ड़) नहरी क्षेत्र में मोघे (पानी सप्लाई का प्वाइंट) के पास, मध्य एवं टेल की भूमि :–

नहरी क्षेत्र में भूमि की प्रचलित मार्केट वैल्यू मोघे (पानी सप्लाई का प्वाइंट) से भूमि की दूरी से प्रभावित होती है एवं उसी के अनुसार जिला स्तरीय समितियों ने दरें निश्चित कर रखी हैं व इण्डेक्स भी उसी अनुसार संधारित किया जाता है। अतः मोघे के पास, मध्य एवं टेल के निर्धारण के लिए निम्न मापदण्ड तय किये जाते हैं :–

यदि खसरा गिरदावरी में जमीन की किस्म नहरी/सिंचित है और अन्तिम चार वर्षों में :–

(अ) 6 या अधिक फसल हो तो मोघे के पास माना जावे।

(ब) 4 या 5 फसल हो तो मोघे से मध्य दूरी पर स्थित माना जावे।

(स) 4 से कम फसल हो तो मोघे से दूर माना जावे।

(च) सिंचित व असिंचित भूमि :–

कई स्थानों पर भूमि को सिंचित एवं असिंचित दो श्रेणियां बांटकर दरें तय की जाती हैं। सिंचित व असिंचित भूमि का निर्धारण अन्तिम चौसाला खसरा गिरदावरी से किया जाता है :–

(अ) यदि अन्तिम चौसाला खसरा गिरदावरी में जमीन की किस्म सिंचित दर्ज है तो सिंचित मानकर मूल्यांकन किया जावे।

(ब) यदि असिंचित दर्ज है लेंकिन गत चार वर्षों में दो या दो से अधिक वर्षों में रबी की फसल लीं गयी है तो भूमि को सिंचित मानकर मूल्यांकन किया जावे।

(स) जहां भूमि एक फसली है एवं असिंचित दर्ज है परन्तु फसल खरीफ के स्थान पर रबी में ली जाती है तो ऐसी भूमि को सिंचित नहीं माना जायेगा, भले ही रबी में दो से अधिक फसल चार वर्षों में ली गयी है।

(द) कतिपय क्षेत्रों यथा भरतपुर, अलवर, चूरू आदि में रबी में सरसों, चना बिना सिंचाई के लिया जाता है, ऐसी भूमि यदि असिंचित दर्ज है तो रबी में चार में दो या अधिक वर्षो में भी फसल लिये जाने के बावजूद उसको सिंचित नहीं माना जावे, बशर्ते स्तरीय समिति द्वारा ऐसी जमीनों के लिए अलग से ग्रामवार दरें तय कर दी हों। जब तक जिला स्तरीय समिति द्वारा पृथक दर तय नहीं हो, तब तक सिंचित दरों पर ही मूल्यांकन किया जावे।

(छ) भूमि के साथ–साथ कुआ अथवा बोरिंग विक्रय होने पर उसकी कीमत अलग से आंकी जावे। यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा कुओं की कीमत तय कर रखी हो तो उसके अनुसार मालियत आंकी जावे अन्यथा कुओं की 80000/–रुपये कीमत लगायी जावे तथा बोरिंग की 100000/–रुपये कीमत आंकी जावे।

(ज) सरकार या स्थानीय निकाय की भूमि के हस्तांतरण पत्र लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण उनका पंजीयन नहीं हो सकता। कृषि भूमि सरकार या स्थानीय निकाय की नहीं होने के बारे में संतुष्टि हेतु नवीनतम जमाबन्दी प्राप्त की जावे। यदि पंजीयन अधिकारी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर संतुष्ट है तो अपनी संतुष्टि के कारण लिखित में दर्ज करते हुए बिना जमाबन्दी प्राप्त किये भी पंजीयन कर सकते हैं।

(झ) सिंचित या असिंचित के सम्बन्ध में संतुष्टि होने के लिए अन्तिम चौसाला खसरा गिरदावरी की प्रति प्राप्त की जावे। यदि पक्षकार सिंचित की दर से मुद्रांक कर लेने के लिए तैयार हो तो खसरा गिरदावरी की प्रति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु यह ध्यान रखे कि कृषि भूमि के साथ कुए अथवा बोरिंग का हस्तांतरण तो नहीं हुआ है ? इसके लिए मौका निरीक्षण अवश्य करें।

4. आवासीय भूमि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में

(क) दरों में असामान्य वृद्धि होने पर

किसी विशेष कारण से कोई दस्तावेज असामान्य दर पर पंजीबद्ध हो जाने से उस क्षेत्र की इण्डेक्स दर बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र के पश्चात्वर्ती दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर बढ़ी हुई इण्डेक्स दर से मूल्यांकन के अतिरिक्त मुद्रांक कर के लिए नोटिस दिया जावे तथा नोटिस के बावजूद राशि जमा नहीं हो तथा पंजीयन अधिकारी के पास यह विश्वास को कारण हो कि इण्डेक्स की बढ़ी हुई दर असामान्य है तथा उस क्षेत्र की सामान्य दर कम है तो कलक्टर 'मुद्रांक' को अपने विश्वास के कारणों का उल्लेख करते हुए रेफरेंस भिजवाया जावे तथा बढ़ी हुई दर को असामान्य घोषित करने का निवेदन किया जावे। कलक्टर 'मुद्रांक' द्वारा उक्त बढ़ी हुई दर को असामान्य घोषित करने पर मूल्यांकन

हेतु बढ़ी हुई दर को असामान्य घोषित करने पर मूल्यांकन हेतु बढ़ी हुई दर को आधार नहीं माना जावे।

(ख) कार्नर भूमि/भूखण्ड की कीमत 10 प्रतिशत अधिक :

यदि हस्तान्तरित सम्पत्ति कोर्नर पर है तो उस क्षेत्र की दर से मूल्यांकन करके उसके 10 प्रतिशत कार्नर भूखण्ड की अतिरिक्त राशि शामिल की जावे।

(ग) बहुमंजिली ईमारत या फ्लेट में से एक या अधिक मंजिल/फ्लेट के हस्तांतरण पर भूमि की कीमत :

एक से अधिक मंजिल/फ्लेट हो तथा सम्पूर्ण भवन का हस्तांतरण न होकर उसके एक या अधिक हिस्से का हस्तांतरण होने पर भूमि की कीमत निम्नानुसार आंकी जावे :–

(अ) ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित भवन/दुकान छत सहित हस्तांतरण होने पर उस क्षेत्र की भूमि की दर का – 100 प्रतिशत

(ब) ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित भवन/दुकान बिना छत हस्तांतरण होने पर उस क्षेत्र की भूमि की दर का – 80 प्रतिशत

(स) प्रथम मंजिल या उसका भाग या उसका आधा भाग हस्तांतरित होने पर भूमि की दर का – 70 प्रतिशत

(द) द्वितीय मंजिल या उसका भाग हस्तांतरित होने पर भूमि की दर का – 50 प्रतिशत

(य) तृतीय मंजिल या उसका भाग हस्तांतरित होने पर भूमि की दर का – 50 प्रतिशत

(र) बेसमेंट या उसका भाग हस्तांतरित होने पर भूमि की दर का – 50 प्रतिशत

उदाहरणार्थ यदि ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम, द्वितीय व तृतीय फ्लोर पर निर्मित क्षेत्र क्रमशः 1200 वर्ग फुट, 1300 वर्ग फुट, 1150 वर्ग फुट व 1000 वर्ग फुट हो तथा भूमि की दर 7500 रुपया प्रति वर्ग फुट हो और सभी तल (फलोर) पर 50–50 वर्ग फुट भूमि का बेचान हो तो भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा :–

ग्राउण्ड फ्लोर पर	– 50 x (7500 x 80%)
प्रथम फ्लोर पर	– 50 x (7500 x 70%)
द्वितीय फ्लोर पर	– 50 x (7500 x 60%)
तृतीय फ्लोर पर	– 50 x (7500 x 50%)

यदि 3 मंजिल से अधिक का भवन हो तो उसकी दरें जिला स्तरीय समिति से निर्माण व भूमि को शामिल करते हुए प्रति वर्ग फुट फ्लोर एरिया के लिए निर्धारित करवायी जावे।

(ङ) मुख्य सड़क/सड़क के पास व सड़क से दूर स्थित सम्पत्ति :

सामान्यतः जिला स्तरीय समिति या पंजीयन विभाग द्वारा उक्त दो श्रेणी में दरों का निर्धारण किया जाता है तथा इण्डेक्स–2 में भी इसी आधार पर इन्द्राज होता है। यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा 'सड़क के पास/मुख्य सड़क व सड़क से दूर' आदि को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया हो तो–

(अ) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्गीकृत प्रथम तीन सड़कें यथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राज्य उच्च मार्ग एवं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से लगती हुई सम्पत्ति तथा नगरपालिका क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त सड़कें/गलियां एवं आवासीय कालोनी में 30 फुट से अधिक सड़क/गली से लगती हुई सम्पत्ति को मुख्य सड़क पर/सड़क के पास मानकर मूल्यांकन किया जावे। जिस क्षेत्र में रोड 60 फुट या अधिक चौड़ा हो उस क्षेत्र के लिए मुख्य सड़क एवं पीछे की दरें डी. एल. सी. से अलग से तय करवायी जावे।

(ब) उपरोक्त सड़कों/गलियों पर जो सम्पत्ति नहीं खुलती अर्थात् चिपती हुई नहीं है उन्हें सड़क से दूर मानकर मूल्यांकन किया जावे।

5. व्यावसायिक भूमि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में

भूमि को व्यावसायिक मानकर व्यावसायिक दर से मूल्यांकन तभी किया जावे जबकि दस्तावेज के निष्पादन के समय :–

(क) उपयोग व्यावसायिक हो, अथवा

(ख) भूमि का व्यावसायिक उपयोग हेतु रूपांतरण हुआ हो, अथवा

(ग) भूमि स्थानीय निकाय की व्यावसायिक योजना में स्थित हो, अथवा

(घ) भूमि दुकानों या उस क्षेत्र के व्यावसायिक परिसरों की पंक्ति में स्थित हो।

जिस क्षेत्र में व्यावसायिक दर निर्धारित नहीं हो वहां आवासीय दर की दुगनी दर को व्यावसायिक दर मानकर मूल्यांकन करें।

उपरोक्त कारणों से भिन्न कारण से यदि भूमि को व्यावसायिक मानकर मूल्यांकन किया जाता है तो पंजीयन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह व्यावसायिक उपयोग साबित करें।

6. औद्योगिक भूमि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में

यदि दस्तावेज के निष्पादन के समय भूमि का औद्योगिक उपयोग किया जा रहा हो या रीको के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हो या औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हो गया हो तो उसका मूल्यांकन औद्योगिक दर से किया जावे। औद्योगिक दर का आधार निम्नानुसार माना जावे :–

(क) रीको क्षेत्र में स्थित भूमि का मूल्यांकन दस्तावेज निष्पादन के समय प्रचलित रीको की आरक्षित दर से किया जावे।

(ख) रीको क्षेत्र से बाहर स्थित भूमि के मामले में यदि औद्योगिक दर जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित है तो उससे मूल्यांकन करें और यदि दर निर्धारित नहीं हो तो पास के रीको क्षेत्र की प्रचलित आरक्षित दर से मूल्यांकन करें।

महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर।

पदोन्नति में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की सरकार द्वारा अनुपालना

276. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा फैसला किया है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्त कर्मचारी/अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए ? यदि हां, तो कब तथा सरकार को इसकी प्रति कब मिली और सरकार ने इस पर अब तक क्या–क्या कार्यवाही की है ? फैसले व इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फैसले की अनुपालना करने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है और इसकी अनुपालना कब तक की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

277. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उच्च प्राथमिक पाठशाला चांदेसरा, कोरना, गोदावास कलां व कूड़ी वर्ष 1974 से पूर्व से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदेसरा, कोरना, गोदावास कलां व कूड़ी को क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए थे। वित्तीय साधन सीमित होने के कारण उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने में प्राथमिकता नहीं दी जा सकी।

जिला कलेक्टर को भूमि रूपान्तरण करने के अधिकार

278. **श्री प्रभूलाल करसोल्या** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला कलेक्टर को चारागाह भूमि को आबादी में तब्दील करने के बाद यदि कोई तकनीकी खामी रही हो तो पुनः चरागाह में तब्दील करने के अधिकार हैं ? यदि हां, तो किस आदेश/नियम के तहत ? आदेश/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है जिला कलेक्टर को

(श्री प्रभूलाल करसोल्या)

आबादी से चरागाह में तब्दील करना हो तो सक्षम न्यायालय में अपील करनी पड़ेगी ? यदि हां, तो ऐसे नियम/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो फिर अटरू, कवाई, बराना, मण्डोला, नोहंत ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी भूमि से चारागाह में तब्दील किन–किन नियमों के तहत की ? नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत चारागाह भूमि को आबादी विस्तार हेतु सेट अपार्ट करने के अधिकार प्राप्त हैं। यदि सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दी गयी भूमि का सदुपयोग न कर, गलत रूप से इसका उपयोग किया जाता है तो ऐसी भूमि को आबादी से वापस चारागाह में परिवर्तित हेतु भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 (2) के तहत रिव्यू की कार्यवाही की जा सकती हे।

(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 (2) में राजस्व अधिकारी को अपने आदेश पर पुनर्विचार के पर्याप्त अधिकार उपलब्ध हैं।

(3) इस प्रश्न का उत्तर बिन्दु सं. 2 में समाहित है। ग्राम पंचायत अटरू के निर्णय सं. 319/99 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां लम्बित है।

राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय प्रतापनगर एवं माछला मगरा में चिकित्सालय भवन का निर्माण

279. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय प्रतापनगर (उदयपुर) एवं माछला मगरा (किशनपोल) में चिकित्सालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां।

आगामी वित्तीय वर्षो में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य भवन रहित संस्थानों के भवन निर्माण के साथ उक्त संस्थानों के भवन निर्माण पर भी विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

वेतन विसंगति निराकरण हेतु गठित समिति की सिफारिशें

280. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए यतीन्द्र सिंह समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या समिति ने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है ?

(2) क्या समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों को सरकार लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? समिति की सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समिति ने अपनी सिफारिशें अभी राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की हैं।

(2) समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने पर परीक्षण कर समुचित निर्णय लिया जावेगा।

पिछड़ी जातियों में क्रिमीलेयर हेतु आय सीमा में वृद्धि

281. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या गत 15 अक्टूबर, 1999 को मंत्रिमण्डल की सम्पन्न हुई बैठक में पिछड़ी जातियों के लिए क्रिमीलेयर हेतु आय की सीमा एक लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई राज्यादेश जारी किये गये हैं ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो उक्त सम्बन्ध में आदेश अब तक क्यों नहीं जारी किये ?

उत्तर

जी हां। अधिसूचना संख्या प. 9 (8) का/क–5/90 दिनांक 2.11.99 द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए क्रिमीलेयर हेतु निर्धारित आय–धन सीमा एक लाख रुपये को संशोधित कर 2.5 लाख रुपये किया जा चुका है। तत्सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 2.11.99 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

परिशिष्ट "क"

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-V)

No. F.9(8)DOP/(A-V)/90 Jaipur, dated 2-11-1999

NOTIFICATION

The Governor of Rajasthan is hereby pleased to make the following amendment in this Department Notification of even number dated 28/9/1993 regarding reservation for Backward Classes in posts and services under the Government of Rajasthan, with immediate effect-

AMENDMENT

In the schedule appended to the said Notification, the existing clause (a) appearing the column No.3 against Serial Number VI, shall be substituted by the following namely :-

"(a)- Persons having gross annual income of rupees two lakhs and fifth thousand or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the wealth Tax Act for a period of three consecutive years."

By order of the Governor,
sd/-
Deputy Secretary to the Government

राजकीय महाविद्यालय डीग (भरतपुर) के भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन

282. **श्री अरूण सिंह (डीग)** : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय डीग (भरतपुर) में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु कब–कब कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त राजकीय महाविद्यालय के लिए भवन निर्माण व अन्य कार्यों के लिए वर्ष 2000–2001 में राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वार्षिक योजना 2000–2001 में नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, डीग के भवन निर्माण हेतु जो राशि स्वीकृत की गई उसकी सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वार्षिक योजना 2000–2001 में भवन निर्माण व अन्य कार्यों हेतु प्रावधान स्वीकृत नहीं है।

परिशिष्ट-1

राजकीय महाविद्यालय, डीग (भरतपुर)

स्थापना–1977

	वित्तीय वर्ष	निर्माण कार्य	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1.	1977–78	भवन निर्माण	1.00
2.	1986–87	चारदीवारी	0.50
3.	1986–87	साइकिल शैड का निर्माण	0.15
4.	1990–91	दो कक्षा के कमरों का निर्माण	2.00
5.	1993–94	चारदीवारी का निर्माण	0.15
6.	1997–98	पुस्तकालय भवन का निर्माण	2.50
7.	1997–98	महाविद्यालय भवन की चारदीवारी का निर्माण	2.31
8.	1999–2000	पुस्तकालय निर्माण	5.25
		कुल	**13.86**

परिशिष्ट-5

(तारांकित प्रश्न संख्या-256 का विवरण)

वर्ष 1999-2000 में भीमसागर परियोजना की नहरों पर सफाई एवं मरम्मत के कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि (रु.)
1.	दायीं मुख्य नहर व उसकी वितरिकाओं पर आवश्यक, सर्विस रोड, जंगल सफाई इत्यादि का कार्य, 1000 मीटर लम्बाई में आवश्यकतानुसार।	33,000.00
2.	बायीं मुख्य नहर की चैन 640 से 645 टूटी हुई लाइनिंग की मरम्मत का कार्य।	35,000.00
3.	बायीं मुख्य नहर की चैन 926 से 928 क्षतिग्रस्त हिस्से की मिट्टी एवं लाइनिंग का कार्य	1,50,000.00
4.	बायीं मुख्य नहर की चैन 639.50 से 642.50 क्षतिग्रस्त हिस्से की आवश्यक मरम्मत का कार्य	50,000.00
	कुल योग	**2,68,000.00**

परिशिष्ट-6

(तारांकित प्रश्न संख्या-257 की सूची)

राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हवेलियों की सूची

क्र.सं.	संरक्षित हवेली का नाम	शहर/ग्राम	जिला
1.	सामोद की हवेली, पुरानी बस्ती के भित्ति चित्र	जयपुर	जयपुर
2.	प्राचीन (पटवों की) हवेली न. प. न. 3129	जैसलमेर शहर	जैसलमेर
3.	प्राचीन (पटवों की) हवेली न. प. न. 3128	जैसलमेर शहर	जैसलमेर
4.	प्राचीन (पटवों की) हवेली न. प. न. 3017	जैसलमेर शहर	जैसलमेर
5.	प्राचीन (पटवों की) हवेली न. प. न. 3126	जैसलमेर शहर	जैसलमेर
6.	प्राचीन (पटवों की) हवेली न. प. न. 3127	जैसलमेर शहर	जैसलमेर
7.	प्राचीन (पटवों की) हवेली न. प. न. 3127 बी	जैसलमेर शहर	जैसलमेर
8.	प्राचीन (पटवों की) हवेली न. प. न. 3013	जैसलमेर शहर	जैसलमेर
9.	जैसलमेर नगर में आसनी रोड संरक्षित सालम सिंह जी की हवेली न. प. न. 2521	जैसलमेर शहर	जैसलमेर
10.	जैसलमेर नगर में गोपदानी पाडा स्थित नथमल जी की हवेली	जैसलमेर शहर	जैसलमेर
11.	केसरी सिंह बारहठ की हवेली	शाहपुरा	भीलवाड़ा

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-324 की तालिका)

वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय की वर्षवार सूचना

वर्ष	कुल व्यय	वेतन पर व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत	अन्य भत्ते	कुल व्यय का प्रतिशत	मजदूरी	कुल व्यय का प्रतिशत	पेंशन	कुल व्यय का प्रतिशत	अनुदान	कुल व्यय का प्रतिशत	वेतन भत्तों आदि पर कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1994–95	9764.31	2138.26	21.90	101.44	1.04	136.64	1.40	326.38	3.34	1307.98	13.40	4010.70	41.08
1995–96	13231.59	2533.02	19.14	95.73	0.72	132.75	1.00	399.45	3.02	1548.65	11.70	4709.60	35.59
1996–97	15278.09	2923.72	19.14	104.85	0.69	165.17	1.08	511.64	3.35	1542.78	10.10	5248.16	34.35
1997–98	16199.02	3262.59	20.14	109.29	0.67	132.66	0.82	618.80	3.82	1379.50	8.52	5502.84	33.97
1998–99 (संशो.अनु.)	18073.39	4627.20	25.60	112.69	0.62	135.50	0.75	923.11	5.11	1816.08	10.05	7614.58	42.13

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-330 की सूची)

तहसील परबतसर, जिला नागौर के प्रस्तावित नये गांवों के प्रस्ताव की सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम	प्रस्तावित नये मजरें/ढाणी का नाम
1	2	3
1.	श्यामपुरा	1. चंदेलियों की ढाणी
2.	परबतसर	2. बंधा की ढाणी
		3. श्योजी बाबा की ढाणी
		4. पूंगीयों की ढाणी
		5. लावटा की ढाणी
3.	धोकलिया	6. शिवसागर की ढाणी
4.	खोदरपुरा	7. धारा की ढाणी
5.	ढाढोता	8. घडी की ढाणी
6.	बड़ूं	9. फरड़ोदा की ढाणी
7.	मालास	10. कुम्हारों की ढाणी
8.	गूलर	11. लोमरोडो की ढाणी
9.	कुण्डरी	12. धाबा नगर
10.	पोह	13. सिन्दलियों की ढाणी

1	2	3
11.	खुण्डीयास	14. सीमारों की ढाणी
12.	पीलवा	15. रोहीड़ा बेरा की ढाणी
13.	नेणिया	16. बरियां की ढाणी
14.	खानपुर	17. रातड़ी नाडी की ढाणी
15.	मंगलाना	18. जाजड़ो की ढाणी

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-331 का विवरण)

डाक्टर की लापरवाही से हुई मौतों के बारे में 1 दिसम्बर, 1998 से 1 जनवरी, 2000 तक कोटा नगर

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	जुर्म धारा	नाम पता मृतक	अस्पताल का नाम जहां मृत्यु हुई	नाम डाक्टर जिसकी लापरवाही रही	डाक्टर के विरुद्ध की गई कार्यवाही यदि नहीं, तो क्यों	रोगियों के परिजनों ने एफ.आई.आर. किस थाने पर दर्ज कराई व कब	चिकित्सा विभाग के अनुसार मौत के कारण क्या रहे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	337/99	166–337–304–ए–466 ता. हि.	लोकेन्द्र पुत्र मन्नूलाल जाति ब्राह्मण उम्र 25 निवासी सुमेरगंज मंडी थाना इन्द्रगढ़ जिला कोटा	एम. बी. एस. अस्पताल, कोटा	डा. आर. एस. मेहरा मेडिकल ज्यूरिस्ट एम. बी. एस. अस्पताल, कोटा	तथ्य की भूल का मामला पाये जाने पर एफ. आर. नं. 142/99 दिनांक 31.7.99 होने से कार्यवाही नहीं की गई	मृतक के परिजन (पिता) ने दिनांक 6.7.99 को थाना नयापुरा पर रिपोर्ट दर्ज करवाई	पीलिया की बीमारी के कारण
2.	350/99	166–304–ए ता.हि.	सिराज अहमद पुत्र युसुफ अहमद जाति मुसलमान उम्र 32 वर्ष निवासी मस्जिद के पास, नयापुरा, कोटा	– यथा –	डा. एस. आर. मीणा असिस्टेंट प्रो. एम. बी. एस. अस्पताल, कोटा	तथ्य की भूल का मामला पाये जाने पर एफ. आर. 230 दिनांक 17.12.1999 होने से कार्यवाही नहीं की गई	मृतक के पिता युसुफ अहमद ने दिनांक 3.11.99 को थाना नयापुरा पर रिपोर्ट दर्ज कराई	पेट दर्द की बीमारी के कारण

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-333 की सूचना)

टेक्नीशियन प्रशिक्षण कोर्स वर्ष 1998 में पूर्णरूपेण प्रोविजनल बेसिस पर चयनित तथा जनाना चिकित्सालय, जयपुर में आवंटित अभ्यार्थी

क्र.सं.	नाम अभ्यार्थी/ पिता/पति	पता	जन्म तिथि	सैकण्डरी स्तर पर प्रतिशत	अन्य विवरण
अनुसूचित जनजाति वर्ग					
1.	बाबूलाल मीणा/ मखन लाल	गोविन्दपुरा सलीमपुर सपोटरा, करौली	1.2.77	71.45	आवेदन पत्र एस.एम.एस. जयपुर से
2.	गजेन्द्र मीणा/ बाबू लाल	333, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	5.8.80	71.45	– यथा –

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-334 का विवरण)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या		भुगतान प्राप्त छात्रों की सं.		शेष रहे छात्रों की संख्या	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा
1.	राउमावि, जालौर	323	55	323	55	–	–
2.	राउमावि, आहौर	138	23	96	23	42	–
3.	राउमावि, सायला	128	08	128	08	–	–
4.	राउमावि, बागरा	104	05	104	05	–	–

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-340 का विवरण)

वर्ष 1999-2000 में गंग कैनाल की मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	2	3
1.	मुख्य गंग नहर पर व्यय	5,59,852.00
2.	गंग नहर उत्तर खण्ड के अधीन वितरिकाओं पर व्यय	
	1. एफ–ब्रांच	3,67,143.00
	2. एच–वितरिका	3,97,408.00
	3. बी. आई. एफ. वितरिका	1,54,667.00
	4. जी. जी. वितरिका	4,24,246.00
	5. एफ. रूपनगर वितरिका	2,09,518.00
	6. जेड–वितरिका	34,766.00
	7. एम. एल. वितरिका	1,58,795.00
	8. बी. बी. वितरिका	40,776.00
3.	गंग नहर उत्तर खण्ड के अधीन सिंचाई भवनों की मरम्मत पर व्यय	4,33,189.00
4.	गंग नहर उत्तर खण्ड के अधीन जनरल ए. एम. एण्ड आर. पर व्यय	11,76,934.00
5.	गंग नहर दक्षिण खण्ड की नहरों की मरम्मत पर हुआ व्यय	
	1. गंग केनाल फीडर	4,37,106.00
	2. ई. ई. ए. (केके) माइनर	50,155.00

1	2	3
	3. विन्जोर माइनर	2,48,817.00
	4. शामगढ़ माइनर	3,57,320.00
	5. जी. वी. माइनर	43,803.00
	6. पी. एस. वितरिका	2,77,216.00
	7. थन्डी माइनर	49,524.00
	8. संमेजा वितरिका	1,46,657.00
	9. एल. एन. पी. मुख्य वितरिका	73,345.00
	10. भागसर माइनर	39,172.00
	11. सगराना माइनर	68,129.00
	12. आर. बी. लोअर वितरिका	31,989.00
	13. टी. के. माइनर	25,693.00
	14. मोमपुरा माइनर	37,427.00
6.	गंग नहर दक्षिण खण्ड के अधीन सिंचाई भवनों की मरम्मत पर व्यय	2,77,362.00
7.	गंग नहर दक्षिण खण्ड के अधीन जनरल ए. एम. एण्ड आर. पर व्यय	8,27,504.00
	कुल योग	**69,48,513.00**
		69.48 लाख

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-344 की सूची)

कंवरपुरा लघु सिंचाई योजना के निर्माण में भूमि अवाप्त की गई खातेदार के नामों की सूची

क्र.सं.	नाम खातेदार
1	2
1.	मथुरा लाल, बाबूलाल
2.	मथुरा लाल, बाबूलाल, श्री लाला पि. राधा किशन, 1/2 हरनाथ गेंदीबाई, द्रोपदी बाई, भूली बाई पि. शंकर 1/2 हि.
3.	मन्दिर श्री देवनारायण जी
4.	रामचरण बजरंग पि. शंकर ज्यानाबाई सीताबाई पुत्रियां शंकर राठी
5.	चन्द्र प्रकाश आ. नन्दलाल सुनार
6.	रामहेतार पुत्र माधो सुन्दर मांगीबाई पुत्रियां माधो 1/2 रामनाथ पुत्र भैरूं 1/2 धोबी
7.	रामचरण आ. शंकर राठी
8.	हीरालाल जोधराज बाबूलाल भीमराज कान्ती चन्द्री सोना भूली पि. रघुनाथ रामनाथी बेवा रघुनाथ धाकड़
9.	ओमप्रकाश आ. सत्यनारायण जगदीश प्रसाद रामेश्वर आ. बद्रीलाल ब्राह्मण
10.	नारायण आ. छपना खाती
11.	दुर्गा लाल आ. मांगी लाल कस्तूरी बेवा मांगी लाल धाकड़
12.	मु. कंवरी जोजे प्रभु धाकड़
13.	कजोड़ी बाई पुत्री गोपाल, रामचन्द्री बेवा गोपाल हि.ब. देवा आ. रामचन्द्र कंवरी बेटी नारायण धाकड़,
14.	नेनगा भंवर लाल 1/3 जगदीश रामकरण पि. रामपाल 2/9 रामी बेवा रामपाल 1/9 प्रेमचन्द पुत्र रामचन्द्र बली रामचन्द्र पि. 1/3 धा.
15.	नन्द किशोर मोहनलाल रामहेतार गुलाबचन्द आ. रघुनाथ खाती
16.	रामनाथी पुत्री हीरा व आनन्दीबाई बेवा हीरा किसना आ. हीरा मेहतर
17.	रामनाथ चम्पा पि. मदन 1/2 देवलाल आ. ऊंदा बिरदीबाई ऊंदा 1/2 धाकड़
18.	हीरालाल रामदयाल चन्द्रभान

1	2
19.	मोती अमरलाल राजु पि. रामनारायण व.मु. पारवती बेवा रामनारायण राठी
20.	कल्याण आ. गोपाल धाकड़
21.	मांगीलाल मूलचन्द आ. भैरूं मांगीबाई
22.	द्रोपदी जमुना गंगा पुत्र नेनगा आ. भैरूं धाकड़
23.	नेनगा पि. भंवरलाल 1/3 जगदीश रामचरण पि. रामपाल 2/9 रामीबाई बेवा रामपाल 1/9 प्रेमचन्द बालीग रामदयाल वगैरह
24.	केसरी लाल आ. भंवरलाल मेहर
25.	दौलतराम आ. देवी लाल धाकड़
26.	गोपाल बृजमोहन प्रहलाद पि. रामेश्वर 1/2 भैरव रामकरण पि. गणेश 1/2 धाकड़
27.	बजरंग लाल आ. शंकर राठी
28.	मोहनी पुत्री सुन्दरलाल धाकड़
29.	शार्दुलसिंह रघुराज सिंह केसरसिंह आ. निर्भयसिंह वगैरह
30.	कल्याण आ. गोपाल 1/2 हीराबाई बेवा देवलाल 1/8 चमेली पुत्री लड्डू जगदीश आ. लड्डू 1/8
31.	बजरंगलाल आ. औंकार हीरा रामदयाल मोती अमरलाल राजू चन्द्रभान आ. रामनारायण पारवती बेवा रामनारायण राठी रामचरण बजरंगलाल पुत्र शंकर ज्याना बाई सीमा पुत्रियां राठी
32.	नन्दा सांवला आदि
33.	किशन गोपाल श्रीलाल आ. भैरूं बा.
34.	रामहेतार उर्फ मोहनलाल पिता जगदीश धा. ना. बा. बलीमाता पुष्पाबाई एवं रामचन्द्र आ. श्रीलाल धाकड़
35.	कन्हैयालाल मोहनलाल दीपचन्द पि. मूलचन्द महाजन
36.	हजारीलाल मूलचंद आ. माधो धा.
37.	मु. रामीबाई जोजे तुलसीराम धाकड़
38.	कन्हैयालाल आ. बैजनाथ बा.
39.	जानकीलाल आ. रामनाथ ब्राह्मण/बोहरा
40.	छीत्या आ. भूरा मीणा/बोहरा
41.	प्रभुलाल रामनारायण रामचरण आ. गजानंद ब्राह्मण/बोहरा
42.	रामनारायण रामचरण आ. रतनलाल ब्राह्मण/बोहरा

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-345 की सूची)

वर्षवार सिंचाई के आंकड़े (बीघा में)

क्र. सं.	गांव	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1983	1985	1986 से 1997 तक सिंचाई हुई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	तहसील दूदू											
1.	बोराज	33.10	40.70	33.50	25.55	24.95	27.85	43.45	28.65	47.50	22.00	—
2.	उगरियावास	692.55	533.85	653.30	574.80	468.95	579.15	607.60	389.70	555.95	229.90	—
3.	कोट नेवर	99.10	67.65	100.30	77.55	18.45	27.30	14.70	—	—	—	—
4.	गोपाल पुरा	411.30	271.05	441.80	406.65	377.40	372.45	422.00	280.85	430.80	127.60	—
5.	कापडिया खुर्द	818.30	810.40	809.50	783.45	796.20	845.95	848.15	818.80	850.95	643.10	—
6.	कापडिया कला	1059.75	1044.50	1044.50	983.60	1029.65	1072.75	1072.60	1054.20	1101.55	853.30	—
7.	बिचून	456.85	471.10	413.60	315.60	416.00	435.00	421.00	391.55	487.70	294.10	—
8.	सीतारामपुरा	501.95	535.75	609.75	562.30	531.75	624.75	641.35	631.15	723.25	497.45	—
9.	गाडोती	564.20	560.40	573.15	470.20	507.15	565.50	596.05	608.25	602.50	360.00	—
10.	नासनोता	741.70	470.05	694.90	383.85	448.80	554.60	615.95	409.35	655.10	133.30	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	चक नासनोता	32.00	28.65	18.05	5.00	27.10	27.60	29.75	29.80	29.05	18.00	—
12.	शिवसिंहपुरा उर्फ वाली	298.35	293.40	310.40	189.25	250.85	265.70	307.20	269.50	294.55	138.00	—
13.	मौखम पुरा	564.00	344.55	597.15	597.80	123.35	627.70	630.90	531.30	632.85	84.40	—
14.	गाडोती	971.05	924.50	1004.85	909.10	419.30	1023.40	1024.00	970.80	1097.10	412.90	—
15.	कडवो का चास	993.35	582.45	997.05	914.60	—	776.75	1007.40	864.45	1130.80	—	—
16.	गंगाती कलां	1718.15	1279.20	1732.70	1646.60	100.00	1745.70	1722.15	1030.35	1845.45	10.05	—
17.	गंगाती खुर्द	749.50	342.95	688.50	702.75	—	634.00	708.85	311.05	916.50	—	—
18.	खटवाड	184.95	11.85	134.70	284.40	—	228.15	269.75	—	277.35	—	—
19.	अखेपुरा	1602.10	365.40	1801.10	843.60	—	1392.85	18.45	290.80	1779.60	—	—
20.	पालुकलां	13.55	—	10.20	49.30	—	41.40	48.60	16.05	41.50	—	—
21.	पालु खुर्द	141.65	20.30	327.05	237.20	—	311.35	238.05	—	331.60	—	—
22.	सावरदा	29.50	—	60.75	33.85	—	32.70	18.05	—	33.55	—	—
23.	गिदानी	15.35	—	32.35	36.40	—	8.95	18.50	—	16.30	—	—
24.	चांदरमूल	114.35	—	255.50	34.00	—	125.10	41.95	—	28.60	—	—
25.	महेशपुरा	69.25	—	204.20	83.90	—	57.55	43.65	—	25.30	—	—
26.	भानपुरा	61.30	—	295.65	19.35	—	56.25	—	—	—	—	—
27.	गुडा बल्लमजी	173.60	—	244.50	69.70	—	110.55	127.40	—	102.25	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	मौजमाबाद	1288.15	208.75	107.00	935.95	—	1005.60	1588.05	189.70	1614.40	—	—
29.	चक दुदु	131.95	54.05	101.70	93.30	—	119.70	138.80	23.70	167.40	—	—
30.	तनझाग	48.55	2.35	37.50	48.80	—	45.90	146.55	15.65	76.95	—	—
31.	चक झाग	—	—	1.45	5.00	—	8.30	15.35	4.05	6.70	—	—
32.	श्री निवासपुरा	456.80	71.40	405.30	390.00	—	400.75	525.55	108.55	540.65	—	—
33.	झाग	521.10	56.45	634.25	336.00	—	498.05	825.55	142.25	750.10	—	—
34.	किशनपुरा	652.15	253.10	678.85	601.45	—	701.25	729.15	250.35	834.55	—	—
35.	भुरटिया	523.30	25.55	672.50	518.35	—	511.60	679.40	—	652.70	—	—
36.	डेडू	343.90	25.80	321.50	513.85	—	343.90	434.90	—	578.40	—	—
37.	धमाना	96.95	—	82.45	110.70	—	58.50	62.65	—	99.80	—	—
38.	सावली	562.90	3.30	796.15	769.55	—	625.10	755.75	—	837.90	—	—
39.	बिहारीपुरा	558.20	23.05	813.80	724.60	—	275.35	733.30	—	979.20	—	—
40.	मांधोसिंहपुरा	—	—	43.45	55.00	—	—	6.75	—	68.50	—	—
41.	शिवसिंह उर्फ बासडा	16.40	—	49.65	—	—	—	—	—	—	—	—
	तहसील फागी											
42.	चूकनी	26.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	शंकरपुरा	364.40	—	610.85	635.65	—	—	629.55	—	673.00	—	—
44.	चकवाडा	26.80	—	583.30	374.50	—	—	108.80	—	290.20	—	—
45.	भरतपुरा	—	—	120.10	2.00	—	—	—	—	4.30	—	—
46.	चोरू	—	—	21.50	4.95	—	—	—	—	—	—	—
47.	पंचाला	—	—	445.30	458.80	—	—	237.00	—	248.25	—	—
48.	आवडिया	—	—	8.80	33.85	—	—	—	—	—	—	—
49.	झोडिन्दा	—	—	135.95	138.65	—	—	9.95	—	5.00	—	—
50.	पचान	—	—	44.65	120.95	—	—	19.85	—	39.85	—	—
51.	सालरसू	—	—	54.45	132.00	—	—	123.70	—	51.70	—	—
52.	टिकल पुरोहितान	—	—	6.50	—	—	—	—	—	—	—	—
53.	मोहनपुरा	—	—	6.10	51.40	—	—	—	—	—	—	—
54.	झराना	—	—	74.60	38.70	—	—	—	—	—	—	—
55.	टिकेल नरूकान	—	—	—	3.00	—	—	—	—	—	—	—
56.	सुल्तनियां	—	—	—	119.40	—	—	—	—	—	—	—
57.	फागी	—	—	—	306.00	—	—	—	—	—	—	—
58.	रामपुर	—	—	—	8.85	—	—	—	—	—	—	—
59.	माधोराजपुरा	—	—	—	1.95	—	—	—	—	—	—	—
	कुल सिंचाई क्षेत्र (बीघा में)	18728.80	9722.75	21446.45	18766.20	5492.75	17175.20	21108.20	9660.95	22545.90	3823.85	—
	हैक्टेयर में	4682.20	2430.70	5682.60	4691.60	1373.20	4293.80	5277.05	2415.23	836.50	995.90	—
	सिंचाई कर (लाखों में)	1.64	0.83	1.96	1.80	0.52	1.66	2.57	1.20	2.81	0.45	—

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-346 का विवरण)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	तहसील	मद या कार्यक्रम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1.	जवली का नाका	1995–96	झाड़ौल	स्टेट प्लान टी.ए.डी.	62.73	कार्य पूर्ण
2.	गोपामाता	1995–96	झाड़ौल	स्टेट प्लान टी.ए.डी.	31.53	कार्य पूर्ण
3.	लोंगरीमाता	1996–97	झाड़ौल	स्टेट प्लान टी.ए.डी.	48.01	कार्य पूर्ण
4.	मोहंम्मद फलासीया	1999–2000	झाड़ौल	स्टेट प्लान टी.ए.डी.	133.97	प्रारम्भ करना है
5.	टिण्डोल का नाका	1999–2000	झाड़ौल	स्टेट प्लान टी.ए.डी.	135.50	प्रारम्भ करना है
6.	मामेर	1999–2000	कोटड़ा	स्टेट प्लान टी.ए.डी.	294.75	प्रारम्भ करना है
7.	हाकरवा	1999–2000	कोटड़ा	स्टेट प्लान टी.ए.डी.	95.86	प्रारम्भ करना है
8.	हर का नाका	1999–2000	कोटड़ा	स्टेट प्लान टी.ए.डी.	144.97	प्रारम्भ करना है

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-349 की प्रति)

कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) अजमेर (राजस्थान)

क्रमांक : पंचायत/99/9 दिनांक : 18.5.99

आदेश

ग्राम पंचायत बान्दनवाड़ा पंचायत समिति भिनाय में कराये जाने वाले विकास कार्यों एवं अकाल राहत कार्यों के लिए निम्नांकित व्यक्तियों की कमेटी गठित की जाती है जिनकी देख–रेख में कार्यवाहक सरपंच उक्त कार्य सम्पादित करेंगे :–

1. श्री ब्रह्मदेव कुमावत, अध्यक्ष, पं. स., भिनाय
2. श्री शंकर सिंह गौड़, उपाध्यक्ष, पं. स., भिनाय
3. श्रीमती कमला शर्मा, महिला ब्लाक अध्यक्ष, पं. स., भिनाय

ह.

कलेक्टर, अजमेर

कार्यालय पंचायत समिति भिनाय (अजमेर)

क्रमांक : पसभि/जेईएन/99/2081 दिनांक : 27.5.99

निमित्त :

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
ग्राम पंचायत बान्दनवाड़ा

विषय : ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास कार्य एवं अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में।

श्रीमान् कलेक्टर महोदय, अजमेर के पत्रांक : पंचायत/99/9 दिनांक 18.5.99 द्वारा आदेशित किया कि ग्राम पंचायत बान्दनवाड़ा पंचायत समिति भिनाय में कराये जाने वाले विकास कार्य एवं अकाल राहत का निम्नलिखित व्यक्तियों की कमेटी गठित की गई, उनकी देख–रेख में ही कराये जावेंगे :–

1. श्री ब्रह्मदेव कुमावत, अध्यक्ष, पं. स., भिनाय
2. श्री शंकर सिंह गौड़, उपाध्यक्ष, पं. स., भिनाय
3. श्रीमती कमला शर्मा, महिला ब्लॉक अध्यक्ष, पं. स., भिनाय

ह.

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, भिनाय (अजमेर)

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-350 की सूची)

कार्यालय ग्राम पंचायत नरवाली पंचायत समिति घाटोल

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	मूल्यांकन राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	95–96	जेआरवाई 80 प्रतिशत	रपट कार्य नेगड़िया	20000/–	20000/–	–
2.		–"–	प्रा.वि. बड़ो का फला मरम्मत	5000/–	4970/–	–
3.		–"–	रपट कार्यआमलीफला	26000/–	26404/–	–
4.		–"–	रपट पाइप कनवर्ट रेगनीया	35000/–	34482/–	–
5.		एजीएके.	फैससिटी पार्क नरवाली	442000/–	348021/–	348021/–
6.		–"–	चारदीवारी कन्या शाला नरवाली	75600/–	74184/–	76067/–
7.		–"–	चारदीवारी प्रा.वि. नरवाली	90000/–	91038/–	94180/–
8.		स्वच्छ	ग्रामीण शौचालय नरवाली	39000/–	39000/–	39000/–
9.		ई.ए.एस.	खरंजा रोड नरवाली	175000/–	174978/–	174998/–

1	2	3	4	5	6	7
10.		ए.आर.वाई.	सामुदायिक भवन नेगडिया	90300/–	89385/–	90455/–
1.	96–97	जेआरवाई 80:	प्रा.वि. आमलीफला	90000/–	89799/–	80799/–
2.		ई.ए.एस.	खरंजा रोड नरवाली	250000/–	224795/–	228440/–
3.		अकाल राहत	सी.हा.सै.स्कूल नरवाली	375000/–	261917/–	261971/–
4.		–"–	सम्पर्क सड़क नरवाली से देवलिया शक्तावत	100000/–	100000/–	100000/–
1.	97–98	जेआरवाई 80:	प्रा.वि.. बडो का फला	88000/–	88541/–	84474/–
1.	98–99	–"–	प्रा.वि. नरवाली मरम्मत	15000/–	15012/–	–
2.		–"–	प्रा.वि. नगडीया मरम्मत	13500/–	12812/–	–
3.		–"–	नाली निर्माण नरवाली	73600/–	60301/–	–
4.		ई.ए.एस.	एनीकट निर्माण वेलानाडा नरवाली	390000/–	253702/–	303617/–

1	2	3	4	5	6	7
1.	99–2000	टीएफसी	नाली निर्माण नरवाली	23773/–	23239/–	–
2.		सी.डी.ई.	सड़क निर्माण नरवाली	14264/–	14245/–	–
3.		–"–	पंचायत भवन मरम्मत	4755/–	3500/–	–
4.		टी.एफ.सी.	राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला नेगडिया	214000/–	213950/–	213950/–

ह.

विकास अधिकारी,

पंचायत समिति, घाटोल

कार्यालय ग्राम रूपजीं का खेड़ा पचायत समिति घाटोल, जिला बासवाड़ा

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	मूल्यांकन राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	95–96	जेआरवाई 80 प्रतिशत	सड़क कार्य रूपजी का खेड़ा से हडमतिया तक	50000/–	50100/–	50100/–
2.		–"–	सड़क कार्य हडमतिया से नाडा तक	50000/–	49520/–	49520/–
3.		–"–	सड़क कार्य काली घाटी से माली खेड़ा तक	33000/–	32220/–	32220/–
4.		अकाल राहत	एप्रोच रोड रूपजी का खेड़ा से नाडा तक	100000/–	82088/–	82088/–
5.		–"–	चारदीवारी कार्य राउप्रावि रूपजीं का खेड़ा	200000/–	197718/–	197718/–
1.	96–97	एजेएके	मरम्मत कार्य उंप्रावि रूप जी का खेड़ा	50000/–	49343/–	49343/–
2.		जेआरवाई 80 प्रतिशत	अति. कक्ष प्रावि. हरेंगजी का खेड़ा	90000/–	95010/–	95000/–
1.	97–98	–"–	मरम्मत कार्य प्रावि नाडा	30000/–	30751/–	–

1	2	3	4	5	6	7
2.		–"–	अति. कक्ष प्रावि. मालीखेड़ा	88000/–	87960/–	87960/–
1.	98–99	–"–	बस स्टैण्ड कालीघाटी	120000/–	119611/–	119611/–
2.		जेआरवाई 15 प्रतिशत	पं. भवन रूपजी का खेड़ा	200000/–	199991/–	199991/–
3.		ई.ए.एस.	एनीकट नाडा	380000/–	371730/–	371730/–
1.	99–2000		रा.गां.स्व.जयंती पाठशाला महापुरा गढ़ा	214000/–	213953/–	213953/–
2.		टीएफसी	प्लेटफार्म एवं नाली निर्माण कार्य	20818/–	20815/–	–
3.		–"–	कलर एवं सफेदी कराने का कार्य	4364/–	4410/–	–
4.		–"–	सड़क चौड़ा कराने का कार्य कालीघाटी से हरेंगजी का खेड़ा तक	13091/–	13000/–	–

ह.

विकास अधिकारी,

पंचायत समिति, घाटोल

कार्यालय ग्राम पंचायत जगपुरा, पं. स. घाटोल, ज़िला बांसवाड़ा

क्र.सं. 1	वर्ष 2	नाम योजना 3	नाम कार्य 4	स्वीकृत राशि 5	व्यय राशि 6	मूल्यांकन राशि 7
1.	95—96	सांसद मंद	सड़क कार्य भुखीयापाडा	75000/—	70120/—	70120/—
2.		जेआरवाई 80 प्रतिशत	रपट कार्य गढ़पाड़ा	70000/—	69850/—	—
3.		—"—	रपट कार्य-कालाखेत	60000/—	60265/—	—
4.		—"—	सड़क कड़ेचीपाड़ा	50000/—	49980/—	—
5.		—"—	उप्रावि जगपुरा अति. कक्ष निर्माण	88000/—	81900/—	—
6.		अकाल राहत	उप स्वा. केन्द्र जगपुरा	300000/—	199706/—	199706/—
7.		—"—	उप्रावि जगपुरा चारदीवारी	100000/—	98530/—	98530/—
8.		—"—	प्रावि भुखीयापाडा चारदीवारी	130000/—	129900/—	129900/—
1.	96—97	जेआरवाई 80 प्रतिशत	प्रावि लाखापाडा अति. कक्ष	90000/—	89994/—	89954/—
2.		—"—	प्रावि डिंडोरिया मरम्मत	15000/—	14995/—	14995/—
3.		—"—	उप्रावि जगपुरा अति. कक्ष	90000/—	89999/—	89999/—
1.	97—98	ई. ए. एस.	उप्रावि मण्डेलापाडा अति.कक्ष	700000/—	96010/—	96010/—
2.		—"—	एनीकट डिंडोरिया	500000/—	230908/—	निर्माणाधीन
3.		—"—	एनीकट जगपुरा	500000/—	248128/—	निर्माणाधीन

1	2	3	4	5	6	7
4.		जेआरवाई 80 प्रतिशत	उप्रावि मंडेला के तीन कमरे मरम्मत	30000/–	30010/–	30000/–
5.		–"–	उप्रावि मण्डेला अति. कक्ष	90000/–	89923/–	89923/–
6.		–"–	प्रावि डिंडोरिया अति. कक्ष	88000/–	87942/–	87942/–
1.	98–99	जेआरवाई 70 प्रतिशत	प्रा. वि. भुखीयापाडा अति. कक्ष	114000/–	116391/–	116391/–
2.		–"–	प्रावि उमरजला अति. कक्ष	111000/–	110968/–	110968/–
1.	99–2000	टीएफसी, आरएफसी व जे.आर.वाई	रा. गांधी पाठशाला निर्माण पालीयापाडा	214000/–	213942/–	213942/–
2.	99–2000	टीएफसी	हैण्डपम्प प्लेटफार्म व नाली निर्माण	51300/–	51300/–	51300/–
3.		–"–	मुख्य सड़क से भोरीमाता रोड	15000/–	15000/–	15000/–
4.		–"–	पालीयापाडा रोड	15000/–	15080/–	15000/–
5.		–"–	मण्डेलापाडा रोड दुरस्ती	5000/–	5010/–	5000/–
6.		–"–	महुवाल पाडा रोड दुरस्ती	5000/–	5100/–	5000/–
7.		जेआरवाई 65 प्रतिशत	रपट कार्य लाखापाडा	75000/–	75000/–	75000/–

ह.
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, घाटोल

ग्राम पंचायत सेनावासा पं. स. घाटोल, बांसवाड़ा

वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक करवाये गये निर्माण कार्यों की सूची

क्र.सं.	वर्ष	नाम योजना	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	मूल्यांकन राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	95–96	सहायक अनुदान	मा.वि. सेनावासापट्टी	3000/–	2464/–	2500/–
2.		–"–	रपट मरम्मत नेचोरपाडा	2000/–	2000/–	2000/–
3.		–"–	सड़क सेनावासा से झमरवाड़	1500/–	1012/–	1012/–
4.		जेआरवाई 70 प्रतिशत	ग्रेवल सड़क सेनावासा से गोरडी	35000/–	34938/–	35000/–
5.		–"–	सड़क देवारा से डूडापाडा मय कल्वर्ट	52000/–	51180/–	52000/–
6.		–"–	सड़क कार्य कसरीया से हेमता के घर तक	20000/–	20004/–	20000/–
7.		–"–	सड़क मेन रोड से माताजी उदपुरा	14000/–	14010/–	14000/–
1.	96–97	अकाल राहत	मा.वि. सेनावासा चारदीवारी	28000/–	28120/–	28120/–
2.		–"–	कन्या उप्रावि सेनावासा	28000/–	27775/–	28000/–
3.		–"–	सड़क सेनावास से भ्मरवोड	20000/–	19880/–	20000/–

1	2	3	4	5	6	7
4.		जेआरवाई	प्रा. वि. गरनावट	100000/–	99995/–	100000/–
5.	97–98	सहायक अनुदान	सार्वजनिक कूप शंकरपुरा	20000/–	20000/–	20000/–
6.		–"–	ग्रेवल सड़क शंकरपुरा	10000/–	10000/–	10000/–
7.		जेआरवाई	सड़क मेन रोड से उदपुरा केनाल	8000/–	4425/–	4500/–
8.		–"–	प्रावि जेचोरपाडा	100000/–	99772/–	100000/–
9.	98–99	ई. ए. एस.	प्रावि. गरनावट	88000/–	85680/–	85680/–
10.		–"–	उप्रावि उदपुरा	114000/–	108950/–	108950/–
11.		–"–	प्रावि शंकरपुरा	114000/–	110414/–	110414/–
12.		जेआरवाई	उप्रावि उदपुरा	114000/–	110000/–	110000/–
13.	99–2000	जेआरवाई टीएफसी	रा. गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला	214000/–	213980/–	213980/–

नोट :– उपरोक्त सभी कार्य पूर्ण हैं।

ह.
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, घाटोल

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-356 का विवरण)

नागौर जिले में स्वीकृत व संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में, आयुर्वेद चिकित्सकों व नर्स-कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों का औषधालयवार विवरण (दिनांक 15.3.2000 की स्थिति)

क्र.सं.	नाम औषधालय	अवधि जब से पद रिक्त है
आयुर्वेद चिकित्सक		
1.	बस्सी	8.12.98
2.	रोटू	8.3.99
3.	हरसौर	31.10.98
4.	बड़ायली	मार्च, 1999
5.	दासावास	मार्च, 1999
6.	बोडवा	मार्च, 1999
7.	कुचामनसिटी	1.4.99
8.	मीण्डा	1.4.99
9.	जायल	14.5.99
10.	बीठवालिया	14.5.99
11.	बरणगांव	14.5.99
12.	डाबडा	14.5.99
13.	चम्पाखेडी	29.2.2000
14.	सोमना	30.6.99
15.	रताऊ	नवीन स्वीकृत (1999–2000 में)
16.	नथाबेडा	नवीन स्वीकृत (1999–2000 में)
17.	मोहला बडली	नवीन स्वीकृत (1999–2000 में)

क्र.सं.	नाम औषधालय	अवधि जब से पद रिक्त है
नर्स-कम्पाउण्डर		
1.	छीलो	17.7.97
2.	सांजू	14.5.97
3.	सिंहू	15.4.97
4.	पालोट	27.5.98
5.	चाडी	28.3.98
6.	पांचलासिद्धा नयागांव विश्नोईयों की ढाणी	4.5.98
7.	आंकला	11.4.97
8.	डाबला	14.4.97
9.	ढाबा	1.7.97
10.	खियाला	4.11.97
11.	जालसूखुर्द	29.9.97
12.	बग्गड	29.9.97
13.	तंवरा	4.11.97
14.	श्यामगढ़	23.9.97
15.	धानणवा	29.9.97
16.	हरसावा	29.12.98

क्र.सं.	नाम औषधालय	अवधि जब से पद रिक्त है
17.	लाडनूं	17.5.98
18.	लाडनूं	11.3.99
19.	तरनाऊ	24.6.98
20.	डेगाना जं.	1.11.97
21.	जायल	1.4.97
22.	कुसुम्बी	24.6.98
23.	नागौर	18.9.98
24.	मंगलाना	17.9.98
25.	मकराना	15.5.98
26.	बिठवालिया	1.1.99
27.	मोलासर	11.3.99
28.	शिव	1.4.99
29.	रताऊ	नवीन स्वीकृत (1999–2000 में)
30.	नथाबेडा	नवीन स्वीकृत (1999–2000 में)
31.	मोहला बडली	नवीन स्वीकृत (1999–2000 में)